चतुर्दश माला, खंड 23, अंक 7

गुरुवार, 30 नवम्बर, 2006
9 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....61.....
Dated.....12 NOV 2007

(खण्ड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 7, गुरुवार, 30 नवम्बर, 2006/9 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	123 से 127	1-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	122 और 128 से 141	33-58
अतारांकित प्रश्न संख्या	1261 से 1490	58-354
अध्यक्ष द्वारा घोषणा		
विश्व महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में स्वर्णपदक जीतने वाली महिला मुक्केबाजों को बधाई		355
सभा पटल पर रखे गए पत्र		355-362
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति		
सत्रहवां प्रतिवेदन		363
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति		
(एक) उन्नीसवां प्रतिवेदन		363
(दो) विवरण		363
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		
एक सौ तिरासी से एक सौ पचासीवां प्रतिवेदन		364
समिति के लिए निर्वाचन		
राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड		364
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन		
श्री संतोष मोहन देव		365

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) दिनांक 28.11.2006 के "हिन्दुस्तान एक्सप्रेस" उर्दू संस्करण में प्रकाशित भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि धूमिल करने संबंधी समाचार के बारे में	369-373
(दो) पूर्वी दिल्ली में मनमाने ढंग से की जा रही सीलिंग कार्यवाही के बारे में	389-390
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) असम की बराक घाटी के लोगों के लिए सिल्चर से गुवाहाटी तक वैकल्पिक मार्ग विकसित किए जाने जाने की आवश्यकता	
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	397
(दो) गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार और जापान बैंक के बीच हुए समझौते का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
डा. राजेश मिश्रा	398
(तीन) गुजरात के सूखा प्रवण क्षेत्र अमरेली में ड्रिप सिंचाई योजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी.के. ठुम्मर	398
(चार) गुजरात के गांव काठोर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर ताप्ती नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता	
डा. तुषार अमर सिंह चौधरी	399
(पांच) राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाए जाने की आवश्यकता	
श्री आत्मा सिंह गिल	399
(छह) बेतूल जिले के चिचोली गांव से होशंगाबाद जिले के ढेकना गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59-ए का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय कुमार खंडेलवाल	400
(सात) मध्य प्रदेश को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. सत्यनारायण जटिया	400

विषय कॉलम

(आठ) राजस्थान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य हेतु राज्य सरकार को 3200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती किरण माहेश्वरी 401

(नौ) गुजरात के भूकम्प प्रभावित कच्छ जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए उत्पाद शुल्क से छूट की समय सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी 401

(दस) मछुआरा समुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु मुरारी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मनोरमा माधवराज 402

(ग्यारह) देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु त्रिपुरा-मनु-अगरतला रेलवे लाइन को सुब्रूम तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास 402

(बारह) आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में बसरा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी (आईआईटी) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डा. बाबू राव मिडियम 403

(तेरह) गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का बाजार मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा 404

(चौदह) शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 404

(पंद्रह) महाराष्ट्र में पुणे-सतारा खण्ड पर लोणांड राज्य राजमार्ग के क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल 404

विषय कॉलम

(सोलह) बिहार में छपवा से उत्तर प्रदेश की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री कैलाश बैठा 405

(सत्रह) एन.ई.सी. द्वारा 9वीं और 10वीं योजनावधि के दौरान शुरू की गई अन्तरराज्यीय अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा 405

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती अम्बिका सोनी 406

प्रो. रासा सिंह रावत 408

श्रीमती परनीत कौर 411

डा. सुजान चक्रवर्ती 413

डा. रतन सिंह अजनाला 416

श्री शैलेन्द्र कुमार 418

श्री गणेश प्रसाद सिंह 420

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन 421

श्री प्रसन्न आचार्य 422

खंड 2 से 6 और 1 427

पारित करने के लिए प्रस्ताव 428

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

डा. चिन्ता मोहन 431

श्री अनंत कुमार 438

श्री पी. करुणाकरन 449

श्री शैलेन्द्र कुमार 455

श्री रघुनाथ झा 459

विषय कॉलम

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन 461

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 465

श्री तथागत सत्पथी 469

श्री अजय चक्रवर्ती 474

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 479

डा. सिबैस्टियन पॉल. 482

श्री एस.के. खारवेनथन 483

श्रीमती सुमित्रा महाजन 487

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील 492

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 505-506

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 505-520

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 521-522

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 521-524

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 30 नवम्बर, 2006/9 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, कृपया नियम के अनुसार चलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 122 - श्री मो. ताहिर - अनुपस्थित।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले - अनुपस्थित।

प्रश्न 122 - श्री प्रभुनाथ सिंह।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कम बजट वाले होटल

+

*123. **श्री प्रभुनाथ सिंह** :
श्री के.एस. राव :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य वर्ग के पर्यटकों को पर्यटन के महत्व वाले स्थानों/शहरों में सस्ते (इकॉनामी क्लास) आवास प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो कम बजट वाले पर्यटक होटल उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। बजट श्रेणी में होटल कमरों की कमी के कारण, इस श्रेणी में आवास ढूंढने में पर्यटकों को कभी-कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने विशेषकर बजट श्रेणी में होटलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों और भारतीय रेल सहित भू-स्वामित्व वाली अन्य एजेंसियों से भूमि आवंटित करने के लिए कहा है। पर्यटन मंत्रालय की "आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन" की भी एक योजना है जिसके अंतर्गत एक सितारा होटलों के लिए 25 लाख रुपए; दो सितारा होटलों के लिए 50 लाख रुपए और तीन सितारा होटलों के लिए 75 लाख रुपए की अधिकतम सहायता की शर्त पर, बजट तथा कम बजट श्रेणी वाले होटल को मूल ऋण के 10% की इमदाद दी जाती है। इसके अलावा, बजट श्रेणी में कमरों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय की गैस्टहाउसों और इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाईयों को मंजूरी प्रदान करने की एक योजना है। होटल परियोजनाओं को बढ़ावा देने और राजस्व शेयरिंग के आधार पर स्थलों के आवंटन के लिए, होटलों के लिए अतिरिक्त एफएसआई/एफएआर को मंजूरी देने, होटलों में अतिरिक्त वाणिज्यिक उपयोग को अनुमति देने आदि के लिए राज्य सरकारों को निवेशक अनुकूल भूमि-नीतियों और सिंगल विन्डो एप्रोच को अपनाने की सलाह दी गई है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन उद्योग देश के आर्थिक विकास के लिए एक मुख्य आधार है। अगर पर्यटन स्थल के ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ व्यावसायिक महत्व पर भी ध्यान दिया जाये तो पर्यटन उद्योग सरकार का प्रमुख आर्थिक स्रोत बन सकता है। देश के अधिकांश पर्यटन स्थल सरकारी उपेक्षा के शिकार है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों में बदलाव का सुझाव दे रहे हैं। इस समय मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : जिसकी वजह से पर्यटक आकर्षित नहीं होते,

जिससे सरकार को अपेक्षाकृत राजस्व की प्राप्ति नहीं होती और खासकर जो मध्यम वर्ग के पर्यटक हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हालांकि माननीय मंत्री जी ने 'क' और 'ख' दोनों को स्वीकार भी किया है और अपने उत्तर में उन्होंने लिखा है कि होटल परियोजनाओं को बढ़ावा देने और राजस्व शेयरिंग के आधार पर स्थलों के आबंटन के लिए, होटलों के लिए अतिरिक्त एफ.एस.आई./एफ.ए.आर. को मंजूरी देने, होटलों में अन्रिक्त वाण्ज्यिक उपयोग को अनुमति देने आदि के लिए राज्य सरकारों को निवेशक अनुकूल भूमि-नीतियों और सिंगल विंडो एप्रोच को अपनाने की सलाह दी गई है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने जो राज्य सरकारों को सलाह दी है, उस सलाह के आधार पर कितनी राज्य सरकारों ने आपके यहां कोई प्रस्ताव भेजा है और खासकर बिहार से प्रस्ताव आया है या नहीं और अगर आया है तो किन-किन स्थानों का आया है, आप जरा विस्तार से बता दें?

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, यह बात सही है कि आज के दिन जब पर्यटक भारत में अधिक संख्या में आ रहे हैं तो यह महसूस किया गया है कि होटल के कमरों की बहुत ज्यादा कमी है। विशेष तौर पर जो बजट स्तर के होटल हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमें कुछ विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। यह सच बात है कि 2005 से मेरे मंत्री बनने के बाद भी हमने अनेकों पत्र लिखे हैं, स्टेट के मुख्यमंत्रियों को उनसे अनुरोध करते हुए कि वे स्थान आईडेंटीफाई करें, उन्हें निर्माण विशेष रूप से बजट स्तर के होटलों और अन्य होटलो के लिए प्लॉट की पहचान करनी चाहिए। बहुत से जो दिल्ली के ईद-गिर्द प्रदेश हैं, उन्होंने हमें उत्साह भरे जवाब दिये हैं और 34 के करीब आसपास स्थान आईडेंटीफाई किये हैं।

बिहार सरकार को भी मैंने यह पत्र लिखा है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, जबकि मैं खुद पटना गई थी। मुझे वहां के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विशेष तौर पर, जहां पर पर्यटक ज्यादा संख्या में आते हैं, जैसे बोधगया, राजगीर, नालन्दा, वैशाली और दूसरे ऐसे जो स्थान हैं और ऐसे स्थल हैं...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आप सीतामढ़ी को भूल गईं, जो मां जानकी की जन्मभूमि है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, आपके महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रीमती अम्बिका सोनी : किसी भी जगह को छोड़ने का मेरा इरादा नहीं है। मैं जो नाम दे रही हूं, उन्हें उदाहरण के तौर पर कह रही हूं। लेकिन हर एक जगह पर, जहां पर्यटकों के जाने की संभावना है, वहां के लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे होटल, यात्री निवास और बजट स्टाइल होटल वहां रखेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमने एक महीने पहले जो इन्क्रेडिबल इंडिया बैड और ब्रेकफास्ट स्कीम का उद्घाटन किया है, वह आने वाले समय में बिहार को भी इन्क्लूड करता है। शुरू में सिर्फ दिल्ली को लेकर हमने इसे शुरू किया है। जिससे हर घर में, जो व्यक्ति अपने घर में रहता है, वह एक से पांच कमरे तक, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध करा सकते हैं। इससे दो तरह के फायदे होंगे। बाहर से आने वाले व्यक्ति एक भारतीय परिवार के साथ रहकर, हमारी संस्कृति के बारे में भी कुछ जान पायेंगे और हमारे खाने-पीने की आदतों के बारे में भी जान पायेंगे। घर की गृहणी को भी एक प्रकार की आर्थिक मदद मिलेगी। हम यह ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम पूरे भारत के पैमाने पर चलाना चाहते हैं और आने वाले समय में भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री की वेबसाइट में डालना चाहते हैं। इसके अलावा यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमने सिविल एविएशन को, डिफेन्स मिनिस्ट्री को और रेलवे मिनिस्ट्री को भी अनुरोध किया है, उनके पास बहुत से स्थान हैं, जहां बजट होटल बन सकते हैं। विशेष तौर पर रेलवे के पास सौ ऐसी जगह हैं, जहां बजट होटल बन सकते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि उन्होंने बीस स्थानों का ऐलान किया है, जहां बजट होटल सन् 2010 के खेलों से पहले बन जायेंगे और हमारे यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट हुआ कि बिहार सरकार ने अभी आश्वासन दिया है, लेकिन कोई प्रस्ताव वगैरह नहीं आया है। जिन जगहों के नाम माननीय मंत्री जी ने रखे, जैसे राजगीर और बोधगया...*(व्यवधान)* इनके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत पहले से प्रचारित स्थल हैं, जहां पर्यटक जाते हैं, लेकिन बिहार में कुछ ऐसे भी स्थान हैं, जहां प्रचार-प्रसार और सुविधा नहीं होने से वहां बाहर के पर्यटक आकर्षिक नहीं होते हैं, जबकि वे बहुत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थल हैं। इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए, जैसे सोनपुर में गज और ग्राह की लड़ाई की चर्चा होती है और रिवलगंज में गौतम स्थान है, जहां गौतम ऋषि का मंदिर है, अहिल्या उद्धार की चर्चा होती है, आर्य मंदिर, रानी स्थान है, क्या ऐसी जगहों को उस सूची में राज्य सरकार से प्रस्ताव मंगाकर

वहां पर्यटन केंद्र का विस्तार करते हुए पर्यटकों को आकर्षिक करने का काम करेंगे?

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, मुझे माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी जो काम करने की आज तक परंपरायें, टूरिज्म पर्यटन को जो स्थल पापुलराइज्ड करने हैं, उसका दायित्व प्रदेश की सरकारों पर है। हर साल हमारे मंत्रालय की ओर से तीन ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर सर्किट चुने जाते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्रालय से कुछ धनराशि प्रदेश की सरकार को उपलब्ध कराते हैं। माननीय सदस्य का जा सुझाव है, मैं उसे मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरा सुझाव है कि माननीय सांसद स्वयं भी बिहार सरकार के साथ इस बात को उठायेंगे, तो हमारे तालमेल से जरूर नयी-नयी जगह, चाहे मधुबनी हो या और जो भी स्थान माननीय सांसद चाहेंगे, हम लोग उनका विकास करने की कोशिश कर सकेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शांतिनिकेतन सहित।

श्री के.एस. राव : महोदय, हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम देश से बाहर किसी भी जगह जाते हैं तो अनेक नागरिक भारत आने की इच्छा व्यक्त करते हैं जो एक अच्छी बात है। जैसाकि मेरे सहयोगी ने कहा कि देश में पर्यटन की अपार संभावना है। हमें भी इस बात की प्रसन्नता है कि सभी विदेशियों के लिए सर्वाधिक प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में भारत का चौथा स्थान है। इससे लगभग 12 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा अर्जन की संभावना है। सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान लगभग 6 प्रतिशत है। इससे लगभग 40 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पृष्ठभूमि को व्यापक बल दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र को साधारण ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। चिकित्सा पर्यटन की संभावना को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे चिकित्सा पर्यटन को भी यही प्रोत्साहन देगी ताकि देश की आय चार से कम वर्षों में दोगुनी हो जाए।

श्रीमती अम्बिका सोनी : यद्यपि माननीय सदस्य ने आज पर्यटन के विस्तार के बार में बहुत महत्वपूर्ण और सही बाते कही हैं, तथापि मैं यह कहना चाहती हूं कि इस प्रश्न में चिकित्सा पर्यटन यथार्थत: शामिल नहीं हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा मैंने भारत को चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए औपचारिक रूप से एक योजना का उद्घाटन किया है। लेकिन यह सब इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दी जाने वाली हमारी बुनियादी ढांचे संबंधी सहायता पर निर्भर करता है जो विभिन्न विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करेगा। हमने एक सर्वेक्षण किया है और यह पाया है कि सभी श्रेणियों में 1,50,000 कमरों की कमी है। वर्ष 2010 तक हमें इस कमी को पूरा करना है। हमारे देश में अच्छे अस्पतालों की कमी है। यद्यपि हम चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहते है और ऐसा करने हेतु हम प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि विदेशियों को बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास के परिणामस्वरूप भारतीय जनसंख्या के कमजोर वर्गों को नुकसान उठाना पड़े। इस तरह हम इन दोनों के बीच संतुलन रखने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि हम विदेशी रोगियों को आकर्षित करने के लिए नए अस्पताल बना रहे हैं ताकि वे यहां आए और हमारे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों द्वारा आधुनिक अस्पतालों में उन्हें उपचार मिल सके, लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं कि हम विश्व में किसी से पीछे नहीं है और हम इस बात पर भी सावधानी बरत रहे हैं कि इस क्षेत्र में विस्तार देने की अपनी इच्छा के साथ-साथ हमसे अपनी जनता के कमजोर वर्गों की उपेक्षा न हो जाए।

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उन्होंने असम के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफी संभावनाएं हैं। अच्छी विमान सुविधाओं और उचित होटलों के अभाव में पर्यटक इन स्थानों में आना नहीं चाहते है। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय के पास असम में रेलवे के सहयोग से होटल कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि पर्यटन मंत्रालय असम और पश्चिम बंगाल को चाय पर्यटन के लिए काफी महत्व दे रहा है। यह सार्थक पर्यटन है जो पारिस्थितकीय रूप से स्वीकार्य है और हमारे पास वन लॉज, पी.डब्ल्यू.डी. गेस्ट हाउस और चाय प्रबंधक कंपनियों के पूर्व मकान है। हम इन सुविधाओं का उन्नयन कर रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं कि समृद्ध पर्यटक बड़ी तादाद में भारत आए ताकि वे हमारे चाय जांच सूत्रों और मौसमों का फायदा उठा सकें और चाय प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व मकानों में रह सके। इसके अलावा हम असम में रिवर ऋण विकसित करने के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रहे हैं। यह गुवाहाटी में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। नदी पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य बन गया

है। हम क्रूज दल को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह असम जाने वाले पर्यटकों को अलग अनुभव देने के लिए दो या तीन दिन नदी विहार के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का प्रयोग करे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि दो सितारा होटलों के लिए 50 लाख रुपये और तीन सितारा होटलों के लिए 75 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ती है और हम देते भी है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने निर्णय लिया था और कई महत्वपूर्ण होटलों की बिक्री कर दी। बिहार में पटना सहित, गया होटल बिक्री की बात हो गई थी, लेकिन गया का होटल बिक गया और पटना का होटल बचा हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो होटल बचा हुआ है, क्या आपके पास उसे बिक्री करने की कोई नीति है या खत्म कर दी गई है? पटना में देश और विदेशों से लोग आते हैं। क्या वहां कोई दूसरा होटल स्थापित करने का विचार है क्योंकि वहां एकोमोडेशन की बहुत कमी है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि कुछ साल पहले बहुत से होटलों की बिक्री की गई। उन पर काफी विवाद हुआ और यह बात भी उठी कि उन होटलों की जितनी कीमत होनी चाहिए, उतनी कीमत पर उन्हें नहीं बेचा गया। लेकि यह बात बीत चुकी है। मै माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि टूरिज्म मंत्रालय के तहत आईटीडीसी, जो हमारी पब्लिक सैक्टर कंपनी है, उनके पास जो भी बचे-खुचे होटल रह गए थे, उनमें होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना भी है। मैंने सुझाव दिया, निर्देश दिया कि जो भी हमारे होटल्स हैं चाहे वे तीन सितारा होटल हों, चार सितारा होटल हों या दो सितारा होटल हों, उनको अपग्रेड किया जाये। उनको अपने पूरे लैवल पर लाया जाये और फिर सरकार जो फैसला करना चाहेगी, वह करेगी।

जहां तक पटना के होटल की बात है, मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है। उस होटल में बहुत परिवर्तन और अंतर आया है यानी जहां कोई जाता नहीं था वहां अब दो-दो महीने तक शादियों और रिसेपशन्स के लिए हाल बुक्ड हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी होटल्स भी इसी तरह तरक्की करेंगे।

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब बहुत निराशाजनक है। अभी मंत्री जी ने कामन वेल्थ गेम्स को लेकर दिल्ली और आस-पास जो होटल्स बनाये जा रहे हैं, उसी के बारे में बताया है। मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले साल कितने होटल थे और उनमें कितने टूरिस्ट्स आये और इस साल कितने टरिस्ट्स आने की उम्मीद है? इसके साथ-साथ कितना होटल का एकमोडेशन स्टार वन, टू और थ्री में बढ़ाया गया है। क्या उत्तर प्रदेश से माननीय मंत्री जी को कोई प्रस्ताव आया है? यदि नहीं आया है, तो आगरा, बनारस और इलाहबाद ऐसी जगहें हैं, इलाहाबाद में अर्द्ध कुंभ लगने जा रहा है, वहां करोड़ो टरिस्ट्स देश और विदेश से वहां आयेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया है। अब उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : क्या मंत्री जी कोई आश्वासन देंगी कि वे इसे कब तक करायेंगी?

श्रीमती अम्बिका सोनी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि बावजूद मैंने बहुत विस्तार से जवाब दिया और अभी भी मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं, जो मैंने दूसरे सदस्यों के जवाब में दिये हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अभी नहीं, आप ये आंकड़े इन्हें भेज सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती अम्बिका सोनी : हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भी पत्र लिखा है। उनका जवाब आया है और नोयडा में कई ऐसे स्थानों को आईडेंटिफाई किया गया है जहां आने वाले समय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होटल्स बनाये जायेंगे। माननीय सदस्य जानते हैं कि ये सब अधिकार प्रदेश सरकार के तहत होते हैं। केन्द्र से हमारा मंत्रालय सिर्फ फेसीलिटेटेर और को-आर्डीनेटेटेर का काम करता है। हम उनको केवल राय दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने पर्यटकों की संख्या पूछी है। पिछले साल इनकी संख्या 3.92 मिलियन थी और इस साल यह संख्या 4 मिलियन से अधिक हो गयी है। हमें उम्मीद है कि पर्यटकों की संख्या में 14 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। मैं सिर्फ दिल्ली के आसपास होटल बनाने की बात नहीं कर रही। *...(व्यवधान)* मैं वर्ष 2010 की बात भी नहीं कर रही। लेकिन वर्ष 2010 में कामन

वेल्थ गैम्स होने जा रहे हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2014 में ऐफ्रो-एशियन गेम्स होने जा रहे हैं और हम लोग ओलम्पिक गेम्स के लिए भी बिड करने जा रहे हैं। अब एक लाख 50 हजार कमरों की जो कमी है, वे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के पैमाने पर है। रेलवे के जो 20 होटल्स बन रहे हैं, वे सिर्फ दिल्ली में नहीं बन रहे बल्कि पूरे भारत वर्ष में बन रहे हैं। आगरा में भी बन रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती। कृपया बहुत विशेष प्रश्न पूछिए, हम यहां पर पूरी पर्यटन नीति की चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : सुन्दरबन हमारे देश के सबसे बड़े वनों में से एक है। सुन्दरबन में नरभक्षी, विश्व विख्यात रॉयल बंगाल टाइगर है। सुन्दरबन का दो-तिहाई भाग बांग्लादेश में. और एक तिहाई भाग हमारे देश में है। बांग्लादेश सरकार ने रात्रि विश्राम के लिए बहुत अच्छे होटलो और सुन्दरबन क्षेत्र में घूमने के लिए व्यवस्था की है हमारे देश में यद्यपि बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं लेकिन हमारे पास होटलो और सुन्दरबन घूमने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मंत्री महोदया, वह जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए आपके पास कोई व्यवस्था है।

श्री अजय चक्रवर्ती : क्या मैं भारत सरकार से यह जान सकता हूं कि उसके पास सुन्दरबन में होटल स्थापित करने की व्यवस्था संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि लोग और पर्यटक रात को सुन्दरबन में रूक सकें और नरभक्षी रॉयल बंगाल टाइगर को देखने हेतु सुन्दरबन में घूम सकें?

श्रीमती अम्बिका सोनी : माननीय सदस्य बिल्कुल सही हैं कि सुन्दरबन बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पारिस्थितकीय रूप में यह बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। मैं सभा को बताना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल के मेरे दौरे के दौरान मेरे शिष्टमंडल में होटल मालिक, भूदृश्य चित्रकार पर्यावरणविद् और ट्रैवल एजेंट थे, हमारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ काफी अच्छी बातचीत हुई और मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आने वाले सुन्दरबन को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील पर्यटन भाग को विकसित करने के अत्यधिक इच्छुक और सक्रिय थे। उनके अनुरोध के अनुसरण में हमने पश्चिम बंगाल सरकार के सम्पर्क में दो या तीन अत्यधिक जाने-माने पर्यावरणविदों, डिज़ायनरों को रखा जो सुन्दरबन संगत सीमा के भीतर बखूबी उपयोग करने के लिए पर्यावरणविदों की चिंताओं के अनुसार सुन्दबन का परिदृश्य तैयार करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने इन सभी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुझे विश्वास है कि उन क्षेत्रों में होटल बनाए जाएंगे जिन्हें पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकृति दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में मुद्दे पर बात कीजिए। हम पर्यटन नीति पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री पी. करुणाकरन : महोदय, माननीय मंत्री ने पर्यटन संवर्धन के लिए पर्यटन विभाग द्वारा किए गए प्रबंधों के बारे में बताया हैं केरल राज्य, जो वास्तव में पर्यटकों का राज्य है, के लिए व्यय अन्य राज्यों की तुलना में कम है। क्या सरकार अन्य देशों के लिए पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने और प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : पहले ही हमारे देश में काफी पर्यटक आते हैं। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या केन्द्र सरकार केरल में पर्यटन को और बढ़ावा देगी।

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्य के कारण आज केरल हमारे देश में शीर्ष गंतव्यों के रूप में उभर रहा है। चिकित्सा पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में लोग आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए केरल में आते हैं। पश्च जल पर्यटन के लिए भी लोग केरल जा रहे हैं। केरल में टूर ऑपरेटर और टूरिज़्म डेवेल्पर्स द्वारा लगभग 300 नए हाउसबोट बनाए गए हैं। हाल ही में मैंने केरल टूरिज़्म मार्ट का उद्घाटन किया था। उन 300 हाउसबोटों में रहने की जगह कुछेक घंटों में आरक्षित हो गई थी। इसके अलावा, हम केरल में होमस्टे लोकप्रिय कर रहे हैं। जो लोग झींगा, कॅकड़ा और मत्स्य पालन में लगे हैं और पश्चजल के निकट रहते हैं, उन्हें अपने घरों में विदेशियों के स्वागत के लिए एक या दो कमरे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैंने स्वयं वहां जाकर उन कमरो को देखा है। एक दम्पत्ति को एक रात अपने घर में ठहराने के लिए उन्हें 40 से 50 पाउंड मिल जाते हैं। इस प्रकार आज पर्यटन को पिछले पांच साल के कार्यों के परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करते हैं।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमें विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ, उतना ही महत्व भारतीय पर्यटकों की सुविधाओं पर भी देना चाहिए। इस विषय पर निजी क्षेत्र की कंपनियां हर साल एक्सपैंशन कर रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार कंपनी, आईटीडीसी है, छोटे धार्मिक और पर्यटक स्थानों जैसे उज्जैन, चंदेरी आदि में भी एक्सपैंशन करेगी? दूसरे, जो सब्सिडी की चर्चा की गयी है, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक साल में कितने लोगों ने इस सब्सिडी की सहायता ली है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, इस समय मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं कि पिछले एक साल में कितने लोगों ने सब्सिडी का लाभ लिया है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि सब्सिडी देने की हमारी योजना है। लोग इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं लेकिन जब तक जमीन उपलब्ध नहीं होगी, तब तक लोगों के लिए यह फायदा उठा पाना संभव नहीं है। हम यही प्रयत्न कर रहे हैं कि लैण्ड बैंक्स क्रिएट कर सकें जिससे हर कैटेगरी के होटल बनाने के लिए जमीन उपलब्ध हो सके।

जहां तक डॉमेस्टिक टूरिज्म की बात है, मैं मानती हूं कि जब मैं इस विभाग की मंत्री बनी थी, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जहां विदेशी पर्यटक हमारे देश में आएं, हम उनको अहमियत दें, साथ ही डॉमेस्टिक टूरिज्म बढ़े और हमारे देश के लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएं। जिससे नेशनल इंटीग्रेशन और मजबूत हो, यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि हम कहते हैं, हमारे देश में लगभग 400 मिलियन पर्यटक आए है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक लोकप्रिय विषय लगता है। इस विषय पर चर्चा करते है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कृपया इसके लिए सूचना दीजिए। इस प्रश्न पर और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम एक प्रश्न पूछने के लिए पहले ही 25 मिनट का समय ले चुके हैं।

शहरी गैस वितरण नेटवर्क

+

*124. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री उदय सिंह :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने तथा शहरी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना करने संबंधी नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीमित अवधि के लिए घरों में प्राकृतिक गैस की खुदरा बिक्री के लिए कंपनियों को एकाधिकार रखने की अनुमति प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे निवेशों में रूचि दिखाने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। नीति का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों में निवेश को बढ़ावा देना, निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, और इस प्रकार किसी निकाय द्वारा प्रभुत्व की स्थिति के किसी दुरूपयोग को रोकना और गैस की उपलब्धता और उपयुक्त प्रशुल्क के संबंध में उपभोक्ता के हित को सुरक्षित करना है।

इस नीति को सभी पणधारकों के साथ परामर्श करते हुए अंतिम रूप दिया जा रहा है। पाइपलाइन की नीति के मसौदे के बारे में विभिन्न पणधारकों की राय और टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। पणधारकों के साथ जून, जुलाई और अक्तूबर, 2006 के महीनों में बैठकें भी आयोजित की गई है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, हमारे लिए और कुल मिलाकर

देश की जनता के लिए यह शुभ समाचार है कि हमारी माननीय और प्रिय नेता सोनिया गांधी के हितकर हस्तक्षेप के कारण सरकार को तेल कीमतों को कम करने के लिए राजी कर लिया गया है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे उत्तरोत्तर बढ़ती मुद्रास्फीति को काफी हद तक रोकने में सहायता मिलेगी।

तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण नीति के अनुसरण में हमारे देश को बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस मिल रही है और अतिरिक्त गैस को शहरी क्षेत्र के परिवारो को घरेलू प्रयोजनार्थ दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन सुझावों पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के उभरते परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नीति के बारे में है।

श्री मुरली देवरा : महोदय, पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस सर्वोत्तम ईंधन है जिसका प्रयोग विशेषरूप से घरेलू प्रयोजनार्थ हो सकता है। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जा सकता है। हमने वित्त मंत्रालय को आवेदन किया है और वह इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा गैस की उपलब्धता और उपयुक्त शुल्क के संबंध में उपभोक्ता के हित को सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरतने की इच्छुक है। इस संबंध में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई विनियामक बोर्ड गठित करने पर विचार कर रही है। मेरा मानना है कि किसी तरह के निगरानी तंत्र के बिना आम उपभोक्ता के हित को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। अत:, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विनियामक बोर्ड गठित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो विनियामक बोर्ड के गठन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए?

अध्यक्ष महोदय : नीति निर्धारित की जा रही है। इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री मुरली देवरा : महोदय, यह बहुत बड़ा उत्तर है। यदि आप चाहते हैं तो मैं उत्तर को सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप संक्षिप्त उत्तर दीजिए।

श्री मुरली देवरा : महोदय, मुख्य उत्तर यह है कि विनियामक बोर्ड उपभोक्ताओं तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादो तथा प्राकृतिक गैस से संबद्ध विशिष्टि क्रियाकलापों में कार्यरत निकायों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादो तथा प्राकृतिक गैस का परिशोधन, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री विनियमित करेगा ताकि देश के विभिन्न भागों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की अबाधित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार और इससे संबंधित मामलों को बढ़ावा दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : यह एक नीति है जिसे निर्धारित किया जा रहा है। यदि आपके पास कोई सुझाव हैं तो आप उन्हें माननीय मंत्री को भेज दें।

श्री उदय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपादृष्टि चाहता हूं। मैं अपना प्रश्न बनाने के लिए एक क्षण लूंगा।

वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधन जो स्वच्छ, किफायती हों और बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे एल.पी.जी और सी.एन.जी. ढूंढने दो सर्वाधित आशाजनक उत्पादों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों में से सी.एन.जी. को किफायती, स्वच्छ माना जाता है और इससे भी महत्वपूर्ण इसे अधिक सुरक्षित होने के लिए जाना जाता है क्योंकि रिसाव होने पर एल.पी.जी. वहीं रहती है जबकि सी.एन.जी. बहुत जल्दी गायब हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिए।

श्री उदय सिंह : जी हां, महोदय, इसलिए मैंने कहा कि मुझे ऐसा करने में थोड़ा समय लगेगा।

क्या सरकार दोनों में से एक ईंधन का पक्ष लेते हुए नीति बनाने और ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं तथा तेल विपणन कंपनियों को यह संदेश अथवा सलाह अथवा निदेश देने पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शहरो की गैस पाइपलाइनों में या तो एल.पी.जी. है अथवा सी.एन.जी.? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि ईंधन एल.पी.जी. आधारित है तो मंत्री महोदय, यह दु:स्वप्न है क्योंकि तब वाहन चालक आपके राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. का प्रयोग करेंगे जैसाकि अभी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल के मामले में हो रहा है। सरकार की नीति क्या है.... क्या इसमें

आटोमोबाइल ईंधन के लिए सीएनजी अथवा एलपीजी को प्राथमिकता दी गई है?

श्री मुरली देवरा : महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे है। परंतु मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं तथा साथ ही यह बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली को ही उदाहरण स्वरूप लें जहां गाड़ियों द्वारा बहुत अधिक प्रदूषण होता था लेकिन अब, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप दिल्ली में सीएनजी शुरू किए जाने से यहां के प्रदूषण स्तर में बहुत सुधार हुआ है। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि एलपीजी के मुकाबले सीएनजी की लागत 2/3 है। आज हम एलपीजी के लिए 7,700 करोड़ रुपये की राजसहायता दे रहे है तथा मै माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करता हूं और आश्वासन देता हूं कि सरकार सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यथासम्भव प्रयास करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल्लाकुट्टी, कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए। मै तीन से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय, मेरे विचार से प्रस्तावित गैस पाइपलाईन वितरण नेटवर्क के तहत अन्य शहरों के साथ-साथ कोच्चि को भी शामिल किया गया था। परंतु इस परियोजना का कार्य अभी आरम्भ नहीं कियागया है। मैं मंत्री महोदय से कोच्चि में इस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के कारणों के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

मंत्री महोदय, क्या आपके पास इस संबंध में कोई सूचना है? आप माननीय सदस्य को इसकी सूचना लिखित में भेज सकते हैं।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न नीतिगत मामलों पर है न कि इसके बारे में कि किसी के निर्वाचन क्षेत्र में क्या हो रहा है।

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :** महोदय, देश में एलपीजी की अत्यधिक कमी है। इसके अतिरिक्त, एलपीजी के मूल्यों में अत्यधिक तेजी आई है। परिवार में महिलाऐं ही इस मूल्य वृद्धि तथा कमी से प्रभावित होती हैं। जब हम गांवों का दौरा करते है तो लोग एलपीजी की कमी तथा इसकी मूल्यवृद्धि के बारे में कष्टकारक प्रश्न पूछते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से एलपीजी की कमी तथा इसके मूल्य में वृद्धि के मुख्य कारणों के बारे में पूछना चाहती हूं। क्या भविष्य में इस स्थिति में सुधार होगा?

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : माननीय सदस्य बताएं कि आपके यहां कहां-कहां एलपीजी गैस की कमी रहती है। सम्माननीय सदस्या डिटेल देंगी कि कहां-कहां लाइनें लगी हुई हैं तो वहां उचित कार्रवाई होगी।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, वायदा करना और उसे कार्य रूप में परिणित करना, दोनों में अंतर होता है।

अध्यक्ष महोदय : पर सबके साथ होता है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मंत्री महोदय यह कह रहे है कि एलपीजी सब जगह उपलब्ध है तथा यदि कोई विशिष्ट मामला उनके ध्यान में लाया जाएगा तो वे उसका समाधान करेंगे। मै समझता हूं कि यह बहुत उदार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि देश में सब जगह एलपीजी की कमी है। वे यह कहने में गर्व महसूस करते है कि यह सब जगह उपलब्ध है परंतु यह सच नहीं है, इसके लिए काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि वे किसी विशिष्ट मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं अपने निर्वाचन क्षेत्र में इसकी एक छोटा वितरण केन्द्र खोलने के लिए मुझे उनके अधिकारियों के पीछे भागना पड़ा। इसलिए, इसमे गर्व की कोई बात नही है।

अध्यक्ष महोदय : आपको गर्व करना चाहिए कि रोजाना इसकी मांग बढ़ रही है तथा लोग क्रय करने में सक्षम हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : इसकी मांग बहुत है लेकिन माननीय मंत्री को अपने मंत्रालय के कार्यकरण पर गर्व नही होना चाहिए। उन्हें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि वे इस मामले पर अपने मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करेंगे और यह सुनिश्चित करेगें कि इस कमी को तथा इसमें आने वाली रूकावटों को यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री की कुछ तो प्रशंसा करनी चाहिए।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री मुरली देवरा : माननीय सदस्य को वहां की स्थिति जानने के लिए मुझे आमंत्रित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वे आपके सुझाव पर विचार करेगें।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही इस स्थिति में सुधार हो। मैने तो केवल इतना ही पूछा है कि इस मामले में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्री मुरली देवरा : मैनें माननीय सदस्य के कथन को गंभीरता से लिया है। हम यह पता लगाएगें कि कमी कहां है तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इसको दूर किया जाए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : हर जगह कमी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 125 - श्री दलपत सिंह परस्ते- उपस्थित नहीं श्री के.सी. पल्लानी शामी।

***श्री के.सी. पल्लानी शामी** : तमिलनाडु में, इस सदी के प्रारम्भिक पचास दशकों से वर्षों से अधिक समय से ई.वी.आर. पेरियार जैसे नेताओं तथा द्रविड़ आंदोलन के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप अपनी इच्छानुसार विवाह का प्रचलन हुआ। इच्छानुसाार विवाह से अंतरजातीय विवाह को जातिवाद के विरुद्ध एक आंदोल के रूप में प्रोत्साहन मिला। परंतु इस प्रकार के विवाह को अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी मान्यता नही मिली है। हमारे नेताओं तथा तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री डा. कलिगनार करुणानिधि के प्रयासों के फलस्वरूप तमिलनाडु में इच्छाविवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इच्छाविवाह को कानूनी मान्यता केन्द्र देने के लिए कोई कानून बनाएगा।

श्रीमती मीरा कुमार : महोदय, जहां तक मैं जानती हूं जो भी विवाह होते है, उन सभी को कानूनी मान्यता प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसे विवाह हैं, जो कि कानूनी रूप से सम्पनन होते हैं।

श्रीमती मीरा कुमार : मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य ने तमिलनाडु में होने वाले विवाहो का उल्लेख किया है। वे सभी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाह है तथा कानूनी दर्जा प्राप्त है। 1955 में, सरकार ने सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम नामक एक विधेयक तथा 1989 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार निवारण अधिनियम नामक दूसरा विधेयक अधिनियमित किया था। इन अधिनियमों के अंतर्गत, नियम बनाए गए थे तथा अधिसूचित किए गए थे तथा उनमें जातिवाद और छुआछात की सामाजिक बुराई का मुकाबला करने के लिए अंतरजातीय विवाह को एक घटक के रूप में शामिल किया गया था। उस योजना के अंतर्गत, केन्द्र द्वारा सभी अंतरजातीय विवाहों, जिनमें वर अथवा वधु मे से किसी एक के अनुसूचित जाति का होने पर को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के मामले में 50% तथा संघ राज्य क्षेत्र के मामले में शत प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। हाल ही में, इस वर्ष फरवरी में, मैनें सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिया है कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। पहले, यह राशि 2000 से 50000 रुपये के बीच थी। परंतु मैनें सभी मुख्य मंत्रियों को यह राशि 50,000 रुपये करने को कहा है तथा राज्यों के मामले में हम इस राशि का आधा भारवहन करेगें।

***श्री के.सी. पल्लानी शामी** : इस प्रकार के विवाहों को चाहे यह इच्छा विवाह हो अथवा अंतरजातीय विवाह, माध्यम से बंधन में बंधने वाली सभी दम्पतियों को प्रोत्साहनों के अलावा नौकरी के अवसरों तथा शैक्षणिक सुविधाओं के रूप में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है तथा इस प्रकार के प्रोत्साहन अनेक दम्पतियों और बच्चों दोनो को मिलना चाहिए। क्या केन्द्र द्वारा तमिलनाडु में उपलब्ध कराए जा रहे इस प्रकार के प्रोत्साहन तथा योजनाएं अन्य राज्यों में भी शुरू की जाएगी।

श्रीमती मीरा कुमार : जी हां, महोदय, प्रोत्साहन राशि के अलावा, हमने अनुसूचित जातियों के बच्चो को शिक्षा हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं भी शुरू की हैं...*(व्यवधान)*

***श्री के.सी. पल्लानी शामी** : महोदय, जहां तक अंतरजातीय विवाह का संबंध है, अनुसूचित जाति के समुदाय के अलावा इस प्रकार के विवाह अन्य समुदायों में भी होने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन सभी लोगों की जो अंतरजातीय विवाह करेंगे जातिरहित समाज के निर्माण में उनके योगदान के रूप में नौकरी के अवसर तथा शैक्षणिक सुविधाएं दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मीरा कुमार : यह प्रश्न अनुसूचित जातियों तथा गैर अनुसूचित जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह का है इसलिए मै आपके प्रश्न

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

का उत्तर दे रही हूं। इस तरह के अंतरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। जहां तक शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने का संबंध है, सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाएं शुरू की है तथा अनुसूचित जातियों के युवाओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए हैं। मैं पूरा ब्यौरा माननीय सदस्यों को भेज सकती हूं।

श्रीमती मिनाती सेन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आशंका है कि अंतरजातीय विवाह के लिए सरकारी प्रोत्साहन के प्रस्ताव से कुछ लोग आज पैसे के लिए अंतरजातीय विवाह करेंगे तथा उसके बाद वधू को छोड़ देंगें।

मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या यह सच नही है कि 'अंतरजातीय' शब्द अपने आप ही समाज मे जातिवाद की समस्या को बढ़ावा देता हैं? भारतीय समाज से जातिवाद की सामाजिक बुराई को मिटाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक बड़ा मुद्दा है।

श्रीमती मीरा कुमार : जी हां, यह एक वृहद विषय है। मुझे बेहद खुशी है कि माननीय सदस्य ने इस मामले को उठाया है। परंतु इसके लिए समुचित चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

इसके बारे में संक्षेप में उत्तर देते हुए, मै यह कहना चाहती हूं कि अंतरजातीय विवाह समाज से जातिवाद को मिटाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय है।

जहां तक इन प्रोत्साहनों के दुरूपयोग के बारे में उनकी चिंताओ तथा भावनाओं का संबंध है, मै यह कहना चाहती हूं कि कुछ लोगो द्वारा किसी भी उपाय का दुरूपयोग किए जाने की संभावना है। चूंकि ऐसा हो सकता है इसलिए इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस प्रकार के उपायों को शुरू न करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दस साल के लिए जेल भेज दीजिए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या हमारे संविधान में पहले से ही कहीं ऐसा प्रोवीजन है कि ''ए'' शादी ''ए'' ''कैटेगरी में ही करेगा और ''बी'' शादी ''बी'' कैटेगरी में करेगा? यदि यह स्वतंत्र अधिकार संविधान में पहले से दिया गया है कि कोई भी कहीं भी वयस्क होने के बाद, 18 साल का होने के बाद शादी कर सकता है तब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि दलित, एस.सी., एस.टी, से यदि कोई शादी करेगा तो उसे पचास हजार रुपए दिए जाएंगे। ये किस तरह का लालच देने की बात की जा रही है? ऐसा नहीं लगता है कि सामाजिक तौर पर यदि कोई दलित से शादी करेगा तो वह आज पैसे के लिए शादी करके ले जाएगा लेकिन घर में उसे सोशली कितना डिप्रेस किया जाएगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

हमारे समाज में आज संवैधानिक तौर पर जितनी मजबूतियां मिली हैं और उसी मजबूती से यह चला है तो यह कहां रह गया कि हमारे से दूसरा शादी करे और हम उसे पचास हजार रुपए दें और सोशली बायकट करें। इस तरह से जो उनकी पीढ़ी और बच्चे होंगे, क्या ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पर कोई फायदा लेने के लिए यह प्रोग्राम लाया जा रहा है कि उनके बच्चे दलित का अधिकार मांगे लेकिन उसके साथ शादी करके घर में सोशली बायकट किया जाए। क्या संविधान में इसका कोई प्रोवीजन है?

अध्यक्ष महोदय : आपकी चिंता भी वही है।

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं इस तरह के प्रश्न का उत्तर पहले दे चुकी हूं। इससे पूर्व भी माननीय सदस्या ने यह प्रश्न पूछा था, मैं उत्तर को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। लेकिन यह जरूर स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो भी कदम समाज में विषमता और जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए उठाए जाते हैं, ऐसा संभव है कि कुछ लोग उसका दुरूपयोग करें। उसका दुरूपयोग हो सकता है इसलिए हम यह कदम न उठाएं, यह भी गलत होगा।

जहां तक अंतरजातीय विवाह का सवाल है, सबको पूरी आजादी है कि वे अंतर्जातीय विवाह करें। इसमें कहीं कोई बंधन नहीं है, लेकिन हमारे समाज के अंदर एक जाति, वर्ग विशेष है, जिसे हेय दृष्टि से देखा जा रहा है, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। इसलिए 1955 में जब अस्पृश्यता विरोधी कानून बनाया गया था, तब से उसके तहत नियम बने हैं और तभी से यह स्कीम है। यह स्कीम कोई आज नहीं लाई गई है। इस स्कीम में जिसे अछूत या अस्पृश्य माना गया था, हम उसके साथ विवाह को प्रोत्साहन दें और जो लोग इस विवाह को कर रहे हैं, उन्हें एज ए टोकन ऑफ एप्रिशिएशन हम प्रोत्साहन राशि दें।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से क्लेरिफाई कराना चाहती हूं कि जो हमारा परिवार है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कृपया एक नोटिस दें। मैं कल भी चर्चा करने की अनुमति दूंगा। आप जातिवाद के उन्मूलन के लिए विधेयक भी ला सकते हैं। ये ऐसे कुछ उपाय हैं, जो किए जा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कौरिन रिजीजू : अध्यक्ष महोदय, इंटरकास्ट मैरिजेज समाज में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सैन्ट्रल इंडिया में सिर्फ शेडयूल्ड कास्ट्स का ही नहीं बल्कि शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का भी बहुत जगहों पर शोषण हो रहा है। आपकी स्कीम में सिर्फ एस. सीज. को ही सीमित क्यों रखा गया है। इसमें एस.टीज. को भी रखा जाना चाहिए। मैंने सैंट्रल इंडिया के कई इलाकों में देखा है, मैं वहां स्वयं भी गया हूं। वहां इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। इंटरकास्ट मैरिजेज में भी इसे लागू करना चाहिए।

मैं बताना चाहता हूं कि मैंने भी दूसरी ट्राइब में शादी की है, हम लोगों को भी इसका बैनिफिट मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये, बहस करने की टैन्डेसी छोड़िये।

[अनुवाद]

श्रीमती मीरा कुमार : एक जनजातीय कार्य मंत्रालय है माननीय सदस्य महोदय अपना प्रश्न उनको भेज सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं या उनकी ओर से मैं भी अपने सहयोगी श्री किंजिया से पूछ सकती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप बहुत दयालु हैं।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, जैसा कि श्रीमती कृष्णा तीरथ ने पहले ही अपनी चिंता जतायी है, उसी प्रकार मुझे भी आशंका है और मैं भी इसे माननीय मंत्री के समक्ष व्यक्त करना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको वही प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, नहीं! मैं उनको एक सुझाव देना चाहती थी। वास्तव में योजना के माध्यम से अंतरजातीय-विवाह के लिए यह बहुत अच्छी उपलब्धि है। लेकिन इसका एक नकारात्मक मुद्दा भी है। अर्थात धन का दुरूपयोग होगा या नहीं। लेकिन योजना के माध्यम से अंतरजातीय-विवाहों के लिए जो धन दिया जाता है वह वैसा हो कि लड़की अपने ससुराल में जाने से पहले उसका उपयोग कर सकें और वह धन उसके लिए सुरक्षित होना चाहिए और इसे उसके ससुराल वालो का या उसके पति को नहीं दिया जाना चाहिए। उसका उपयोग केवल स्वयं उसके द्वारा और उसके बच्चो के द्वारा किया जाना चाहिए। तभी वह सुरक्षित होगा और तभी उसके दुरूपयोग से बचा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यह एक अच्छा सुझाव है आप इस अच्छे सुझाव पर विचार कर सकते हैं।

श्रीमती मीरा कुमार : मैं आपके सुझाव पर विचार करूंगी। महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आपने भी इसका स्वागत किया है और आपने इस योजना की सराहना की है।

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : महोदय, 28 फरवरी, 2006 को मुख्य मंत्रियों को जो पत्र लिखा गया था तथा प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई, उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। लेकिन मुझसे पहले सभी माननीय सदस्यों ने भी कहा कि सिर्फ पेसा देना ही काफी नहीं है, केवल प्रोत्साहन राशि देने से काम नहीं चलेगा। 1955 में यह कानून शुरू हुआ था, लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देखा जाता है कि देश में जैसे हरियाणा और राजस्थान में आज भी लोअर कास्ट और अपर कास्ट में शादी होने पर मर्डर तक हो जाते हैं। माता-पिता अपने बच्चों की हत्या तक कर देते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि राशि के बगैर आप कौन सा कदम उठाना चाहते हैं? सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि इसके लिए सोशल अवैयरनैस भी होनी चाहिए। वर्ष 1955 में एक कानून चालू हुआ था लेकिन आज 2006 में भी माता-पिता इंटर कास्ट मैरिज पर हत्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी पुनरावृति नहीं होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपके पास अच्छे सुझाव आ रहे हैं।

श्रीमती मीरा कुमार : यह भी एक अच्छा सुझाव है। मैं इसकी जांच करूंगी। महोदय मैं एक बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने हिंसा की बात की है जबकि यह अंतर-जातीय विवाह का मामला हैं। मैं कहूंगी कि हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा-ज्यादा अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लालसिंह, आप अपना बोलने का अवसर खो रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार : महोदय, जितना ज्यादा से ज्यादा हम नौजवानों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे इंटर कास्ट मैरिज करें, उतना ही समाज में एक ऐसा सद्भावपूर्ण वातावरण बनेगा कि यहां पर हिंसा कम होगी। इस उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सूचना दे रहा हूं कि अगले सोमवार से केवल तीन अनुपूरक प्रश्न होंगे चाहे आप उपस्थित हैं या नहीं। मैं इस पर ध्यान नहीं देता।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, इंटर कास्ट मैरिज करने के लिए भारत सरकार बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रही है क्योंकि इससे समाज में जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है। मैंने भी इंटर कास्ट मैरिज की है। मैंने एक ब्राह्मण कम्युनिटी की लड़की से शादी की है। इंटर कास्ट मैरिज के माध्यम से समाज में एकता स्थापित हो सकती है और मेरी सूचना है कि 50,000 रुपया जो अनुदान देने का प्रयत्न किया गया है, मेरा निवेदन है कि इसे बढ़ाकर एक लाख रुपया देना चाहिए, दोनों में से एक को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो हर साल अपने देश में कितनी इंटर कास्ट मैरिज होती है, इसकी मुझे जानकारी चाहिए। इंटर कास्ट मैरिज बढ़ने से हमारे देश में समानता स्थापित हो सकती है और इसीलिए बीजेपी वालों को ज्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है क्योंकि इंटर कास्ट मैरिज से ही जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है। इसलिए सरकार के माध्यम से इसे और भी बढ़ावा देने का प्रयत्न करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव कार्रवाई करने के लिए है।

श्रीमती मीरा कुमार : जी हां, महोदय माननीय सदस्य महोदय मैं आपके सुझाव के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा

*126. **श्री धुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**
श्री काशीराम राणा :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की वर्तमान 'नवरत्न' तथा 'लघु रत्न' कंपनियों (पीएसयू) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने 'नवरत्न' तथा 'लघु रत्न' का दर्जा प्रदान किए जाने हेतु आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इनके आवेदनों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्तमानतः, 9 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम नवरत्न उद्यम हैं। विभागों से उपलब्ध सूचना के अनुसार 51 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम मिनीरत्न उद्यम हैं। नवरत्न और मिनी रत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) 9 केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं:—

(i) भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.

(ii) भारत संचार निगम लि.

(iii) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.

(iv) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.

(v) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.

(vi) विद्युत वित्त निगम लि.

(vii) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

(viii) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.

(ix) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

मिनी रत्न का दर्जा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा इस बात के लिए संतुष्ट होने के बाद कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम इस संबंध में निर्धारित मानदंड को पूरा करता है, प्रदान किया जाता है।

(घ) नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अनुबंध

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों की सूची

(i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.

(ii) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.

(iii) गेल (इंडिया) लि.

(iv) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.

(v) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.

(vi) महानगर टेलीफोन निगम लि.

(vii) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.

(viii) ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि.

(ix) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनी रत्न उद्यमों की सूची

दिनांक 31.10.2006 के अनुसार

श्रेणी-I

(1) भारत डायनामिक्स लिमिटेड

(2) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

(3) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

(4) भारत संचार निगम लिमिटेड

(5) बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिक्ल्स लिमिटेड

(6) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

(7) चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(8) कन्टेनर कारपोरेशन लिमिटेड

(9) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(10) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

(11) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजी. लिमिटेड

(12) हिन्दुस्तानएयरोनॉटिक्स लिमिटेड

(13) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

(14) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

(15) आवास एवं शहरी विकास निगम

(16) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

(17) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(18) कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड

(19) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड

(20) मझगांव डॉक लिमिटेड

(21) एमएमटीसी लिमिटेड

(22) एम्एसटीसी लिमिटेड

(23) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

(24) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(25) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड

(26) नेवली लिग्नाइट कारपो. लिमिटेड

(27) नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड

(28) ऑयल इंडिया लिमिटेड

(29) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(30) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(31) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(32) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

(33) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड

(34) राइट्स लिमिटेड

(35) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(36) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया

(37) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड

श्रेणी–II

(38) बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

(39) एजूकेशनल कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड

(40) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

(41) फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

(42) एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

(43) अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम (इंडिया) लिमिटेड

(44) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन

(45) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिक्ल्स कारपोरेशन लिमिटेड

(46) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड

(47) मेकॉन लिमिटेड

(48) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

(49) पीईसी लिमिटेड

(50) राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

(51) वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (आई) लिमिटेड

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मिला है, उसमें अलग से 'नवरत्न' को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मेरे पास यह विशेष जानकारी उपलब्ध है। मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महोदय, आपका प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, जो नवरत्न और जो मिनीरत्न 51 हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नवरत्न में कितनी पूंजी निवेश की गई है और विगत तीन वर्षों में कितना फायदा हुआ है?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : सभी नवरत्न कंपनियां लाभ कमा रही है। उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। उन्हें उदारतापूर्ण और अधिकार दिये गए है। यदि उनके पास निवेश के लिए अपने पास पैसा हो तो वे बिना मंत्री मंडल की अनुमति के एक हजार करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकते है।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, क्या यह इतना

बता सकते हैं कि ये मुनाफे में हैं या नहीं? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नवरत्न जो फायदे में हैं तथा मिनीरत्न जो 51 फायदे में हैं, जैसा कि बराबर अखबारों में आया है, क्या नवरत्न में सरकार प्राइवेट इंवेस्टमेंट रखने का विचार रखती है अगर रखती है तो क्यों? क्या डबल्यूटीओ के साथ कोई गुप्त समझौता किया गया है?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : जिन संयुक्त उद्यमों को वे खरीदना चाहते है उसके बारे में फैसला करने की छूट नवरत्नो को है। इस पर कोई रोक नहीं है। बोर्ड को इसे अनुमोदित करना होगा।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, नवरत्न और मिनीरत्न स्टेटस जो दिया जाता है, क्या इसके बाद जो भी पीएसयू या जो सीपीएसयू जिसे जो भी स्टेटस मिलता है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या सरकार के पास ऐसा कोई मानीटरिंग सिस्टम है कि स्टेटस के बाद उसकी परफोर्मेंस और बढ़ी है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मिनिस्टर के सामने ऐसी भी कोई शिकायत आई है कि स्टेटस को जो पैरामीटर है, उसे भी बार-बार चेंज किया जाता है? क्या इसके बारे में कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे कि ऐसी शिकायतें सरकार के सामने न आयें, यदि हां, तो ऐसे कितनी बार पैरामीटर्स बदले हैं? क्या इसका इम्पैक्ट कंपनियों पर हुआ है और क्या इसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय मिनीरत्नों और नवरत्नो की निगरानी उनके समझौता ज्ञापनों के निष्पादन की तुलना में की जाती है।

यदि उनकी समझौता ज्ञापन निष्पादन प्राप्त हो जाती है। और वे अच्छा करते है तो इसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। हमने हाल ही में उनकी निगरानी शुरू की है और जल्द ही नये सिरे से उनको नवरत्नों की भांति प्वाइंटस के अनुसार उन्हें अंक दिये जाएगें।

जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस बार कुछ परिवर्तन किये जाएगें लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया है। यह सचिवों की समिति द्वारा किया जाएगा। और उनकी बेहतरी के लिए किया जाएगा क्योंकि आज के हमारे नवरत्न वास्तव में नवरत्न है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है। परिणामत:, सरकार ने इस बात की प्रशंसा की है कि हमारे नवरत्नों का निष्पादन अच्छा रहा है और मुझे विश्वास है कि अब और नवरत्नों को भी लिया जाएगा। इस समय हमारे पास नौ याचिकाएं लम्बित हैं। ये सबसे पहले अंतर मंत्रालीय समिति के पास जाएंगी और उसके बाद शीर्ष समिति को भेजी जाएंगी जिसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव करते हैं तथा तत्पश्चात इसे मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। यदि उनमें मतभेद नहीं है तो अच्छी बात है लेकिन यदि उनके बीच कोई मतभेद है तो मैं एक मंत्री के रूप में इसमे हस्तक्षेप करूंगा। यदि इसका निर्णय वहां भी नहीं हो पाता है तो यह मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा। यह प्रणाली समकालिक है। यह प्रक्रिया पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान आरंभ की गई थीं। हमने इसे स्वीकार कर लिया है और यह एक अच्छी प्रक्रिया है।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर का क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र का रहने वाला हूं। भारत सरकार आर्थिक असमानता को समाप्त करते हुए अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी समान रूप से विकसित करने के लिए वचनबद्ध है। क्या मै आपके माध्यम से माननीय भारी उद्योग मंत्री से यह जान सकता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को अपने आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए और कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी ताकि वे उस क्षेत्र में भी नवरत्नों के दर्जो वाले उद्योग स्थापित हो सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से संबंधित हो सकें।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनियां है और वे सभी नवरत्नों में सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं, चाय उद्योग के बारे में भी हमें अच्छी रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। सरकार इसको एक पैकेज दे रही है। यदि और कंपनियां आती है तो निश्चित रूप से उनपर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 127 - श्री अजय चक्रवर्ती।

श्री अजय चक्रवर्ती : आप कृपया अपने स्थान पर जाइए। क्या आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि आपके नाम से एक प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी पक्षों की ओर से वचनबद्धता और अनुपालन होना चाहिए।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सम्मेलन

*127. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों को उचित हिस्सा देने की मांग की गई थी;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 02 नवम्बर, 2006 को नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के पांचवें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया:–

(i) अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और उन्हें विकास में एक उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक प्रवाहित होने चाहिए और विकास परियोजनाओं का कुछ अनुपात अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में भी स्थापित किया जाना चाहिए।

(ii) साम्प्रदायिक शांति और सद्भाव बनाये रखा जाना चाहिए।

(iii) साम्प्रदायिक अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने चाहिए।

(iv) साम्प्रदायिक हत्याकांड के पीड़ितों को पुर्नवास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

(v) अल्पसंख्यकों को केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में उचित हिस्सा मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के रोजगार में अपना उचित हिस्सा प्राप्त कर सकें।

(vi) अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार मुख्य घटक उनकी सामान्य स्कूल प्रणाली में पहुंच का अभाव है। यह विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के मामले में सत्य है। इसलिए मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाले खण्डों व जिलों में मुस्लिम लड़कियों के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की स्थापना के लिए ठोस योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रमों में व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा तक पहुंच का विस्तार एक प्राथमिक कार्य होना चाहिए।

(vii) सरकार को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानीटर करना चाहिए।

(viii) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा वित्तपोषित छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार करके इसमें मैट्रिकोत्तर स्तर भी शामिल करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती आपके पास एक अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए समय है।

श्री अजय चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : कौन-सी समिति?

श्री ए.आर. अंतुले : महोदय, मैं उनके प्रश्न को भली प्रकार नहीं समझ पाया हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह हमारी संस्कृति है। यदि कुछ करना है तो हम एक समिति नियुक्त कर देते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई योजना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या अल्पसंख्यकों के सुधार के लिए कोई योजना है? मै वह प्रश्न तैयार कर रहा हूं।

श्री ए.आर. अंतुले : महोदय, मै आपको वास्तव में धन्यवाद करता हूं। अल्पसंख्यकों के सुधार के लिए कई योजनाएं है।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई नियत तिथि या समय तय किया है।

श्री ए.आर. अंतुले : हां, यह नियत समयावधि के दौरान किया जाएगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मुझे उनकी बात सुनाई नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सुझाव नहीं दे सकता कि सभी अपनी कान की जांच कराएं। यदि माइक्रोफोन प्रणाली काम नहीं कर रही है तो मै समझ सकता हूं।

प्रश्न-काल समाप्त हो चुका है। श्री चक्रवर्ती सहयोग के लिए आपको धन्यवाद।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए धनराशि

*122. **श्री मो. ताहिर** :
श्री मोहन रावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रमों के लिए धनराशि की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान निष्पादित की जाने वाली प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) जी नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए रेलवे कार्यक्रमों और निधियों की आवश्यकता का आकलन अभी किया जा रहा है।

(ग) 11वीं योजना के दौरान निष्पादित की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं और योजनाओं में समर्पित माल गलियारों एवं अन्य नई लाइनों का निर्माण, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, दोहरीकरण एवं अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था द्वारा क्षमता संवर्धन और नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए चल स्टॉक की खरीद शामिल है।

निजी क्षेत्र में आरक्षण

*128. **श्री अनंत गुढ़े** :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित मंत्री-समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो मंत्री समूह द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने अब निजी क्षेत्र आरक्षण संबंधी एक अन्य पैनल/समिति का गठन किया है जैसाकि दिनांक 17 अक्तूबर, 2006 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उक्त पैनल/समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, इसके विचारार्थ विषय क्या हैं और इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

हेतु नौकरियों में आरक्षण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) और (ख) उद्योग के साथ सरकार के वार्तालाप के भाग के रूप में, मंत्री दल ने चैम्बर्स/उद्योग एसोसिएशनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। उद्योग, मोटे तौर पर सकारात्मक कार्रवाई की वांछनीयता स्वीकार करता है, लेकिन उसने, सरकार में यथा प्रचलित आरक्षण की अवधारणा का विरोध किया है।

(ग) से (ङ) सार्थक राष्ट्रीय वार्तालाप के लिए इस मुद्दे पर चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने और उनमें अभिवृद्धि करने, जिससे कि समयबद्ध कार्रवाई कार्यक्रम बन सके, के लिए 9 अक्तूबर, 2006 को एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं तथा कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव इसके सदस्य हैं। सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग इसके संयोजक हैं। यदि आवश्यक समझा गया, तो समिति के अध्यक्ष अन्य सरकारी सदस्यों के साथ-साथ गैर-सरकारी सदस्यों को भी सहयोजित कर सकते हैं। इस समिति द्वारा 6 महीने के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने, उसके बाद अंतिम रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। इस समन्वय समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं:

(i) विभिन्न स्टेक होल्डरों से प्राप्त सुझाव और कार्रवाई बिन्दुओं पर समयबद्ध ढंग से जांच सुनिश्चित करना;

(ii) उपर्युक्त (i) से उत्पन्न ठोस कदम उठाना/अथवा उनकी पहचान करना तथा उनका कार्यान्वयन; और

(iii) सरकारी सहायता के अर्थोपायों का सुझाव देना और कार्यान्वयन प्रक्रिया का समर्थन करना।

उद्योगपतियों के साथ इन संवादों के दौरान इस मुद्दे पर एक अलग अभिवृत्तात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि योग्यता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और प्रबंधन के अधिकार में दखलांदाजी न करने पर पहले दिए जाने वाले बल के स्थान पर, उद्योग जगत इस मान्यता की ओर जा रहा है कि मैरिट कोई सहज संवृत्ति नहीं है बल्कि यह सामाजिक परिस्थितियों से बनती है। वे अब सामाजिक समता और इसे प्राप्त करने के लिए सरकार के जारी प्रयासों को पूरा करने हेतु उद्योगों की अधिक रचनात्मक भूमिका की आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं।

उद्योग जगत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के नियोजन को बढ़ाने पर जोर सहित स्वैच्छिक सकारात्मक कार्रवाई हेतु अपने समर्थन की फिर पुष्टि की है। चयनित स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण उपायों, छात्रवृत्तियों, कौशल और उद्यमीय विकास के माध्यम से सहायता करके पीपीपी मॉडल सहित एक बहुविध कार्यनीति का समर्थन किया जा रहा है। उद्योग सकारात्मक कार्रवाई पर अपनी आचार-संहिता बनाने और सदस्यों द्वारा अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अपने मॉनीटरिंग मैकेनिज्म को तैयार करने के भी पक्ष में है।

निजी एयरलाइनें

*129. **श्री संतोष गंगवार :**
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कार्य कर रही निजी एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकांश निजी एयरलाइनों ने लाइसेंस प्राप्त करते समय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और मानदंडों को पूरा नहीं किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या ये एयरलाइनें सरकार द्वारा समय-समय पर बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद शर्तों/मानदंडों की उपेक्षा कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा दोषी एयरलाइनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्तमान में देश में एक कार्गो एयरलाइन सहित निम्नलिखित 9 निजी अनुसूचित एयरलाइनें प्रचालन कर रही हैं:

(1) मैसर्स जेट एयरवेज (2) मैसर्स सहारा एयरवेज (3) मैसर्स एयर डेक्कन (4) मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस (5) मैसर्स स्पाइसजेट (6) मैसर्स इंडीगो एयरलाइंस (3) मैसर्स पेरामाऊंट एयरवेज (8) मैसर्स गो एयरवेज (9) मैसर्स ब्ल्यू डार्ट एविएशन (कार्गो)।

(ख) जी, नहीं अनुसूचित विमान परिवहन प्रचालनों के लिए सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) केवल उन्हीं आवेदकों को प्रदान किया जाता है जो निर्धारित शर्तों और मानदण्डों को पूरा करते हों।

(ग) और (घ) जब कभी भी यह पाया जाता है कि कोई प्रचालक निर्धारित शर्तों या मानदण्डों का अनुसरण नहीं कर रहा है तो नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा उनकी कमियों के आधार पर दण्ड निर्धारित किया जाता है।

[अनुवाद]

रक्षा एजेंटों के कार्यकलापों पर निगरानी

***130. श्री समिक लाहिरी :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान रक्षा सौदों में संलिप्त होने के कारण कितने व्यक्तियों पर मामले दर्ज किए गए हैं और उन पर मुकदमें चलाये गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार रक्षा एजेंटों के कार्यकलापों पर निगरानी रखने का है, जैसा कि दिनांक 15 अक्तूबर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई तंत्र विकसित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार रक्षा सौदों में एजेंटों की भूमिका किस प्रकार से निर्धारित करेगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (च) पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, किसी भी व्यक्ति पर, रक्षा सौदों में उसकी अंतर्ग्रस्तता के कारण मामला दर्ज करके मुकदमा नहीं चलाया गया है।

विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के भारतीय एजेंटों के संबंध में, भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए, 31 जनवरी, 1989 को जारी किए गए वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के आधार पर रक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 1989 में और नवंबर, 2001 में विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधियों/एजेंटों को विनियमित करने के लिए अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए थे। इन अनुदेशों में, पंजीयन की प्रणाली के माध्यम से तथा विदेशी आपूर्तिकत्ताओं द्वारा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों/एजेंटों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और फीस, कमीशन तथा किसी अन्य तरीके से उन्हे देय पारिश्रमिक के बारे में सुस्पष्ट तथा खुली घोषणा किए जाने के माध्यम से प्रतिनिधित्व संबंधी व्यवस्था को विनियमित किए जाने का प्रावधान है। रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी तक किसी भी प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि/एजेंट को इन अनुदेशों की शर्तों के अनुसार पंजीकृत नहीं किया गया है।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में मूल उपस्कर विनिर्माताओं या प्राधिकृत विक्रेताओं या सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात एजेंसियों के साथ सीधे कारबार करने का प्रावधान है (ऐसे देशों के मामले में लागू जहां घरेलू कानून मूल उपस्कर विनिर्माताओं को सीधे निर्यात की अनुमति नहीं देते)। इसके अलावा, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया की अन्य प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(i) 100 करोड़ रुपये से अधिक की सभी संविदाओं के लिए सरकारी विभाग और बोलीदाता के बीच एक "सत्यनिष्ठा समझौता"।

(ii) फील्ड परीक्षण करने में और अधिक पारदर्शिता।

(iii) विक्रेताओं के साथ बोली-पूर्व बैठकें।

(iv) सरकार से कोई संविदा प्राप्त करने के लिए विक्रेता द्वारा अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाना।

(v) विक्रेता को संविदा प्रदान करने की सिफारिश करने हेतु किसी व्यक्ति अथवा फर्म की नियुक्ति करने और ऐसी किसी सिफारिश के लिए धनराशि का भुगतान किए जाने पर रोक लगाना।

इसके अलावा, यदि कोई विक्रेता किसी व्यक्ति अथवा फर्म, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, को भारत सरकार अथवा उसके किसी भी अधिकारी को, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से विक्रेता को संविदा दिलवाने के कार्य को सुकर बनाने, उसमें मध्यस्थता करने या किसी भी तरह की सिफारिश करने के लिए नियुक्त करता है, तो इस प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, शास्तियां लगाए जाने के लिए उपबंध समाविष्ट किए गए हैं।

व्यापक प्रचार और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को रक्षा मंत्रालय वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. एम ओडी.निक.इन) पर डाल दिया गया है।

बिना चौकीदार वाले रेल समपार

*131. डा. आर. सेनथिल :
श्री निखिल कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में जोन-वार कितने बिना चौकीदार वाले रेल समपार हैं;

(ख) रेलवे द्वारा बिना चौकदार वाले रेल समपारों पर चौकीदार रखने हेतु क्या दिशानिर्देश/मानदंड तैयार किए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इन बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर चौकीदार रखकर दुर्घटनाएं रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) रेलवे ज़ोनों में समपारों की संख्या वित्त वर्ष के पहले दिन की स्थिति के अनुसार ज्ञात की जाती है। 01.04.2006 को बिना चौकीदार वाले रेल समपारों की संख्या (जोनवार) नीचे लिखे अनुसार है;

क्र. सं.	रेलवे	बिना चौकीदार वाले रेल समपारों की संख्या*
1	2	3
1.	मध्य	503
2.	पूर्व	379
3.	उत्तर	2021
4.	पूर्वोत्तर	1729
5.	पूर्वोत्तर सीमा	1092
6.	दक्षिण	1333
7.	दक्षिण मध्य	1373
8.	दक्षिण पूर्व	964
9.	पश्चिम	2901
10.	पूर्व मध्य	879
11.	पूर्व तट	985
12.	उत्तर मध्य	625
13.	उत्तर पश्चिम	1414
14.	दक्षिण पूर्व मध्य	821
15.	दक्षिण पश्चिम	913
16.	पश्चिम मध्य	365
	जोड़	18,297

*नहर समपारों और 'डी' श्रेणी के मवेशी समपारों को छोड़कर

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए बनाए गए दिशानिर्देश/मानक इस प्रकार हैं:

वर्तमान नियमों के अनुसार, अगर प्रारंभ में बिना चौकीदार वाला समपार मुहैया कराया गया है और रेलवे की लागत पर उसका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा सड़क यातायात में वृद्धि के कारण चौकीदार तैनात करना/अपग्रेड करना/अतिरिक्त चौकीदार तैनात करना आवश्यक हो जाता है तो प्रारंभिक और आवर्ती दोनों लागतें एवं अनुरक्षण लागत, संबंधित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएंगी। बहरहाल, बिना चौकीदार वाले समपारों की दुर्घटनाओं के गंभीर नतीजों को देखते हुए रेलवे ने बिना चौकीदार वाले समपारों पर यातायात की मात्रा और दृश्यता की स्थिति के आधार

पर संवेदनशील समपारों पर चौकीदार तैनात करने का विनिश्चिय किया है।

चौकीदार तैनात करने का संशोधित मापदंड यातायात की मात्रा और समपारों पर दृश्यता स्थिति पर आधारित है। मापदंड का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

कोटि-I स्पष्ट दृश्यता स्तर वाले समपार जहां गाड़ी वाहन इकाई 6000 से अधिक और सड़क वाहन 180 से अधिक हैं।

कोटि-II सीमित दृश्यता स्तर वाले समपार जहां गाड़ी वाहन इकाई 6000 और सड़क वाहन 120 से अधिक हैं।

कोटि-III सीमति दृश्यता वाले समपार जहां गाड़ी वाहन इकाई 3000-6000 के बीच है।

इसके अलावा, यह भी विनिश्चय किया गया है कि यदि कहीं मोटरवाहन नियमित रूप से नहीं चलते हैं तो वहां बिना चौकीदार वाले समपारों पर कोई चौकीदार तैनात नहीं किया जाएगा।

कोटि-III में चौकीदार की तैनाती पर तब विचार किया जाएगा जब पहले दो कोटियों में चौकीदार की तैनाती का काम समाप्त हो जाएगा। प्राथमिकता इस प्रकार अपनाई जाएगी, एच मार्ग जिसके बाद 'बी', 'सी' 'डी' स्पेशल, 'डी', 'ई-स्पेशल' और 'ई' की बारी आएगी।

यदि किसी बिना चौकीदार वाले समपार पर 3 वर्ष में 3 से अधिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो वहां तत्काल चौकीदार की व्यवस्था की जाएगी भले ही उसकी कोटि कोई भी क्यों न हो।

(ग) और(घ) रेलवे इन आंकड़ों पर वर्षवार गहन निगरानी रखती है। पिछले तीन वर्ष के दौरान और अक्टूबर 2006 तक बिना चौकीदार वाले समपारों पर परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है:

दुर्घटना की किस्म	2003-2004	2004-2005	2005-2006*	2006-2007* (अक्टूबर 2006 तक)
बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	85	65	65	50

(*आंकड़े अनंतिम हैं)

(ङ) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुघटनों के कारणों के अध्ययन से उजागर हुआ है कि इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं मोटरवाहन अधिनियम के उपबंधों का पालन करने में सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं। बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए उठाए गए कदम:

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) समपारों के पहुंच मार्गों पर उपयुक्त सड़क संकेत मुहैया कराए गए हैं ताकि सड़क उपयोगकर्ताओं को समपारों की मौजूदगी के प्रति सचेत किया जा सके।

(2) समपारों के पहुंच मार्गों पर गति अवरोधक/गड़गड़ाहट पट्टियों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन ड्राइवरों को उनकी गति कम करने के बारे में याद दिलाया जा सके।

(3) समपारें के पहुंच मार्गों पर रेलपथ के साथ-साथ सीटी बोर्ड भी मुहैया कराए जाते हैं। ड्राइवर के लिए सिटी बोर्ड से लेकर गाड़ी द्वारा समपार पार किए जाने तक सीटी बजाना आवश्यक होता है ताकि सड़क उपयोगकर्ताओं को आ रही गाड़ी के बारे में सचेत किया जा सके। यह जांच करने के लिए कि क्या ड्राइवर ऐसे सीटी बोर्डों से सीटी बजाना शुरू कर रहे हैं, आवधिक अभियान चलाए जाते हैं।

(4) संरक्षा के बारे में सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए विभिन्न साधनों जैसे टीवी पर छोटी फिल्मों, सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों, रेडियो वार्ताओं, अखबारी विज्ञापनों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(5) चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं, अत: राज्य सरकारें विशेषकर ट्रकों, बसों तथा अन्य भारी वाहनों के ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस

जारी करते समय कड़ी जांच करके मदद कर सकती हैं। सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने में सहयोग करने के लिए सभी मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है।

(6) सड़क उपयोकर्ताओं को इसका ज्ञान होना चाहिए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी एक सेकेंड में 25 मीटर की दूरी तय करती है। इस प्रकार, हालांकि सड़क उपयोगकर्ताओं को गाड़ी 200 मीटर दूर दिखाई देगी, समय के हिसाब से यह केवल 8 सेकेंड दूर होती है। विभिन्न प्रचार उपायों के द्वारा यह संदेश उत्तरोत्तर उन तक पहुंचाया जा रहा है।

(7) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी सड़क वाहन ड्राइवरों की धरपकड़ करने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ गहन संयुक्त घात जांच की जा रही हैं।

(8) उनके जन जागरूकता कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों को शामिल किया जा रहा है।

(9) समपारों और ग्राम पंचायत कार्यालयों में उत्तरोत्तर संरक्षा पोस्टर लगाए जा रहे हैं।

(10) खुदरा फ्यूल पंपों पर उत्तरोत्तर संरक्षा पोस्टर लगाए जा रहे हैं।

(11) जहां औचित्यपूर्ण होता है वहां समपारों पर उत्तरोत्तर एक चरणबद्ध तरीके से चौकीदार तैनात किए जा रहे हैं।

(12) रात के समय दृश्यता में सुधार करने के लिए समपारों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जा रहे हैं।

विदेशी कार्मिकों को प्रशिक्षण

*132. **डा. के. धनराजू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे सशस्त्र बलों के कोर ऑफ इंजीनियर्स के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विदेशी कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों और विदेशों के कितने कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;

(घ) विदेशी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेशी कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित नीति की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा बाहरी देशों के कार्मिकों, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण दिया गया है तथा जो चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षण, रक्षा सहयोग तथा अच्छे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रशिक्षण वर्ष	भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	प्रशिक्षित विदेशी कार्मिकों की संख्या
2003-04	2445	28
2004-05	2408	58
2005-06	3534	51
2006-07	2290*	34

*ये आंकड़े अनंतिम हैं।

छोटे विमानपत्तनों से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने

*133. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ छोटे विमानपत्तनों से सीधे अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उड़ानों का कब तक संचालन शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने देश में छोटे हवाईअड्डों के लिए/से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यातायात अधिकार को प्रदान करने की ओर उदार दृष्टिकोण अपनाया है। जहां उपलब्ध यातायात अधिकारों के प्रति एयरलाइनों द्वारा उनके वाणिज्यिक निवेश पर आधारित होता है, वहीं अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर भारतीय तथा विदेशी वाहकों द्वारा पहले ही 16 गैर-मैट्रो शहरों यथा अहमदाबाद, अमृतसर, कालीकट, कोचीन, कोयम्बटूर, गया, गोवा, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पुणे, त्रिवेन्द्रम, त्रिची, वाराणसी तथा मैंगलौर के लिए/से उड़ाने प्रचालित की जा रही है।

स्वास्थ्य पर्यटन-संबंधी कृतिक बल की रिपोर्ट

*134. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :**
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को एक स्वास्थ्य पर्यटन देश के रूप में बढ़ावा देने संबंधी अवसरों का आकलन करने के लिए गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने और उसका प्रचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ, सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक कृतिक बल ने एक स्वास्थ्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए, सरकार एवं निजी उद्योग, दोनों के लिए उपलब्ध अवसरों को बताया है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रत्यायन एवं प्राइस बैंडिंग पर गठित उप-समिति ने प्रत्यायन मानकों तथा चिन्हित अस्पतालों एवं चिन्हित की गई विशेष चिकित्सा सेवाओं के लिए निर्धारित प्राइस बैंडिंग के साथ अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। भारतीय स्वास्थ्य देख-रेख परिसंघ, एक गैर-सरकारी संगठन, जो भारतीय उद्योग परिसंघ से संबद्ध है, ने सरकार की सलाह से देश के चुनिंदा भारतीय अस्पतालों पर एक गाइड तैयार की है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य पर्यटन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

(ग) और (घ) देश में और अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने पहले ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित उपाए किए हैं:–

(i) भारतीय स्वास्थ्य देख-रेख परिसंघ द्वारा तैयार की गई गाइड को व्यापक प्रचार के लिए, मंत्रालय की वेबसाइट www.incredibleindia.org पर रखा गया है।

(ii) पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रोशर, सीडी और अन्य प्रचार सामग्री तैयार की गई है और इसे टार्गेट मार्किट में प्रचार के लिए विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

(iii) चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, लंदन और आईटीबी, बर्लिन जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iv) चिकित्सा ईलाज के लिए भारत आने वाले रोगियों और उनके एटेंडेन्टस के लिए "चिकित्सा वीजा" की एक नई श्रेणी की शुरूआत की गई है।

(v) आयुर्वेदिक और पंचकर्मा केन्द्रों के प्रत्यायन के लिए, आयूश विभाग द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को, कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों में परिचालित किया गया है। इसके व्यापक प्रचार के लिए, इसे पर्यटन मंत्रालय के वेबसाइट www.incredibleindia.org पर रखा गया है।

(vi) पर्यटन मंत्रालय के "अतुल्य भारत अभियान" के अंतर्गत,

पिछले दो वर्षों में योग/आयुर्वेद/वेलनेस का प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट तथा आउटडोर मीडियम द्वारा संवर्धन किया गया है।

(vii) शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, जिसमें परम्परागत चिकित्सा पद्धति भी शामिल है, पर ब्रोशर एवं सीडी तैयार किए गए हैं और पर्यटन विभाग द्वारा इसके विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से इन्हें व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सरकारी विभागों को माल की बिक्री/सेवा प्रदान करना

*135. **श्री रघुनाथ झा :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा सरकारी विभागों को कितने माल की बिक्री की गई/सेवाएं प्रदानकी गई;

(ख) क्या सरकारी विभागों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से खरीदे गए माल/सेवाएं खुले बाजार में सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, उसी माल/सेवा को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से ऊंची दरों पर खरीदने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2004-05 के अनुसार, प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के माल/सेवाओं की कुल बिक्री की मात्रा सामान्यतया कुल कारोबार में दर्शाई जाती है। इस संबंध में वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए सूचना उपलब्ध है, जोकि निम्नलिखित है:–

	2002-03	2003-04	2004-05
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	226	230	227
कुल कारोबार/ प्रचालन आय (करोड़ रुपए)	5,34,001	5,87,052	7,00,862

सरकारी विभागों सहित विभिन्न ग्राहकों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री/सेवाएं इन उद्यमों के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों से संबंधित हैं। अलग-अलग ग्राहकों अथवा ग्राहकों के समूहों को विशिष्ट बिक्री के संबंध में सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) सरकारी विभाग/संगठन/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम निर्धारित प्रक्रियाओं, यदि कोई हों, का इस संबंध में अनुसरण करते हुए प्रतिस्पर्धी - मूल्यों पर खुले बाजार से खरीदारी कर सकते हैं। तथापि, समान रूप से भागीदारी प्रदान करने की दृष्टि से अथवा विशेषकर घाटा उठाने वाले/रूग्ण उद्यमों द्वारा स्थापित क्षमताओं का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सक्षम बनाने हेतु सरकार ने क्रय अधिमानता नीति आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत सरकारी विभागों/संगठनों/केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से न्यूनतम वैध बोली मूल्य (एल-I मूल्य) पर खरीदारी करनी होती है, यदि आपूर्तिकर्ता केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा उद्धत मूल्य एल-I के 10% की भीतर हो और अन्य बातें समान हों।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र

*136. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रों की स्थापना करने से संबंधित नियम/मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्यों में स्वास्थ्य पर्यटक केंद्रों की स्थापना की है/ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इनके स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनकी रस्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुश (आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपेथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) विभाग ने आयुर्वेद और पंचकर्मा केंद्रों के प्रत्यायन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचकर्मा और आयुर्वेद चिकित्सा को मानक प्रचालिक प्रक्रियाओं के अनुसार लागू किया जाए और प्रत्येक केंद्र द्वारा उपलब्ध अवसंरचना की निश्चित न्यूनतम पूर्वापेक्षाओं का अनुपालन हो। इन केंद्रों में अवसंरचना और सुविधाओं की उपलब्धता

के आधार पर दिशा-निर्देशों में गोल्ड लीफ और सिल्वर लीफ श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य देख-रेख केंद्र देश में विभिन्न स्थानों पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों अथवा निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने ब्रोशरों, सीडीज, फिल्मों और अन्य प्रचार सामग्री के साथ-साथ, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, लंदन और आईटीबी बर्लिन आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्री मेलों में विशेष संवर्धन के माध्यम से विदेशी मार्किट में उत्कृष्टता के केंद्रों के संवर्धन के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय स्वास्थ्य देख-रेख परिसंघ द्वारा निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देख-रेख इकाईयों के प्रत्यायन के लिए तैयार की गई गाइड और उनकी सेवाओं की प्राइज बैंडिंग को व्यापक प्रचार के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.incredibleindia.org पर रखा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन क्षेत्र से सृजित राजस्व

*137. **श्री अजीत जोगी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में पर्यटन क्षेत्र से कितना राजस्व सृजित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों को आंबटित की गई धनराशियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान पर्यटन के विकास के लिए शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में पर्यटन क्षेत्र से रुपए में विदेशी मुद्रा आय निम्नानुसार है:

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रुपयों में)
2003	16429
2004	21603
2005	25172
2006 (अक्तूबर 2006 तक)	22743.17

(ख) और (ग) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय उनके साथ परामर्श करके प्राथमिकता वाली विशेष परियोजनाओं पर आधारित, परिपथ/गंतव्य विकास, ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं, सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं, कार्यक्रमों, मेले और उत्सवों आदि जैसे प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी पर्यटन परियोजनाओं के लिए, स्वीकृत राज्य-वार राशि विवरण के रूप में दी गई है।,

विवरण

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6	946.50	16	2827.19	7	2615.82	1	468.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	3	313.46	8	986.03	10	2140.00	1	454.28
3.	अरूणाचल प्रदेश	6	1044.60	9	1325.50	10	2240.16	4	760.90
4.	बिहार	6	1019.42	7	1901.43	3	1212.23	0	0
5.	छतीसगढ़	6	1005.00	6	1117.94	7	1775.59	7	876.38
6.	गोवा	2	36.76	3	110.00	1	10.00	0	0
7.	गुजरात	8	920.51	2	138.93	5	2011.58	5	347.73
8.	हरियाणा	16	1215.38	6	693.55	7	639.71	3	25.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4	182.32	12	2680.00	6	1645.00	4	285.00
10.	जम्मू व कश्मीर	5	895.00	5	819.25	22	6656.01	13	2826.32
11.	झारखंड	2	1109.00	2	945.91	5	1227.27	0	0
12.	कर्नाटक	14	932.66	12	2461.76	8	1706.52	1	226.88
13.	केरल	6	608.50	10	2283.63	13	4858.88	5	416.39
14.	मध्य प्रदेश	10	621.90	11	1595.19	12	3047.39	3	903.10
15.	महाराष्ट्र	10	931.83	10	1620.62	9	2075.04	7	580.38
16.	मणिपुर	1	82.44	0	0.00	2	49.80	5	788.29
17.	मेघालय	2	40.22	2	963.30	1	5.00	2	15.00
18.	मिजोरम	5	567.70	6	1086.35	10	2273.41	0	0
19.	नागालैंड	4	711.00	7	2250.69	9	2528.97	5	468.94
20.	उड़ीसा	5	419.55	8	1320.74	10	2309.61	8	477.12
21.	पंजाब	2	96.00	7	724.68	5	1437.67	5	814.45
22.	राजस्थान	14	1644.81	13	2516.61	7	2591.87	8	653.39
23.	सिक्किम	8	1151.09	8	660.81	14	2844.56	0	0
24.	तमिलनाडु	14	1339.82	7	1308.92	19	4264.62	6	625.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	त्रिपुरा	6	450.17	1	20.00	3	716.26	1	4.15
26.	उत्तरांचल	4	230.44	7	2199.98	13	2738.00	6	528.99
27.	उत्तर प्रदेश	7	1115.80	9	1044.93	18	3905.23	5	2441.90
28.	पश्चिम बंगाल	10	717.44	10	513.04	5	989.35	4	952.36
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0.00	1	6.25	0	0
30.	चंडीगढ़	2	10.0	3	467.00	1	13.70	0	0
31.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0.00	2	29.79	0	0
32.	दिल्ली	17	3316.28	8	628.85	2	20.00	3	20.00
33.	दमन व दीव	1	265.07	0	0.00	4	262.28	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	1	245.17	2	451.00	2	469.39	0	0
	कुल	207	24185.84	217	37663.83	253	61316.96	112	15961.21

टिप्पणी - इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आईटी, कार्यक्रम एवं मेलों तथा उत्सवों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

फ्लाइंग इंस्टीट्यूटों का उन्नयन

*138. **श्री सर्वे सत्यनारायण :**
श्री गणेश प्रसाद सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फ्लाइंग इंस्टीट्यूटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के अधिकांश फ्लाइंग इंस्टीट्यूट पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन इंस्टीट्यूटों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) नागर विमानन महानिदेशालय ने उड़ान प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 41 संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया है, जिनमें से 20 संस्थान सक्रिय रूप से वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) स्तर तक का प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। मानकों को बनाए रखने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। ज्यादातर उड़ान क्लबों के पास वे विमान हैं जो नागर विमानन महानिदेशालय तथा एयरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से

भारत सरकार द्वारा उन्हें दिये गए हैं या उन्होंने स्वयं/राज्य सरकार के माध्यम से खरीदे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय उपलब्धता के मद्देनजर उन उड़ान क्लबों को विमान उपलब्ध करा रहा है जो बिना हानि बिना लाभ आधार पर अपने क्लब प्रचालित कर रहे हैं।

(घ) वार्षिक योजना 2006-07 में सरकार ने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए उड़ान प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित चिन्हित उड़ान क्लबों को विमान आवंटित करने के लिए एयरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा विमानों की खरीद हेतु अनुदान सहायता के रूप में दिए जाने के लिए 12.79 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है सरकार ने प्रमुख उड़ान प्रशिक्षण संस्थान यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ) में प्रशिक्षण अवसंरचना के स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है ताकि उनकी प्रशिक्षण क्षमता को प्रतिवर्ष 40 पायलट कैडेटों से बढ़ाकर 100 पायलट कैडेट प्रतिवर्ष किया जा सके। महाराष्ट्र के गोंदिया में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तत्वाधान में संयुक्त उपक्रम के रूप में एक विश्वस्तरीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है।

[हिन्दी]

माल ढुलाई गलियारा (कोरीडोर) परियोजनाएं

*139. **श्री रशीद मसूद :**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने माल ढुलाई समर्पित गलियारा (कोरीडोर) परियोजनाओं के निर्माण की कुल लागत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने माल ढुलाई गलियारा परियोजनाओं के खंडों को 'बनाओ, चलाओ और हस्तांतरण करो' आधार पर सौंपने हेतु निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे खंडों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन निजी कंपनियों को चुना गया है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं के विभिन्न खंडों पर काम शुरू हो गया है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा कार्य पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है;

(छ) क्या रेलवे का विचार माल ढुलाई गलियारा परियोजनाओं हेतु अलग से एक कंपनी गठित करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इसका गठन कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) पूर्वी और पश्चिमी मार्गों पर समर्पित माल यातायात गलियारे के विकास के लिए जनवरी, 2006 में राइट्स (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) द्वारा किए गए व्यावहारिकता अध्ययन में इस परियोजना की लागत 22,000 करोड़ आंकी गई थी।

(ग) और (घ) इस परियोजना को इंजीनियरी प्रोक्योरमेंट कांट्रेक्ट और सार्वजनिक निजी भागीदारी के समूह द्वारा बोली के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। इस चरण में माल यातायात गलियारा परियोजनाओं के बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांस्फर खंड के लिए किसी निजी भागीदार को आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) इस परियोजना के किसी भी खंड पर कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(छ) और (झ) समर्पित माल गलियारा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 30 अक्तूबर, 2006 को रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय समर्पित माल यातायात गलियारा निगम लि., (डी एफ सी सी आई एल) नामक एक नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू) का गठन किया गया है इस कंपनी को पूर्वी तथा पश्चिमी गलियारे के निर्माण का कार्य सौंपा गया है जिसकी कीमत 22,000 करोड़ रुपए है।

रेल आरक्षण संबंधी शिकायतें

*140. **श्री हरिसिंह चावडा :**
श्री सुनिल कुमार मोइत्रा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण के

संबंध में विशेषकर छुट्टियों/व्यस्ततम अवधियों के दौरान एवं महत्वपूर्ण शहरों में दलालों की गतिविधियों संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ख) रेलवे द्वारा इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) चालू वर्ष 2006-07 के दौरान (सितम्बर, 06 तक) कंप्यूटरीकृत आरक्षण सहित रेल आरक्षण संबंधी 916 शिकायतें प्राप्त हुईं। आरक्षण कार्यालयों में तथा उनके आसपास दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता एवं सुरक्षा विभागों के साथ मिलकर नियमित और औचक जांच की जाती है। व्यस्त एवं अधिक भीड़-भाड़ वाली अवधि के दौरान इस प्रकार की जांच और गहन कर दी जाती है। इन जांचों के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है। ऐसे कदाचारों में दलालों के साथ मिलीभगत में संलिप्त पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाती हैं वर्ष 2006-07 (सितम्बर, 06 तक) के दौरा अप्राधिकृत रूप से रेलवे टिकटों की खरीद एवं सप्लाई का कारोबार करने वाले 766 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन मुकदमा चलाया गया।

[अनुवाद]

विरासत शहर

*141. **श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक प्राचीन शहरों को विरासत शहरों के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार शहरों को विरासत शहरों के रूप में घोषित नहीं करती क्योंकि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) सरकार ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 बनाया है ताकि प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों की परिरक्षण के लिए व्यवस्था की जा सके। इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है तथा अब तक देश में 3667 स्मारकों और स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित किया जा चुका है।

संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण, संरचनात्मक मरम्मतें तथा पर्यावरण संबंधी विकास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए सरकार बजटीय प्रावधानों का आवंटन करती है तथा ऐसी निधियों में राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से वृद्धि की जाती है। स्मारकों के वास्तविक संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताज महल तथा लाल किला के संबंध में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अतिरिक्त निगरानी तथा पहरा स्टाफ तथा निजी सुरक्षा गार्डों को तैनात किया है

वार्षिक टयूशन और आवास फीस में कटौती

1261. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित सैनिक स्कूल में वार्षिक टयूशन और आवास फीस कितनी है;

(ख) क्या कई पात्र विद्यार्थी अधिक टयूशन और आवास फीस के कारण इस स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या अभिभावकों और समाज के अन्य वर्गों से फीस में कटौती करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सैनिक स्कूल सतारा में चालू शैक्षिक सत्र 2006-07 हेतु वार्षिक टयूशन फीस तथा आवास-फीस क्रमश: 37,203/- रुपये तथा 20,575/- रुपये हैं।

(ख) ऐसा कोई दृष्टांत सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां सैनिक स्कूलों के कैडेटों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा फीस में कटौती करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। माता-पिता पर से वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने कैडेटों की ट्यूशन फीस तथा भोजन प्रभारों के लिए 9500/- रुपये प्रति कैडेट प्रतिवर्ष की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। इसके अलावा, शैक्षिक सत्र 2006-07 से ट्यूशन फीस में वार्षिक वृद्धि को नियत 10 प्रतिशत वार्षिक की बजाए अब मुद्रा-स्फीति सूची से जोड़ दिया गया है। राज्य सरकारों से, कैडेटों के लिए स्वीकृत छात्रवृत्ति में समुचित वृद्धि करने का भी अनुरोध किया गया है।

वक्फ की संपत्ति

1262. **श्री अविनाश राय खन्ना** : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वक्फ् की संपत्ति सार्वजनिक परिसरों की परिभाषा के दायरे के अंतर्गत आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वक्फ् की संपत्ति को सार्वजनिक परिसरों की परिभाषा के दायरे में लाने हेतु कोई संशोधन लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) वर्तमान में वक्फ् संपत्तियां, सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत सार्वजनिक परिसरों की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रक्षा अधिकारियों द्वारा अमेरिका का दौरा

1263. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी सरकार ने सेवारत रक्षा अधिकारियों को अमेरिका का दौरा करने हेतु आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दौरे का क्या उद्देश्य है;

(ग) क्या नौसेना प्रमुख ने ऐसे दौरे पर कोई आपत्तियां उठाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, (सं.रा.अ.), भारत के सेवारत रक्षा अफसरों को, अपने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, सं.रा.अ. का दौरा करने के लिए आमंत्रित करती है। ऐसे दौरे प्रशिक्षण और द्विपक्षीय आपसी यात्राओं के प्रयोजन के लिए होते हैं।

(ग) और (घ) नौसेनाध्यक्ष ने रक्षा कार्मिकों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐसे दौरों पर कोई आपत्तियां नहीं की थीं।

किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति

1264. **श्री वी.के. थुम्मर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों के लिए उर्वरकों की समुचित ढुलाई के लिए गुजरात के लिलिया और राजुला रेलवे स्टेशनों पर रैक प्वाइंट की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मांग के अनुरूप रैक प्वाइंटों की संख्या बढ़ाने को स्वीकृति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) राजुला रेलवे स्टेशन पर पूरे रैक की संभलाई के लिए माल शेड है। वर्तमान में, लिलिया मोटा स्टेशन पर लदान/उतराई सुविधाओं को विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में नई रेल लाइन

1265. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल नेटवर्क के संबंध में राज्य-वार वर्तमान आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में रेल नेटवर्क काफी छोटा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 2005-2006 और 2006-07 के रेल बजट में शामिल नई रेल लाइनों के प्रस्ताव के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त सर्वेक्षण हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) राजस्थान में अभी तक कितनी नई रेल लाइनों का काम पूरा हुआ है और चालू वर्ष के दौरान पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 31.03.2006 को देश में रेल नेटवर्क (मार्ग किलोमीटर) की राज्यवार लंबाई (नवीनतम उपलब्ध) नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	मार्ग किलोमीटर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5185
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	2284
4.	बिहार	3330
5.	छत्तीसगढ़	1186
6.	दिल्ली	204
7.	गोवा	69
8.	गुजरात	5283
9.	हरियाणा	1595
10.	हिमाचल प्रदेश	285
11.	जम्मू और कश्मीर	138
12.	झारखंड	1955
13.	कर्नाटक	3002
14.	केरल	1050
15.	मध्य प्रदेश	4903
16.	महाराष्ट्र	5528
17.	मणिपुर	1
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैंड	13
21.	उड़ीसा	2282
22.	पंजाब	2134
23.	राजस्थान	5838
25.	तमिलनाडु	4171
26.	त्रिपुरा	64
27.	उत्तर प्रदेश	8546
28.	उत्तरांचल	345
29.	पश्चिम बंगाल	3911
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	चंडीगढ़	16
2.	पांडिचेरी	11
	कुल	63332

नोट : शेष राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कोई रेल लाइन नहीं है।

(ख) जी नहीं। सभी राज्यों के बीच रेल मार्ग किलोमीटर के हिसाब से राजस्थान का दूसरा स्थान है (पहला स्थान उत्तर प्रदेश है)। भारतीय रेल के 63,332 कुल मार्ग किलोमीटर में से 5,838 किलोमीटर राजस्थान में स्थित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) 2005-06 और 2006-07 के बजट में शामिल किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) अजमेर-कोटा (210 किलोमीटर) नई लाइन

(ii) अनूपगढ़-जैसलमेर (485 किलोमीटर) नई लाइन

(iii) टोंक-देवली (172 किलोमीटर) नई लाइन के लिए रेल संपर्क

(iv) अनूपगढ़ से कोलायत (175 किलोमीटर) नई लाइन

अजमेर-कोटा (210 किलोमीटर) नई लाइन का सर्वेक्षण वर्तमान वर्ष के दौरान और शेष सर्वेक्षण अगले वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोलायत-फलौदी (111 किलोमीटर) नई लाइन को पूरा किया गया है लेकिन यातायात के लिए खोला नहीं गया है।

[अनुवाद]

नॉन-स्ट्रैटेजिक सरकारी क्षेत्र उद्यमों का पुनरूद्धार

1266. **श्री सुव्रत बोस :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को स्ट्रैटेजिक और नॉन-स्ट्रैटेजिक पीएसई में वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग के पीएसई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपने अधिकांश नॉन-स्ट्रैटेजिक पीएसई को बेचने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नॉन-स्ट्रैटेजिक पीएसई के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 16 मार्च, 1999 को विनिवेश के उद्देश्य के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को रणनीतिक तथा गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। यह निर्णय लिया गया था कि रणनीतिक सरकारी उद्यम वे होंगे, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में हैं:

- शस्त्र व बारूद तथा रक्षा उपस्करों से संबंधित मदें, रक्षा, वायुयान तथा युद्धपोत,
- परमाणु ऊर्जा (नाभकीय ऊर्जा के उत्पादन तथा कृषि, दवा तथा गैर-रणनीतिक उद्योगों में रेडिएशन तथा रेडियो-इसोटोप के प्रयोग से संबंधित क्षेत्रों को छोड़कर)
- रेलवे परिवहन

अन्य सभी सरकारी उद्यमों को गैर-रणनीतिक समझा गया था।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र पर वर्तमान नीति राष्ट्रीय साझा-न्यूनतम कार्यक्रम द्वारा शासित होती है। नीति में यह प्रावधान है कि हालांकि, रूग्ण सरकारी कंपनियों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन के लिए तथा रूग्ण उद्योग के पुनरुद्धार के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा, फिर भी लंबे समय से घाटा उठाने वाली कंपनियों को उनके सभी कर्मचारियों के वैधानिक देयताएं तथा प्रतिपूर्ति प्राप्त कर लेने के बाद या तो बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा। यूपीए उन कंपनियों के सुधार के लिए गैर-सरकारी उद्योगों को शामिल करेगी, जिनमें पुनरूद्धार की क्षमता है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को मजबूत बनाने, आधुनिकीकरण करने, पुनरुद्धार करने तथा पुनर्गठन का कार्य करने के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड गठित किया था। बीआरपीएसई ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के 36 मामलों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इसके आधार पर सरकार ने 20 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की पुनरुद्धार योजनाएं अनुमोदित कर दी हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में रिक्त पद

1267. **श्री प्रह्लाद जोशी :**

श्री काशीराम राणा :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ समय से बिना प्रशासनिक प्रमुख वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे पदों को भरने में विलम्ब करने के लिए क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी नियुक्तियों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की 8 कंपनियों, नामत: भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, सेन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आयल एण्ड नेचुरल गेस कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि. में मुख्य कार्यपालक के पद 6 माह से अधिक अवधि से रिक्त पड़े थे।

(ख) ऐसे पदों पर नियुक्ति में विलंब के कारणों में सतर्कता निकासी/सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में विलंब, नियुक्त व्यक्ति द्वारा पदभार ग्रहण करने में देरी, आकस्मिक रिक्ति, संबंधित मंत्रालय द्वारा सचेत निर्णय के कारण पदों का आस्थगन, न्यायालयों में मामले का विचाराधीन होना आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन मण्डल की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में ऐसे पदों को भरने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें इसके लिए समय-समय का निर्धारण किया गया है, ताकि पद के रिक्त होने के तारीख से कम-से-कम 6 माह पूर्व लोक उद्यम चयन मण्डल की अनुशंसाएं संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्राप्त हो सके और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा सकें।

पेट्रोल और डीजल का मूल्य

1268. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद, दिल्ली, पटना, कोलकाता और चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल का एक्स-रिफाइनरी और कंपनी मूल्य कितना है,

(ख) कंपनी के मूल्य और एक्स-रिफाइनरी के मूल्य में कितना अंतर है;

(ग) उपर्युक्त (क) के मामले में इस अंतर का कितना भाग केवल माल भाड़े के कारण है; और

(घ) इन उत्पादों पर मालभाड़ा प्रभार के समकरण के बारे में सरकार की क्या नीति है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) 16.11.2006 से प्रभावी पेट्रोल और डीजल का रिफाइनरी स्थल और कंपनी मूल्य (मूल बिक्री मूल्य) संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ख) कंपनी मूल्य और रिफाइनरी स्थल पर मूल्य में अंतर के तत्व ये हैं–

- तेल विपणन कंपनियों को हुई अल्प वसूलियां।
- अखिल भारतीय आधार पर भाड़े को एकरूप कर देना।
- विपणन लागत, कार्यशील पूंजी पर प्रतिफल और सामान्य लाभ।

(ग) फिलहाल 322.75 रुपये/कि.ली. पेट्रोल और 406.73 रुपये/कि.ली. डीजल का अखिल भारतीय भारित औसत भाड़ा इन उत्पादों के वांछित बिक्री मूल्यों और इन पर लाभान्तरों/अल्प वसूलियों की गणना के लिए विचार में लिया जाता है

(घ) अखिल भारतीय आधार पर भाड़ा एकरूप में है।

विवरण

16.11.2006 से प्रभावी पेट्रोल और डीजल के रिफाइनरी स्थल पर और कंपनी मूल्य (मूल बिक्री मूल्य)

रुपये/कि.ली.

नगर	बंदरगाह जुड़ाव	पेट्रोल		डीजल	
		रिफाइनरी स्थल मूल्य**	कंपनी मूल्य**	रिफाइनरी स्थल मूल्य**	कंपनी मूल्य**
अहमदाबाद	कांडला	17963.07	23,368.54	21,673.59	22,966.75
दिल्ली	कांडला	17963.07	23,368.54	21,673.59	22,966.75
पटना	हल्दिया	18062.97	23,148.54	22,005.39	22,966.75
कोलकाता	हल्दिया	18467.47	23,368.54	22,184.00	22,966.75
चंडीगढ़	कांडला	17963.07	23,148.54	22,673.59	22,966.75

* लिंक बंदरगाह के लिए लागू रिफाइनरी स्थल मूल्य

** संबंधित शहरों के लिए लागू बी.एस. 2/यूरो 3 ग्रेडों के लिए कंपनी मूल्य (मूल बिक्री मूल्य)

[हिन्दी]

समुदायों को अल्पसंख्यक श्रेणी में शामिल करना

1269. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :**
श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत और समुदायों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रेणी में किन-किन समुदायों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) इस समय नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हजीरा पत्तन को जोड़ने वाली रेल लाइन

1270. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या रेल मंत्री हजीरा पत्तन को मुंबई-दिल्ली रेल लाइन से जोड़े जाने के बारे में दिनांक 27 जुलाई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और हजीरा पत्तन को उसके पश्च प्रदेश से जोड़ने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या रेलवे का विचार कृभको के साइड ट्रेक को हजीरा तक बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को पूरा करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) परियोजना का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (एफ एल एस) पूरा हो गया है और अर्थक्षमता अंतर को पाटने के लिए विशेष प्रयोजन परियोजना के तहत संरचना की स्थापना की गई है। इस परियोजना को स्वीकृति के लिए अभी कार्रवाई की जानी है क्योंकि हजीरा में कंटेनर पार्ट के विकास के लिए कोई निश्चित योजना नहीं है।

(ख) तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान क्रिभको साइडिंग के बराबर नयी लाइन का प्रस्ताव है।

(ग) परियोजना विकास के पूरा हो जाने तथा वित्तीय सहभागिता में सामरिक भागीदारों के समझौते और परियोजना को मंजूरी मिलने पर निर्माण शुरू किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण मंजूरी के लगभग तीन वर्ष के बाद शुरू होने की संभावना है।

आईआईएम अहमदाबाद में 'रेलवे चेयर'

1271. **श्री ई.जी. सुगावनम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.आई.एम., अहमदाबाद और देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में 'रेलवे चेयर' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या कार्यकरण है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) वर्तमान में भारतीय प्रबंध संस्थान (आई आई एम), अहमदाबाद में 'रेलवे चेयर' स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पुराने गोवा में रेलवे स्टेशन

1272. **श्री श्रीपाद येसो नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने गोवा में एक पूर्णतया सुसज्जित रेलवे स्टेशन काम नहीं कर रहा है और वहां पर रेलगाड़ियों का ठहराव भी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ओल्ड गोवा में "करमली" के नाम से एक पूर्णरूपेण रेलवे स्टेशन कार्य कर रहा है और इस स्टेशन पर छः जोड़ी गाड़ियां रूकती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-अधिसूचित खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों संबंधी राष्ट्रीय आयोग

1273. **श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-अधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों संबंधी राष्ट्रीय आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस आयोग को स्थायी आयोग बनाने, इसे संवैधानिक अधिकार प्रदान करने तथा इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.एन.एस. प्रह्मर के डूबने के संबंध में जांच

1274. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा तट पर आई.एन.एस. प्रहार के डूबने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की जांच हेतु गठित जांच बोर्ड (बी.ओ.आई.) की रिपोर्ट की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट की जांच का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) जांच अदालत ने अपनी रिपोर्ट में 15 नौसेना कार्मिकों को उनके कृताकृत के लिए अभ्यारोपित किया है। कमांडिंग अफसर की एक सैन्य अदालत द्वारा कड़ी भर्त्सना की गई है और उन्हें नौसेना सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अन्य अभ्यारोपित अफसरों के संबंध में सैन्य अदालत की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

कर्नाटक में पैदल उपरि पुल

1275. **श्री बी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में दावणगेरे कॉटन मिल्स तथा हरिहर में रेलवे फाटकों के निकट पैदल उपरिपुल के निर्माण हेतु दिसंबर, 2003 में शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस परियोजना के पूरा होने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी/जारी की गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) दावणगेरे कॉटन मिल और हरिहर में किसी पैदल उपरि पुल के निर्माण के लिए कोई शिलान्यास नहीं रखा गया था। बजाय इसके, दिसंबर, 2003 में हरिहर के पास समपार (एल सी) सं. 208 पर एक पैदल उपरि पुल (आर ओ बी) तथा दावणगेरे काटन मिल के समीप एल सी नं. 197 पर निचले सड़क पुल (आर यू बी) के लिए शिलान्यास किया गया था।

(ख) इन दोनों निर्माण कार्यों को 2000-01 में मंजूरी मिल गई थी। एल सी नं. 208 पर आर ओ बी के लिए जून, 2004 में कर्नाटक सरकार ने आर ओ बी के बजाय आर यू बी के निर्माण का विनिश्चय किया था। किंतु बाद में, उन्होंने पुन: आर ओ बी के निर्माण का फैसला ले लिया। इसके लिए अनुमान की पुनरीक्षा की जा रही है।

दावणगेरे काटन मिल्स के समीप एल सी नं. 197 पर आर यू बी के लिए अनुमान हाल ही में प्राप्त हुए है। जिनकी क्षेत्रीय रेलों द्वारा जांच की जा रही है। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(ग) ये दोनों कार्य जून, 2009 में पूरे हो जाएगें।

(घ) इन कार्यों पर आबंटित राशि निम्नलिखित है:–

		2005-06 लाख रु. में	2006-07 लाख रु. में
1.	हरिहर के समीप एल सी सं. 208, किमी. 337/2-3 पर आर ओ बी	100	50
2.	दावणगेरे काटन मिल्स के समीप एल सी नं. 197 किमी. 322/8-9 पर आर यू बी	200	100

हरिद्वार और भिवानी के बीच सवारी रेलगाड़ी

1276. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार और भिवानी के बीच एक सीधी (डायरेक्ट) सवारी रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलगाड़ी कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और गैस के अन्वेषण में विदेशी कंपनियां

1277. **श्री हितेन बर्मन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी और निजी फर्मों के साथ मिलकर किया जा रहा अन्वेषण कार्यक्रम गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ ऐसे विदेशी फर्म जिन्हें ठेके दिए गए थे, सौदे पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके कया कारण हैं; और

(घ) देश में तेल अन्वेषण कार्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। वर्ष 2004 एवं 2005 में समाप्त हुई नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के क्रमश: चौथे तथा पांचवे दौर के अंतर्गत अवार्ड की गई संविदा पर हस्ताक्षर करने से कोई विदेशी कंपनी पीछे नहीं हटी है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे अस्पताल

1278. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार विभिन्न जोनों में नए अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा इन अस्पतालों से रेलवे के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने का विचार है तथा इन अस्पतालों के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) पटना में - पूर्व मध्य रेलवे (3,60,000 रेलवे कर्मचारियों को सेवित करती है।)

आगरा में - उत्तर मध्य रेलवे (42,000 रेलवे कर्मचारियों को सेवित करती है।)

नांदेड़ में - दक्षिण मध्य रेलवे (25,000 रेलवे कर्मचारियों को सेवित करती है।)

रायपुर में - दक्षिण मध्य रेलवे (63,000 रेलवे कर्मचारियों को सेवित करती है।)

इन अस्पतालों से लगभग 4,90,000 रेल कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

(ग)	(करोड़ रु. में)
पटना	36.33
आगरा	2.95
नांदेड़	2.95
रायपुर	2.00
	44.23

इन अस्पतालों के 1 से 2 वर्ष में कार्य शुरू कर देने की संभावना है।

माल ढुलाई और वैगन परियोजना से राजस्व

1279. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान रेलवे की माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार वैगन परियोजनाओं में अधिक निवेश करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में यात्री आवागमन और माल ढुलाई से प्राप्त होने वाली आय को और बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां।

पिछले तीन वर्षों के दौरान माल यातायात से प्राप्त आमदनी का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रु. में)

	2003-04	2004-05	2005-06
माल यातायात से प्राप्त आमदनी	27617.96	30778.40	36286.97

(ग) और (घ) 2005-06 के दौरान, 1262.10 करोड़ रु. की लागत से 18681 मालडिब्बों (चौपहिया इकाइयों में) दक्षिण रेलवे कारखाना/गोल्डेन रॉक द्वारा विनिर्मित कंटेनर मालडिब्बे सहित) की खरीद की गई थी और 2006-07 के लिए 25000 मालडिब्बों (चौपहिया इकाइयों में) की खरीद के लिए 1814.12 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(ङ) यात्री एवं माल यातायात में वृद्धि करने के लिए रेलवे ने कई उपाय किए हैं जिसमें विशेष गाड़ियों को चलाना, प्रतीक्षा सूची की निकासी के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बों को लगाना, यात्री प्रोफाइल प्रबंधन परियोजना (पी पी एम) इत्यादि का कार्यान्वयन शामिल है। माल डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 2005 में मालडिब्बा निवेश योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, निजी निवेशकों को मालडिब्बों के सामान्य पूल में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

[हिन्दी]

मेहसाना में रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

1280. **श्री जीवाभाई ए. पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु क्या नियम और मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) क्या रेलवे का विचार गुजरात के मेहसाना जिले में रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्ष 1999-2000 का रेल बजट प्रस्तुत करते समय, तत्कालीन रेलमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक मंडल में कम से कम एक स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। जहां उच्च स्तर की यात्री सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, प्रारंभ में 61 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में चुना गया। बाद में, अन्य आदर्श स्टेशन समय-समय पर जोड़े गए। वर्ष 2006-07 के रेल बजट पेश करने के दौरान की गई घोषणा के अनुसार, अब सभी 'ए' एवं 'बी' कोटि के स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में चुना गया है।

(ख) और (ग) हाल ही में, मेहसाणा रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में पहचान की गई थी ताकि वहां उन्नत यात्री सुविधाएं मुहैया कराई जा सके और इस संबंध में 29.5.2006 को अनुदेश जारी किए गए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर-दुर्ग एक्सप्रेस का ठहराव

1281. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को गोरखपुर-दुर्ग एक्सप्रेस का ठहराव बेलथारा रोड और सलेमपुर स्टेशनों पर मुहैया कराने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी हां। बेलथारा रोड तथा सलेमपुर स्टेशनों पर 8201/8202 गोरखपुर-दुर्ग एक्सप्रेस का ठहराव मुहैया कराने के संबंध में माननीय संसद सदस्य के अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई थी। परंतु परिचालनिक तंगियों के कारण इन्हें कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

उपग्रह आधारित चौकसी और टोही कार्यक्रम का विकास

1282. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.आर.डी.ओ. और इसरो संयुक्त रूप से उपग्रह आधारित चौकसी और टोही कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं जैसाकि 18 सितम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) उक्त परियोजना पर अनुमानित कितना खर्च आएगा तथा अब तक कितना खर्च किया जा चुका है; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) इस प्रश्न पर कोई भी टिप्पणी करना संभवत: राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

प्रशांत निलयम और अमरावती एक्सप्रेस के प्रचालन का विस्तार

1283. श्री परसुराम माझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास प्रशांत निलयम और अमरावती एक्सप्रेस का प्रचालन भुवनेश्वर तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) 2006-2007 के दौरान, 8563/8564 बैंगलोर-विशाखापट्टनम प्रसांती एक्सप्रेस का भुवनेश्वर तक और भुवनेश्वर के रास्ते 2847/2848 वास्को-विजयवाड़ा अमरावती एक्सप्रेस का हावड़ा तक विस्तार करने की घोषणा रेलवे बजट में की गई है।

घरेलू विमान कंपनियों की उड़ान समय-सारणी

1284. श्री सुग्रीव सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू विमान कंपनियों को बिना पूर्व अनुमति लिए अपने विमानों के उड़ान का समय परिवर्तित करने को स्वीकृति दी है जैसा कि 6 नवंबर, 2006 के **द टाइम्स ऑफ इंडिया** में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी स्वतंत्रता से देश में यात्रियों के हित तथा घरेलू विमान कंपनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व प्रभावित नहीं होंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2006 को हवाई यातायात परिपत्र संख्या 2 जारी किया था जिसमें बताया गया था कि किसी अन्य एजेंसी का संदर्भ लिए बिना संबंधित हवाईअड्डे से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के आधार पर मौसम के मध्य अनुसूचित परिवर्तनों के लिए नागर विमानन महानिदेशालय अनुमोदन प्रदान करेगा ताकि यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचा जा सके बशर्ते एयरलाइनें इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए वास्तविक कारणों का ही उल्लेख करे। ये परिवर्तन मध्य ग्रीष्म अनुसूची तथा मध्य-शीत अनुसूची में समन्वय समिति की बैठक में समीक्षा के अधीन होगी तथा परिवर्तित स्लॉट के लिए संबंधित एयरलाइन पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

तथापि, अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण

संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत में शामिल अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना जारी रखेंगी।

बंगलौर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस का प्रचालन विस्तार

1285. **श्री अनंत नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास बंगलौर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस का प्रचालन विस्तार भुवनेश्वर तक करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त रेलगाड़ी का प्रचालन विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 2006-2007 के दौरान 8563/8564 बंगलौर-विशाखापत्तनम प्रसांती एक्सप्रेस का भुवनेश्वर तक विस्तार करने की घोषणा रेलवे बजट में की है।

रावी नदी पर पुल का निर्माण

1286. **चौधरी लाल सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू व कश्मीर के बसोहली में रावी नदी के ऊपर एक पुल के निर्माण संबंधी परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित/जारी/उपयोग की गयी है; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सरकार ने, जम्मू-कश्मीर में दुनेरा-दरबर-बसोली-बनी-भद्रवाह सड़क पर 14.74 किलोमीटर पर केबल पर बने 572 मीटर लंबे सेतु के निर्माण के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। सेतु के लिए निविदा संबंधी दस्तावेजों को व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर अंतिम रूप दे दिया गया है। इस सेतु का निर्माण-कार्य दिसंबर, 2008 तक पूरा कर लिए जाने की योजना है। इस सेतु के व्यवहार्यता अध्ययन पर, 2005-06 तक, 39.00 लाख रुपए का व्यय किया गया हैं सेतु के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 63.83 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं।

मुजफ्फरपुर-दरभंगा के बीच रेल लाइन

1287. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी रेलवे ने मुजफ्फरपुर-दरभंगा रेल लाइन का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु आवंटित तथा अब तक खर्च की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार प्रस्तावित रेल लाइन को छपरा से मुजफ्फरपुर वाया दरभंगा बिछाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) मुजफ्फरपुर-दरभंगा नई लाइन का सर्वेक्षण 1996-97 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 66 कि.मी. लंबी लाइन की लागत तत्कालीन कीमत स्तर पर 118 करोड़ रु. आंकी गई थी। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं के भारी ग्रो फॉर्वर्ड के साथ-साथ संसाधनों की तंगी को देखते हुए इसे शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजना मंजूर नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

बेलुर और हिलबिड मंदिर, कर्नाटक

1288. **श्री मिलिन्द देवरा :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के एक दल ने कर्नाटक के हसन जिले में स्थित बेलुर और हिलबिड मंदिरों को हेरिटेज सूची में शामिल करने हेतु वहां का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यूनेस्को के इस दल ने पर्यटन आयुक्त से सम्पर्क किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) यूनेस्को के एक दल ने सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हसन जिला, कर्नाटक में बेलुर और हिलबिड मंदिरों का दौरा किया था न कि इन मंदिरों को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के प्रयोजन से किया था।

(ग) से (ङ) यूनेस्को के दल ने राज्य पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को कर्नाटक विरासत यात्रा-स्थल (इटीनरी) के विकास को तकनीकी समर्थन प्रदान करने के लिए पर्यटन आयुक्त, कर्नाटक सरकार के साथ विचार विमर्श किया था जो अंततः विरासत पासपोर्ट कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता था जिसे यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय द्वारा पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से सितम्बर 2006 में शुरू किया गया। यूनेस्को के दल की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

रेल लाइन

1289. **श्री इलियास आजमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाया मोहम्मदी, गोला गोकरन नाथ से शाहजहांपुर तक 67 कि.मी. लम्बी रेल लाइन बिछाने हेतु वर्ष 1997 में सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट को योजना आयोग के पास किस तिथि को भेजा गया था और इस पर योजना आयोग द्वारा क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। मोहम्मदी के रास्ते गोलागोकरनाथ से शाहजहांपुर तक (67.121 कि. मी.) नई रेल लाइन के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण अक्टूबर, 2004 में पूरा किया गया था जिसके अनुसार 172.38 करोड़ रु. आंकी गई थी।

(ख) अलाभप्रद प्रकृति, संसाधनों की तंगी और चालू परियोजनाओं के भारी ग्रो फार्वर्ड के दृष्टिगत इस प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं किया जा सका;

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पलिया विमानपत्तन से विमान सेवा

1290. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खेरी में पलिया हवाईअड्डे से विमान सेवा प्रचालन शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) पलिया हवाईअड्डे से विमान सेवा प्रचालन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

यूनेस्को कन्वेंशन

1291. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विविधता के

संरक्षण और संवर्द्धन संबंधी यूनेस्को कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) सरकार ने सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर यूनेस्को कन्वेंशन के अनुसमर्थन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। उक्त अनुसमर्थन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

(ख) सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता पर कन्वेंशन में राज्य पक्षकारों से सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संवर्धन और संरक्षण का आग्रह किया गया है, जिसे पारम्परिक ज्ञान प्रणाली और सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता सहित मानवता की सांझी विरासत के रूप में परिभाषित किया गया हैं यह विरासत ऐसी कलात्मक अभिव्यक्तियों तथा सांस्कृतिक मूल्यों में परिलक्षित है जो व्यक्तियों, समूहों तथा सोसायटियों की सांस्कृतिक विषय-वस्तु वाली सृजनात्मकता से उत्पन्न होती है।

(ग) इस कन्वेंशन के तहत, सदस्य राज्य अपने-अपने भू-क्षेत्रों में सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए अभिप्रेत उपाय करने पर सहमत हैं। यह कार्य वित्तीय सहायता और अन्य उपायों सहित विनियामक और संवर्धनात्मक हो सकता है। राष्ट्रीय सरकारों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा वातावरण सृजित करें जो व्यक्तियों तथा समूहों को अपनी ही सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सृजित करने और उसका प्रसार करने तथा अपने भू-क्षेत्रों के भीतर और विश्व के अन्य देशों की विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को जानने और समझने के लिए प्रेरित करे। इसका उद्देश्य संस्कृतियों को फलने-फूलने और परस्पर लाभकारी तरीके से एक-दूसरे से निर्बाध रूप से मेलजोल बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है।

व्यावसायिक परिसरों से राजस्व की उगाही

1292. **श्री सुनील खां :**
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी भवनों/भुमि पर स्थित व्यावसायिक परिसरों से राजस्व की उगाही करने हेतु रक्षा स्कंधों को अनुमति देने से संबंधित कोई विशिष्ट नियम अथवा सरकारी आदेश विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा अधिकारियों द्वारा राजस्व की धनराशि को सरकारी खाते में जमा किया जाना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय वायुसेना की कतिपय यूनिटों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है जिन्होंने जनवरी, 2001 से मार्च, 2003 के दौरान सरकारी भवनों में स्थित व्यावसायिक परिसरों से राजस्व के रूप में 1.77 करोड़ रुपए की उगाही की थी परंतु इस धनराशि को सरकारी खाते में जमा नही कराया था?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। रक्षा खरीदारी परिसर (अनुरक्षण और प्रशासन) नियमावली, 2006 के अनुसार राजस्व की राशि सरकारी खाते में जमा करानी अनिवार्य होती है। सरकारी खाते में राजस्व जमा कराने से संबंधित विहित दिश-निर्देश/नियम इस प्रकार हैं:-

(i) खरीदारी परिसर जिन भवन परिसंपत्तियों का सृजन रेजिमेंट की गैर लोक निधियों से किया गया हो अथवा सेनाओं की कल्याण निधियों से किया गया हो और भूमि सरकार से संबंधित हो उसमें पैदा किए गए निवल राजस्व का 50% सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा और शेष 50% संबंधित संबद्ध सेना की रेजिमेंटल निधि/कल्याण निधि में जमा कराया जाएगा।

(ii) सरकारी इमारतों के पुनर्विनियोजन से सृजित खरीदारी परिसरों के मामले में, निवल राजस्व का 100% सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा।

(iii) सरकारी इमारतों (मिश्रित परिसर) के पुनर्विनियोजन के साथ-साथ गैर लोक निधि का इस्तेमाल करके बनाई गई परिसंपत्तियों से बनाए गए खरीदारी परिसर के मामले में, निवल राजस्व का 100% सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा।

(घ) वायुसेना मुख्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जनवरी, 2001 से मार्च, 2003 के दौरान चालू व्यवसाय के लिए रियायत के रूप में वसूल किए गए 1.77 करोड़ रुपए, वाणिज्यिक परिसरों से

नहीं थे अपितु रेजिमेंटल दुकानों से थे तथा नीति के अनुसार, यह राशि संबंधित गैर-सार्वजनिक निधि के नामे डाल दी गई। तथापि, इन दुकानों से लाइसेंस शुल्क तथा संबद्ध शुल्क मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार वसूल किए गए थे तथा यह राशि सार्वजनिक निधि के नामे डाल दी गई।

सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाओं संबंधी राष्ट्रीय नीति

1293. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.पी. चट्टोपाध्याय समिति ने पुस्तकालय और सूचना प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय नीति (एन.ए.पी.एल.आई.एस.) तैयार करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को क्रियान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एन.ए.पी.एलआई.एस. बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी हां।

(ख) ओर (ग) अभी तक राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली नीति की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अनुवर्ती उपाय के रूप में, राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली नीति पर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति के साथ-साथ इस समिति के निर्णयों पर कार्रवाई का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी समूह भी गठित किया गया था। चट्टोपाध्याय समिति की कुछेक सिफारिशों को पहले ही मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत् कार्यान्वित किया जा चुका है नामत: सार्वजनिक पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, ग्रामीण पुस्तकालयों का विकास, सार्वजनिक पुस्तकालयों में बाल खण्ड तथा बाल कक्ष के विकास हेतु सहायता तथा संस्कृति मंत्रालयों के तहत् पुस्तकालयों का प्रौद्योगिकी उन्नयन।

(घ) चूंकि चट्टोपाध्याय समिति रिपोर्ट को 20 वर्ष से पहले अंतिम रूप दिया गया था, अब पुस्तकालय क्षेत्र में गत दो दशकों में हुए व्यापक बदलावों को देखते हुए उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर कोई राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली नीति की घोषणा करना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

सीमा सड़क संगठन द्वारा क्रियान्वित परियोजनाएं

1294. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कुपवाड़ा जिले में करेल से मछेल तक के क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं हेतु कितना धन आबंटित किया गया और इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सीमा सड़क संगठन के रिकॉर्ड के अनुसार करेल के नाम से कोई स्थान/शहर नहीं है। तथापि, सड़क पर पारकियन गली-डाट ब्रिज की समविभाजक सड़क पर केरेन नाम की एक जगह है। यह केरेन डाट ब्रिज से 4.5 कि.मी. आगे है। इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में किए गए निर्माण कार्य, आबंटित निधि तथा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र. सं.	सड़क क्षेत्र का नाम	स्वीकृत सुधारात्मक निर्माण कार्यों की लागत (लाख रु. में.)	आबंटित निधि तथा व्यय (लाख रु. में.)			
			2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (केवल आबंटन)
1	2	3	4	5	6	7
1.	डाट-ब्रिज-पारकियन गली	1007.64	135.26	155.26	118.46	250.12

1	2	3	4	5	6	7
2.	करलपुरा-कुपवाड़ा	685.08	23.22	80.82	247.66	103.69
3.	कुपवाड़ा-कलारुच	98.86	36.12	—	—	—
4.	कलारुच-हाजीबल	153.83	15.42	9.68	—	31.50
5.	हाजीबल-जेड गली मच्छल	1401.82	146.66	41.91	162.65	159.23
		3347.13	356.68	287.67	528.77	544.54

भारत-चीन सीमा पर सड़क का निर्माण

1295. **श्री पारसनाथ यादव :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत-चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 24 अक्तूबर, 2006 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क परियोजनाओं पर होने वाला अनुमानित व्यय कितना है; और

(घ) सड़कों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सरकार ने 912/- करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, भारत-चीन सीमा के साथ-साथ जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में सीमा क्षेत्रों में कुल 608 कि.मी. के 27 रोड लिंक्स के चरणबद्ध निर्माण का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के वर्ष 2012-13 तक पूरा हो जाने की आशा है।

सेना द्वारा उल्फा के विरुद्ध अभियान

1296. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किशनभाई वी. पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति की बहाली हेतु उल्फा को यह आश्वासन दिया था कि सेना 13 अगस्त तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सेना ने सरकार से उन्हें अधिक समय नहीं देने के लिए आग्रह किया था और वह असम में उल्फा कैडर का सफाया करने में जुट गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथ्य है;

(घ) क्या भारतीय सेना के उक्त कदम से शांति प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (च) यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) द्वारा गठित जन-परामर्शदात्री समूह से (पी सी जी) वार्ता के तीन दौर हुए हैं। सरकार, असम सरकार के साथ परामर्श करके, उल्फा के पांच बंदियों को छोड़े जाने संबंधी उल्फा के अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार करने के लिए सहमत हो गयी

थी बशर्ते उल्फा भारत सरकार/असम सरकार के साथ सीधी वार्ता के लिए औपचारिक रूप से संपर्क करे, इन वार्ताओं के लिए प्रतिनिधि मंडल का नामांकन करे, समय-सीमा सूचित करे तथा जबरन वसूली करने, नोटिस जारी करने आदि सहित सभी प्रकार की हिंसा छोड़ दे। जन-परामर्शदात्री समूह के प्रतिनिधियों के साथ तीन दौर की वार्ताओं के बावजूद पारस्परिक पहल के जरिए इन वार्ताओं को आयोजित करने के लिए प्रयास जारी रखे गए। सरकार ने शांति वार्ता करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के प्रयोजन से दिनांक 13.8.06 से 29.9.06 तक उल्फा के विरुद्ध सेना की कार्यवाही पर एकतरफा विराम की भी घोषणा की थी। चूंकि उल्फा से कोई सीधा जवाब नहीं मिला तथा उल्फा द्वारा पुनः एकत्रित होने, नई स्थापनाएं खड़ी करने, हिंसा करने और जबरन वसूली करने की रिपोर्टें मिली, इसलिए उल्फा के विरुद्ध कार्यवाहियां पुनः शुरू कर दी गई हैं।

सरकार किसी भी आतंकवादी समूह के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है बशर्ते वे हिंसा का त्याग करें। तथापि, सरकार अपने नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

उत्तर प्रदेश में रेल पुलों का निर्माण

1297. **श्री पाल चन्द्र यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में निर्मित एवं मरम्मत किए गए रेल पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश में और अधिक संख्या में रेल पुलों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पुलों का निर्माण कब तक किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान निम्नलिखित पांच सड़क ऊपरि पुलों के कार्य पूरे किए गए हैं। बहरहाल, इस अवधि के दौरान किसी पुल की मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

1. 2006 में रामपुर में समपार सं. 403 ए के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल
2. दिसम्बर, 2004 में दिल्ली झांसी खंड पर समपार सं. 478 ए पर जजुआ सड़क ऊपरि पुल
3. अक्टूबर, 2005 में गाजियाबाद-कानपूर खंड पर समपार सं.45 ए पर हाथरस सड़क ऊपरि पुल।
4. लखनऊ-ऐशबाग के बीच समपार सं. 3 ए पर सड़क ऊपरि पुल।

(ख) जी हां।

(ग) उत्तर प्रदेश में लागत में भागीदारी के आधार पर 41 सड़क ऊपरि/निचले पुल के कार्य स्वीकृत किए गए थे जोकि योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। रेलवे पुल (रेलपथ के ऊपर) का निर्माण कराती है तथा संपर्क मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अतः संपर्क मार्गों के पूरा होने पर ही पुल का पूरा होना निर्भर करता है। रेलवे का पूरा प्रयास रहता है कि संपर्क मार्गों के निर्माण के साथ-साथ ही वह अपने हिस्से का कार्य पूरा कराए।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1298. **श्री हितेन बर्मन** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को पेशकश की गई 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना' ने अपना आकर्षण खो दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 1988 से चल रही है। इसे और आकर्षक बनाने के लिए मई, 2000 तथा नवम्बर, 2001 में वीआरएस से संबंधित दिशानिर्देश

संशोधित किए गए हैं। 1.1.1987 तथा 1.1.1992 के स्तर के वेतनमानों पर औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली अपनाने वाले कर्मचारियों के संबंध में अनुग्रह राशि के भुगतान को वर्ष 2000 की योजना के अनुसार उनके वर्तमान वेतनमानों पर आकलित किया जाएगा तथा उसमें क्रमश: 100% तथा 50% की वृद्धि की जाएगी। तत्पश्चात, यह लाभ 1986 के वेतनमानों पर केन्द्रीय महंगाई भत्ता प्रणाली अपनाने वाले कर्मचारियों को 26.10.2004 से 50% की वृद्धि करके प्रदान किया गया था।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक वीआरएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या इस प्रकार है:—

2002-2003	—	63741
2003-2004	—	45125
2004-2005	—	22698

बराक प्रक्षेपास्त्र सौदा

1299. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :**
डा. राजेश मिश्रा :
श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री हेम्ब्राम मुर्मू :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इजरायल एयरक्रॉफ्ट इन्डस्ट्रीज के साथ बराक प्रक्षेपास्त्र सौदे को अनुमोदित किए जाने का भारतीय वैज्ञानिकों ने विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बराक प्रक्षेपास्त्र सौदे में अनियमितताएं बरतने में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बराक-I प्रक्षेपास्त्र रोधी रक्षा (ए एम डी) प्रणाली की अधिप्राप्ति के बारे में कुछेक आरोपों को ध्यान में रखते हुए, यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, इस संबंध में 9.10.06 को नई दिल्ली में एक प्राथमिकी दर्ज की है।

वैक्यूम पाईप कटिंग

1300. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को बलरामपुर-नौवतनवा रेल खण्ड में भागलपुर मांडर हिल रेल स्टेशनों और गोंडा जंक्शन में वैक्यूम पाईप कटिंग की बड़ी संख्या में हो रही घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान पता लगी उक्त घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त स्टेशनों पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं, वर्ष 2005-06 के दौरान, 23.3.2006 को बलरामपुर-नौतनवा रेल खंड पर गोंडा में वैक्यूम पाईप कटिंग का केवल एक मामला ध्यान में आया। जहां गाड़ी सं. 5321 उसका बाजार-नौग्रह रेलवे स्टेशन के बीच 12 घंटों तक रूकी रही, पूर्व रेलवे के मालदा मंडल में भागलपुर मंदार हिल से अब तक कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस और वाणिज्यिक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से छापे मारे गए। प्रथम सूचना रपट गाड़ी के गार्डों/स्टेशन मास्टरों द्वारा दर्ज की जाती है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में ऐतिहासिक मंदिरों का रख-रखाव

1301. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री काशीराम राणा :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व वाले मंदिरों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु धन आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मंदिरों का ब्यौरा क्या है और अब तक किए गए कार्य का स्वरूप क्या है;

(घ) क्या इन मंदिरों के जीर्णोद्धार से संबंधित कार्य को संतोषजनक रूप से किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के मंदिरों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए कोई निधि आबंटित नहं की है। तथापि, पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक विशेषज्ञ ने 29 अगस्त से 2 सितम्बर, 2005 तक कटासराज मंदिर परिसर का दौरा किया था और जनवरी, 2006 में पाकिस्तान सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस मंदिर का पुनरूद्धार संबंधी कार्य पाकिस्तान के प्राधिकारणों द्वारा किया जा रहा है। भारत ने आगे तकनीकी सहायता, यदि अपेक्षित हो, मुहैया करने की पेशकश की है।

[अनुवाद]

गरीब रथ रेलगाड़ियां आरंभ करना

1302. **श्री मनोरंजन भक्त :**
डा. एम. जगन्नाथ :
श्री परसुराम माझी :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :
श्री चन्द्रभान सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में 'गरीब रथ' रेलगाड़ियों का प्रचालन आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और इनका प्रचालन किन मार्गों पर आरंभ किया गया है;

(ग) क्या रेलवे ने इन मार्गों पर यात्रियों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे को अन्य मार्गों पर इन रेलगाड़ियों का प्रचालन आरंभ करने हेतु विभिन्न पक्षों से मांगें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2006-07 के रेल बजट में सहरसा-अमृतसर, दिल्ली-पटना, दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-चेन्नई के बीच पूर्णत: वातानुकूलित गरीब रथ गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से 2203/2204 सहरसा-अमृतसर गरीब रथ बरास्ता हाजीपुर-छपरा-गोरखपुर-सीतापुर छावनी-मुरादाबाद-सहारनपुर-अंबाला छावनी-जालंधर सिंटी 04.10.2006 से चलाई गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) गरीब रथ सहित अन्य गाड़ियां चलाने के लिए आवेदन विभिन्न मंचों से विभिन्न स्तरों जैसे बोर्ड, मुख्यालय, मंडल और स्टेशन स्तर पर लगातार प्राप्त होते है। इतने विशाल डाटा को संकलित नहीं किया जाता है। बहरहाल, इन मांगों पर व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण कार्रवाई की जाती है।

पारादीप-हरिदासपुर रेल मार्ग हेतु स्पेशल परपज व्हीकल

1303. श्री वसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विकास निगम लिमिटेड सहित नौ कंपनियों ने पारादीप-हरिदासपुर रेल मार्ग का विकास करने हेतु 590 करोड़ रुपए के स्पेशल परपज व्हीकल में एक संघ का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या उन्होंने शेयरधारकों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत इक्विटी का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पारादीप-हरिदासपुर रेल मार्ग लागत प्रभावी है;

(च) यदि हां, तो क्या रेलवे ने स्वयं परियोजना मार्ग की व्यवहार्यता की जांच की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रेल विकास निगम लि. (आर.वी.एन.एल.) और 8 अन्य साझेदारों में एक साथ 275 करोड़ रु. की इक्विटी में अंशदान करने तथा 456 करोड़ रुपये की हार्ड प्रोजेक्ट लागत पर हरिदासपुर और पारादीप के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए 11.10.2006 को एक शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इक्विटी में अंशदान का विवरण निम्नानुसार है:-

राशि	विवरण (करोड़ रु. में)
1	2
(i) रेल विकास निगम लिमिटेड	133.20
(ii) उड़ीसा सरकार	01.80
(iii) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	27.50
(iv) स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लि.	05.00
(v) एस्सेल माइनिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लि.	30.00
(vi) रूंगटा माइन्स लि.	30.00
(vii) विंदल स्टील एण्ड पावर लि.	05.00
(viii) पोस्को इंडिया प्राइवेट लि.	27.50
(ix) एम एस पी एल लि.	15.00
कुल	275.00

(ङ) से (ज) विशेष प्रयोजन योजना के अंतर्गत परियोजना एक किफायती विकल्प है। परियोजना की 456 करोड़ रु. की हार्ड प्रोजेक्ट लागत पर 15.5% आंतरिक प्रतिफल दर है।

दिल्ली एवं मुंबई विमानपत्तनों का उन्नयन

1304. श्री पी.सी. थामस :
श्री रौतेन्द्र कुमार :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के आधुनिकीकरण हेतु सरकार को मास्टर प्लान प्रस्तुत किया है जैसाकि दिनांक 8 नवम्बर, 2006 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना संबंधी कार्य के कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है; और

(घ) उक्त मास्टर प्लान के क्रियान्वयन पर होने वाला अनुमानित व्यय कितना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी हां।

(ख) प्रथम चरण में, वर्ष 2010 तक प्रतिवर्ष 37 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए एक नए यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा और वर्ष 2008 तक ए-380 तक की श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए सक्षम एक नए रनवे का निर्माण किया जाएगा।

(ग) पहले चरण का निर्माण जनवरी, 2007 में आरम्भ कर दिया जाएगा और इसे मार्च, 2010 तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

(घ) विकास के पहले चरण की लागत लगभग 6750 करोड़ रुपए है।

माल-भाड़ा एवं यात्री किराया

1305. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे माल-भाड़े एवं यात्री किराए में कमी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आने के कारण रेलवे को सड़क से कार्गो ढुलाई के क्षेत्र से स्पर्धा करनी होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे का दृष्टिकोण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं, वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) जी नहीं। रेलवे ने सड़क परिवहन क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पहले ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं।

सरकारी उपक्रमों में निगरानी तंत्र

1306. **श्री जोवाकिम बखला** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य में संलग्न अधिकारियों को कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निगम के तथा क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों में सतर्कता मशीनरी को मजबूत बनाने के लिए पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें निपुण तथा प्रशिक्षित कार्मिकों सहित आदर्श सतर्कता तंत्र का प्रावधान है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों को कार्यकारी निदेशकों/मुख्य अधिकारियों का दर्जा तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण व मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद को धारण करने वाले अधिकारी के स्तर के आधार पर आवास तथा परिवहन सुविधाएं इत्यादि प्रदान की गई हैं।

गैस हाइड्रेट हेतु भूकंपीय सर्वेक्षण

1307. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर गैस हाइड्रेट संबंधी भूकंपीय सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के पास गैस हाइड्रेट का दोहन करने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय की वर्ष 2007 में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में गैस हाइड्रेट्स के लिए मानचित्रीकरण हेतु "क्यू मैरीन" नामक विशिष्ट सर्वेक्षण करवाने की योजना है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, भारत सहित विश्वभर में कहीं भी गैस हाइड्रेट्स का दोहन करने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

आतंकवाद का पर्यटन पर प्रभाव

1308. डा. राकेश मिश्रा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मालेगांव एवं मुंबई में हुए बम विस्फोटों के कारण भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत छह माह के दौरान, विशेषकर विस्फोटों के बाद पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनवरी से अक्तूबर, 2006 के दौरान भारत में 34.10 लाख विदेशी पर्यटक आगमन का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 30.15 लाख से अधिक है और 13.1% की वृद्धि दर्शाता है। पिछले छह माह, अर्थात् मई-अक्तूबर 2006 के दौरान 18.58 लाख विदेशी पर्यटक आगमन का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 16.59 लाख से अधिक है और 12.0% की वृद्धि दर्शाता है। जनवरी-अक्तूबर 2006 की अवधि के लिए भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के माह-वार अनुमानित आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:

सारणी: भारत में विदेशी पर्यटक आगमन

(लाखों में)

माह	2005	2006	पिछले वर्ष की तुलना में % बदलाव
जनवरी	3.86	4.44	(+) 15.1
फरवरी	3.70	4.07	(+) 10.1
मार्च	3.52	3.91	(+) 11.0
अप्रैल	2.48	3.10	(+) 24.7
मई	2.25	2.59	(+) 14.7
जून	2.47	2.73	(+) 10.6
जुलाई	3.08	3.49	(+) 13.3
अगस्त	2.74	3.03	(+) 10.5
सितम्बर	2.57	2.81	(+) 9.3
अक्तूबर	3.48	3.94	(+) 13.3
कुल (जनवरी-अक्तूबर)	30.15	34.10	(+) 13.1

[अनुवाद]

खड़गपुर मंडल में प्लेटफार्म

1309. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में झाड़ग्राम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्टेशन पर निर्माण कार्य आरंभ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का पुनरूद्धार

1310. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के पुनरूद्धार की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को विद्यमान संकट से उबरने के लिए थोक क्रयादेश देने हेतु बी.एस.एन.एल. अथवा एम टी एन एल के साथ समझौता करने के प्रस्ताव पर सहमत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एचसीएल) के लिये मसौदा पुनरूद्धार योजना बीआईएफआर द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी (ओ.ए.) द्वारा तैयार की गयी थी। इसके अतिरिक्त आईआईटी खड़गपुर तथा टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा भी अध्ययन किया गया था।

दिनांक 11 सितम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपी एसई) द्वारा एचसीएल के भविष्य पर नोट की जांच की गयी। बीआरपीएसई ने सिफारिश की कि इसके अतिरिक्त एचसीएल का इकाई-वार तथा समग्र कंपनी का विस्तृत अध्ययन आईआईटी खड़गपुर के माध्यम से कराया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) जीएसएम (ग्लोबल सर्विस फार मोबाइल), इंटरनेट तथा सीडीएमए (कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस), जैसी नयी प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण, एचसीएल के प्रमुख उत्पाद पॉलीएथीलीन इन्सुलेटेड जैली फिल्ड केबल्स (पीआईजेएफ) के लिए बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की मांग में भारी गिरावट हो गयी है। बीएसएनएल में केबलों की मांग 2000-01 में 583 एलसीकेएम (लाख सर्किट किलोमीटर) से घटकर 2003-04 और 2004-05 में 120 एलसीकेएम हो गयी। वर्ष 2005-06 में कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी। वर्ष 2006-07 के वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बीएसएनएल के केबल्स की संभावित मांग लगभग 70 एलसीकेएम है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने विगत तीन वर्षों से एचसीएल को कोई क्रयादेश नहीं दिया है।

पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन सम्मेलन, 2007

1311. श्री डी. विट्टल राव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन सम्मेलन, 2007 के आयोजन स्थल के रूप में पुष्टि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो आयोजन स्थल का निर्धारण कब तक किया जाएगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट वर्ष 2008 में हैदराबाद में आयोजित किया जायेगा।

(ख) और (ग) वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट, क्षेत्र में पर्यटक आगमनों में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ, विश्व भर से अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं और पैसिफिक एशिया क्षेत्र से विक्रेताओं को साथ लाने, विचार-विमर्श करने, संवर्धन और बिक्री करने के लिए डिजाईन किया गया एक महत्वपूर्ण पर्यटन मार्केटिंग कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारत को एक बड़ा संवर्धन का अवसर प्रदान करेगा क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को भारतीय विक्रेताओं के साथ बातचीत करने और देश के पर्यटन उत्पादों तथा सेवाओं का पहला अनुभव प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

जोधपुर कैंट में नए रेलवे स्टेशन का निर्माण

1312. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने जोधपुर कैंट में नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय ने उपरोक्त रेलवे स्टेशन हेतु धन जमा कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। बहरहाल, राई-का-बाग और बानर के बीच नए क्रॉसिंग स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

(ख) प्रारंभिक कार्य पूरा कर दिया गया है तथा भूमि अधिग्रहण के कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारी उद्योग/लोक उद्यमों की स्थापना

1313. श्री सूरज सिंह :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के पिछड़े जिलों में स्थापित/विस्तारित भारी उद्योग/लोक उद्यमों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में संभावित रूप से स्थापित किए जाने वाले नए भारी उद्योग/लोक उद्यमों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) 'हेवी' के रूप में उद्योग का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि, जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, विगत तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के किसी नये उद्यम की स्थापना नहीं की गई है। सरकारी क्षेत्र के मौजूदा उद्यमों में बाजार मांग/जैव्यता आदि के आधार पर विस्तार/विविधीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, वर्तमान में, सरकारी क्षेत्र के किसी नये उद्यम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आमान परिवर्तन में कार्यरत बाल श्रम

1314. श्री डी.बी. पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नांदेड़ मंडल के अंतर्गत मुडखेड़-आदिलाबाद रेल लाइन का आमान परिवर्तन कब तक पूरा होने की संभावना है और घोषित की गई रेलगाड़ी कब तक चलाए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए बाल श्रम को भी लगाया गया है और कार्य की गुणवत्ता भी काफी निम्न है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या नवम्बर, 2006 के प्रथम सप्ताह के दौरान पुल गिरने के कारण एक बाल श्रमिक की मृत्यु हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मुदखेड़-आदिलाबाद के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है। बजट में की गई घोषणा के अनुसार, नव आमान परिवर्तित खंड में चालू वित्त वर्ष में गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं, सिर्फ एक ग्रामीण जो रेल कार्य से संबंधित नहीं था, जो भोदादी-बुजरुग और धनोरा स्टेशनों के बीच पुल सं. 110 से गुजर रहा था, की 01.11.2006 को मृत्यु हुई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक लोगों के लिए पैकज

1315. **श्री अनवर हुसैन** : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों के लिए पैकेज हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंदौर-उज्जैन रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

1316. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार मध्य प्रदेश में इंदौर-उज्जैन रेले लाइन का विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। इंदौर-उज्जैन एवं देवास-मक्सी खंड पर विद्युतीकरण के कार्य को 48.35 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर अनुदान की पूरक मांगे (रेलें) 2006-07 में शामिल किया गया है और दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा

1317. **श्री शैलेन्द्र कुमार** :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर अल कायदा हमलों की धमकी/चेतावनी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। अल कायदा अभियान के संदिग्धों द्वारा रामज़ान के महीने के दौरान एक विमान के अपहरण की योजना का खुफिया रूप से पता चला था। दक्षिण में कुछ हवाईअड्डों पर विस्फोट करने की अल कायदा अभियान की योजना के संबंध में एक गुमनाम पत्र भी प्राप्त हुआ था।

(ग) देश में हवाईअड्डों पर सभी संबंधित एजेंसियों को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा तत्काल चेतावनी जारी की गई थी जिससे किसी प्रकार की अनहोनी घटना होने से रोका जा सकें।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त माहौल

1318. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार** : क्या सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से नि:शक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभवों को संक्षेप में बताया है और 2010 तक बाधा-मुक्त माहौल की इच्छा व्यक्त की है तथा नि:शक्तता की अधिक व्यापक एवं समावेशपूर्ण संयुक्त राष्ट्र परिभाषा अपनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उन्होंने निर्धनता उपशमन कार्यक्रमों में नि:शक्त महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आबंटन, नि:शक्त किसानों के लाभार्थ कृषि को शामिल किए जाने तथा "आर्थिक क्षमता के अंतर्गत" खण्ड के विलोपन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम में संशोधन के लिए प्राप्त सुझावों को नोट कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को नहीं अपनाया गया है।

[हिन्दी]

संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव एवं पुनरुद्धार

1319. श्री मोहन सिंह : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी स्मारकों की सफाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए स्मारकों के राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु स्थित स्मारकों के क्या नाम हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार को इस मुद्दे पर रूढ़िवादियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं। सफाई और रासायनिक परिरक्षण के लिए प्रतिवर्ष केवल सीमित संख्या में स्मारकों का चयन किया जाता है।

(ख) 2006-07 के लिए उपर्युक्त कार्य हेतु पहचान किए गए स्मारकों के राज्य-वार (तमिलनाडु सहित) नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए रासायनिक परिरक्षण हेतु आवंटित निधियां 502.15 लाख रुपए हैं।

(घ) से (च) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा संरक्षण हेतु समय परीक्षित पद्धतियों तथा सामग्रियों का प्रयोग कर स्मारकों की समुचित सुरक्षा के लिए हर संभव देखभाल कर रही है। रासायनिक परिरक्षण प्रक्रिया में आम तौर पर सफाई, सुदृढ़ीकरण, बायोसाइडल उपचार तथा हाइड्रो फोबाइजेशन शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2006-07 के लिए रासायनिक परिरक्षण के लिए तमिलनाडु सहित पहचान किए गए स्मारकों (राज्य-वार) के नाम

आंध्र प्रदेश

क्र. सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला	वर्ष 2006-07 के लिए प्रावधान
1	2	3	4	5
1.	अलवर मंडप, मठ तथा अन्य मंडपों, श्री चिन्तला वेंकटरमना स्वामी मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	ताडीपत्री	अनन्तपुर	3,00,000
2.	मंदिर समूह की एम आर सी टी एण्ड पी	पुष्पागिरि	कुड्डपा	2,50,000

1	2	3	4	5
3.	सोमवरा मंडप, दक्षिण तथा पश्चिम गोपुरम, श्री भीमेश्वर स्वामी मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	द्राक्षाराम	पूर्व गोदावरी	2,00,000
4.	बुर्ज सं. 1, बीच घंट की बुरूजू. कुरनूल की एम आर सी टी एण्ड पी	कुरनूल	कुरनूल	2,00,000
5.	श्री बुग्गारामालिंगेश्वर स्वामी मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	ताडीपत्री	अनन्तपुर	50,000
6.	बौद्ध अवशेषों की एम आर सी टी एण्ड पी, गुन्टूपल्ली (एकीकृत विकास)	गुन्टूपल्ली	पश्चिम गोदावरी	1,00,000
	असम			
1.	तलातर घर की एम आर सी टी एण्ड पी (एकीकृत विकास)	जोयसागर	सिबसागर	3,00,000
	बिहार			
1.	मुन्देश्वरी मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	रामगढ़	भाभुआ	1,80,000
2.	उत्खनित स्थल की एम आर सी टी एण्ड पी	कोल्हुआ	वैशाली	2,50,000
3.	मुख्य प्रदेश द्वारा, भिक्षु कक्ष तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आसपास की संरचनाओं की एम आर सी टी एण्ड पी	अन्तिचाक	भागलपुर	1,00,000
	दिल्ली			
1.	ईसाखान मकबरा की एम आर सी टी एण्ड पी	हुमायूं का मकबरा	दिल्ली	2,50,000
2.	फिरोजशाह का मकबरा (बड़ा गुम्बर), हौज खास की एम आर सी टी एण्ड पी	हौज खास	नई दिल्ली	50,000
	गोवा			
1.	बोम जीसीस चर्च की बेसिलिका की बाहरी दीवार (उत्तर) की एम आर सी टी एण्ड पी तथा कन्सोलिडेशन	ओल्ड गोवा	पणजी	8,00,000
	गुजरात			
1.	दक्षिण पूर्व तथा उत्तर, पश्चिम द्वार तथा शेष सहायक वेदी, द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका की एम आर सी टी एण्ड पी	द्वारका	जामनगर	1,50,000

1	2	3	4	5
2.	रावलखा छतरी की एम आर सी टी एण्ड पी, भुज	भुज	भुज	2,50,000
हिमाचल प्रदेश				
1.	दुवांग गुम्फा के पुरावशेष (एन्टे) कक्ष में पेंटिंग तथा स्टूको आकृतियों की एम आर सी टी एण्ड पी	टाबो	लाहौल एवं स्पीती	35,000
2.	भित्ति चित्रों की एम आर सी टी एण्ड पी, फू गुम्फा	टाबो	लाहौल एवं स्पीती	45,000
3.	शैलकृत मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी तथा कॉसोलिडेशन	मसरुर	कांगड़ा	10,00,000
जम्मू एवं कश्मीर				
1.	मंजुश्री मठ की पेंटिंग की एम आर सी टी एण्ड पी	अलची	लेह	1,00,000
केरल				
1.	श्री वडक्कुनाथन मंदिर की पेंटिंग तथा काष्ठ उत्कीर्ण की एम आर सी टी एण्ड पी	त्रिचूर	त्रिचूर	18,000
कर्नाटक				
1.	गोम्मतेश्वर प्रतिमा के आसपास मौसम तथा वायु प्रदूषण डाटा इंस्ट्रमेन्ट के संस्थापन की लघु मरम्मत	गोला	हासन	50,000
2.	पेंटिंग, अहमद शाह वाली, मकबरा की एम आर सी टी एण्ड पी	अस्तुर	बीदर	25,000
3.	पेंटिंग, असर महल की एम आर सी टी एण्ड पी	बीजापुर	बीजापुर	25,000
4.	केदारेश्वर मंदिर परिसर की एम आर सी टी एण्ड पी	बल्लीगावी	शिमोगा	4,50,000
5.	रामेश्वर मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	कुडली	शिमोगा	1,00,000
6.	पेंटिंग, विरुपाक्ष मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	हम्पी	बेलारी	10,000
7.	कल्याण राय मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	टोडा राय सिंह	टोंक	1,50,000
8.	पिपाली मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	टोडा राय सिंह	टोंक	1,50,000
9.	मंडलेश्वर महादेव मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	अर्थुना	बांसवारा	2,20,000

1	2	3	4	5
तमिलनाडु				
1.	संगीत अभिलेख, सिकनाथ स्वामी मंदिर, कुडुमियांमलई तथा शैलकृत जैन मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	सीतन्नावसल	पुडुक्कोट्टई	45,000
उत्तर प्रदेश				
1.	आर.सी. कब्रिस्तान की एम आर सी टी एण्ड पी	आगरा	आगरा	3,90,000
2.	भित्ति चित्र, हकीम हमाम की एम आर सी टी एण्ड पी	फतेहपुर सीकरी	आगरा	95,000
3.	खुसरु बाग मकबरा की एम आर सी टी एण्ड पी (एकीकृत विकास)	इलाहाबाद	इलाहाबाद	1080,000
4.	मकदूम जहानिया मकबरा कीएम आर सी टी एण्ड पी	कन्नौज	कन्नौज	274,000
5.	सादत अली मकबरा तथा मुर्शीद जैदी की एम आर सी टी एण्ड पी	लखनऊ	लखनऊ	1350,000
6.	ए ए क्यू एम एस तथा विद्युत आपूर्ति, सौर ऊर्जा आपूर्ति को चालू करना	ताज महल	आगरा	42,000
7.	लाल खान मकबरा की एम आर सी टी एण्ड पी	वाराणसी	वाराणसी	2,00,000
उत्तरांचल				
1.	मंदिर समूह, सूर्य मंदिर कीएम आर सी टी एण्ड पी	कटरमल	अल्मोड़ा	2,50,000
2.	मृत्युन्जय मंदिर समूह की एम आर सी टी एण्ड पी (एकीकृत विकास)	द्वारहाट	अल्मोड़ा	1,22,000
3.	मंदिर समूह, गोपीनाथ की एम आर सी टी एण्ड पी	गोपेश्वर	चमोली	2,50,000
4.	महासू मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	हनोल	देहरादून	1,45,000
5.	वैज्ञानिक अध्ययनों तथा विश्लेषणात्मक कार्यों के लिए प्रयोगशाला उपकरण तथा रसायनों की खरीद	निदेशक (विज्ञान) का कार्यालय, देहरादून	देहरादून	5,00,000
पश्चिम बंगाल				
1.	हजारदुआरी महल की संग्रहालय वस्तुओं की एम आर सी टी एण्ड पी	मुर्शिदाबाद	मुर्शिदाबाद	50,000

1	2	3	4	5
योजना (नए कार्य)				
आंध्र प्रदेश				
1.	बौद्ध शैलकृत स्तूप, गुफाएं आदि की एम आर सी टी एण्ड पी	संकाराम	विशाखापटनम्	1,50,000
2.	श्री मुखलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के भीतरी भाग की एम आर सी टी एण्ड पी	श्रीमुखलिंगम्	श्रीकाकुलम	2,00,000
3.	पापनाशी मंदिर समूह कीएम आर सी टी एण्ड पी	आलमपुर	महबूबनगर	2,00,000
4.	भवनारायण स्वामी मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	बपातला	गुन्टूर	1,50,000
5.	रिजर्व संग्रह की संग्रहालय वस्तुओं की एम आर सी टी एण्ड पी	अमरावती	गुन्टूर	1,00,000
असम				
1.	जोयसागर स्मारक समूह जिसमें (देवीदोल, सिवदोल, विष्णुदोल, घनश्याम झठस शामिल है) की एम आर सी टी एण्ड पी	जोयसागर	सिबसागर	3,00,000
बिहार				
1.	हसन शाह सूरी मकबरा की एम आर सी टी एण्ड पी	सासाराम	सासाराम	3,00,000
2.	मठ परिसर सं. 8 कीएम आर सी टी एण्ड पी	नालंदा	नालंदा	3,00,000,
छत्तीसगढ़				
1.	हर्ष गुप्त विहार की एम आर सी टी एण्ड पी (एकीकृत विकास)	सिरपुर	महासमुंद	2,50,00
दिल्ली				
1.	चांदनी चौक के सामने फ्लैग मस्त के नीचे तीन ओर की परकोटा दीवार की एम आर सी टी एण्ड पी (एकीकृत विकास)	लाल किला	दिल्ली	3,00,000
2.	मुख्य हुमायु का मकबरा एवं अहातओं की एम आर सी टी एण्ड पी	हुमायूं का मकबरा	दिल्ली	5,00,000

1	2	3	4	5
3.	सफदरजंग मकबरा की एम आर सी टी एण्ड पी	जोर बाग	दिल्ली	5,00,000
4.	कुतुब परिसर स्थित स्मारकों की एम आर सी टी एण्ड पी	कुतुब	दिल्ली	5,50,000
गुजरात				
1.	किला की किलाबन्द दीवार की एम आर सी टी एण्ड पी	पावागढ़	गोधरा	3,50,000
2.	बाबा मान मस्जिद की एम आर सी टी एण्ड पी, पावगढ़	पावागढ़	गोधरा	2,50,000
3.	सात कमान की एम आर सी टी एण्ड पी, पावगढ़	पावागढ़	गोधरा	1,00,000
4.	मन्सर तालाव वेदियों की एम आर सी टी एण्ड पी, वीरमगाम	वीरमगाम	सुरेन्द्र नगर	6,00,000
5.	गलतेश्वर महादेव मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी, गलतेश्वर	गलतेश्वर	खेड़ा	3,00,000
हरियाणा				
1.	लाल बलुई पत्थर, कष्ठ संरचनाओं के उपचार तथा अनुरक्षण, ख्वाजा खिज्र का मकबरा की एम आर सी टी एण्ड पी	सोनीपत	सोनीपत	95,000
2.	लाट की मस्जिद की एम आर सी टी एण्ड पी	हिसार	हिसार	1,80,000
हिमाचल प्रदेश				
1.	गौरीशंकर मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	देसल	कुल्लू	2,50,000
2.	रानी महल तथा ध्वस्त किला की पश्चिमी किला दीवार की एम आर सी टी एण्ड पी, नुरपुर	नुरपुर	कांगड़ा	2,50,000
जम्मू एवं कश्मीर				
1.	पेटिंग की एम आर सी टी एण्ड पी, हेमिस मठ	हेमिस	लेह	75,000
2.	शंकराचार्य मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	श्रीनगर	श्रीनगर	2,50,000
कर्नाटक				
1.	प्राणवनेश्वर मंदिर तथा उत्कीर्ण स्तम्भ की एम आर सी टी एण्ड पी	तालगुन्डा	शिमोगा	1,50,000
2.	बीजापुर संग्रहालय की संग्रहालय वस्तुओं की एम आर सी टी एण्ड पी	बीजापुर	बीजापुर	50,000

1	2	3	4	5
3.	गोमतेश्वर मूर्ति की एम आर सी टी एण्ड पी	श्रवणबेलगोला	हसन	1,50,000
4.	हफ्त गुम्बज की एम आर सी टी एण्ड पी	गुलबर्गा	गुलबर्गा	1,00,000
5.	पेटिंग की एम आर सी टी एण्ड पी, टीपू सुल्तान महल	बंगलौर	बंगलौर	40,000
6.	भूवराह मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	हलसी	बेलगाम	1,00,000
7.	त्रिमूर्तिनारायण मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	बंडालके	शिमोगा	1,00,000
केरल				
1.	बेकल किला की एम आर सी टी एण्ड पी, पल्लीकैरे (एकीकृत विकास)	पल्लीकेरे	कासरगोडे	4,00,000
2.	भक्तवात्सला मंदिर की एम आर सी टी एण्ड पी	चेरनमहादेव	तिरुनेलवेली	1,50,000
मध्य प्रदेश				
1.	गुफा नं. 4 की दीवार पेटिंग की एम आर सी टी एण्ड पी तथा पेटिंगों के माउंटिड पैनल का अनुरक्षण, बाघ गुफाएं	बाघ	धार	50,000
2.	कन्दरिया महादेव मंदिर के उत्तर पश्चिमी मुख की एम आर सी टी एण्ड पी	खजुराहो	छतरपुर	7,50,000
3.	जामी मस्जिद की पूर्वी तथा दक्षिणी दीवारों के बाहरी भागों तथा गुम्बदों की एम आर सी टी एण्ड पी	मांडु	धार	7,50,000
4.	रायसेन किला की एम आर सी टी एण्ड पी (एकीकृत विकास)	रायसेन	रायसेन	4,00,000
महाराष्ट्र				
1.	गुफा सं. 16 के मुख मंदिर के सभा मंडप के प्रस्तर/ मूर्तियों की एम आर सी टी एण्ड पी, एलोरा	एलोरा	औरंगाबाद	8,00,000
2.	गुफा सं. 10 के अग्रभाग (बाहरी) के प्रस्तर/मूर्तियों की एम आर सी टी एण्ड पी, एलोरा	एलोरा	औरंगाबाद	4,00,000
3.	बीबी का मकबरा के दरवाजों के धातु फलकों की एम आर सी टी एण्ड पी	औरंगाबाद	औरंगाबाद	3,00,000

1	2	3	4	5
4.	औरंगाबाद गुफाएं वर्ग-II के प्रस्तर/मूर्तियों की एम आर सी टी एण्ड पी	औरंगाबाद	औरंगाबाद	4,23,000
5.	विभिन्न गुफाओं सं. 4,13,26 तथा 27 प्रस्तर सतह की एम आर सी टी एण्ड पी, अजंता गुफाएं	अजंता	औरंगाबाद	2,50,000
6.	गुफा सं. 17 के पूर्व तथा पश्चिम की चित्रित दीवार सतह से अनुरक्षण कोटिंग तथा एक्रीशन को हटाने का एम आर सी टी एण्ड पी कार्य	अजंता	औरंगाबाद	2,00,000
7.	गुफा सं. 2 तथा 16 की वेस्ट एस्ले सीलिंग पेटिंग की एम आर सी टी एण्ड पी, अजन्ता गुफाएं	अजंता	औरंगाबाद	2,00,000
8.	गुफा सं. 1,4,5,9,19,26 तथा 27 में प्रस्तर सतह पर एथि/ सिलिकेट कॉसोलिडेशन कार्य की एम आर सी टी एण्ड पी, अजन्ता गुफाएं	अजंता	औरंगाबाद	3,50,000
9.	विभिन्न गुफाओं सं. 2,6, (ऊपरी गुफा) 9,10,11,15 तथा 16 में चित्रित पलस्तर पर फिक्सिंग/फिल्लैटिंग की एम आर सी टी एण्ड पी	अजंता	औरंगाबाद	3,00,000
उड़ीसा				
1.	बाराबती किला तथा गेट का एम आर सीटी तथा पी	कटक	सी टी सी	1,00,000
2.	चन्द्रशेखर मंदिर, कपिलाश का एम आर सीटी तथा पी	कपिलाश	धेनकनाल	2,00,000
तमिलनाडु				
1.	स्मारक समूह में मूर्तियां, महाबलीपुरम का एम आर सीटी तथा पी	महाबलीपुरम	कांचीपुरम	2,00,000
2.	संकागिरी पहाड़ी पर मंदिर समूह (समन्वित विकास) का एम आर सीटी तथा पी	संकागिरी	सलेम	2,00,000
3.	श्री सुब्रामण्या स्वामी मंदिर, जैन गुफा वालीमलई का एम आर सीटी तथा पी	वालीमलई	वेल्लौर	2,00,000
4.	शिव मंदिर, वलीकांतापुरम का एम आर सीटी तथा पी	वलीकांतापुरम	पेरमबलूर	2,50,000
5.	केरलांतक गोपुरम तथा पेंटिंग श्री बृहदीश्वरा मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	तंजावूर	तंजावूर	2,50,000

1	2	3	4	5
6.	वेंकटरमन मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	जिंजी	विल्लुपुरम	2,00,000
उत्तरांचल				
1.	मंदिर समूह, आदि बद्री का एम आर सीटी तथा पी	कर्णप्रयाग	चमोली	1,50,000
2.	बलेश्वर मंदिर समूह का एम आर सीटी तथा पी	चम्पावत	चम्पावत	1,50,000
गैर-योजना (चल रहे कार्य)				
आंध्र प्रदेश				
1.	विष्णु मंदिर, श्री वीरभद्र स्वामी की छत पर चित्रों का एम आर सीटी तथा पी	लेपाक्षी	अनंतपुर	1,25,000
2.	नाट्य मंडप, श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर के उत्कीर्ण लेख तथा मूर्ति वाले खम्बों की आन्तरिक प्रकारा दीवार का एम आर सीटी तथा पी	लेपाक्षी	अनंतपुर	1,50,000
3.	गोलकोंडा किला का एम आर सीटी तथा पी	हैदराबाद	हैदराबाद	1,50,000
4.	चारमीनार के आसपास परिवेशी वायु गुणवत्ता का एम आर सीटी तथा पी	हैदराबाद	हैदराबाद	2,00,000
5.	कुशमहल तथा बिखरी हुई मूर्तियों का एम आर सीटी तथा पी	वारंगल किला	वारंगल	1,50,000
6.	स्वर्गब्रह्मा के आन्तरिक तथा बाला ब्रह्मेश्वरा मंदिर के बाहरी प्रकारा का एम आर सीटी तथा पी	अलमपुर	महबूब नगर	75,000
असम				
1.	शिवडोल मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	निचरटिन	शिवसागर	50,000
गोवा				
1.	से कैथेड्रल चर्च, पुराना गोवा की मुख्य वेदी का एम आर सीटी तथा पी	पुराना गोवा	पणजी	1,00,000
2.	संत फ्रांसिस की असीसी चर्च, पुराना गोवा के प्रधूमन का एम आर सीटी तथा पी	पुराना गोवा	पणजी	5,50,000

1	2	3	4	5
	गुजरात			
1.	सिकन्दर शाह मकबरा, हलोल का एम आर सीटी तथा पी	हलोल	गोधरा	2,50,000
	मध्य प्रदेश			
1.	जोर्डियन संग्रहालय की प्रस्तर मूर्तियों तथा वास्तुशिल्पीय टुकड़ों का एम आर सीटी तथा पी	खजुराहो	छतरपुर	4,00,000
2.	बाबू मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	ग्वालियर किला	ग्वालियर	5,00,000
3.	हिन्डोला महल के आन्तरिक भागों का एम आर सीटी तथा पी	मांडू	धार	5,50,000
4.	कोशक महल का एम आर सीटी तथा पी	चंदेरी	अशोक नगर	7,00,000
	महाराष्ट्र			
1.	मार्कण्डदेव मंदिर, मार्कण्ड के पत्थरों/मूर्तियों का एम आर सी टी तथा पी	मार्कण्ड	गढ़चिरोली	7,10,000
	उड़ीसा			
1.	भगवान लिंगराज मंदिर के जगमोहन, भोगमंडप तथा नटमंडप एम आर सीटी तथा पी	भुबनेश्वर	खुर्दा	3,50,000
	पंजाब			
1.	हाजी जमाल मकबरा का एम आर सीटी तथा पी	बकोदर	जलन्धर	2,00,000
2.	प्राचीन सराय का गेटवे का एम आर सीटी तथा पी	अमानतखान	अमृतसर	2,50,000
	राजस्थान			
1.	सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ का एम आर सीटी तथा पी	देव सोमनाथ	डूंगरपुर	3,00,000
2.	उत्कीर्ण लेख सहित मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	कंसूवा	कोटा	4,00,000
3.	बीसल देव मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	बिलासपुर	टोंक	3,50,000
4.	उत्कीर्ण लेख तथा छतरियों सहित घाट का एम आर सीटी तथा पी	नव चौकी	राजसमंद	3,80,000
	तमिलनाडु			
1.	मुख्य विमान पर मूर्तियां, बृहदेश्वरा मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	तंजावूर	तंजावूर	3,00,000

1	2	3	4	5
2.	जलकंदेश्वरा मंदिर, वेल्लोर की मूर्तियों का एम आर सीटी तथा पी	वेल्लोर	वेल्लोर	1,73,000
	उत्तर प्रदेश			
1.	मोती मस्जिद का एम आर सीटी तथा पी	आगरा किला	आगरा	7,10,000
2.	संगमरमर छत के ऊपरी हिस्से का एम आर सीटी तथा पी	सिकन्दरा	आगरा	7,40,000
3.	हिरम मीनार का एम आर सीटी तथा पी	फतेहपुर सीकरी	आगरा	2,10,000
4.	हाथी पोल गेट तथा पानी की टंकी का एम आर सीटी तथा पी	फतेहपुर सीकरी	आगरा	5,00,000
	पश्चिम बंगाल			
1.	कूच बिहार महल के दो रॉयल कमरों की चित्रित छत तथा दीवारों का एम आर सीटी तथा पी	कूच बिहार	कूच बिहार	50,000
	गैर योजना (नये कार्य)			
	आंध्र प्रदेश			
1.	रानी महल तथा अन्य संरचनाओं का एम आर सीटी तथा पी	गोलकोंडा किला	हैदराबाद	1,00,000
2.	घंटासाला संग्रहालय की बिखरी हुई मूर्तियों का एम आर सीटी तथा पी	घंटासाला	कृष्णा	50,000
3.	चन्द्रगिरि संग्रहालय की संग्रहालय वस्तुओं का एम आर सीटी तथा पी	चन्द्रगिरी	चित्तूर	50,000
4.	श्री उमा महेश्वरा स्वामी मंदिर के मंडपों तथा अन्य संरचनाओं का एम आर सीटी तथा पी	यगन्ति	करनूल	1,00,000
	छत्तीसगढ़			
1.	रतनपुर किला का एम आर सीटी तथा पी	रतनपुर	बिलासपुर	1,00,000
	दिल्ली			
1.	किला-ए-खुना मस्जिद का गुम्बद तथा तीन साइड दीवारें (बाहरी) एम आर सीटी तथा पी	पुराना किला	दिल्ली	2,50,000

1	2	3	4	5
2.	खिड़की मस्जिद का एम आर सीटी तथा पी	खिड़की गांव	दिल्ली	2,50,000
गुजरात				
1.	शिवई माता मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	सुनक	मेहसाणा	2,00,000
2.	सिद्दि सैय्यद मस्जिद का एम आर सीटी तथा पी	अहमदाबाद	अहमदाबाद	2,00,000
3.	महात्मा गांधी जन्म स्थान में चित्रों के खुलेपन का एम आर सीटी तथा पी	पोरबंदर	पोरबंदर	1,00,000
कर्नाटक				
1.	सोमेश्वर मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	बंदलके	शिमोगा	2,00,000
2.	हुचप्पय्या मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	एहोल	बगलकोट	2,00,000
3.	इब्राहिम रॉउजा का एम आर सीटी तथा पी	बीजापुर	बीजापुर	1,00,000
केरल				
1.	सन्त एग्लो किला का एम आर सीटी तथा पी	कन्नूर	कन्नूर	1,00,000
मध्य प्रदेश				
1.	गढ़ी पदावली का एम आर सीटी तथा पी	पदावली	मोरेना	1,00,000
2.	मंदिर समूह का एम आर सीटी तथा पी	बटेश्वर	ग्वालियर	1,00,000
महाराष्ट्र				
1.	कन्हेरी गुफाएं, बोरीवल, मुंबई के पत्थर/मूर्तियां का एम आर सीटी तथा पी	बोरीवली	मुंबई	457,000
2.	अजन्ता गुफाएं संख्या 17,18,19 तथा 20, अजन्ता गुफाओं के फोटो प्रलेखन का एम आर सीटी तथा पी	अजन्ता	औरंगाबाद	1,00,000
3.	संगमेश्वरा मंदिर के पत्थर की सतह, मंदिर की समस्त बाहरी सतह (मंदिर अजन्ता गुफा क्षेत्राधिकार के अधीन है) का एम आर सीटी तथा पी	अजन्ता	औरंगाबाद	2,00,000
4.	गुफा संख्या 1 से 30 की चित्रित सतह तथा मूर्तियों से धूल तथा गन्दगी हटाने का नेमी ए आर कार्य	अजन्ता	औरंगाबाद	1,00,000

1	2	3	4	5
5.	अजन्ता गुफाओं में बिना पेंट की सतह पर कीटनाशकों के छिड़काव का ए आर कार्य	अजन्ता	औरंगाबाद	2,00,000
6.	तापमान की दैनिक रिकॉर्डिंग का ए आर कार्य तथा अजन्ता की चित्रित गुफाओं में आर. एच	अजन्ता	औरंगाबाद	2,00,000
7.	फील्ड प्रयोगशाला, अजन्ता गुफाओं में रखरखाव तथा नियमित प्रयोग तथा विश्लेषणात्मक कार्यों को चलाने का ए आर कार्य	अजन्ता	औरंगाबाद	2,00,000
उड़ीसा				
1.	सूर्य मंदिर परिसर में नाट्य मंडप का एम आर सीटी तथा पी	कोणार्क	पुरी	4,00,000
2.	जम्बेश्वर मंदिर का एम आर. सीटी तथा पी	भुवनेश्वर	खुर्दा	3,00,000
3.	एल एल टी परिसर में मंदिर समूह का एम आर सीटी तथा पी	भुवनेश्वर	खुर्दा	2,00,000
4.	जगन्नाथ मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	जयपुर	जयपुर	2,00,000
5.	केदारस्वर मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	चौद्वार	कटक	2,00,000
पांडिचेरी				
1.	शिव मंदिर, सैतूर का एम आर सीटी तथा पी	सैतूर	कराईकल	1,00,000
पंजाब				
1.	रोपड़ संग्रहालय के पुरावशेषों/वस्तुओं का रासायनिक संरक्षण	रोपड़	रूप नगर	50,00
तमिलनाडु				
1.	मूर्तियों, शैलकृत शिव तथा विष्णु मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	तिरुमयम	पुडुक्कोट्टई	1,00,000
उत्तर प्रदेश				
1.	जैन मंदिर (बाहरी) का एम आर सीटी तथा पी	देवगढ़	ललितपुर	100,000
2.	सोलर उर्जा आपूर्ति के लिए वार्षिक रखरखाव ठेका	ताज महल	आगरा	4,,50,000
3.	पत्थर संरक्षण के लिए उपकरणों तथा रसायनों की खरीद	आगरा किला	आगरा	1,70,000

1	2	3	4	5
4.	सामान्य रखरखाव का एम आर कार्य	ताज महल	आगरा	1,00,000
उत्तरांचल				
1.	ताज संग्रहालय की कला तथा एकत्रित वस्तुओं का पुनरूद्धार	निदेशक (विज्ञान) का कार्यालय	देहरादून	1,00,000
पश्चिम बंगाल				
1.	बिगुनिया मंदिर समूह का एम आर सीटी तथा पी	बाकर	वर्धमान	1,00,000
2.	गोपाल जी मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	कलना	वर्धमान	1,00,000
3.	चांदीदास मंदिर का एम आर सीटी तथा पी	नानूर	बीरभूमि	1,00,000

[अनुवाद]

गोलकोंडा किले का रख-रखाव

1320. डा. एम. जगन्नाथ : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश स्थित ऐतिहासिक गोलकोंडा किले के परिसर का उपयोग फिल्म कर्मीदलों द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिए किए जाने के कारण इसको क्षति पहुंचाए जाने की जानकारी है, जैसाकि दिनांक 27 सितम्बर, 2006 के 'द डेक्कन कोनिकल में समाचार प्रकाशित हुआ है;'

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) द्वारा किले से प्रति वर्ष कितनी राशि अर्जित की जाती है;

(घ) इस स्मारक के रख-रखाव पर वार्षिक कितनी राशि खर्च की जाती है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस किले के संरक्षण और रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) फिल्म की शूटिंग के कारण ऐतिहासिक गोलकोंडा किले को कोई क्षति नहीं पहुंची है जैसा कि दिनांक 27 सितम्बर, 2006 के 'द डेक्कन कोनिकल' में समाचार प्रकाशित हुआ है। तथापि, फिल्म प्रचालन के दौरान आंध्र प्रदेश पर्यटन द्वारा स्थापित एक फुट लाइट क्षतिग्रस्त हुई है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान गोलकोंडा किला से अर्जित वार्षिक राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि
2004-2005	52,62,790/- रुपए
2005-2006	56,44,530/- रुपए

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान स्मारक के रख-रखाव पर व्यय की गई वार्षिक राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि
2004-2005	49,67,422/- रुपए
2005-2006	31,99,365/- रुपए

(ङ) गोलकोंडा किले के संरक्षण तथा रख-रखाव के लिए 20 नियमित निगरानी एवं पहरा स्टाफ को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त,

17 निजी सुरक्षा गार्डों को भी नियुक्त किया गया है ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

संरचनात्मक संरक्षण कार्य सतत् आधार पर किया जा रहा है। हाल में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। - नगीना बाग का संरक्षण, रानी महल, ऊंट अस्तबल तथा नया किला की संरचनात्मक मरम्मत। पर्यावरणीय विकास के लिए उद्यान संबंधी कार्यकलाप भी स्मारक पर किए जाते हैं। परिरक्षण की स्थिति का सतत् मूल्यांकन किया जाता है ताकि संरचनात्मक संरक्षण रासायनिक परिरक्षण आदि के लिए अपेक्षित उपाय करने में सुभीता हो सके।

पर्यटन क्षमता को प्राप्त करना

1321. **श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्रीमती प्रतिभा सिंह :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की पर्यटन क्षमता से कम पर्यटन पर चिंता व्यक्त की है जैसाकि दिनांक 24 सितम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यटन क्षमता से कम पर्यटक आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रधान मंत्री जी ने अवसंरचनात्मक मुद्दों के समाधान के लिए मंत्री समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समूह द्वारा अपना कार्य कब आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या प्रधान मंत्री जी ने चालू परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो इसमें ध्यान में आई कमियां क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (छ) प्रधान मंत्री ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 को पर्यटन क्षेत्र की समीक्षा की। पर्यटन मंत्रालय ने अपने कार्यकलापों, मंत्रालय द्वारा पता लगाए गए अवसरों और क्षेत्र को पीछे रखने वाली बाधाओं का परिदृश्य देते हुए एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण ने पर्यटन के उस योगदान को उजागर किया, जो सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में वह दे सकता है, यदि बाधाओं को हटा दिया जाये। यह माना गया है कि पर्यटन आवश्यक रूप से एक बहु-क्षेत्रीय कार्यकलाप है और इसमें विभिन्न मंत्रालयों से कार्रवाई अपेक्षित है।

यह निर्णय लिया गया है कि पर्यटन को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय अवसंरचना समिति के अंतर्गत शामिल किया जायेगा। यह समिति पर्यटन क्षेत्र के अवसंरचना घटकों की प्रगति की समीक्षा करेगी।

महाराष्ट्र में रेलवे परियोजनाएं

1322. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कार्याधीन रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार उनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार उन पर परियोजना-वार कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि कितनी है और प्रत्येक परियोजना में कितना लागत उपरिव्यय है;

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) उनको शीघ्र पूरा किए जाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए परियोजना विनिर्दिष्ट वित्तपोषण के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों का सृजन करने के लिए राज्य भागीदारी, रक्षा मंत्रालय से वित्तपोषण, सार्वजनिक/निजी भागीदारी तथा राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए गैर-बजटीय सहायता जैसे अनेक उपाय किए गए हैं।

विवरण

प्रत्याशित लागत, किए गए व्यय, वर्ष 2006-07 के लिए परिव्यय के साथ-साथ चालू परियोजनाओं की स्थिति तथा लक्ष्य जहां-कहीं निर्धारित किए गए हैं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	चालू परियोजनाओं का ब्यौरा	कि.मी.	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2006 तक किया गया व्यय	2006-07 के दौरान परिव्यय	स्थिति तथा लक्ष्य जहां-कहीं निर्धारित किया गया
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदनगर-बीड-पर्ली वैजनाथ	261.25	462.67	15.06	10.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। 15 कि.मी. लंबाई (अहमदनगर-नारायणडोह खंड) में भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है जहां पर 71% मिट्टी संबंधी कार्य 3 बड़े पुलों तथा 10 छोटे पुलों का कार्य पूरा हो गया है।
2.	अमरावती नरखेड़	138	284.27	148.55	15.00	अमरावती से चंदूर बाजार तक (44 कि.मी.) खंड का कार्य पूरा हो गया है।
3.	बारामती-लोनाद	54	138.48	16.11	7	अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। लोनाद-फाल्टन (27 कि.मी.) के लिए भूमि संबंधी कागजात राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। 16 छोटे पुल का कार्य पूरा हो गया है।
4.	पनवेल-करजत	28	137.96	134.82	1	कार्य पूरा हो गया है तथा खोल दिया गया है।
5.	पुताम्बा-शिर्डी	16.6	48.78	34.07	10.05	अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य आदि शुरू कर दिया गया हैं कार्य को 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।
आमान परिवर्तन						
1.	अकोला-पूर्ण	210	245.22	66.01	26	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य इत्यादि शुरू कर दिया गया हैं इस खंड को 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	बालाघाट कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया	285	524.88	167.45	57.40	गोंदिया-बालाघाट (42 कि.मी.) खंड को चालू कर दिया गया हैं बालाघाट-कटंगी सहित बालाघाट-जबलपुर में मिट्टी संबंधी कार्य तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।।
3.	मिरज-लातूर	374	515.57	329.95	44	कार्य चरणबद्ध ढंग से प्रगति पर है। कुर्दुवाडी से पंढरपुर (52 कि.मी.) तथा लातूर-लातूर रोड (33 कि.मी.) का कार्य पूरा हो गया है। कुर्दुवाडी-लातुर तथा मिरज-पंढरपुर के बीच मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
4.	मुदखेद-आदिलाबाद	162	199.06	226.57	29.98	कार्य पूरा हो गया है अभी खोला जाना है।
5.	सिकन्दराबाद-मुदखेद एवं जनखमपेट-बोधन	269	382.69	345.65	10.00	कार्य पूरा हो गया है तथा खोल दिया गया है।
6.	सोलापुर (होतगी)-गदग	282	342.7	291.90	20	सोलापुर-होतगी-बीजापुर-बागलकोट का कार्य पूरा हो गया है। शेष खंड को 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने की योजना है।
7.	छिंदवाड़ा-नागपुर	149.22	383.79	0.74	45.00	भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू हो गया है। मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
दोहरीकरण						
1.	दीवा-कल्याण 5वीं एवं 6वीं लाइन	11	70	56.67	5.50	मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य इत्यादि प्रगति पर है तथा 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।
2.	पकनी-मोहेल	17	42.73	10.08	30.01	इस कार्य को रेल विकास निगम लि. (आर वी एन एल) को सौंपा गया हैं मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य इत्यादि शुरू कर दिया गया है। कार्य को 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	पकनी-सोलापुर	16.28	38.52	7.83	20.50	इस कार्य को रेल विकास निगम लि. (आर वी एन एल) को सौंपा गया है। मिट्टी कार्य तथा पुल संबंधी इत्यादि शुरू कर दिया गया है। कार्य को 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।
4.	पनवेल-जसई-जे एन पी टी	28.5	53.25	22.62	8.0	कार्य पूरा हो गया है तथा खोल दिया गया है।

पर्यटन परिसर का विकास

1323. श्री प्रशान्त प्रधान :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में पर्यटन परिसरों के विकास के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में अवसंरचना के विकास के लिए गत वर्ष राज्य-वार कितनी राशि प्रदान की गई है और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय उनके साथ परामर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक परिसरों सहित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई राशि दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है।

विवरण

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6	946.50	16	2827.19	7	2615.82	1	468.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	3	313.46	8	986.03	10	2140.00	1	454.28
3.	अरूणाचल प्रदेश	6	1044.60	9	1325.50	10	2240.16	4	760.90
4.	बिहार	6	1019.42	7	1901.43	3	1212.23	0	0
5.	छतीसगढ़	6	1005.00	6	1117.94	7	1775.59	7	876.38
6.	गोवा	2	36.76	3	110.00	1	10.00	0	0
7.	गुजरात	8	920.51	2	138.93	5	2011.58	5	347.73
8.	हरियाणा	16	1215.38	6	693.55	7	639.71	3	25.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4	182.32	12	2680.00	6	1645.00	4	285.00
10.	जम्मू व कश्मीर	5	895.00	5	819.25	22	6656.01	13	2826.32
11.	झारखंड	2	1109.00	2	945.91	5	1227.27	0	0
12.	कर्नाटक	14	932.66	12	2461.76	8	1706.52	1	226.88
13.	केरल	6	608.50	10	2283.63	13	4858.88	5	416.39
14.	मध्य प्रदेश	10	621.90	11	1595.19	12	3047.39	3	903.10
15.	महाराष्ट्र	10	931.83	10	1620.62	9	2075.04	7	580.38
16.	मणिपुर	1	82.44	0	0.00	2	49.80	5	788.29
17.	मेघालय	2	40.22	2	963.30	1	5.00	2	15.00
18.	मिजोरम	5	567.70	6	1086.35	10	2273.41	0	0
19.	नागालैंड	4	711.00	7	2250.69	9	2528.97	5	468.94
20.	उड़ीसा	5	419.55	8	1320.74	10	2309.61	8	477.12
21.	पंजाब	2	96.00	7	724.68	5	1437.67	5	814.45
22.	राजस्थान	14	1644.81	13	2516.61	7	2591.87	8	653.39
23.	सिक्किम	8	1151.09	9	660.81	14	2844.56	0	0
24.	तमिलनाडु	14	1339.82	7	1308.92	19	4264.62	6	625.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	त्रिपुरा	6	450.17	1	20.00	3	716.26	1	4.15
26.	उत्तरांचल	4	230.44	7	2199.98	13	2738.00	6	528.99
27.	उत्तर प्रदेश	7	1115.80	9	1044.93	18	3905.23	5	2441.90
28.	पश्चिम बंगाल	10	717.44	10	513.04	5	989.35	4	952.36
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0.00	1	6.25	0	0
30.	चंडीगढ़	2	10.0	3	467.00	1	13.70	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0.00	2	29.79	0	0
32.	दिल्ली	17	3316.28	8	628.85	2	20.00	3	20.00
33.	दमन व दीव	1	265.07	0	0.00	4	262.28	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	1	245.17	2	451.00	2	469.39	0	0
	कुल	207	24185.84	217	37663.83	253	61316.96	112	15961.21

टिप्पणी - इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आईटी, कार्यक्रम एवं मेलों तथा उत्सवों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

स्टेशनों पर एक्स-रे मशीनों का लगाया जाना

1324. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे का प्रस्ताव सामान को स्कैन करने तथा मॉनीटर करने के लिए नई दिल्ली, दिल्ली तथा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर एक्स-रे मशीन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) उक्त स्टेशनों पर इन मशीनों को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख)

स्टेशन	संख्या	रकम (करोड़ रु. में) लगभग
नई दिल्ली	11	10.58
दिल्ली मेन	09	8.66
हजरत निजामुद्दीन	05	4.60

(ग) इन मशीनों की स्थापना की प्रक्रिया छः माह के भीतर पूरी होने की संभावना है।

[हिन्दी]

रक्षा बलों के लिए नया संचार नेटवर्क

1325. **श्री महेश कनोडीया :**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों के लिए नया संचार नेटवर्क विकसित किया गया है जैसाकि दिनांक 15 सितंबर, 2006 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है; और

(ग) ऐसे संचार नेटवर्क पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां। रक्षा बलों के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) आधारित संचार नेटवर्क की योजना बनाई गई है। यह नेटवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यह कार्य चल रहा है।

(ख) प्रस्तावित नेटवर्क की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:–

(i) यह रक्षा उपस्थिति बिन्दु (पी ओ पी) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) उपस्थिति बिन्दु के बीच पर्याप्त क्षमता का संपर्क मुहैया कराएगा।

(ii) संक्रियात्मक रूप से महत्वपूर्ण सीमाओं के लिए उपग्रह तथा रेडियो आधारित पूर्णता।

सेनाओं के आर्डर के आधार पर बी एस एन एल/एम टी एन एल इस परियोजना को पूरा कर रहे हैं।

(ग) परियोजना निर्धारण टीम की रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना पर अनुमानित लागत लगभग 3051 करोड़ रुपए आएगी।

रेवांचल एक्सप्रेस की समय सारणी

1326. **श्री गणेश सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रेवा और भोपाल के बीच चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार रेलगाड़ी की पुरानी समय सारणी को पुनर्बहाल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के लिए कटनी के रास्ते रीवा-भोपाल एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) तथा जबलपुर के रास्ते रीवा-भोपाल एक्सप्रेस (सप्ताह में चार दिन) का प्रस्थान समय क्रमशः 19.40 बजे तथा 21.15 बजे कर दिया गया है। बहरहाल, 01.12.2006 से दोनों गाड़ियों का प्रस्थान समय परिवर्तित करके 19.50 बजे किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अप्रवासी छात्रवृत्ति योजना

1327. **प्रो. एम. रामदास** : क्या सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में उच्च अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अप्रवासी छात्रवृत्ति योजना द्वारा कुल कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत धनराशि के बजटीय आवंटन तथा धनराशि के उपयोग में बहुत अधिक असमानता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या यह योजना कुछ वर्षों के दौरान लागू नहीं की गई थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1993-94 से 2004-05 तक चयनित कुल अभ्यर्थियों में केवल पांच ही महिलाएं थीं; और

(ज) यदि हां, तो इस योजना में महिलाओं की इतनी कम भागीदारी होने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, कुल 114 अभ्यर्थी 1993-94 से 2005-2006 की अवधि के दौरान चयनित किए गए।

(ख) से (घ) बजट आवंटन और व्यय इस प्रकार है:

वर्ष	बजट	व्यय	उपयोगिता प्रतिशतता
2003-2004	100.00	70.00	70
2004-2005	100.00	90.00	90
2005-2006	100.00	160.60	160

व्यय, भारतीय राजदूतावास से बिलों की पावती पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) जी, हां। वर्ष 1995-96 से 1997-98 और 2000-01 से 2003-04 के दौरान कोई चयन नहीं किया गया क्योंकि यह योजना सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन न मिलने के कारण इन वर्षों में क्रियाशील नहीं थी।

(छ) और (ज) जी, हां। महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण, महिला अभ्यर्थियों से पर्याप्त आवेदन-पत्रों का प्राप्त न होना था।

वन्य जीव पर्यटन परियोजनाएं

1328. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितनी वन्य जीव पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गईं;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए आज की तिथि तक परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय उनके साथ परामर्श करके, प्राथमिकता प्रदत्त वन्य जीव पर्यटन परियोजनाओं सहित, पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के दौरान, वन्य जीव पर्यटन परियोजनाओं के लिए, राज्यों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वन्य जीव पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष	परियोजना	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	2005-06	डिब्रूगढ़-पासीघाट-डेइंग ईरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य	299.00	239.20

1	2	3	4	5	6
2.	असम	2005-06	काज़ीरंगा में साहसिक पर्यटन का विकास	44.95	35.90
	वही	2005-06	मानस-गुवाहाटी-काज़ीरंगा का विकास	781.00	624.80
3.	कर्नाटक	2003-04	अट्टीवेरी पक्षी अभ्यारण्य का विकास	60.00	18.00
	वही	2004-05	बांदीपुर टाईगर रिज़र्व का विकास	195.70	156.56
4.	तमिलनाडु	2003-04	रामेश्वरम में ईको पर्यटन सह-पक्षी केन्द्र की स्थापना	43.00	34.00
	वही	2004-05	मुथूपेट में प्वांइट कालीमेरे वन्य जीव अभ्यारण्य में ईको-टूरिज्म का विकास	368.00	294.40
	वही	2005-06	रामेश्वरम में ईको पर्यटन सह-पक्षी केन्द्र की स्थापना	42.50	34.00
5.	उत्तर प्रदेश	2005-06	दुधवा राष्ट्रीय पार्क में विकास	312.60	250.08
	वही	2005-06	कटेनियाघाट वन्य जीव अभ्यारण्य का विकास	105.00	84.00
6.	उत्तरांचल	2005-06	नैनीताल-अल्मोड़ा-रानीखेत (बिनसर अभ्यारण्य, कॉरबेट म्यूज़ियम) का विकास	697.51	558.00
7.	उड़ीसा	2005-06	एक पर्यटक गंतव्य के रूप में चिल्का झील का विकास	389.05	311.24
			कुल	3338.31	2640.18

पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1329. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का कार्यकरण कैसा रहा; और

(ग) इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय के पास दो सरकारी क्षेत्र उपक्रम हैं, यथा (i) भारत पर्यटन विकास निगम और (ii) कुमाराकुप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लि.।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र उपक्रम के कार्यकरण का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) भारत पर्यटन विकास निगम

(करोड़ रु. में)

	2003-04	2004-05	2003-06
टर्नओवर	290.65	363.49	377.25
प्रचालन लाभ	5.14	37.87	56.79
शुद्ध लाभ (कर से पूर्व)	2.86	31.16	52.61

(ii) कुमाराकृष्णा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लि.

(करोड़ रु. में)

	2003-04	2004-05	2003-06
टर्नओवर	5.90	8.48	10.55
प्रचालन लाभ	5.03	7.68	9.68
शुद्ध लाभ (कर से पूर्व)	5.03	7.68	9.68

(ग) अपने कार्यकरण में सुधार लाने के लिए भा.प.वि.नि. निम्नलिखित कदमों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है:-

- नए बाजार का दोहन करने के लिए जोरदार मार्केटिंग एवं संवर्धनात्मक प्रयास करना।
- बेहतर ग्राहक सेवाएं सुनिश्चित करना।
- होटल परिसम्पत्तियों का नवीकरण एवं जीर्णोद्धार करना।
- नई ग्राहक सुविधाएं/सेवाएं बढ़ाना।
- नामी राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय फूड चेन्स के साथ मिलकर फास्ट फूड आउटलेट्स/रेस्तरां की स्थापना हेतु कुछ होटलों की उपलब्ध जगहों को किराए पर देना।
- होटलों के सेवा स्तरों में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन विकास।

अहमदाबाद विमानपत्तन पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण

1330. **श्री हरिन पाठक :**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या नागर विमानन मंत्री अहमदाबाद विमानपत्तन पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण के बारे में 10 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1875 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति ने अहमदाबाद विमानपत्तन पर नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर के निर्माण को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) अहमदाबाद में एक नया अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग परिसर बनाने के लिए, आर्थिक कार्यों पर कैबिनेट समिति (सी.सी.ई.ए.) के अनुमोदन हेतु एक नोट तैयार किया गया है और इसे सी.सी.ई.ए. के विचार हेतु भिजवाया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता

1331. **श्री रनेन बर्मन :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2004-05 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को क्रमशः 5313.91 करोड़ रुपए, 5014.46 करोड़ रुपए तथा 5090.24 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता (इक्विटी व ऋण के संदर्भ में) दी गई थी।

[हिन्दी]

आयात पर निर्भरता

1332. श्री इंसराव जी. अहीर :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को तेल आयात पर निर्भरता में कमी करने के लिए कहा है क्योंकि तेल की ऊंची कीमतें चिंता का मुख्य विषय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मध्यनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कंपनी के स्वामित्व वाले एवं कंपनी द्वारा प्रचालित पेट्रोल पंपों के लिए दिशा-निर्देश

1333. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कंपनी के स्वामित्व वाले एवं कंपनी द्वारा प्रचालित (सीओसीओ) पेट्रोल पंपों के लिए दिशनिर्देश जारी कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये दिशानिर्देश देश में डीलरशिप को भी प्रभावित करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने 6,9,2006 को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) से कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रचालन के लिए अपने स्वयं के दिशा-निर्देश बनाने का अनुरोध किया गया है। इन व्यापक दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ साथ ओएमसीज के अधिकारियों द्वारा स्थाई कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन और निर्धारित समय सीमा के भीतर मौजूदा अस्थाई कोको आरओज को समाप्त करना भी शामिल है।

(ग) और (घ) कोको आरओज वे आरओज हैं जिनका प्रचालन नियमित डीलरों की नियुक्ति के बिना स्वयं ओएमसीज द्वारा किया जा रहा है। इन व्यापक दिशानिर्देशों से ओएमसीज पारदर्शी ढंग से नियमित डीलरों की नियुक्ति के द्वारा अस्थाई कोको आरओज को समाप्त करने में समर्थ होंगी।

व्यापक दिशानिर्देशों के अनुरूप अस्थाई कोको आरओज की प्रथमत: पेशकश की जा सकती है और इन्हें विशेष योजना (आप्रेशन विजय कारगिल) कारगिल आबंटितियों, विवेकाधीन कोटा योजना, संग्रह निधि योजना और इसी क्रम में विपणन योजनाओं में यथा निर्धारित अन्य श्रेणियों के अंतर्गत लंबित आशय पत्र धारकों को सौंपा जा सकता है। शेष अस्थाई कोकोज, यदि कोई हों, को विज्ञापनों और पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार के माध्यम से पारदर्शी ढंग से नियमित डीलरशिपों में परिवर्तित किया जायेगा।

तूतिकोरिन रेल उपरिपुल

1334. श्री एम. अप्पादुरई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतिकोरिन रेल उपरिपुल का निर्माण कार्य रोक/स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त उपरिपुल के निर्माण को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। उप संरचना तैयार है। धीमी प्रगति के कारण अधि संरचना के कार्य का ठेका रद्द करना पड़ा। अब ठेके दिये गये हैं और कार्य प्रगति पर है।

(ख) जून, 2007 तक रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा होने की संभावना है।

भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स के लिए पुनरूद्धार पैकज

1335. **श्री चाडिगा रामकृष्णा** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स (बीएचपीवी) के लिए पुनरूद्धार पैकेज की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बीएचईएल तथा ईआईएल ने भी बीएचपीवी की सहायता का उत्तरदायित्व लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार, भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) के पुनरूद्धार के प्रयास कर रही है और दिनांक 21.10.2005 को एक पुनरूद्धार पैकेज प्रारंभ में ही लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस बीच भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने बीएचपीवी में अभिरुचि दर्शायी तथा सरकार से कंपनी का अध्यवसाय अध्ययन करने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकृत कर दिया गया है। ये कंपनियां बीएचपीवी का अध्ययवसाय अध्ययन कर रहीं हैं।

दिनांक 26.05.2006 को बीआरपीएसई ने बीएचपीवी के पुनरूद्धार प्रस्ताव पर विचार किया तथा निदेश दिया कि अध्यवसाय अध्ययन की रिपोर्ट की प्राप्ति पर एक पुनरूद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। इन कंपनियों से एक बार अध्यवसायी अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर बीआरपीएसई को इस संबंध में सिफारिश करने के लिये अनुरोध किया जायेगा।

तटरक्षक बल का सुदृढ़ीकरण

1336. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के तटरक्षक बल का सुदृढ़ीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तटरक्षक बल को प्रदान किये जाने वाले प्रस्तावित हथियारों तथा अन्य उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के समुद्र तट को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए वायु तथा समुद्र चौकसी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) भारतीय तटरक्षक की नफरी में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है जिसे, संगठन द्वारा किए जाने हेतु अपेक्षित, चिन्हित भूमिकाओं के अनुसार किया जाता है। इस समय, तटरक्षक की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए नई परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति की जा रही है।

(ग) और (घ) नए तटरक्षक स्टेशनों की स्थापना करके तथा विभिन्न प्रकार के प्लेटफार्म/पोत शामिल करके देश की तट-रेखा तथा द्वीपीय क्षेत्रों की निगरानी में वृद्धि की गई है। अधिग्रहण की जाने वाली कुछेक मदों में उन्नत अफ्तटीय गश्ती पोत, तीव्र गश्ती पोत, हेलिकॉप्टर आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

सीमाओं पर गोलाबारी की घटनाएं

1337. **श्री रघुराज सिंह शाक्य** :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर हुई गोलाबारी की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन घटनाओं में कितने नागरिक तथा सैनिक मारे गए एवं घायल हुए तथा कितने माल का नुकसान हुआ;

(ग) प्रभावित ग्रामीणों के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) इन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जान एवं माल की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) पिछले छह माह के दौरान पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी की कोई घटना नहीं हुई है। तथापि, भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश राइफल की सैन्य टुकड़ियों ने एक बार 9 अगस्त, 2006 को सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ), सीमा बाह्य चौकियों (बी ओ पी)/ भारतीय गांवों पर भारी फायरिंग एवं गोलाबारी की थी। सीमा सुरक्षा बल की सैन्य टुकड़ियों ने उक्त फायरिंग का समुचित जवाब दिया। सीमा सुरक्षा बल का कोई कार्मिक हताहत नहीं हुआ। तथापि, इस दुर्घटना में दो महिलाओं के मारे जाने और एक बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की रिपोर्ट मिली थी। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का सीमा सुरक्षा बल के पास कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय सिविलियन मकानों पर फायरिंग करने के लिए बांग्लादेश के प्राधिकारियों के यहां कड़ा विरोध दर्ज कर दिया गया था। इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और बांग्लादेश के समकक्ष अधिकारियों के बीच ध्वज बैठकें भी की गई थीं।

सशस्त्र सेना मुख्यालय संवर्ग की समीक्षा

1338. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय संवर्ग की स्थापना के 37 वर्ष हो चुके हैं; लेकिन इस संवर्ग के संदर्भ में आज की तिथि तक कोई समीक्षा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संवर्ग की शीघ्र समीक्षा और पुनर्निर्धारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के समूह "क" के पदों की समीक्षा 1986 में की गई थी।

(ग) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा की पुनर्संरचना करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2005 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। अंतरमंत्रालयी परामर्श चल रहा है।

[अनुवाद]

मिग-20 युद्धक विमान का निर्माण

1339. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार रुस के सहयोग से मिग-20 युद्धक विमान का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो रुस के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) आर डी-33 एम के जेट इंजन की रुस से आयात लागत की तुलना में उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आर डी-33 एम के इंजन का उत्पादन करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

बिलासपुर चक्रभाटा के लिए विमान सेवा

1340. **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिलासपुर चक्रभाटा के लिए विमान सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इंडियन एयरलाइंस की बिलासपुर के लिए विमान सेवा आरंभ करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, बिलासपुर हवाईअड्डा प्रचालनात्मक नहीं है तथा इस हवाईअड्डे से होकर प्रचालन करने के लिए किसी भी अनुसूचित एयरलाइन ऑपरेटर ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है।

(ख) जी, हां।

(ग) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से एक एडवोकेट ने उनकी महिला डाक्टर ग्राहक की ओर से एक नोटिस भेजा है जिसमें इस मंत्रालय से उड़ानों की संख्या बढ़ाने, इस समय अनुपलब्ध सुविधाओं को आरंभ करने तथा दो महीनों के अंदर चक्रभाटा रनवे के विकास को सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

(घ) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित, देश के विभिन्न क्षेत्रों के विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। तथा यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यात्री मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर, विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रचालित करे। इस प्रकार एयरलाइनें, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर, देश में किसी भी स्थान के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है।

प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष

1341. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में उत्खनन में कई सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं जैसा कि 09 अक्तूबर, 2006 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआहै;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर पुरानी सभ्यताओं के ऐसे अवशेष पाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे अवशेषों की चोरी की सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। हाल के उत्खननों में भिर्राना (हरियाणा), बरोर तथा तरखनवाला डेरा (राजस्थान), जूनी कुरान तथा धोलावीरा (गुजरात) तथा सनौली (उत्तर प्रदेश) में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सनौली, जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) में उत्खनित स्थल से एक टूटी हुई तांबे की चूड़ी गायब पाई गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी है जो इसकी जांच कर रही हैं।

नए विमानपत्तनों की स्थापना संबंधी आयोग

1342. **श्री बापू हरी चौरे :**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में नए विमानपत्तनों की आवश्यकता के मद्देनजर नए विमानपत्तनों को अनुमोदन देने हेतु एक नया तंत्र अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक आयोग गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हुबली विमानपत्तन का उन्नयन

1343. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुबली विमानपत्तन से कितने विमान उड़ान भरते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हुबली विमानपत्तन का उन्नयन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्य कब तक किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इस समय, एयर डेक्कन हुबली से रोजाना दो उड़ाने प्रचालित करती है

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कर्नाटक राज्य सरकार ने इस हवाईअड्डे पर रनवे तथा सम्बद्ध सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए नि:शुल्क तथा सभी देयताओं से मुक्त 390 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। इस विकास योजना को अंतिम रूप दिये जाने तथा शुरू किये जाने का कार्य राज्य सरकार से अपेक्षित भूमि प्राप्त होने तथा इस हवाईअड्डे से उच्चतर श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए अनुसूचित एयरलाइनों से मांग प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

रेलवे में मुकदमें

1344. श्री पी. करुणाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि मुकदमों के कारण बहुत से रेलवे कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मुकदमों के क्या कारण है; और

(ग) ऐसे मुकदमों के तीव्र निपटान के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मैंगलोर से शोरनूर के बीच रेल ऊपरि पुल

1345. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगलोर से शोरनूर स्टेशनों के बीच निर्माणाधीन रेल ऊपरि पुलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नन्दी रेलवे ऊपरि पुल का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 10 ऊपरि सड़क पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिनमें से 6 पुल पहले ही पूरे हो चुके हैं तथा 4 पुलों का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त शेष 20 पुलों का कार्य योजना-स्तर पर है।

(ख) जी हां।

(ग) नन्दी ऊपरी सड़क पुल का कार्य एकल एजेंसी के रूप में मेसर्स रोड्स एवं ब्रिजेज डिवेलपमेंट कार्पोरेशन, केरल (मैसर्स आर.बी.डी.सी.के.) द्वारा किया जा रहा हैं कार्य प्रगति पर हैं सम्पर्क मार्ग हिस्से का पहला भाग पूरा हो चुका है तथा दूसरे का कार्य प्रगति पर है। संपर्क मार्ग का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात्, रेलवे के हिस्से का कार्य मेसर्स आर.बी.डी.सी. के द्वारा किया जाएगा।

(घ) कार्य के मार्च, 2007 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

रेलवे की नई विज्ञापन नीति

1346. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए नई विज्ञापन नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे का विचार विभिन्न रेल जोनों में स्थित पर्यटन स्थलों के प्रचार हेतु इन वाणिज्यिक विज्ञापनों में कुछ स्थान निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल, हाल ही में राजस्व को बढ़ाने के लिए

कुछ आशोधन किए गए हैं और अब पूरे मंडल और गाड़ी के समुचित विज्ञापन अधिकार एक ही फर्म को दिए जा सकते हैं। इस योजना को पायलट परियोजना के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षेत्रीय रेलों को भी वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए टिकटों, उद्घोषणाओं आदि जैसे क्षेत्रों का उपयोग करने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वाणिज्यिक विज्ञापन पर्यटन से संबंधित हो सकते हैं।

मुरादाबाद में विमानपत्तन का निर्माण

1347. **डा. शफीकुर्रहमान बर्क** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुरादाबाद में विमानपत्तन/विमानपट्टी का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पहाड़ी क्षेत्रों हेतु छोटे विमान का परिचालन

1348. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नियमित आधार पर देश के विभिन्न भागों विशेषकर हिमाचल प्रदेश में छोटे विमान (80 सीट वाले) की सेवाएं बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन सेवाओं का कब तक परिचालन किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ निजी आपरेटर पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं शुरू करने के बारे में इच्छुक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) क्षेत्रीय/छोटे हवाईअड्डों पर छोटे विमानों के प्रचालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार छोटे विमानों पर हवाईअड्डा प्रभारों, चुनिंदा हवाईअड्डों पर पार्किंग प्रभारों में रियायतें, टर्बोप्रॉप विमान के लिए एटीएफ पर कम कर, विदेशी पायलटों/इंजीनियरों को नियुक्त करने के लिए विनियमों में उदारीकरण उपलब्ध करा रही है। इनमें से कुछ उपायों से गौण शहरों तथा छोटे हवाईअड्डों के लिए सम्पर्कता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बहरहाल, प्रत्येक एयरलाइन अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर अपनी व्यापार योजना, मार्गों व दरों के निर्धारण के लिए मुक्त हैं। वर्तमान में एयर डेक्कन एटीआर-42 (50 सीट वाला) प्रकार के विमान द्वारा रोजाना दिल्ली-चण्डीगढ़-कुल्लू तथा वापसी मार्ग पर अनुसूचित विमान सेवा उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स जैगसन एयरलाइंस लि. यातायात मांग के आधार पर दिल्ली-कुल्लू-दिल्ली, दिल्ली-शिमला-दिल्ली तथा दिल्ली-गग्गल-दिल्ली सेक्टर पर भी प्रचालन उपलब्ध करा रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विमान परिवहन सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान यातायात सेवा के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का निर्धारण किया है। बहरहाल, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के दृष्टिगत विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराएं।

इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी दिशानिर्देशों को अनुपालन करने के अध्याधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पक्षियों के टकराने से हुई दुर्घटनाएं

1349. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** :
श्री दुष्यत सिंह :
श्री परसुराम माझी :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पक्षियों के टकराने से कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने ऐसे विमानपत्तनों की पहचान की है जहां पक्षियों से टकराने की आशंका अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्तमान वर्ष के दौरान एवं अक्तूबर, 2006 तक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को पक्षियों के टकराने की 142 घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने अहमदाबाद, हैदराबाद और वडोदरा हवाईअड्डों को, पक्षियों के टकराने की सबसे अधिक घटनाओं वाले हवाईअड्डों के रूप में अभिनिर्धारित किया है।

(घ) जिन हवाईअड्डों पर नामित उड़ानें प्रचालित की जाती हैं, वहां पक्षियों के आकर्षण के स्रोत ढूंढ़ने एवं ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपचारी कार्रवाई करने के लिए एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं। हवाईअड्डे के अंदर और बाहर पक्षियों के टकराने की घटनाओं को कम करने के लिए, स्थानीय प्राधिकरणों की मदद से भा.वि.प्रा. ने कूड़े के उचित निपटान, पानी इकट्ठा होने से रोकने, कूड़े के गड्ढों को ढ़कने, आधुनिक बूचड़खाने बनाने एवं पक्षियों को डराने/गोली मारने इत्यादि के लिए कदम उठाए हैं।

निजी कंपनियों द्वारा यात्री रेलगाड़ियों को चलाना

1350. श्रीमती जयाप्रदा :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार यात्री रेलगाड़ियां चलाने तथा अपने रेल इंजनों डिब्बों तथा पटरियों के निर्माण हेतु निजी कंपनियों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा रेलगाड़ियां चलाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या योजना की कार्यक्षमता के आकलन के लिए कोई व्यापक अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल डिब्बा कारखाना

1351. श्री राजनारायन बुधौलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल डिब्बा कारखाने के अनुसार डिब्बों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक रेल डिब्बा कारखानों द्वारा कितने डिब्बों का निर्माण किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) योजना के पूर्वानुमान के आधार पर उत्पादन इकाइयां सामान्यत: रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित अपने लक्ष्यों को पार कर चुकी हैं। बहरहाल, यातायात मांग में हाल ही के उछाल के कारण अब सवारी डिब्बों की कमी प्रत्याशा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल सवारी डिब्बा फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित सवारी डिब्बों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	आई.सी.एफ. (सवारी डिब्बा कारखाना)	आर.सी.एफ (रेल सवारी डिब्बा कारखाना)
2003-04	1070	1201
2004-05	1119	1201
2005-06	1175	1263

[अनुवाद]

रेल इंजनों का प्रतिस्थापन

1352. **श्री ए. साई प्रताप :**
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे रेल इंजनों की संख्या कितनी है, जो अपना समय पूरा कर चुके हैं; और

(ख) रेलवे द्वारा उनके प्रतिस्थान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 31.03.2006 को गतायु डीजल रेल इंजनों की संख्या निम्नानुसार है:-

बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
260	119	03

बिजली रेल इंजन -कोई नहीं।

(ख) गतायु रेल इंजनों के बदलाव की योजना चल स्टाक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर बनाई जाती है। बहरहाल, यह स्पष्ट किया जाता है कि जीवट आयु मात्र सांकेतिक होती है और इंजनों को वस्तुत: आयु एवं हालत के आधार पर नकारा घोषित किया जाता है। रेलवे यह सुनिश्चित करती है कि निर्धारित आयु पूरी करने के बाद भी जिन रेल इंजनों को चलाया जा रहा है, उन्हें यांत्रिक दृष्टि से अच्छी हालत में रखा जाए। किन्हीं भी परिस्थितियों में गाड़ी परिचालन के साथ समझौता नहीं किया जाता है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड को ओएनजीसी द्वारा उपकर का भुगतान

1353. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को उपकर के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा उपकर की उक्त धनराशि का किस प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया; और

(ग) बोर्ड इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना सफल हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) ओएनजीसी केन्द्र सरकार को उपकर का भुगतान करती है। वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान उसने केन्द्र सरकार को उपकर के रूप में 11941.53 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) को किसी प्रकार की उपकर राशि का आवंटन नहीं किया है। पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तेल उद्योग के विकास कार्यक्रमों में लगे संगठनों के लिए ओआईडीबी द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

यात्रियों हेतु इलेक्ट्रानिक पहचान पत्र

1354. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुरक्षा कारणों से घरेलू उड़ानों के यात्रियों हेतु इलेक्ट्रानिक पहचान पत्र जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एयर इंडिया की आय

1355. **श्री ब्रजेश पाठक :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया गया;

(ख) एयर इंडिया को उन देशों को अपनी उड़ानों से अर्जित वार्षिक आय का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उड़ानों के माध्यम से एयर इंडिया के वार्षिक व्यय का व्यौरा क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान एअर इंडिया ने कुल 9184 अंतरराष्ट्रीय उड़ाने प्रचालित की थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) एअर इंडिया द्वारा 2005-06 के दौरान किए जाने वाला प्रचालनिक व्यय 9233.30 करोड़ रुपए था।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रशिक्षण

1356. **श्री के.एस. राव :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए जाने वाले अवसरों के संबंध में प्रधान मंत्री जी को दिए गए आश्वासनों हेतु उसके द्वारा तैयार की गई आचार संहिता के मसौदे में क्या वादा किया गया है;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उद्यमशीलता तथा दक्षता बढ़ाने के लिए उद्योग द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की प्रकृति किस प्रकार की होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक इकाइयों में मानव संसाधनों की आंतरिक लेखा परीक्षा के विनियमन तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लाभ के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योग को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के विस्तार हेतु बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) दो औद्योगिक घरानों ने अपने सदस्यों को सकारात्मक कार्रवाई संबंधी एक आचार-संहिता परिचालित की है। प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 9 अक्टूबर, 2006 को एक समन्वय समिति गठित की गई जो सार्थक राष्ट्रीय संवाद सुनिश्चित करने के लिए जारी प्रयासों को आगे बढ़ाएगी और उनमें अभिवृद्धि करेगी ताकि यह एक समयबद्ध कार्रवाई कार्यक्रम हो सकेगा।

मैसूर विमानपत्तन का विकास

1357. **श्री सी.एच. विजयशंकर :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर विमानपत्तन विकास परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त विमानपत्तन के कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) द्वारा मैसूर हवाईअड्डे पर बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य 69.3 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शुरू किया जाना है। निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा कार्य दिसम्बर, 2006 तक अवार्ड किए जाने की संभावना है। कार्य दो वर्ष के अन्दर पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

पार्श्वनाथ में रेल आरक्षण काउंटर

1358. **श्री टेक लाल महतो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा दिल्ली-गया-गोमो रेलवे लाइन पर पार्श्वनाथ रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे आरक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय में तैनात पूर्णकालिक तथा अंशकालिक कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके दैनिक कार्य घंटे कितने है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल पर तीर्थयात्रियों को आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर आरक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां, पार्श्वनाथ (पारसनाथ) रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केन्द्र कार्यरत है।

(ख) पारसनाथ पर प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर) 0800 बजे से 1400 बजे तक एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर परिचालित है। इस केन्द्र पर एक पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक तैनात है।

(ग) आरक्षण सुविधाओं के संवर्द्धन और जैन तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु, रेलवे ने मधुबन में कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एफ) शुरू की है जो जैन तीर्थ स्थल के काफी समीप है।

[अनुवाद]

टर्मिनल सुविधाएं

1359. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न जोनों में उपलब्ध टर्मिनल सुविधाएं असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुछ जोनों में टर्मिनल सुविधाओं में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो जोनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) यात्रियों और माल यातायात की बेहतर सम्हलाई के लिए मौजूदा टर्मिनलों में निरंतर सुधार किया जाता है। टर्मिनल सुविधाओं के संवर्धन के लिए प्रस्तावों, का आवश्यकता के आधार पर निर्माण संबंधी कार्यक्रम में मूल्यांकन और स्वीकृत किया जाता है।

(ग) 2006-07 की पिंक बुक में स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा (लोक सभा में रेल बजट के साथ-साथ प्रस्तुत) इस प्रकार है:-

क्षेत्रीय रेलवे	निर्माण कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	2006-07 के लिए कुल परिव्यय (करोड़ रुपए में)
मध्य रेलवे	9	188.7946	12.7416
पूर्व रेलवे	37	225.2424	32.4645
पूर्व मध्य रेलवे	16	47.8350	14.6928
पूर्व तट रेलवे	17	53.7524	15.8826
उत्तर रेलवे	28	297.8588	20.51.31
उत्तर मध्य रेलवे	5	10.0188	2.9593
पूर्वोत्तर रेलवे	6	100.2635	8.5535
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	11	42.1155	14.8804
उत्तर पश्चिम रेलवे	3	21.1200	2.2000
दक्षिण रेलवे	14	86.9635	8.1254
दक्षिण मध्य रेलवे	9	58.4597	10.7020
दक्षिण पूर्व रेलवे	10	41.9801	15.6216
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	9	18.7809	7.8562
दक्षिण पश्चिम रेलवे	4	28.0553	2.8994
पश्चिम रेलवे	12	114.7695	8.6783
पश्चिम मध्य रेलवे	10	21.4861	8.4022

राजकोट विमानपत्तन

1360. डा. वल्लभ भाई कथीरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) का विचार राजकोट विमानपत्तन के उन्नयन हेतु रेलवे प्राधिकरण से भूमि अधिगृहीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्राधिकरण ए ए आई को भूमि देने को राजी हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा राजकोट विमानपत्तन पर उन्नयन का कार्य कब तक पूरा करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) ने रेलवे प्राधिकारियों को रनवे के विस्तार के लिए 14.7 हेक्टेयर, रेलवे की भूमि के स्थानान्तरण हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। ए ए आई और रेलवे प्राधिकारी भूमि की कीमत के संबंध में वार्ता कर रहे हैं।

(घ) स्तरोन्नयन का कार्य, रेलवे प्राधिकारी द्वारा ए ए आई को अपेक्षित भूमि सौंपे जाने तथा राज्य सरकार द्वारा राजकोट-जामनगर राजमार्ग के परिवर्तन के बाद आरंभ होगा।

अनुकंपा के आधार पर नौकरियां

1361. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आए भूकंप में मारे गए सैन्यकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नौकरियां कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) मौजूदा नीति के अनुसार, जांच समिति द्वारा अनुमोदित समूह "ग" और "घ" की सीधी भर्ती की 5% रिक्तियां, सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए सिविलियनों और सेना कार्मिकों, दोनों, के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के जरिये भरे जाने के लिए उपलब्ध हैं।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त होने वाले सभी अनुरोधों, जिनमें जम्मू और कश्मीर में हाल ही के भूकंप में मारे गए सेना कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के अनुरोध भी शामिल हैं, पर निम्नलिखित शर्तें पूरी किए जाने के अध्यधीन विचार किया जाता है:-

(i) परिवार निर्धन हो तथा वित्तीय अभाव से राहत के लिए तत्काल सहायता के योग्य हो।

(ii) इस प्रयोजनार्थ नियमित रिक्तियां उपलब्ध हों।

(iii) उम्मीदवार के पास पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हताएं और अनुभव हो।

(iv) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सामान्यतया तीन साल बीत जाने पर नहीं दी जाती है।

गुजरात में पुलों का निर्माण

1362. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई म्राडम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित किए गए रोड ओवर ब्रिज तथा अंडर ब्रिज का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में चालू वर्ष के दौरान तथा अगले वर्ष कितने रोड ओवर ब्रिज तथा अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) साबरमती और गांधीधाम के बीच समपार सं. 11 के बदले एक निचले सड़क पुल का कार्य पिछले तीन वर्षों के दौरान 2004-05 में पूरा किया गया है।

(ख) ऊपरी सड़क पुल के एक कार्य पर निर्माण 2006-07 के दौरान शुरू किया जाएगा तथा अगले वर्ष 7 निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे।

[हिन्दी]

दिल्ली में सीएनजी फिलिंग स्टेशन

1363. **चौधरी मुनव्वर हसन**
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के कितने फिलिंग स्टेशन हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फिलिंग स्टेशनों पर लंबी कतारें लगती हैं तथा सीएनजी भरवाने के लिए वाहनों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर सीएनजी सुविधा प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार दिल्ली में और सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की स्थापना करने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) दिल्ली में 144 सीएनजी भरण केन्द्र हैं।

(ख) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और तेल विपणन कंपनियां पूरी दिल्ली में सुविधाजनक सीएनजी ईंधन उपलब्ध करा रहीं हैं। तथापि, पंक्तियां सामान्यत: गैर-बस वाहनों के लिए प्रात:काल और सायं काल में व्यस्ततम कार्यालय आने-जाने के घंटों के दौरान और बस वाहनों के लिए रात्रि के दौरान बनी हुई दिखाई देतीं हैं। यह सीएनजी वाहनों की संख्या में हालिया वृद्धि तथा ग्राहकों द्वारा वाहनों को एक विशेष समय भरवाने का अधिमान दिए जाने के कारण है।

(ग) और (घ) कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) अतिरिक्त सीएनजी केन्द्र स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना आईजीएल द्वारा तैयार की गई है। कंपनी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त भूमि के लिए अनुरोध किया है तथा इन एजेंसियों के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या क्रमश: 29, 5, 4 और 1 है।

सामान्यतया, किसी नए सीएनजी केन्द्र की स्थापना में भूमि का आबंटन किए जाने और इसका कब्जा लिए जाने के बाद लगभग 8 से 9 महीने लगते हैं। तथापि, अंतराली अवधि में आईजीएल मौजूदा बुनियादी ढांचे में वृद्धि करके और नए ओएमसी खुदरा केन्द्र खोल कर कुछ सीमा तक भीड़ की समस्या पर नियंत्रण पाने के प्रयास कर रही है।

मुंबई की रेलगाड़ियों में हुए बम विस्फोटों के पीड़ितों को मुआवजा

1364. **श्री विजय कृष्ण :**
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मुंबई की रेलगाड़ियों में हुए बम विस्फोटों के पीड़ितों को मुआवजा देने की कोई घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा घोषित मुआवजे को पीड़ितों तथा उनके परिवारों में वितरित किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कितने लोगों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है; और

(ङ) उन्हें मुआवजा देने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल दुर्घटनाओं तथा बम विस्फोट जैसी अन्य अप्रिय घटनाओं के पीड़ित रेल यात्रियों को मुआवजा देने के लिए रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पहले से ही व्यवस्था मौजूद है। मुआवजे के रूप में दी जाने वाली अधिकतम राशि इस प्रकार है:

मृत्यु होने पर : 4 लाख रुपए

घायल होने पर : 32,000 रु. से 4 लाख रु. (चोट की गंभीरता पर आधारित)

(ख) से (घ) पीड़ित द्वारा या मृत यात्री के आश्रितों द्वारा रेल दावा अधिकरण में दावा दायर करने के बाद डिक्री मिलने पर ही मुआवजे का भुगतान किया जाता है। 23.11.2006 तक 272 मुआवजे

के दावे दायर किए गए हैं। अधिकरण द्वारा अभी तक किसी भी दावे में डिक्री प्रदान नहीं की गई है। बहरहाल, रेलवे ने संवर्धित दरों पर अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

वर्गीकरण	मामलों की संख्या	मुआवजा दिए गए मामलों की संख्या	अनुग्रह राशि की दर	भुगतान की गई राशि (करोड़ रु. में)	लंबित मामलों की संख्या	देरी के कारण
मृत्यु	187	186	5 लाख रु.	9.30	1	मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी।
गंभीर रूप से घायल	540	531	50 हजार रु.	2.65	9	घायल का पता उपलब्ध नहीं है।
मामूली रूप से घायल	327	315	10 हजार रु.	0.315	12	-वही-
कुल	1054	1032	—	12.265	22	

(ङ) मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) दावाकर्ताओं को दावा आवेदन फार्म बांट दिए गए हैं और रेल द्वारा अधिकरण में दावा दायर करने के लिए आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा रही है।

(ii) दावाकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए बोरीवली, माटुंगा रोड, माहीम, जोगेश्वरी आदि स्टेशनों पर बूथ खोले गए थे।

(iii) मुंबई सीरियल बम विस्फोट के मुआवजा मामलों पर विशेष रूप से कार्रवाई करने के लिए मुंबई में एक विशेष पीठ का गठन किया गया है।

(iv) रेलवे को यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श दिया गया है कि डिक्री मिलने के 15 दिनों की अवधि में ही दावाकर्ताओं को चैक जारी करके भेज दिए जाएं।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों का सांविधिक बकाया

1365. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों के कर्मचारियों के लम्बित वेतन/बोनस को अब तक जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उसकी क्षतिपूर्ति हेतु सूचकांक समीक्षा समिति की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के सांविधिक बकाया के भुगतान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से उनके अपने संसाधनों में से अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से मजूरी/वेतन के भुगतान की अपेक्षा की जाती है। तथापि, जब वे पर्याप्त संसाधन जुटाने में असमर्थ रहते हैं, सरकार कभी-कभी मजूरी/वेतन के भुगतान के लिए उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को गैर-योजना ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ) सरकार ने दिनांक 17.11.2006 के आदेश के माध्यम से औद्योगिक कर्मचारी (सीपीआई-आईडब्ल्यू) नई श्रृंखला

(आधार 2001) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक गैर-सांविधिक निकाय, सूचकांक समीक्षा समिति गठित की है।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने 35 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के 81978 कर्मचारियों के लिए वेतन तथा मंजूरी तथा सांविधिक देयताओं के भुगतान के लिए 2024.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

इंडियन एयरलाइंस की निजी विमान कंपनियों से स्पर्धा

1366. श्री काशीराम राणा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु क्षेत्र में इस समय कितने निजी आपरेटर परिचालन में हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को निजी विमान कंपनियों से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ है;

(ग) क्या निजी विमान कंपनियों के कारण इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों की संख्या में कमी आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो और यात्रियों को आकर्षित करने हेतु इंडियन एयरलाइंस द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्तमान में, देश में एक कार्गो एयरलाइन सहित 9 निजी अनुसूचित एयरलाइनें प्रचालन कर रही है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) जहां नई निजी अनुसूचित यात्री एयरलाइनों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है तथा मौजूदा व नई अनुसूचित यात्री एयरलाइनों द्वारा यात्री क्षमता में व्यापक वृद्धि किए जाने से इंडियन एयरलाइंस के बाजार हिस्सेदारी में कमी आई है, वहीं इंडियन एयरलाइंस में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। बाजार हिस्सेदारी में आई इस कमी को दूर करने के लिए इंडियन एयरलाइंस 43 नए विमानों को शामिल करके तथा विमानों को पट्टे पर लेकर अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही है। साथ ही साथ इंडियन एयरलाइंस बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अपने कार्यनिष्पादन तथा छवि को सुधारने के निरन्तर प्रयास कर रही है। इस ओर उठाए गए कुछ कदम हैं:- उत्पाद एवं सेवा स्तरोन्नयन, इन-फ्लाइट पहल, बेड़े में वृद्धि नवीकरण, विमान के भीतर के वातावरण में सुधार, निगमित पहचान को नया रूप देना। इंडियन एयरलाइंस ने प्रतिस्पर्धा में बने रहने तथा अपने मार्गों पर यातायात में सुधार के लिए विभिन्न प्रोत्साहन किराया/योजनाएं भी आरंभ की हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली से सहारनपुर के बीच प्लेटफार्मों का अभाव

1367. श्री रशीद मसूद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से सहारनपुर वाया शामली मार्ग पर अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर कोई प्लेटफार्म नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा प्लेटफार्मों के निर्माण हेतु क्या उपाय किए जा रहे है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-अधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जनजातियों की सूची

1368. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक गैर-अधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के समुदाय की कोई सूची घोषित की है अथवा उसे अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में गैर-अधिसूचित खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जनजातियों हेतु विशेष बजट प्रावधान का मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रेलवे को नोटिस

1369. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मध्य और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधकों को मेन लाइन और उपनगरीय स्टेशनों को स्वच्छ रखने में विफल रहने पर कारण बताओं नोटिस जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मुंबई में स्टेशनों और मेनलाइन को स्वच्छ रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) मुंबई में स्टेशनों के रखरखाव और मुख्य लाइन को साफ सुथरा रखने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं जैसा कूड़ेदानों की व्यवस्था करना ताकि समीपस्थ चिन्हित कूड़े वाले स्थानों के कूड़े का सही ढंग से निपटान हो सके, रेल यात्रियों को शिक्षा देने के लिए लाउडस्पीकरों के माध्यम से नियमित रूप से घोषणाएं देना, मुख्य स्टेशनों पर कूड़ा उठाने का ठेका दिया जाना, सफाईवालों के विशेष दस्ते के साथ-साथ मशीनों द्वारा रेल पटरियों की सफाई करना। चरणबद्ध आधार पर महत्वपूर्ण स्टेशनों पर धुलाई लाइन की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा, रेल अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण भी किए जा रहे हैं ताकि कमजोर क्षेत्रों की मानीटरिंग की जा सके तथा उन्हें पहचाना जा सके और जब कभी अपेक्षित हो निवारात्मक उपाय किए जा सकें।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में संस्कृति को बढ़ावा

1370. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में संस्कृति की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ किए गए कुछेक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

महाराष्ट्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र तथा दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र में एक भागीदार राज्य है। ये दोनों जेड सी सी नियमित रूप से अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ महाराष्ट्र के लोक नृत्य और संगीत परम्पराओं के संरक्षण के कार्यक्रम शामिल हैं।

महाराष्ट्र राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में केन्द्रीकृत रूप से संरक्षित 285 स्मारक हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में केन्द्रीकृत रूप से संरक्षित स्मारकों पर निम्नलिखित व्यय किया गया है :

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रु. में)
2003-04	536.53
2004-05	448.04
2005-06	516.25

"क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण" हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम भी चलाई जा रही है। गत तीन वर्षों में इस स्कीम के तहत् महाराष्ट्र राज्य को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रु. में)
1	2
2003-04	11.65

1	2
2004-05	16.23
2005-06	25.85

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन तथा सेवा संवर्धन हेतु सहायता प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के दौरान इस पर खर्च की गई राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रु. में)
2003-04	91.30
2004-05	193.89
2005-06	203.43

नांदेड़, महाराष्ट्र में एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर स्थापित करने के उपाय शुरू किए गए हैं।

राज्य से समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय की विभिन्न अन्य स्कीमों के तहत् सहायता जारी करने पर भी विचार किया जाता है।

यूनेस्को की इको-सिटी प्रोजेक्ट में शहरों को सम्मिलित किया जाना

1371. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के कुछ शहरों को यूनेस्को की इको-सिटी प्रोजेक्ट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त इको-सिटी प्रोजेक्ट में इन शहरों को सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास यूनेस्को का कोई इको-सिटी प्रोजेक्ट नहीं है। तथापि, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय इको-सिटी प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन कर रहा है जो यूनेस्को से संबंधित नहीं है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने नीचे दिए गए छह चुने हुए लघु तथा मध्यम शहरों में इको-सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं :

1. वृंदावन (उत्तर प्रदेश)
2. उज्जैन (मध्य प्रदेश)
3. पुरी (उड़ीसा)
4. तिरूपति (आंध्र प्रदेश)
5. तंजावूर (तमिलनाडु)
6. कोट्टयम (केरल)

इको-सिटी प्रोजेक्ट का समग्र उद्देश्य भागीदारी प्रक्रिया (अप्रोच) के माध्यम से पर्यावरण संबंधी समस्याओं की पहचान करना, प्राथमिकताप्राप्त पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का डिजाइन और ब्यौरा तैयार करना तथा पर्यावरण संबंधी लक्ष्य तय करना है जो चुने हुए नगरों तथा शहरों में स्पष्ट पर्यावरणीय सुधार को दर्शाएं। लगभग 15 करोड़ रुपए के कुल बजट से यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

कंक्रीट स्लीपर संयंत्र

1372. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का विचार 15 नए कंक्रीट स्लीपर संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई कंक्रीट स्लीपर संयंत्र कर्नाटक में स्थापित किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) देश में कंक्रीट स्लीपर संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित स्थानों की पहचान की गई है:

(i) चाक सिकंदर (पूर्व मध्य रेलवे)

(ii) दाउराम माधेपुरा (पूर्व मध्य रेलवे)

(iii) वेना (पूर्व मध्य रेलवे)

(iv) सीतामढ़ी (पूर्व मध्य रेलवे)

(v) रोजा (उत्तर रेलवे)

(vi) सुल्तानपुर (उत्तर रेलवे)

(vii) दिलवान (उत्तर रेलवे)

(viii) कचुआ (उत्तर रेलवे)

(ix) औनरीहार (पूर्वोत्तर रेलवे)

(x) भांगा (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)

(xi) पालघाट (दक्षिण रेलवे)

(xii) बिटरागुंटा (दक्षिण मध्य रेलवे)

(xiii) हरिहर (दक्षिण पश्चिम रेलवे)

(xiv) मंदागेरे (दक्षिण पश्चिम रेलवे)

(xv) येलहंका (दक्षिण पश्चिम रेलवे)

(ग) जी हां।

(घ) कर्नाटक में निम्नलिखित स्थानों पर तीन कंक्रीट स्लीपर संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया गया है:

(i) हरिहर (दक्षिण पश्चिम रेलवे)

(ii) मंदागेरे (दक्षिण पश्चिम रेलवे)

(iii) येलहंका (दक्षिण पश्चिम रेलवे)

(ङ) निविदा शर्तों के अनुसार, नये स्लीपर संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक आर्डर दिए जाने के बाद 18 माह का समय दिया जाएगा। 13 संयंत्र स्थापित करने हेतु निविदा अंतिम चरण पर है और चाक सिकंदर एवं दाउराम माधेपुरा, 2 संयंत्रों का काम चल रहा है।

'वीजा आन अराइवल स्कीम'

1373. श्री एस.के. खारवेनबन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में पर्यटन के विकास हेतु किसी 'वीजा आन अराइवल' योजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने चुनिंदा देशों के लिए वीजा आन अराइवल स्कीम के संबंध में एक प्रस्ताव किया था। गृह मंत्रालय ने मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य के कारण इस योजना के लिए अपनी सहमति नहीं दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल विकास निगम लि. के अंतर्गत रेल परियोजनाएं

1374. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विकास निगम लि. के अंतर्गत चालू परियोजनाओं की सूची क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं (परियोजनावार) की अनुमानित लागत कितनी है और इन परियोजनाओं हेतु आज तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं को लक्षित अवधि के भीतर पूरा करने के लिए कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य की तारीख का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक परियोजना की कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चालू परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है

क्र. सं.	परियोजना का नाम और योजनाशीर्ष	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	मार्च, 2006 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)	परिव्यय 2006-07 (करोड़ रु. में)	स्थिति और लक्ष्य जहां-कहीं निर्धारित किया गया हो
1	2	3	4	5	6
1.	पनवेल-जसई जे एन पी टी दोहरीकरण	53.25	22.62	8	कार्य पूरा हो चुका है।
2.	दीवा-कल्याण 5वीं छटी लाइन का दोहरीकरण	70	48.7	5.5	मिट्टी संबंधी कार्य, ब्लैंकटिंग छोटे पुल, रेलपथ संपर्क, गिट्टी आपूर्ति के कार्य शुरू हो चुके हैं। समग्र वास्तविक प्रगति 74%. लक्ष्य: 2006-07
3.	पंकनी-सोलापुर लाइन का दोहरीकरण	38.52	7.01	20.5	मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे पुल, बड़े पुल, ब्लैंकटिंग, रेलपथ संपर्क, गिट्टी आपूर्ति के कार्य शुरू हो चुके हैं। समग्र वास्तविक प्रगति 95%. कार्य: 2007-08 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
4.	पकनी-महोल लाइन का दोहरीकरण	42.73	10.08	30.01	मिट्टी संबंधी कार्य, ब्लैंकटिंग, छोटे पुल, रेलपथ संपर्क, गिट्टी आपूर्ति के कार्य शुरू हो चुके हैं। समग्र वास्तविक प्रगति 25%. लक्ष्य: 2007-08।
5.	बरौनी-तिलरथ लाइन का दोहरीकरण	15.37	12.52	2.36	बरौनी बाईपास लाइन को छोड़कर, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, बरौनी से तिलरथ कार्य पूरा हो चुका है।
6.	गुरप-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन	54.14	71.91	0.5	कार्य पूरा हो चुका और खोल दिया गया है।
7.	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	230.73	65	85.5	भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किया जा चुका है। लक्ष्य 2008-09।

1	2	3	4	5	6
8.	पलवल-भुतेश्वर तीसरी लाइन	214.68	0.01	150	मिट्टी संबंधी और पुलों का कार्य शुरू किया जा चुका है। लक्ष्य 2008-09।
9.	तुगलकाबाद-पलवल चौथी लाइन	83	0	10	आरेखण, अधिकल्प सहित प्रारंभिक कार्य शुरू किये जा चुके हैं।
10.	नई दिल्ली-तिलक ब्रिज पांचवी और छठी लाइन	53.14	22.01	14.5	मिट्टी संबंधी, पुलों के कार्य और प्लेटफार्म संभाल दीवार का कार्यशुरू किया जा चुका है। समग्र वास्तविक प्रगति 58%. छठी लाइन (3.4 कि.मी.) के 2006-07 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
11.	दिल्ली-रेवाड़ी दूसरी लाइन का आमान परिवर्तन	143.88	100	40	कार्य पूरा हो चुका है।
12.	अजमेर-फुलेरा-रिंगस-रिवाड़ी लाइन का आमान परिवर्तन	469.1	0.01	270	मिट्टी संबंधी, ब्लैंकटिंग, मिट्टी आपूर्ति कार्य शुरू किया जा चुका है। लक्ष्य: 2007-08।
13.	भिलड़ी-समदरी लाइन का आमान परिवर्तन	244.74	8.72	115	मिट्टी संबंध, छोटे पुल, बड़े पुलों का कार्य शुरू किया जा चुका है। समग्र वास्तविक प्रगति 30% लक्ष्य: 2007-08.
14.	रेनीगुंटा-गुंतकल रेल विद्युतीकरण	182.55	75.78	7	रेनीगुंटा और नंदालूर कमे बीच मौजूदा लाइन पर रेल विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है। समग्र प्रत्यक्ष प्रगति 38.73% है। नंदालुर-गुंतकल पर प्रारम्भिक कार्य शुरू किया गया है
15.	ओबुला अरिपल्ली-कृष्णापटनम नई लाइन	426.34	0	10	परियोजना के निष्पादन हेतु विशेष प्रयोजन योजना के सृजन के लिए कृष्णापटनम पोर्ट आंध्रप्रदेश सरकार, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और आर वी एन एल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शेयरधारक करार पर 13.10.2006 को हस्ताक्षर किए गए हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया हैं। संबंधित प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव दे दिया गया है लक्ष्य तिथि 2010-11

1	2	3	4	5	6
16.	रायचूर-गुंतकल लाइन का दोहरीकरण	145.81	0	57	एशियन डवलप्मेंट बैंक द्वारा वित्तपोषण के माध्यम से परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है। निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। 2007-08 में परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य है।
17.	गुटी-रेनीगुंटा लाइन दोहरीकरण का बालापल्ली-पुल्लमपेट फेज-1	85	84.02	1	कार्य पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
18.	गुटी-रेनीगुंटा लाइन का कही-कहीं दोहरीकरण	305.95	38.2	68.4	एशियन डवलप्मेंट बैंक द्वारा वित्तपोषण के माध्यम से परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है। पुलचेट-बकारपेट पर मिट्टी संबंध कार्य, बड़े पुलों, छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है। कुट्टापेट-मुद्दनुरू और कोंडापुरम-रायालाचेरूवु पर रोडबैड, पुलों और ट्रैक्स हेतु 7.7.2006 के ठेके दिए गए हैं। 30.6.2006 को सिगनल ठेके दिए गए हैं। कार्य शुरू किया गया है। परियोजना को 2008-09 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
19.	होस्पेट-गुंतकल दोहरीकरण	268.23	210.37	60	गुंतकल-तोरनागालू (81 कि.मी.) पूरा हो चुका है और चालू कर दिया गया है। तोरंगुलू-होस्पेट (32 कि.मी.) को 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य हैं।
20.	बिलासपुर-उरकुरा लाइन का दोहरीकरण	375.42	138.62	28.5	डागौरी-भाटापारा खंड चालू कर दिया गया है। शियन डवलप्मेंट बैंक द्वारा वित्तपोषण के माध्यम से भाटापारा-अंकुरू खंड का कार्य निष्पादित किया जा रहा है। आधार कार्यों हेतु ठेके दिए गए हैं। लक्ष्य 2008-09।
21.	तंजावुर-विल्लुपुरम लाइन का आमान परिवर्तन	231	94.3	100	तंजावुर-कुम्बाकोणम और कुम्बाकोणम-मेलादुत्तरी चालू कर दिए गए है। शेष खंड पर कार्य शुरू कर दिया गया है। 2007-08 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6
22.	कुट्टालोर-सलेम वाया वृद्धाचलन लाइन का आमान परिवर्तन	469.1	0.01	80	कार्य राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी (50:50) पर किया जा रहा है और आर वी एन एल द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। वृद्धाचलम-कुट्टालौर (57 कि. मी.) खंड पूरा हो चुका है और चालू कर दिया गया है। समग्र प्रगति 50% है। वृद्धाचेलम-सालेम का 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
23.	अट्टीपट्ट-कोरुक्कुपेट्टई तीसरी लाइन	70.56	37.55	21	कोरुक्कपेट-एन्नौर (6 कि.मी.) खंड का कार्य अंतिम चरण में है तथा 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एन्नौर-अट्टीपट्टु पर मिट्टी संबंधी तथा पुल संबंधी कार्य एन्नौर-क्रीक पुल का कार्य प्रगति पर है।
24.	पट्टाभिरम-तिरूवल्लूर चौथी लाइन और तिरूवल्लूर-अरक्कोणम तीसरी लाइन	71.94	36.9	28.5	पट्टाबिराम-तिरूवेल्लूर (16 कि.मी.) चौथी लाइन चालू कर दी गई है। तिरूवेल्लूर-अरक्कोणम तीसरी लाइन का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा निर्माण के लिए ठेका दे दिया गया है लक्ष्य: 2007-08।
25.	अरसीकेरे-हसन-मंगलोर लाइन का आमान परिवर्तन	417.45	326	0.01	कार्य पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
26.	गांधीधाम-पालनपुर लाइन का आमान परिवर्तन	344.62	226.95	65	कार्य पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
27.	भरूच-सामनी-दहेज लाइन का आमान परिवर्तन	165.66	0	10	अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफ एल एस) का कार्यपूरा हो गया है। परियोजना विशेष प्रयोजन योजना (एस पी वी) के तहत निष्पादित की जानी है जिसे अंतिम रूप दी जा रही है।
28.	दैतारी-बांसपानी नई लाइन	913.87	583.48	155.85	बांसपानी से क्योंझर (57.44 कि.मी.) खंड कार्य पूरा हो गया तथा चालू कर दिया गया है। क्योंझर-तोमका का कार्य अंतिम चरण में है लक्ष्य 2006-07।

1	2	3	4	5	6
29.	तलचेर-कटक-पारादीप (महानदी और बिरूपा पर दूसरा पुल) लाइन का दोहरीकरण	109.45	21.06	39.9	बिरूपा पर दूसरा पुल का कार्य पूरा हो गया है तथा महानदी पर दूसरा पुल का कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी कार्य, कंक्रीट का कार्य, वेल सिंकिंग तथा गर्डरों में संरचनात्मक स्टील का कार्य शुरू कर दिया गया है। समग्र वास्तविक प्रगति 32% है लक्ष्य 2008-09।
30.	खुर्दा रोड-बैरंग तीसरी लाइन	200.28	0.11	46.6	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। रोडबेड, बड़े पुलों, रेलपथ तथा ओ एच ई के लिए ठेका दे दिया गया है। लक्ष्य 2008-09।
31.	कटक-बैरंग लाइन का दोहरीकरण	127.13	0	40.15	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया हैं। रोडबेड, बड़े पुलों, रेलपथ तथा ओ एच ई के लिए ठेका दे दिया गया है। लक्ष्य 2008-09।
32.	अंगुल-ससुकीन्दा रोड नई लाइन	344	0.88	20	प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।
33.	रजतगढ़-बैरंग लाइन का दोहरीकरण	178.98	1.36	72.7	भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है। रोडबेड, बड़े पुलों, रेलपथ तथा ओ एच ई के लिए ठेका दे दिया गया है। एक बड़े पुल का कार्य पूरा हो गया है। लक्ष्य: 2008-09।
34.	हरिदासपुर-पारादीप नई लाइन	594.34	29.51	44	कार्य को हरिदासपुर-पारादीप रेलवे कंपनी लि. (एच पी आर सी एल) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। आर वी एन एल द्वारा एस पी वी की स्थापना की गई है। शेयरधारक सहमति पत्र 11.10.06 को हस्ताक्षरित किया गया है। महानदी की दीर्घकालिक कार्य तथा लूणा पुल का कार्यपहले से ही प्रगति पर है।
35.	खड़गपुर-भुवनेश्वर के साथ-साथ तलचेर-पारादीप लाइन का विद्युतीकरण	406.51	359.85	35	कटक-पारादीप को छोड़कर कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6
36.	टिकियापारा-संतरागाछी चौथी लाइन	46.79	7.51	22.5	मिट्टी संबंधी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। 2007-08 के दौरान पूरा होने की संभावना है
37.	भुवनेश्वर-कोट्टावलासा रेलवे विद्युतीकरण	322.71	288.97	4	कार्य पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है
38.	पंकुरा-हल्दिया फेज-1 का दोहरीकरण	35.02	28.68	0.5	कार्य पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है
39.	बिलासपुर पर पुल सहित सल्का रोड-अन्नापुर लाइन का दोहरीकरण साथ	319	0	11	कार्य को निष्पादित करने के लिए हाल ही में आर वी एन एल को हस्तांतरित कर दिया है।

जहां कहीं भी लक्ष्य निर्धारित हैं परियोजनाओं को लक्ष्यों के भीतर पूरा करने के लिए कदम उठाए गए है।

पंजाब में नई रेल लाइन

1375. **श्री अविनाश राव खन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार होशियारपुर (पंजाब) देश के अन्य भागों के साथ सीधा रेल संपर्क न होने के कारण पिछड़ा क्षेत्र बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे होशियारपुर से रेलवे लाइन को फगवाड़ा अथवा जैजोन दोआबा अथवा टांडा तक बढ़ाने की योजना बना रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) होशियारपुर, दिल्ली-जम्मू तवी के प्रमुख ट्रंक मार्ग पर स्थित जालंधर छावनी की बड़ी लाइन से जुड़ा हुआ है।

(ख) से (घ)प्रश्न नहीं उठता।

गोएनीव्हेयर ओयेस्टर कार्ड

1376. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लंदन के मेयर ने एक नई योजना की घोषणा की है जिसके द्वारा गोएनीव्हेयर ओयेस्टर कार्ड की रुपयों में बिक्री हेतु भारत में रखा जाएगा जिसके द्वारा पर्यटक और अन्य व्यक्ति विदेशी मुद्रा की बचत कर पाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का भी विचार विदेशी पर्यटकों को भारत आने हेतु आकर्षित करने के लिए इसी तर्ज पर एक योजना आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। ट्रांसपोर्ट फार लंदन (टीएफएल) ने विजिट ब्रिटेन टूरिज्म आर्गेनाइजेशन के साथ भागीदारी से एक इलेक्ट्रानिक स्मार्ट कार्ड की शुरूआत की है जिसके द्वारा पर्यटन, लंदन में अंडरग्राउंड अथवा बसों में यात्रा कर सकते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

आईबीपी द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप

1377. **श्री अधीर चौधरी** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान आईबीपी कंपनी लि. द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2002 की अपनी नीति के आधार पर राज्यवार कितने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप की नियुक्ति की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने सभी उपर्युक्त नियुक्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सभी चार कंपनियों विशेषकर आईबीपी द्वारा इस श्रेणी हेतु दी गई डीलरशिप के मामलों का सरकार द्वारा सम्मान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मुद्दे पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) आईबीपी कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 8.10.2002 की अपनी नीति के आधार पर वर्ष 2002-03 के दौरान कुल 307 (तीन सौ सात) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की नियुक्ति की गई। राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) से (घ)दिनांक 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) को वाणिज्यिक आजादी दी गई है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित कुछ बुनियादी प्राचलों के आधार पर डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन/समाप्ति के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश बना सकती हैं। तथापि, यदि इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के विरूद्ध सरकार को कोई शिकायत मिलती है, तो विद्यमान प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुसार मामले की जांच की जाती है।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान आईबीपी कंपनी लिमिटेड द्वारा नियुक्त खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2002-03 के दौरान आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
1	2	3
क.	**राज्य**	
1.	आंध्र प्रदेश	48
2.	बिहार	20
3.	गुजरात	30
4.	हरियाणा	34
5.	हिमाचल प्रदेश	01
6.	झारखंड	04
7.	कर्नाटक	13
8.	केरल	20
9.	मध्य प्रदेश	12
10.	महाराष्ट्र	19
11.	मेघालय	01
12.	उड़ीसा	01
13.	पंजाब	14
14.	राजस्थान	06
15.	तमिलनाडु	18
16.	उत्तरांचल	04
17.	उत्तर प्रदेश	49
18.	पश्चिम बंगाल	10
	कुल (क)	304
ख.	**संघ राज्य क्षेत्र**	
19.	दिल्ली	02
20.	पांडिचेरी	01
	कुल (ख)	03
	समग्र योग (क+ख)	307

चिकित्सा पर्यटन

1378. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री नवीन जिंदल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चिकित्सा पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि दर कितनी है;

(ग) चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) विदेश से उपचार हेतु बड़ी संख्या में व्यक्ति किस चिकित्सा पद्धति के कारण आकर्षित होते हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा पर्यटकों के भारत आगमन के बारे में अलग से सूचना एकत्र नहीं करता है।

(ग) देश में और अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोगसे पहले ही निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) भारतीय स्वास्थ्य देख-रेख परिसंघ, एक गैर सरकारी संगठन, जो भारतीय उद्योग परिसंघ से संबद्ध है, ने सरकार की सलाह से देश के चुनिंदा भारतीय अस्पतालों पर एक गाइड तैयार की है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य पर्यटन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। इसे मंत्रालय की वेबसाइट www.incredibleindia.org पर व्यापक प्रचार के लिए रखा गया है।

(ii) पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रोशर, सीडी और अन्य प्रचार सामग्री तैयार की गई है और इसे टार्गेट मार्किट में प्रचार के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

(iii) चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, लंदन और आईटीबी, बर्लिन जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iv) 'चिकित्सा वीजा' की एक नई श्रेणी की शुरूआत की गई है, जिसे डाक्टरी जांच के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को विशेष प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है।

(v) आयुर्वेदिक और पंचकर्मा केन्द्रो के प्रत्यायन के लिए दिशा-निर्देशों को, कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। इसके व्यापक प्रचार के लिए इसे पर्यटन मंत्रालय के वेबसाइट www.incredibleindia.org पर रखा गया है।

(vi) पर्यटन मंत्रालय के "अतुल्य भारत अभियान" के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में योग/आयुर्वेद/वेलनेस का प्रिंट, इलैक्ट्रानिक, इंटरनेट तथा आउडोर मीडिया के माध्यम से संवर्धन किया गया है।

(vii) शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, जिसमें परम्परागत चिकित्सा पद्धति भी शामिल है, पर ब्रोशर एवं सीडी तैयार किए गए हैं और पर्यटन विभाग द्वारा व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय, चिकित्सा पर्यटकों के आगमन के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा के बारे में अलग से सूचना एकत्रित नहीं करता है।

[हिन्दी]

एशियाई देशों के साथ रेल संपर्क

1379. **श्री मो. ताहिर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान कतिपय एशियाई देशों से रेलवे संपर्क मार्गों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है;

(घ) क्या रेल संपर्क स्थापित करने हेतु किसी एशियाई देश के साथ कोई बातचीत चल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) नेपाल और भूटान के सीमा क्षेत्रों में प्रत्येक में पांच स्थानों पर रेल संपर्क मुहैया कराने के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बहुउद्देशीय यात्रा कार्ड

1380. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बहु-उद्देशीय यात्रा कार्ड शुरू करने की योजना बना रहा है जैसा कि दिनांक 23 अक्तूबर, 2006 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) स्मार्ट कार्ड, जो उपनगरीय गाड़ियों में यात्रा करने के साथ-साथ बेस्ट (मुंबई क्षेत्र की लोकल बसें) हेतु वैध होंगे, को जारी करने की एक योजना के कार्यान्वयन हेतु मध्य रेलवे से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव परीक्षण के प्रारम्भिक स्तर पर है।

[हिन्दी]

स्वतंत्र जांच एजेंसी की स्थापना

1381. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विमानपत्तनों पर एक स्वतंत्र जांच एजेंसी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस एजेंसी को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइंस में इन-फ्लाइट सेवाएं

1382. **श्री अनंत गुढ़े** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विमान यात्रियों को इन-फ्लाइट सुविधाएं प्रदान करने हेतु इंडियन एयरलाइंस (आई ए) द्वारा दिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कुलकितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार को यात्रियों को इन-फ्लाइट सेवाएं प्रदान करने हेतु कुछ अन्य ठेकेदार/आपूर्कित्तार्ओं से रूचि की अभिव्यक्ति का पत्र प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इंडियन एयरलाइंस ने

मैसर्स अम्बेसेडर स्काई शैफ (दिल्ली, मुम्बई), मैसर्स ताज एयर केटरर्स, (दिल्ली, चेन्नई), मैसर्स शैफयर फ्लाइट किचन (दिल्ली), मैसर्स प्रदीप होटल (वाराणसी), मैसर्स होटल प्रदीप (लखनऊ) मैसर्स होटल राफल कैसल (अमृतसर), मैसर्स एयरपोर्ट रेस्टोरैंट (जम्मू, पटना, नागपुर), मुथूत स्काई शैफ (तिरूवनंतपुरम), जेनी'स रेजिडेंसी (तिरूचिरापल्ली), मालाबार केटरर्स (कालीकट), एसएसजी स्काई शैफ (बंगलौर, हैदराबाद, कुआलालम्पुर), ग्राण्ड अशोक (बंगलौर) कैसिनो होटल (कोचीन), मनोहर (हैदराबाद), मैसर्स ताज सैट्स (कोलकाता, मुम्बई), एमबीडी होटल्स (कोलकाता), मैसर्स होटल प्राची रिसार्टस (भुवनेश्वर), मैसर्स होटल पैराडाइज रेस्टोरैंट (गुवाहाटी), मैसर्स एयरशैफ प्रा. लि. (गुवाहाटी), मैसर्स अन्नपूर्णा कैफेटेरिया (पोर्ट ब्लेयर), मैसर्स स्काई गौरमैट (मुम्बई), मैसर्स एयरपोर्ट प्लाजा (गोवा), मैसर्स डेक्कन पार्क (पूणे), मैसर्स कामापार्क प्लाजा (अहमदाबाद), मैसर्स पी.के. हासपिटेलिटि (अहमदाबाद), मैसर्स सोल्टी क्राऊन प्लाजा (काठमांडू), कुवैत एविएशन सर्विस (कुवैत), ओमान एविएशन सर्विस (मस्कट), बेहरीन एविएशन सर्विस (बहरीन), एलबर्ट एबेला (शारजाह), इमीरेट्स फ्लाइट केटरिंग कंपनी (दुबई), सैट्स (सिंगापुर), थाई एयरवेज इंटरनेशनल पब्लिक कंपनी (बैंकाक) को सभी यात्रियों को उड़ानगत सुविधाएं प्रदान करने के लिए ठेके अवार्ड किए हैं। उड़ान में खाद्य सेवाओं तथा अन्य यात्री सुविधाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय लगभग 470 करोड़ रुपए था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बन्द सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनः चालू किया जाना

1383. श्री संतोष गंगवार :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सरकारी उपक्रम/उद्यम बन्द है;

(ख) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों के दौरान इनमें से किसी उद्यम/उपक्रम को बंद किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बन्द उपक्रमों/उद्यमों को पुनः चालू करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान उन बन्द सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है, जिनकी सम्पत्तियों को सरकार द्वारा बेचा गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2004-05 के अनुसार दिनांक 31.3.2005 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में प्रचालनरत उद्यमों की संख्या 227 थी।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के बन्द किए गए उद्यमों का विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अनुसार सरकारी क्षेत्र की रूग्ण कम्पनियों का आधुनिकीकरण व पुनर्गठन करने तथा रूग्ण एककों का पुनरूद्धार करने की हर सम्भव कोशिश की जाएगी, तथापि लम्बे समय से घाटा उठा रही कम्पनियों को या तो बेच दिया जाएगा या उन्हें बन्द कर दिया जाएगा, परन्तु ऐसा करने के पूर्व कामगारों की वैध देनदारियों तथा अन्य क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार ने दिसम्बर, 2004 में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना की है और इसे सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरूद्धार तथा पुनर्गठन का दायित्व सौंपा गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने नियंत्रणाधीन रूग्ण सरकारी कम्पनियों/घाटा उठाने वाली कम्पनियों के पुनरूद्धार हेतु उनका मामला बीआरपीएसई को सौंप देते है।

(च) बंद करने के बाद केन्द्रीय उद्यमों की परिसम्पत्तियों का निपटान का एक विकल्प है, तथापि संबंधित केन्द्रीय उद्यमों के परिसमापकों द्वारा परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के बंद किए गए उद्यम

केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम
2002-03
1. भारत गोल्ड माइन्स लि.

2. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.

3. आरबीएल लि.

4. कानपुर टैक्सटाईल्स लि.

5. एल्गिन मिल्स लि.

2003-04

1. भारतीय चाय व्यापार निगम लि.

2004-05

1. बंगाल इम्युनिटी लि.

2. मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि.

3. महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मा. लि.

4. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मा. लि.

5. ईटी एण्ड टी लि.

6. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

1384. डा. के. धनराजू : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्य कर रहीं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन इकाइयों की लाभ/हानि की स्थिति क्या है;

(ग) घाटे में चल रहीं इन इकाइयों को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों से सब्जियों और फलों की भारी बढ़ोत्तरी के मद्देनजर सरकार का विचार वर्ष 2006-07 के दौरान और अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, अत: खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के बारे में आंकड़े मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के उत्पादन आदि के लिए स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करती है। तथापि, सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए एक योजना स्कीम कार्यान्वित की है। इस स्कीम के अंतर्गत, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना हेतु सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र तथा मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक या जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान एवं निकोबार समूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 33.33% की दर से अधिकतम 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-IV के तहत दुर्गम और उच्च बागवानी संभावी क्षेत्रों में, बागवानी उपज के प्रसंस्करण हेतु इससे भी बढ़ी हुई दरों पर सहायता उपलब्ध है यानी संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% की दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपए है। वर्ष 2006-07 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को राज्यवार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है।

विवरण

दिनांक 28.11.2006 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष (2006-07) के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए जारी की गई धनराशियां

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	2
आंध्र प्रदेश	479.21

1	2
असम	319.64
दिल्ली	11.77
गोवा	22.58
गुजरात	226.59
हरियाणा	108.75
हिमाचल प्रदेश	95.93
झारखंड	25.00
जम्मू और कश्मीर	29.26
कर्नाटक	175.68
केरल	283.57
मध्य प्रदेश	70.42
महाराष्ट्र	612.39
मणिपुर	14.77
मेघालय	13.85
उड़ीसा	25.00
पंजाब	253.50
राजस्थान	284.11
तमिलनाडु	331.28
उत्तर प्रदेश	282.66
उत्तरांचल	66.48
पश्चिम बंगाल	242.44

ग्राम चिकित्सा और पोत परिवहन पर्यटन परियोजना

1385. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई परियोजना तैयार की है जिसके द्वारा ग्राम चिकित्सा और पोत परिवहन पर्यटन को बढ़ावा और नया रूप दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना में कुल कितनी लागत सम्मिलित है; और

(घ) इसको कब तक चालू किया जाएगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और क्रूज पर्यटन जैसे आला क्षेत्रों में पर्यटन उत्पाद विकास पर विशेष बल दे रहा है।

(ख) और (ग) इन क्षेत्रों में पर्यटन मंत्रालय के संवर्धनात्मक कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं :-

(i) **ग्रामीण पर्यटन** पर्यटन हेतु संभावना वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन का, पर्यटन मंत्रालय के गंतव्य और परिपथ हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास की मौजूदा योजना के अंतर्गत समर्थन किया जा रहा है, जबकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी और कौशल उन्नयन सहित, क्षमता निर्माण का जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना और मंत्रालय की सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण के माध्यम से समर्थन किया जा रहा है।

(ii) **चिकित्सा पर्यटन** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक कृतिक बल ने एक स्वास्थ्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए, सरकार एवं निजी उद्योग दोनों के लिए उपलब्ध अवसरों का बताया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रत्यायन एवं प्राइस बैंडिंग पर गठित उप-समिति ने अपनी रिपोर्टें विचारार्थ प्रस्तुत की हैं। भारतीय स्वास्थ्य देख-रेख परिसंघ, एक गैर सरकारी संगठन, जो भारतीय उद्योग परिसंघ से संबद्ध है, ने पर्यटन मंत्रालय

की सलाह से देश के चुनिंदा भारतीय अस्पतालों पर एक गाइड तैयार की है।

(iii) क्रूज पर्यटन पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समुद्रतटों, स्मारकों और पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण जैसे तटवर्ती क्षेत्रों में विशिष्ट पर्यटन परियोजनाओं के पर्यटन अवसंरचना विकास और क्रूज वेसल्स, नावों, आदि की प्राप्ति के साथ-साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उनकी क्रूज वेसल्स प्रचालित करने के लिए निजी प्रचालकों को भी अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) इनके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय विदेशी बाजार में संवर्धन करता है और सीडीज, फिल्में और अन्य प्रचार सामग्री का निर्माण करता है। इनके अलावा वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, लंदन और आईटीबी, बर्लिन आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों में विशेष संवर्धन किया जाता है। उपर्युक्त सूचना पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट www.incredibleindia.org पर व्यापक प्रचार के लिए रखी गई है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम परियोजनाएं

1386. **श्री रामदास आठवले :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों की अनेक पेट्रोलियम योजनाएं/परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण है; और

(घ) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी नहीं। राज्य सरकारों से प्राप्त कोई योजना/परियोजना इस मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

(ख) से (घ)प्रश्न नहीं उठता।

रेल डिब्बों का निर्यात

1387. **श्री अजीत जोगी :**
श्री राजनारायन बुधौलिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल डिब्बों को निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल डिब्बों के निर्यात से रेलवे द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) उत्पादन इकाइयां-सवारी डिब्बा कारखाना (आई सी एफ) तथा रेल डिब्बा कारखाना (आर सी एफ) साधारणत: सवारी डिब्बों का निर्यात सीधे तौर पर नहीं करती। राइट्स/इरकान को कभी-कभी रेल सवारी डिब्बा के लिए विदेशों से आदेश प्राप्त होते हैं और बदले में उनके निर्माण के लिए आई सी एफ/आर सी एफ को आदेश भेजते हैं।

(ख) विगत में सवारी डिब्बों के निर्यात के लिए राइट्स/इरकान द्वारा आई सी एफ/आर सी एफ को दिए गए आदेशों तथा जिनका वर्तमान में कार्यान्वयन किया जाना है का विवरण निम्नानुसार है:

आर सी एफ

क्र.सं.	कोच कि किस्म	देश	मात्रा	लागत	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	मीटर लाइन के सवारी डिब्बे तथा स्पेयर्स	म्यांमार	36	19.72 करोड़ रु.	2005-06

1	2	3	4	5	6
2.	मीटर लाइन के सवारी डिब्बे तथा स्पेयर्स	सेनेगल	20	11.67 करोड़ रु.	2006-07
3.	मीटर लाइन के सवारी डिब्बे	सेनेगल तथा माली	50	35.8 करोड़ रु.	10 कोच 2006-07 40 कोच 2007-08
आई सी एफ					
1.	द्वितीय श्रेणी तथा अन्य कोच	अंगोला	56	55.59 करोड़ रु.	2006-07

(ग) आई सी एफ तथा मैसर्स राइट्स के बीच भुगतान की शर्तें भारतीय रुपये में हैं जो 55.59 करोड़ रु. है। उसी प्रकार, आर सी एफ की निर्यात लागत 67.19 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहन

1388. **श्री सर्वे सत्यनारायण** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर न्यायालयों के प्रतिबंध के बावजूद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहन चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आई जी आई विमानपत्तन पर ए ए आई द्वारा डीजल से चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सोमनाथ-कोडीनार रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन

1389. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमनाथ-कोडीनार रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कार्य के कब तक आरंभ होने की संभवना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं, कोडीनार-सोमनाथ के बीच कोई लाइन मौजूद नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंगमाली से "सबरी रेल"

1390. **श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अंगमाली से प्रस्तावित "सबरी रेल" के कार्यों के लिए आवश्यक मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो किये गए कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे को पुनालूर एवं नेदूमगड के रास्ते सबरी रेल को तिरूवनंतपुरम तक बढ़ाये जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 516.42 हेक्टेयर में से 470.86 हेक्टेयर के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) पुनैलुर एवं नेदुमगड के रास्ते इरुमेली (अंगामाली-साबरीमाला (अजुथा) नई लाइन परियोजना पर प्रस्तावित स्टेशन) से त्रिवेन्द्रम तक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण अक्तूबर, 2005 में पहले ही पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 136 कि.मी. लंबी नई लाइन के निर्माण की लागत (-) 1.514% की प्रतिफल दर के हिसाब से 698.48 करोड़ रु. आंकी गई है।

हिंद महासागर में विदेशी नौसैनिक पोत

1391. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हिंद महासागर में विदेशी नौसैनिक पोतों की आवाजाही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में भारत के कानूनी हितों की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंद महासागर का अंतर्राष्ट्रीय जल आवश्यक रूप से शांति क्षेत्र रहे, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) आपरेशन एंडयूरिंग फ्रीडम, जो अक्तूबर, 2001 में शुरू हुआ था, के बाद इस क्षेत्र में विदेशी नौसेना पोतों की आवाजाही बढ़ी है। ये नौसेना-पोत अमरीकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय नौसेनाओं का हिस्सा हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र में, मुख्यत:, उत्तर अरब सागर, पारस की खाड़ी, लाल सागर और हार्न आफ अफ्रीका में संचालन कर रही हैं।

(ग) हिंद महासागर में विदेशी युद्ध पोतों की आवाजाही से अंतर्राष्ट्रीय नौवहन लेनों अथवा वैध व्यापार करने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय नौवहन लेनों का प्रयोग करने वाले भारतीय और विदेशी व्यापारिक समुद्री जहाजों, दोनों में से किसी की सुरक्षा को कोई खास खतरा नहीं है। विदेशी युद्ध पोतों की तैनाती भारतीय तट के निकट नहीं है और ये उत्तर अरब सागर, पारस की खाड़ी, लाल सागर और हार्न आफ अफ्रीका क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रित हैं। भारतीय नौसेना, भारत के संक्रिया क्षेत्रों में नियमित रूप से बेड़े तैनात करने के अतिरिक्त हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करने और हितबद्ध क्षेत्रों में देश के हितों की सुरक्षा करने के प्रयोजन से प्राय: आवाजाही करने तथा निगरानी करने के अभियान चलाती हैं। भारतीय तटरक्षक भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर नियमित सतही/हवाई निगरानी करता है।

पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा

1392. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :**
श्री एम. रामामोहन रेड्डी :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को पर्यटन से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है।

(ख) चालू वर्ष की प्रथम छमाही में कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया इन आंकड़ों की वर्ष की उसी अवधि से तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान, पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय निम्नानुसार है:

(अमरीकी मिलियन डालरों में)

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत बदलाव
2003	3533	20.9
2004	4769	35.0
2004	5731	20.2

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 18.29 लाख रुपए की तुलना में, जनवरी-जून 2006 अवधि के दौरान, अनुमानित 20.84 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए, जो कि 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) भारत में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

- पर्यटक परिपथों और गंतव्यों की अवसंरचना विकास की अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटक स्थलों का विकास करना;
- होटल अवसंरचना, विशेषतया बजट होटलों, की वृद्धि पर ध्यान देना;
- प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से संपर्क बेहतर करना;
- "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच बनाना;
- विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना;
- केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान चलना;
- विदेशों में एयरलाइनों, टूअर आपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना;
- व्यपार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना;
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना;
- पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना; और
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर आपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए, अतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन

1393. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री वी.के. दुग्गर :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) देश में वर्तमान में कितने प्रतिशत फलों का प्रसंस्करण किया जा रहा है;

(ग) कितने प्रतिशत फल और सब्जियां बेकार हो जाती हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एफ पी आई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, इसलिए मंत्रालय में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापित क्षमता संबंधी आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) देश में फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण स्तर संगठित क्षेत्र में अनुमानत: 1.4% और असंगठित क्षेत्र में 0.8% है।

(ग) एक अध्ययन के अनुसार, वर्तमान में लगभग 35% फल एवं सब्जियों की बरबादी हो रही है जिनका मूल्य लगभग 33,000 करोड़ रुपए सालाना है।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए सरकार पहले ही कई योजना स्कीमें कार्यान्वित करती आ रही है। इन स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना, बुनियादी ढांचे के विकास, मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता आश्वासन के संवर्धन, कोडेक्स मानकों और अनुसंधान एवं विकास हेतु सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

इसके अलावा फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को उत्पाद शुल्क के भुगतान से पहले ही छूट प्राप्त है। सरकार ने वर्ष 04-05 में आयकर अधिनियम के तहत फल एवं सब्जियों प्रसंस्करण, परिक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के मामले में पांच साल के लिए लाभ पर 100% और अगले 5 वर्षों के लिए लाभ पर 25% छूट दी है। डेरी प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए डेरी मशीनरी पर लगने वाले 16% के उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा लिया गया है। मांस, पाल्ट्री और मछली उत्पादों पर

उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है। खाद्य तेल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य ग्रेड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32% से कम करके 16% किया गया है। बजट 2005-06 में परिष्कृत तेल पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम और वनस्पति पर 1.25 रुपये प्रतिकिलोग्राम के उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटिड वैनों पर सीमा शुल्क को 20% से कम करके 10% किया गया है। बजट 2006-07 में सरकार ने कंडैन्स्ड मिल्क, आइसक्रीम, मांस, मछली और पाल्ट्री से तैयार वस्तुओं, पैक्टिन, पास्ता और खमीर को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी है। पैक किए हुए खाने के लिए तैयार खाद्यों और इंस्टेंट फूड मिक्सेज जैसे डोसा और इडली मिक्स पर उत्पाद शुल्क को 16% से कम करके 8% किया है। वातित पेयों पर उत्पाद शुल्क को 24% से कम करके 16% किया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कृषि प्रसंस्करण बुनियादी विकास एवं बाजार विकास के लिए पुनर्वित्तपोषण ऋण देने के वास्ते 1000 करोड़ रुपये केकार्पस समेत एक पृथक खिड़की (विंडो) सृजित की है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 भी अधिनियमित किया है जिसे दिनांक 2.8.2006 को संसद द्वारा पारित किया गया और दिनांक 24 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना करना और खाद्य संबंधी एक एकल खाद्य संविधि बनाना है।

[अनुवाद]

अनूसचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

1394. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेश-वार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा आबंटित और जारी विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के सामने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा एस सी ए के दुरुपयोग अथवा कम उपयोग से संबंधित शिकायतें आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) विशेष केन्द्रीय सहायता जारी करने और इसकी उपयोगिता का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्टों और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से, इस योजना के अंतर्गत व्यय की मानीटरी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् बिहार, झारखंड, गोवा पंजाब, केरल और चंडीगढ़ के मामले में उपयोग की प्रगति धीमी है। धीमे उपयोग के मुद्दे को विभिन्न स्तरों पर, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया जाता है।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान निर्मुक्त और उपयोग की गई विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
		जारी	उपयोग (पूर्व वर्षों से व्यय न की गई शेष राशि सहित)	जारी	उपयोग (पूर्व वर्षों से व्यय न की गई शेष राशि सहित)	जारी	उपयोग (पूर्व वर्षों से व्यय न की गई शेष राशि सहित)	जारी*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	6222.90	5595.74	4362.72	5449.43	4532.05	3495.69	1525.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	असम	625.21	305.76	800.00	731.14	623.82	728.71	320.49
3.	बिहार	933.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.36
4.	छत्तीसगढ़	408.29	382.60	339.05	297.75	400.01	278.78	449.99
5.	गुजरात	644.46	996.88	705.82	573.45	797.50	339.66	412.79
6.	गोवा	0.00	0.59	0.00	0.05	0.00	0.10	0.00
7.	हरियाणा	1434.00	835.45	560.14	2119.52	1483.7	848.24	379.98
8.	हिमाचल प्रदेश	248.66	348.87	587.47	583.16	566.62	339.00	320.02
9.	जम्मू व कश्मीर	148.46	90.00	495.08	453.82	142.15	91.74	145.53
10.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.40
11.	कर्नाटक	2124.76	2124.76	2951.8	2951.80	2322.63	1838.62	1105.77
12.	केरल	0.00	231.3	0.00	198.69	0.00	0.00	109.32
13.	मध्य प्रदेश	2955.43	3277.34	2506.90	3491.56	2627.28	1942.37	1246.75
14.	महाराष्ट्र	1991.36	2881.63	2924.36	3638.68	2511.20	1364.46	1161.06
15.	मणिपुर	4.42	1.90	3.82	7.99	22.47	0.00	6.86
16.	उड़ीसा	779.30	779.30	345.70	728.64	1576.33	1324.33	1015.16
17.	पंजाब	680.03	380.28	0.00	112.56	0.00	659.16	212.44
18.	राजस्थान	2984.25	3698.47	2366.68	3366.02	3328.75	2921.27	1296.80
19.	सिक्किम	1.12	1.55	15.44	15.44	17.73	0.00	15.68
20.	तमिलनाडु	3800.74	5123.08	4327.89	6270.12	4306.62	6322.15	1481.36
21.	त्रिपुरा	76.80	178.91	1198.20	242.94	243.98	955.26	111.29
22.	उत्तर प्रदेश	7817.94	12372.55	9737.98	11642.39	11007.30	7655.77	4288.56
23.	उत्तरांचल	407.74	538.34	476.08	512.74	806.48	608.48	328.16
24.	पश्चिम बंगाल	3994.68	3753.66	4672.27	5516.45	3294.38	1327.51	2222.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	चंडीगढ़	12.50	3.13	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
26.	दिल्ली	99.37	99.37	41.87	41.87	79.51	42.08	53.27
27.	पांडिचेरी	3.13	3.13	7.35	6.26	20.49	2.75	6.10
	कुल	38398.55	44600.59	39426.62	48952.47	40736.00	33096.13	19440.75

*22.11.2006 तक।

रुग्ण उद्यमों को पुनः चालू करना

1395. श्री मनोरंजन भक्त : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के रूग्ण उद्यमों को पुनः चालू करने के लिए सार्वजनिक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने सेवानिवृत्त व्यक्तियों सहित उन अधिकारियों के एक पूल की सेवाएं लेने की सिफारिश की है जिनमें रूग्ण उद्यमों को पुनः चालू करने की क्षमता हो ताकि जिन योजनाओं को पुनः चालू किया गया है उनको कार्यान्वित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) जी, हां। सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों के पुनरूद्धार हेतु अधिवर्षिता प्राप्त व्यक्तियों सहित ऐसे अधिकारियों का पूल बनाने की सिफारिश की है जो रूग्ण उद्यमों का पुनरुद्धार करने तथा पुनरुद्धार व पुनर्गठन योजनाओं को क्रियान्वित कर पाने में सक्षम हों। बोर्ड की सिफारिशों पर मंत्रियों के समूह में तदर्थ विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में सिफारिशों के भाग के रूप में विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी

1396. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1 अगस्त, 2005 से पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी और मिलावट के विरूद्ध कड़े कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कंपनी-वार तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट तथा उनकी कालाबाजारी पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से सरकार ने विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) 2001 के संशोधन के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों से विभिन्न कदम उठाने को कहा है। एमडीजी, 2005 में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपमिश्रण, सीलों से छेड़छाड़ करना, वितरण इकाइयों में अप्राधिकृत फिटिंग/गियर खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओएस) के परिसरों में अप्राधिकृत भंडारण सुविधाएं, पेट्रोल डीजल (एमएस/एचएसडी) की अप्राधिकृत बिक्री/खरीद/विनिमय और ब्रांडेड ईंधन के रूप में सामान्य एमएस/एचएसडी बेचने जैसे गंभीर कदाचार के लिए प्रथम बार ही निलंबन का प्रावधान है। एमडीजी 2005 के परिपेक्ष्य में कुछ अतिरिक्त कदाचार के मामले भी लाए गए हैं जो एमडीजी 2001 के अंतर्गत शामिल नहीं थे। ये हैं, नामतः छेड़ी गई टोटलाइजर सीलें वितरण यूनिटों में प्राप्त अतिरिक्त/अप्राधिकृत फिटिंग/गियर, आरओ परिसरों से संबंधित बाह्य लाइसेंसशुदा परिसरों की भंडारण सुविधा का मिलना, ब्रांडेड ईंधनों के रूप में सामान्य एमएस/एचएसडी की बिक्री, नमूने लेने में और/या निरीक्षण आदि करने में डीलर द्वारा मनाही। ओएमसीज द्वारा हाल ही में पेट्रोल/डीजल की मिलावट को रोकने तथा

पीडीएस मिट्टी तेल के वितरण को दुरुस्त करने के लिए किए गए अन्य उपाय संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित तथा औचक निरीक्षण करती हैं तथा मिलावट तथा कदाचारों में लिप्त उन व्यक्तियों के विरूद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) तथा डीलरशिप करारों के तहत कार्रवाईयां भी करती हैं। ओएमसीज द्वारा अगस्त, 2005 से सितंबर, 2006 अवधि के दौरान किए गए निरीक्षण के ब्यौरे संलग्न विवरण 2 में दिए गए हैं।

विवरण-I

पेट्रोल/डीजल में मिलावट को रोकने और सा.वि.प्र. मिट्टी तेल वितरण को सुप्रवाही बनाने के लिए की गई कार्रवाई।

मिलावट पर नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय समय-समय पर मिलावट को नियंत्रित करने के लिए किए गये उपायों की समीक्षा करता रहा है। इस प्रक्रिया में मिलावट को नियंत्रित करने के लिए हाल में कई प्रौद्योगिकीय और संस्थागत उपाय किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा हाल में किए गए उपाय नीचे संक्षेप में दिए गए हैं-

(1) **खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन** : नवीनतम प्रौद्योगिकीय सुधार अपनाकर खुदरा बिक्री केन्द्रों के क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए उनके स्वचलन को लागू किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को प्रति माह 200 कि.ली. से अधिक की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का मार्च 2007 तक स्वचलन पूरा करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को निदेश दिया है।

(2) **खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्ष सत्यापन** : तेल विपणन कंपनियों को प्रति माह 100 कि.ली. प्रति माह से अधिक बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणन मार्च 2007 तक पूरा करने का निर्देश दिया है।

(3) **विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी** : परिवहन के दौरान मिलावट रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियों को मार्च 2007 तक कंपनी के स्वामित्व/डीलर के स्वामित्व/अनुबंधकर्ता के स्वामित्व वाले टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी को पूरा करने के लिए जीपीएस की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है।

(4) **जन केरोसीन परियोजना** : पीडीएस मिट्टी तेल वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए और मिलावट तथा अन्य अनधिकृत उपयोगों के लिए मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित करने के लिए 2.10.2005 से आरंभ में 6 महीनों की अवधि के लिए 414 ब्लाकों में प्रायोगिक आधार पर जन केरोसीन परियोजना आरंभ की गई है। इस प्रायोगिक परियोजना की समयावधि बढ़ाकर 30.6.2007 तक कर दी गई है।

(5) **स्मार्ट कार्ड योजना** : इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कि राजसहायता लक्षित उपभोक्ताओं के पास मिट्टी तेल के वितरण के लिए स्मार्ट कार्ड प्रणाली आरंभ करने पर विचार कर रहा है। यह योजना प्रारंभ में 2007 से तीन जिलों महाराष्ट्र में लातूर, बिहार में नालन्दा और उत्तरांचल में नैनीताल में प्रायोगिक आधार पर लागू करने का विचार है। प्रायोगिक परियोजना में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से रियायती मिट्टी तेल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जबकि अन्य सभी राशन कार्ड धारकों को गैर रियायती मिट्टी तेल दिया जाएगा। इस प्रायोगिक योजना की प्रभावकारिता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एक स्वंतत्र एजेंसी नियुक्त की जाएगी। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) प्रायोगिक योजना के कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान पीडीएस और गैर रियायती मिट्टी तेल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

विवरण-II

ओएमसीज द्वारा 1 अगस्त, 2005 से 30 सितंबर, 2006 की अवधि के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या तथा कृत कार्रवाई का ब्यौरा

कदाचारों के प्रकार	आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईबीपी
1	2	3	4	5
निरीक्षणों की संख्या	50676	41561	23048	12094
1. स्टाक में हेराफेरी	102	39	35	52

	1	2	3	4	5
2.	संदेहास्पद उत्पाद की मिलावट	91	78	52	20
3.	अधिक वसूली	5	1	0	1
4.	अनधिकृत बिक्री	6	0	2	4
5.	अल्प-सुपुर्दगी	309	265	224	76
6.	अन्य	419	877	204	288
	योग	932	1260	517	441
	कृत कार्रवाई				
1.	रद्द किया गया	39	17	34	8
2.	बिक्रियां व आपूर्तियां निलंबित की गई	217	209*	247	135
3.	स्पष्टीकरण मांगा गया/ कारण बताओं नोटिस अथवा चेतावनी पत्र जारी किया गया	502	784	171	147
4.	जुर्माना लगाया गया	174	*	56	36
5.	अन्य	0	250	9	115
	योग	932	1260	517	441

*इसमें लगाया गया जुर्माना शामिल है।

[अनुवाद]

पेट्रोल का कम मापन

1397. श्री निखिल कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 2006 के टाइम्स आफ इंडिया में लेस पेट्रोल फॉर यॉर मनी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोल पम्पों के हाल ही के निरीक्षणों में यह पाया गया है कि कई पेट्रोल पम्प उपभोक्ताओं से जितना पैसा वसूलते हैं उससे कम पेट्रोल माप कर वे उसे देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो जिन पेट्राल पम्पों की जांच की गई है उनका ब्यौरा क्या है और इन पेट्रोल पम्पों को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। तेल विपणन कंपनियों ने यह सूचित किया है कि तौल और माप विभाग, दिल्ली सरकार ने अप्रैल-सितम्बर, 2006 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के 234 खुदरा बिक्री केन्द्रों (जिसमें 4210 वितरण इकाइयां थीं) का निरीक्षण किया जिनमें से 25 खुदरा बिक्री केन्द्र (जिसमें 29 वितरण इकाइयां थीं) प्रति 5 लीटर मोटर स्पिरिट (एम एस) और हाई स्पीड डीजल पर 15 मि. ली. से 45 मि. ली. कम देते हुए पाए गए जो प्रति 5 लीटर पर 15 मि. ली. की अनुमेय सीमा से अधिक है। कम सुपुर्दगी करने वाली वितरण इकाइयों से बिक्री निलंबित कर दी गई और तौल और माप विभाग ने वितरण इकाइयों का पुन: अंशाकन करवाया। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) ने यह सूचित किया है कि तौल और माप विभाग द्वारा निरीक्षण किए गए 56 खुदरा बिक्री केन्द्रों (जिसमें 1063 वितरण इकाइयां थीं) में से एम एस/एच एस डी कम देने का कोई मामला नहीं देखा गया। तौल और माप विभाग ने 3 खुदरा बिक्री केन्द्रों के संबंध में कम सुपुर्दगी देखी, जिनमें से 2 खुदरा बिक्री केन्द्रों में स्नेहक तेल की कम सुपुर्दगी थी और 1 खुदरा बिक्री केन्द्र में 2टी प्रीमिक्स की कम सुपुर्दगी थी।

जिन मामलों में खुदरा बिक्री केन्द्र अनुमेय सीमाओं में खुदरा बिक्री केन्द्र अनुमेय सीमाओं से परे कम सुपुर्दगी करते पाए गए, वहां अपराध तय किए गए हैं और जुर्माने लगाए गए हैं। तौल और माप विभाग ने वितरण इकाइयों के अंशदान के बाद बिक्री आरम्भ कर दी है।

तेल विपणन कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं और मिलावट और कदाचारों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरूद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम डी जी) और डीलरशिप करारों के अंतर्गत कार्रवाई भी करती हैं। एम डी जी में मिलावट, सीलों के साथ छेड़छाड़ वितरण इकाइयों में अनधिकृत फिटिंगों/गियरों जैसे गम्भीर कदाचारों के पहले मामले में ही डीलरशिप की समाप्ति का प्रावधान है।

नवीनतम प्रौद्योगिकीय सुधारों को अपनाकर खुदरा बिक्री केन्द्रों में क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन आरम्भ करने के लिए निदेश दिया गया है। उन्हें मार्च, 2007 तक 200 कि. ली. प्रति माह से अधिक की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन पूरा करने का निदेश दिया गया है। तेल विपणन कंपनियों को मार्च, 2007 तक 100 कि. ली. प्रति माह से अधिक की बिक्री करने वाले सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्ष प्रमाणन पूरा करने का निदेश दिया गया है।

सिटी गैस परियोजनाओं हेतु गेल-एच पी सी एल का संयुक्त उद्यम

1398. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड और एच पी सी एल की गुजरात और राजस्थान में सिटी गैस परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम चलाने की योजना है जैसाकि 13 अक्तूबर, 2006 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां। गेल और एच पी सी एल की गुजरात और राजस्थान राज्यों में शहर गैस परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम चलाने की योजना है।

(ख) गेल और एच पी सी एल ने मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई जी एल) के माडल के साथ राजस्थान और गुजरात राज्यों में शहर गैस वितरण परियोजनाएं चालू करने के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन के लिए दिनांक 16.11.2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान में, गेल ने कोटा शहर के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है।

गुजरात में, गेल वड़ोदरा में तथा एच पी सी एल अहमदाबाद में सी एन जी की आपूर्ति कर रही है। इसके अलावा, गेल ने राजकोट और सुरेन्द्र नगर शहरों में बाजार सर्वेक्षण तथा मांग अध्ययन किया है।

गैस उपलब्धता तथा परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त पर संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा डाऊनस्ट्रीम परियोजना क्रियान्वयन कार्यों को हाथ में लिया जाएगा।

(ग) संयुक्त उद्यम करारों पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त उद्यम कंपनियों के निगमन की कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

नशा मुक्ति केन्द्र

1399. **श्रीमती भावना पुंडलिक राव गवली :**
श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नशा-खोरों और शराबियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए और अधिक नशा-मुक्ति केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से नशामुक्ति केन्द्रों को खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है और प्रस्तावित केन्द्रों के स्थान कौन-कौन से हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) नए केन्द्र खोलने के लिए सेवा-वंचित जिलों की पहचान की जाती है। राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त संस्तुत प्रस्तावों की जांच करके उन पर विचार किया जाता है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

1400. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों (पीएसयूज) के निजीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं:

(ग) क्या सरकार का विचार अधिकतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निजी क्षेत्र की साम्य भागीदारी को भी अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अनुसार सरकार सशक्त तथा प्रभावशाली सरकारी क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है, जिसके सामाजिक उद्देश्य उसके वाणिज्यिक कार्यचालन द्वारा पूरे किए जाते हैं। सरकार सफल सरकारी उद्यमों को सम्पूर्ण प्रबन्धन तथा वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तथा लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों का निजीकरण नहींकिया जाएगा। सभी प्रकार का निजीकरण प्रत्येक मामले के आधार पर पारदर्शी तथा परामर्शदायी तरीके से किया जाएगा। सरकार मौजूदा ''नवरत्न'' कम्पनियों को सरकार क्षेत्र में बनाए रखेगी, हालांकि ये कम्पनियां पूंजी बाजार से संसाधन जुटाती है। हालांकि, रूग्ण सरकारी कम्पनियों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन के लिए और रूग्ण उद्योग के पुनरूद्धार के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा, फिर भी लम्बे समय से घाटा उठाने वाली कम्पनियों को उनके सभी कर्मचारियों के वैधानिक देयताएं तथा प्रतिपूर्ति प्राप्त कर लेने के बाद या तो बेच दिया जाएगा अथवा बन्द कर दिया जाएगा। सरकार उन कम्पनियों के सुधार के लिए गैर-सरकारी उद्योगों को शामिल करेगी, जिनमें पुनरूद्धार की क्षमता है।

सरकारी विमान कम्पनियों का लाभ/घाटा

1401. **श्री नवीन जिन्दल :**
श्री प्रह्लाद जोशी :
श्री बालेश्वर यादव :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षों से लाभ कमाने वाली राष्ट्रीय विमान कम्पनियां चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों से घाटा उठाने लगी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितना लाभ और घाटा हुआ और घाटे के क्या कारण है; और

(ग) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया लि. एवं इंडियन एयरलाइंस लि. के लाभ (हानि) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	एअर इंडिया (रु. करोड़ में)	इंडियन एयरलाइंस (रु. करोड़ में)
2003-04	92.33	44.17
2004-05	96.36	65.61
2005-06	14.94	49.50

(अनंतिम)

वर्तमान वर्ष की प्रथम तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून, 2006 के दौरान एअर इंडिया में 195.91 करोड़ रु (मूल्य ह्रास एवं ब्याज के बाद) की अनुमानित हानि हुई तथा इंडियन एयरलाइंस में अप्रैल-सितम्बर, 2006 के दौरान 138.55 करोड़ रु. (मूल्य ह्रास के बाद) की अनुमानित हानि हुई। इन नुकसानों के कारण प्रमुखत:, सीटों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा, घटते प्रतिफल, ब्याज लागत में वृद्धि और ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि है।

(ग) दोनों ही एयरलाइनों ने नुकसानों को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं यथा (i) विमानों की ड्राई लीजिंग; (ii) नए विमानों का अधिग्रहण; (iii) मौजूदा विमानों का पुनरूद्धार; (iv) विशेष संवर्धनात्मक स्कीमें आरम्भ करना; (v) अनार्थिक कार्यालयों को बंद करना एवं उन्हें छोटा करना; (vi) गैर-प्रचालनात्मक से प्रचालनात्मक क्षेत्रों में स्टाफ की पुनर्नियुक्ति करना एवं (vii) गैर-फलदायी कार्यकलापों से सहायक कम्पनियों में आउटसोर्स करना।

कर्नाटक को धनराशि जारी करना

1402. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :**
श्री एम. शिवन्ना :
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :

श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को 2005-06 और 2006-07 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के दसवीं कक्षा के बाद अध्ययनरत रहने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से धनराशि की मंजूरी और जारी करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक सरकार ने कितनी राशि की मांग की है और केन्द्र सरकार ने कितनी राशि जारी की है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने गत वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का उपयोगिता संबंधी प्रमाणपत्र पहले ही भेज दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार को शेष अनुदान के कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2005-06 के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 3010.61 लाख रुपए की राशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार को वर्ष 2005-06 के दौरान कोई सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया, क्योंकि वर्ष 2004-05 के दौरान जारी सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से प्राप्त नहीं हुआ था। वर्ष 2006-07 में, कर्नाटक सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 3010.61 लाख रुपए की राशि का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और भारत सरकार ने 539.66 लाख रुपए की राशि जारी की।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने वर्ष 2004-05 में जारी सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र अब प्रस्तुत कर दिया है। कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

रेल गाड़ियों में बेटिकट यात्री

1403. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बेटिकट यात्रियों का पता लगाने के लिए रेलगाड़ियों में औचक छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 के दौरान जोन-वार ऐसे मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है और पकड़े गए बिना टिकट यात्रियों की संख्या क्या है;

(ग) इन छापों के दौरान जोन-वार जुर्माने के रूप में उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई;

(घ) क्या इन छापों के दौरान बेटिकट यात्रियों की चैकिंग न करने और बिना बुक किए गये सामान को ले जाने के लिए रेलवे अधिकारियों/टीटीईज को भी जिम्मेवार पाया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलगाड़ियों में बेटिकट यात्रियों पर अंकुश लगाने और रेलवे स्टाफ द्वारा ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) जी नहीं। बहरहाल, टिकट जांच कर्मचारियों की कार्य प्रणाली की विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग की जाती है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस के सहयोग से नियमित तथा औचक जांचें की जाती हैं।

विवरण

रेलवे	बिना टिकट यात्रियों की जांच करने के लिए गाड़ियों में मारे गए छापों/औचक छापों सहित की संख्या (लाख रु. में)	पकड़े गए बिना टिकट यात्रियों की संख्या (लाख रु. में)	उनसे वसूल किए गए जुर्माने की राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
जनवरी, 06 से सितम्बर, 2006 की अवधि के दौरान			
मध्य	2.45	4.22	18.31

1	2	3	4
पूर्व	0.38	2.56	7.70
पूर्व मध्य	0.04	2.01	7.36
पूर्व तट	0.08	0.57	2.33
उत्तर	0.95	7.74	31.71
उत्तर मध्य	0.61	3.17	13.73
पूर्वोत्तर	0.20	2.09	7.74
पूर्वोत्तर सीमा	0.15	0.94	4.31
उत्तर-पश्चिम	0.32	1.43	6.11
दक्षिण	0.98	1.40	7.39
दक्षिण-मध्य	3.76	3.74	14.53
दक्षिण-पूर्व	0.33	0.87	3.64
दक्षिण-पूर्व मध्य	0.07	0.66	2.41
दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.72	3.01
पश्चिम	0.70	4.58	17.64
पश्चिम-मध्य	0.29	1.97	7.90
कुल	11.33	38.67	155.82

कालका-शिमला रेल मार्ग पर अंधाधुंध निर्माण गतिविधियां

1404. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधाधुंध निर्माण गतिविधियों की वजह से कालका-शिमला रेलवे सुरंगों में दरारे पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने उन निर्माण कार्यों की पहचान की है जिनकी वजह से ये सुरंगे प्रभावित/क्षतिग्रस्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सुरंगों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकारों से, रेलवे क्षेत्र के आस-पास ऐसी निर्माण गतिविधियां जो भविष्य में इन सुरंगों की सुरक्षा के लिए खतरा होंगी, की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

विमानपत्तनों पर सामान की स्कैनिंग

1405. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बनने वाले सभी नये विमानपत्तनों पर सारे सामान की पूर्णत: स्कैनिंग करने और अस्तित्व जांच को कम से कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना इन सभी विमानपत्तनों पर अत्याधुनिक उपस्करों की स्थापना करने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले अन्य कदम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस) द्वारा, सिविल व्यावसायिक उड़ानों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी हवाईअड्डों पर, हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा, चरणबद्ध तरीके से ऑन लाइन एक्स-रे बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम लगाए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आरम्भ में, सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर आन लाइन एक्स-रे बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम उपलब्ध करवाया जाएगा।

(ग) और (ङ) जी, हां। देश के हवाईअड्डों में एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (एक्स-रे बी.आई.एस), डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डी.एफ.एम.डी.), हैण्ड हैल्ड मेटल डिटेक्टर (एच.एच.एम.डी.) आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरण पहले से ही लगाए जा चुके हैं। देश के सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर बायो-मीट्रिक एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन इक्विपमेंट, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सी सी टी वी), पैरामीटर इंस्ट्रक्शनडिटेक्शन सिस्टम इत्यादि जैसे उपकरण लगाए जाने के बारे में भी निर्णय लिया गया है।

एअरक्राफ्ट मैंटीनेंस बेस

1406. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित एअरक्राफ्ट मैंटीनेंस बेस प्रोजेक्ट के कार्य की क्या स्थिति है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण पहले ही एयर इण्डिया ने कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित परियोजना का अनुमानित व्यय कितना होगा; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने की प्रत्याशित तिथि क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) एअर इंडिया की तिरूवनन्तपुरम तथा दिल्ली में विमान अनुरक्षण बेस स्थापित करने की योजना है। जहां तक तिरूवनन्तपुरम का संबंध है, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी एम सी) के लिए निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है। परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी एम सी) की नियुक्ति दिसंबर, 2006 के अंत तक कर दी जाएगी। दिल्ली के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी एम सी) की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है।

(ख) तिरूवनन्तपुरम में एअर इंडिया ने 15 एकड़ भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा परिसर दीवार का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली में भूमि पहले से एअर इंडिया के पास है।

(ग) तिरूवनन्तपुरम में पार्किंग तथा पहुंच मार्ग के लिए हैंगर तथा एप्रन के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपए है। दिल्ली में पार्किंग तथा पहुंच मार्ग के लिए हैंगर तथा एप्रन क्षेत्र के निर्माण की लागत के मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है।

(घ) तिरूवनन्तपुरम में परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तारीख मार्च, 2008 है।

एच ई सी का कार्य-निष्पादन

1407. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एचईसी), रांची के क्रयादेशों की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एच ई सी के लाभ/घाटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एच ई सी ने अपने कार्यकरण में कोई सुधार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एच ई सी के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए उठाए जाने वाले अन्य कदम क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) आज की तिथि के अनुसार कंपनी ने 516.28 करोड़ रुपये के क्रयादेश प्राप्त किये हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा उठाई गई हानि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	निवल लाभ (+)/हानि(-)
2003-04	-132.68
2004-05	-285.02
2005-06	-86.89

(ग) और (घ) कंपनी के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान कंपनी का सकल

कारोबार क्रमश: 123.23 करोड़ रुपये, 159.08 करोड़ रुपये तथा 178.18 करोड़ रुपये था।

(ङ) सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए प्रयास जारी है जिससे उत्पादकता तथा उपस्करों की क्षमता में सुधार होगा; उत्पादन समय में कमी करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया कारगर होगी तथा प्रशिक्षण एवं उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन के जरिए जनशक्ति की उत्पादकता में सुधार होगा।

कंपनी ने कम्प्यूटरों का प्रयोग कर विभिन्न कार्यकलापों के नेटवर्किंग की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है।

फ्रेट-कारिडोर परियोजना का विस्तार

1408. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार फ्रेट-कारिडोर परियोजना का देश के पूर्वी भागों में विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। पूर्वी मार्ग पर समर्पित माल यातायात गलियारे को प्रस्तावित डीप सी पोर्ट के मालभाड़ा यातायात में वृद्धि की संभावना को देखते हुए कोलकाता क्षेत्र में प्रस्तावित पत्तन तक बढ़ाया जाएगा।

[हिन्दी]

शीतागार सुविधा

1409. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण और शीतागार क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में खराब भंडारण सुविधाओं की वजह से कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भंडारण सुविधाओं में सुधार लाने के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समग्र विकास के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25% तक, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 33.33% तक, जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। गैर-बागवानी उपज के लिए शीतागार और नियंत्रित वातावरण/परिवर्तित वातावरण सुविधा वाले विशेष प्रकार के शीतागारों हेतु सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% तक तथा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% तक सहायता स्वीकार्य है जिसकी अधिकतम सीमा दोनों मामलों में 75 लाख रुपये है। इसके अलावा, उन शीतागारों को भी सहायता दी जाती है जो प्रसंस्करण इकाइयों का अभिन्न अंग हैं अथवा खाद्य पार्कों में सामान्य सुविधाओं का एक भाग हैं। यह मंत्रालय स्वयं परियोजनाओं की स्थापना नहीं करता है और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर योजना स्कीमों के तहत सहायता पर विचार किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा केवल (स्टैंड एलोन) शीतागारों के लिए अनुमोदित वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

राबो इंडिया फाइनेंस प्रा. लिमिटेड द्वारा तैयार की गई विजन, 2015 रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि पर्याप्त फसलोत्तर बुनियादी ढांचे के अभाव, शीत श्रृंखला सुविधाओं, ढुलाई, उचित भण्डारण सुविधाओं आदि के अभाव के कारण फसल कटाई के बाद सार-संभाल के विभिन्न चरणों में कृषि खाद्य मदों की होने वाली बरबादी फल एवं सब्जियों के मामले में 22% और खाद्यान्नों के मामले में लगभग 10% है।

विवरण

राज्य-वार वित्तीय सहायता

क्रम सं.	राज्य	गत तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 और 2005-06) के दौरान अनुमोदित वर्षवार वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	6.78
2.	दिल्ली	75.00
3.	गोआ	16.542
4.	गुजरात	44.20
5.	हरियाणा	28.69
6.	महाराष्ट्र	99.926
7.	उत्तर प्रदेश	9.055
8.	पश्चिम बंगाल	35.81
	कुल	316.003

ए.पी. एक्सप्रेस के डिब्बों का अलग हो जाना

1410. श्री गणेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि हैदराबाद से दिल्ली आ रही ए.पी. एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे 24 अक्तूबर की मध्य रात्रि को मध्य प्रदेश के बेतल और घोड़ाडोंगरी स्टेशनों के निकट अलग हो गए थे;

(ख) क्या हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें जान और माल का कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त घटना के बारे में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। 24.10.2006 को मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अमला और इटारसी खंड के घोड़ाडोंगरी और बरबतपुर स्टेशनों के बीच 20.25 बजे 2723 डाउन ए.पी. एक्सप्रेस के डिब्बों के अलग हो जाने की एक घटना घटी. रिमार्शलिंग के पश्चात् प्रभावित डिब्बे को उसी गाड़ी के साथ भेज दिया गया।

(ख) 2723 डाउन ए.पी. एक्सप्रेस घोड़ाडोंगरी स्टेशन से 20.40 बजे निकली तथा घोड़ाडोंगरी और बरबतपुर स्टेशनों के बीच ब्लाक खंड पर दौड़ते हुए कपलिंग टूट जाने के कारण गाड़ी इंजन से 13वें और 14वें डिब्बों के बीच से अलग हो गई। बरबतपुर पर प्रभावित गाड़ी के अगले और पिछले हिस्सों को पास लाकर, प्रभावित डिब्बे की रिमार्शलिंग करके पीछे लगा दिया गया तथा गंतव्य तक इसे उसी गाड़ी के साथ भेजा गया। इस घटना में कोई जान-माल की हानि नहीं हुई।

(ग) और (घ) गाड़ी सं. 2723 ए.पी. एक्सप्रेस के डिब्बों के अलग हो जाने की घटना की जांच की गई है। इस रेक के डिब्बों में परंपरागत सवारी डिब्बों में लागाई जाने वाली स्क्रू कपलिंग के स्थान पर सैंटर बफर कपलर (सी बी सी) लगाए गए हैं। इस रेक के एक डिब्बे में कैरियर प्लेट बाल्ट के टूट जाने के कारण तथा उस उस कारण से कैरियर प्लेट और कपलर पिन के गिर जाने से कपलर बाडी खुल गई।

सी बी सी के अनुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ट्रिप के बाद रेक के अनुरक्षण के दौरान कैरियर प्लेट एसेम्बली में माउंटिंग बोल्ट की जांच की जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि बोल्ट का टार्क ढीला पाए जाने पर उसे कस दिया जाता है।

हैदराबाद के अनुरक्षण डिपो के कर्मचारियों को ऊपर उल्लिखित अनुरक्षण दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। उनके विरूद्ध अनुशासनिक और अपील नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

मालभाड़ा टर्मिनल

1411. श्री प्रो. एम. रामदास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में कितने मौजूदा मालभाड़ा टर्मिनल हैं;

(ख) इन टर्मिनलों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन टर्मिनलों की जांच के लिए कोई नियमित तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो इन टर्मिनलों पर भीड़भाड़ और प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) निम्नलिखित 4 शहरों के मौजूदा मालभाड़ा टर्मिनल इस प्रकार हैं :-

दिल्ली	—	13
मुंबई	—	32
कोलकाता	—	37
चेन्नै	—	17

(ख) अधिकांश टर्मिनल पूर्ण रेक टर्मिनल हैं। पर्याप्त मालभाड़ा यातायात को वहन करने वाले टर्मिनलों पर गुड्स शेड की टॉप वायरिंग, क्षमता संवर्धन, व्हार्फ का विस्तार/विकास, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और संपर्क मार्ग सुविधाएं मुहैया कराने जैसे कई कार्य किए जा रहे हैं। सीमेंट और अन्य पण्यों के भंडारण के लिए शकूरबस्ती पर सेंट्रल वेयरहाउसिंग द्वारा छतदार वेयरहाउस का निर्माण कराया जा रहा है।

(ग) जी हां। मालभाड़ा टर्मिनलों से संबंधित सूचना एफ ओ आई एस (मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली) फारमेट में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत है। रेक के प्राप्त होने के समय से उसकी वास्तविक रूप से प्लेसमेंट, उसकी प्लेसमेंट से उसे भेजने तक तथा उसे भेजने से रेक प्रेषण के वास्तविक समय की रेक-वार पूर्ण रूकौनी की मानीटरिंग की जाती है। अंतिम प्रेषण तक पहुंच में रूकौनी, जिसमें 24 घंटे से अधिक समय लगता है, की मानीटरिंग रेलवे बोर्ड द्वारा की जाती है। टर्मिनलों के लिए लोड किए गए रेकों की संख्या तथा उनके मार्गस्थ संचलन की पाइपलाइन मानीटरिंग प्रणाली द्वारा गहन मानीटरिंग की जाती है।

(घ) मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली में दर्शाए गए अनुसार टर्मिनल व्यस्तता की समीक्षा प्रतिदिन की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारक कार्रवाई लगातार की जाती है कि इस रूकौनी को नियंत्रित करके कम किया जाता है। जहां तक संभव हो सके, कोयला, लौह अयस्क आदि जैसे वायु को प्रदूषित करने वाले पण्यों को शहरी आबादी से दूर पृथक टर्मिनलों पर लोड किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, लदान/उतराई स्थल पर रेलवे के ग्राहकों द्वारा पानी का छिड़काव तथा अन्य एहतियाती उपाय किए जाते हैं।

रेलभूमि विकास प्राधिकरण

1412. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलभूमि विकास प्राधिकरण का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इस प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों के इर्द-गिर्द रेलवे के अन्तर्गत अप्रयुक्त भूमि की पहचान करने और इसका विकास करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आर एल डी ए) का गठन रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन द्वारा किया गया है जो 1.11.2006 से प्रभावी है। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा चार सदस्य, जिसमें से एक बाहर से (अर्थात गैर-रेलवे सदस्य) होंगे जो भू-सम्पदा के विशेषज्ञ होंगे।

(ग) यह प्राधिकरण रेल मंत्रालय द्वारा सौंपी गई इस प्रकार की खाली भूमि पर वाणिज्यिक विकास के लिए काम प्रारंभ करेगा जिसकी रेलवे को अपने परिचालनिक उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है। आर डी एल ए खाली भूमि और नामित स्टेशनों पर एयर स्पेस के वाणिज्यिक विकास के द्वारा रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था भी प्रारंभ करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1413. श्री राजपति सांबासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निष्पादन के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निष्पादन में सुधार लाने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के 10 (दस) उपक्रम हैं, अर्थात् (i) इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, (ii) राइट्स लिमिटेड, (iii) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, (iv) भारतीय कंटेनर लिमिटेड, (v) कॉकण रेल निगम लिमिटेड, (vi) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, (vii) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, (viii) भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड, (ix) रेल विकास निगम लिमिटेड और (x) समर्पित माल यातायात गलियारा निगम लिमिटेड।

(ख) पिछले तीन वर्ष अर्थात 2003-04, 2004-05 और 2002-06 के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन इस प्रकार है :

(i) इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	ब्यौरा	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकार	4.94	4.94	9.89
	(ii) अन्य	0.01	0.01	0.03
2.	शुद्ध मूल्य	712.33	777.71	829.29
3.	कुल आय	792.23	1014.39	1112.79
4.	कर पूर्व लाभ	78.74	107.75	110.88
5.	लाभांश भुगतान-सरकार	18.75	20.23	25.73
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.49	0.61	0.64

(ii) राइट्स लिमिटेड:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	ब्यौरा	2003-04	2004-05	2005-06
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकार	4.00	4.00	4.00
	(ii) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	शुद्ध मूल्य	283.36	310.91	387.26
3.	कुल आय	285.42	240.30	426.42
4.	कर पूर्व लाभ	72.32	67.60	132.97
5.	लाभांश भुगतान-सरकार	11.67	12.00	20.00
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.11	0.09	0.16

(iii) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	ब्यौरा	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकार	232.00	232.00	232.00
	(ii) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
2.	शुद्ध मूल्य	2578.60	2392.91	2095.76
3.	कुल आय	1894.35	1954.97	2019.69
4.	कर पूर्व लाभ	410.43	503.36	503.98
5.	लाभांश भुगतान-सरकार	1100.00	115.00	150.00
6.	प्रति कर्मचारी आय	126.29	130.60	100.98

(iv) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	ब्यौरा	2003-04	2004-05	2005-06
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकार	41.00	41.00	41.00
	(ii) अन्य	23.99	23.99	23.99
2.	शुद्ध मूल्य	1377.24	1698.76	2091.17
3.	कुल आय	1807.40	2043.33	2489.16
4.	कर पूर्व लाभ	498.72	609.60	670.13
5.	लाभांश भुगतान-सरकार	51.25	59.45	73.80
6.	प्रति कर्मचारी आय	1.93	2.01	2.34

(v) कॉकण रेल निगम लिमिटेड:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	ब्यौरा	2003-04	2004-05*	2005-06*
1	2	3	4	5
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकार (राज्य सरकारों सहित)	789.06	789.92	803.06
	(ii) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	शुद्ध मूल्य	(1558.39)	(1859.18)	(2080.31)
3.	कुल आय	245.54	425.82	630.23
4.	कर पूर्व लाभ	(357.72)	(305.47)	(241.85)
5.	लाभांश भुगतान-सरकार	शून्य	शून्य	शून्य
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.06	0.07	0.08

*परियोजनाओं से आय का आकलन करने की लेखा नीति 2004-05 से बदल दी गई है।

(vi) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	ब्यौरा	2003-04	2004-05	2005-06
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकार (राज्य सरकारों सहित)	25.00	25.00	25.00
	(ii) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	शुद्ध मूल्य	31.57	42.11	56.23
3.	कुल आय	6.27	10.94	19.99
4.	कर पूर्व लाभ	2.82	6.66	14.16
5.	लाभांश भुगतान-सरकार	शून्य	शून्य	शून्य
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.03	0.08	0.10

(vii) भारतीय खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	ब्यौरा	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकार	20.00	20.00	20.00

1	2	3	4	5
	(ii) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	शुद्ध मूल्य	27.46	31.78	47.22
3.	कुल आय	69.58	127.09	267.98
4.	कर पूर्व लाभ	6.42	7.94	31.63
5.	लाभांश भुगतान-सरकार	1.00	1.00	4.00
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.05	0.05	0.04

(viii) भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	ब्यौरा	2003-04	2004-05	2005-06
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकार	234.40	234.40	234.40
	(ii) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	शुद्ध मूल्य	234.40	270.12	234.40
3.	कुल आय	11.34	32.86	60.44
4.	कर पूर्व लाभ	(15.75)	(19.50)	(10.27)
5.	लाभांश भुगतान-सरकार	शून्य	शून्य	शून्य
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.09	0.22	0.23

(ix) रेल विकास निगम लिमिटेड:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	ब्यौरा	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकार	500.00	977.35	1150.02
	(ii) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	शुद्ध मूल्य	500.00	977.35	1151.26
3.	कुल आय	0.33	4.06	12.15
4.	कर पूर्व लाभ	शून्य	(0.65)	1.89
5.	लाभांश भुगतान-सरकार	शून्य	शून्य	शून्य
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.04	0.09	0.08
7.	संपन्न परियोजनाओं की संख्या	—	1	6
8.	आरवीएनएल द्वारा वित्त व्यय	258.67	401.96	788.31

(x) समर्पित माल यातायात गलियारा निगम लिमिटेड:

हाल ही में, 30.10.2006 को समर्पित माल यातायात गलियारा निगम (डीएफसीसीआईएल) का समामेलन किया गया है।

यह देखा जा सकता है कि रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम टर्नओवर और लाभ के हिसाब में सुधार दिखा रहे हैं।

कोंकण रेल निगम निर्माण चरण के दौरान निगम द्वारा लिए गए ऋणों की अदायगी के कारण क्षति वहन कर रहा है। बहरहाल, निगम परिचालन व्यय और मूल्यह्रास को पूरा करने के लिए संसाधनों का सृजन करने में समर्थ है। रेल मंत्रालय निगम के वित्तीय पुनर्गठन पर विचार कर रहा है।

भारतीय रेलटैल निगम लिमिटेड का समामेलन सितंबर, 2000 में हुआ था। यह कंपनी 2005-06 तक कंपनी की विकासशील अवस्था के कारण घाटा दर्शा रही थी। वित्त वर्ष (2006-07) में परिचालन परिणामों में सुधार और "मार्गाधिकार" प्रभारों के करार में आशोधन को लागू किए जाने से इस कंपनी द्वारा कायापलट करने तथा लाभ अर्जित किए जाने की प्रत्याशा है।

(ग) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन उच्चतम स्तर पर अर्थात रेलवे बोर्ड की संबंधित सदस्य द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

रेल मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा रहा है।

[हिन्दी]

निःशक्त सूची में मरीजों को शामिल किया जाना

1414. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सैल एनीमिया से ग्रस्त मरीजों को निःशक्त व्यक्तियों की सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एचपीएफ का पुनरूद्धार

1415. श्री एम. अप्पादुरई : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (एचपीएफ) ऊटी, तमिलनाडु को उसके कर्मचारियों को वीआरएस की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 10 करोड़ रुपए आबंटित किए है;

(ख) यदि हां, तो एच पी एफ के कर्मचारियों को वीआरएस लेने के लिए बाध्य किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एच पी एफ पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) कंपनी में वीआरएस प्रारंभ करने के लिये सरकार कंपनी के साथ-साथ एचपीएफ के कर्मचारी संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त कर रही है। कर्मचारी संगठन के अनुरोध पर विचार विमर्श करने पर सरकार द्वारा एचपीएफ में वीआरएस प्रारभ करने का निर्णय लिया गया जिसके लिये वित्त मंत्रालय ने 10 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। योजना पूर्णतःस्वैच्छिक है तथा कर्मचारियों के लिये अनिवार्य/बाध्यकर नहीं है। केवल उन्हीं व्यक्तियों जो वीआरएस लेंगे, को डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत उनकी देयराशि का निपटान करने के पश्चात सेवानिवृत करने पर विचार किया जायेगा।

(घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) को 1995 में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) को संदर्भित किया गया था। दिनांक 30 जनवरी, 2003 को बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। बीआईएफआर के कंपनी को बंद करने के आदेश के विरूद्ध विभिन्न एजेंसियों द्वारा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन अपीलिय प्राधिकारण (एएआईएफआर) के समक्ष अपील दायर की गयी। हालांकि ट्रेड यूनियनों द्वारा दायर की गई अपील के आधार पर मद्रास उच्च न्यायलय ने एएआईएफआर के आदेशों की कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगा दी है।

जहां तक पुनरूद्धार मामले का संबंध है पहले ही मैसर्स ए.एफ. फर्गुसन को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करते हुये कंपनी का तकनीकी आर्थिक जैव्यता अध्ययन कराया गया था। यह अध्ययन कंपनी के लिये सतत् आधार पर पुनरूद्धार के लिये कोई जैव्य विकल्प नहीं था। तत्पश्चात उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग (राज्य सभा)

की सिफारिश के आधार पर कंपनी के आगे के अध्ययन के लिये मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग को नियुक्त किया गया है।

संरक्षित स्मारकों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना

1416. **श्री खाडिगा रामकृष्ण** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संरक्षित स्माकों और स्थलों के विशिष्ट क्षेत्रों के इस्तेमाल और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के संबंध में क्या दिशा-निर्देश है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान संरक्षित स्मारकों और स्थलों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में किसी नए स्मारक की पहचान की गई है अथवा उत्खनन कार्य किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) कार्यालय ज्ञापन सं. 17/37/2004-एम दिनांक 14-01-2005 द्वारा जारी दिशानिर्देशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें उन स्मारकों/स्थलों की सूची दी गई है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

कार्यालय ज्ञापन संख्या 17/37/2004-एम दिनांक 14.01.2005 द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा जिसमें उन स्मारकों/स्थलों की सूची दी गई है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है।

1. साधारण रूप से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) स्मारकों तथा ऐसे स्मारकों से जुड़ी भूमि को समारोहों/कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रयोग में लेने की अनुमति नहीं देना चाहेगा। तथापि, मंडलों द्वारा, अपवाद के रूप में, इस प्रकार के प्रयोग की अनुमति तभी दी जा सकती है जब महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडल कार्यालय पूर्णतया संतुष्ट हों कि समारोह/कार्यक्रम से स्मारक, इसकी भूमि तथा उस पर स्थित अन्य निर्मित संरचनाओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी।

2. मंडल, केवल उन्हीं स्मारकों के लिए अनुमति प्रदान करेंगे जिनकी पहचान सांस्कृति कार्यक्रमों के आयोजन के लिए की गई है। वे उन स्मारकों के क्षेत्र/हिस्सों को रेखांकित भी करेंगे जहां इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडलकार्यालय, पहचाने गए स्मारक/स्थल में समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से मना कर सकते हैं यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में जीर्णोद्धार/सौन्दर्यकरण कार्य किए गए हैं तथा इस प्रकार के आयोजन से जीर्णोद्धार के कार्य में बाधा/क्षति पहुंच सकती है।

4. यदि कोई स्मारक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए अनुमति देने हेतु सूची में नहीं है, तो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संबंधित अधीक्षण पुरातत्वविद् से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात्, इस प्रकार कीअनुमति प्रदान कर सकते हैं। तथापि, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास इस प्रकार के किसी अनुरोध को रद्द कर देने का अधिकार भी सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम होगा।

5. उच्च दर्जे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वरीयता: शास्त्रीय, के आयोजन के लिए अनुमति दी जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए, शास्त्रीय अवसरों का आशय शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा नाटक होगा। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई अवसर सांस्कृतिक अवसर है या नहीं, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा।

6. ऐसे किसी समारोह/कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जहां प्रवेश का विनियमन टिकटों की बिक्री या प्रवेश शुल्क लगा कर किया जाएगा।

7. किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी

जो वाणिज्यिक/धार्मिक गतिविधि जैसे बिक्री आदि से संबंधित होगा।

8. केवल सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक निकायों को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। निजी व्यक्तियों, निजी निकायों या अन्य व्यावसायिक संगठनों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यह निर्णय लेने के लिए कि क्या कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुरोध सार्वजनिक निकाय से प्राप्त हुआ है या नहीं, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा। सार्वजनिक निकायों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते समय, महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडल कार्यालय संबंधित संगठन के पूर्व इतिहास तथा कार्य कलापों, कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्वरूप तथा अवधि पर विचार करेंगे।

9. कुछ मामलों को छोड़कर जहां रिकार्ड किए गए कारणों के कारण अनुमति एक दिन से अधिक दी जा सकती है, जारी की गई अनुमति केवल एक दिन के लिए वैध होगी। सभी अस्थायी संरचनाएं उसी दिन रात्रि 11.00 बजे तक बनाई व हटाई जानी चाहिए। सभी कार्यक्रम रात्रि 10.00 बजे तक सम्पन्न हो जाने चाहिए। इसके बाद किसी प्रकार के संगीत या लाउडस्पीकर आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा पुलिस मे शिकायत दर्ज करवाई जाएगी।

10. एक अस्थाई मंच या स्टेज बनाने के अलावा जिसे हटाया जा सकता है किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की अस्थायी संरचनाओं को बनाने में किसी प्रकार की चिनाई का कार्य नहीं किया जाएगा।

11. चूंकि स्मारक या इसकी सीमा के भीतर किसी कार्यक्रम के आयोजन से निर्मित अवसंरचना तथा इसके परिवेश को क्षति पहुंच सकती है अत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके प्रयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क लगाएगा :-

(क) किसी संरक्षित स्मारक से जुड़ी भूमि (बाहरी) में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 25,000/- रुपए प्रति दिन तथा यदि भूमि के साथ-साथ निर्मित स्मारक (आंतरिक) के किसी भाग का भी प्रयोग किया जाना हो तो 50,000/- रुपए प्रति दिन प्रभार लिया जाएगा (दिल्ली के चुने हुए स्मारकों में)

(ख) अन्य मंडलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसी संरक्षित स्मारक से जुड़ा क्षेत्र (बाहरी) के प्रयोग के लिए 10,000/- प्रति दिन प्रभार लिया जाएगा तथा जहां संरक्षित स्मारक का एक भाग भी प्रयोग किया जाना है तो 25,000/- रुपए प्रतिभार लगाया जाएगा। अन्य अन्तर किए जाने की आवश्यकता होने पर उसे महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्धारित करेंगे।

उपर्युक्त के साथ-साथ दिल्ली के सभी स्मारकों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 50,000/- रुपए प्रतिदिन की प्रतिभूति जमा की मांग भी करेगा। अन्य मंडलों में यह प्रतिदाय प्रतिभूति जमा 30,000/- रुपए होगी। यह प्रतिभूति जमा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घास-फूस/कूड़ा कचरा आदि या क्षति की मरम्मत, यदि कोई होती है तो, उस पर किए गए व्यय के पश्चात् आयोजन के एक सप्ताह के पश्चात् वापिस कर दी जाएगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभिन्न पहलुओं जैसे पार्किंग, आगन्तुकों की अधिकतम संख्या, शोर तथा प्रकाश स्तर आदि पर अपनी उचित शर्तें लगा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्मारक तथा इसका परिवेश सुरक्षित तथा संरक्षित रहे तथा कार्यक्रम के संचालन से स्मारक (बाहरी रूप से) या इसकी सांकृतिक सद्भावना को कोई नुकसान न पहुंचे।

मंडल कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति प्रदान की जा सकती है उन स्मारकों की सूची संलग्न अनुबंध में है। यह सूची संपूर्ण नहीं है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस सूची को, जब कभी अपेक्षित हो, संशोधित कर सकता है।

उपर्युक्त दिशानिर्देश तुरन्त प्रभावी होंगे तथा अगले आदेश जारी होने तक वैध रहेंगे।

अनुबंध

सूची उन स्मारकों/स्थलों की जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दी जा सकती है

1. आगरा मंडल
   1. राम बाग
   2. अकबर का मकबरा (बाहर)
   3. दीवान-ए-आम (आगरा किला)
   4. कंकाली टीला मथुरा
   5. बादशाही दरवाजा के बाहर खुला क्षेत्र, फतेहपुर सीकरी
2. औरंगाबाद मंडल
   1. बीबी का मकबरा के मैदान, औरंगाबाद
   2. शैलकृत गुफाओं के सामने खुला क्षेत्र एलोरा
   3. खुला क्षेत्र, किला, दौलताबाद
3. बंगलौर मंडल
   1. खुला क्षेत्र, एलिफैंटा स्टेबल, हम्पी
   2. खुला क्षेत्र, विट्ठल मंदिर परिसर, हम्पी
   3. खुला क्षेत्र, केशव मंदिर के पूर्व में, सोमनाथपुर
   4. खुला क्षेत्र, होयसलेश्वर मंदिर, हालेबिदु
   5. खुला प्रांगण, चेन्ना केशवा मंदिर बेलूर
   6. बाहुवली मूर्ति, श्रवणबेल गोला का खुला क्षेत्र तथा विहार
   7. बाहुबली की प्रतिमा के आस-पास का क्षेत्र करकला
   8. चित्रदुर्ग किला का खुला क्षेत्र
   9. टीपू का महल, बंगलौर के खुले मैदान
   10. टीपू का मकबरा, श्रीरंगापट्नम के आस-पास का खुला क्षेत्र
   11. दौलता बाद महल, श्रीरंगापट्नम का खुला क्षेत्र
   12. श्री हरिहरेश्वरा मंदिर, हरिहरा
   13. ईश्वरा मंदिर, अरासीकेरे
   14. देवनाहल्ली किला
   15. सोमेश्वर मंदिर, कोलार
   16. मंदिर समूह का खुला क्षेत्र नंदी
   17. अनंतपद्मनाभा मंदिर, परिसर, करकला
   18. किला बेल्लारी
   19. स्मारकों के आस-पास खुला क्षेत्र, हम्पी
4. भोपाल मंडल
   1. चित्रगुप्त मंदिर, खजुराहो का उत्तर
   2. तानसेन का मकबरा, ग्वालियर
   3. सास बहू मंदिर, ग्वालियर के आस-पास का खुला क्षेत्र
   4. शिव मंदिर भोजपुर के पश्चिम में खुला क्षेत्र
   5. जहाज महल का खुला क्षेत्र, मांडू
5. भुवनेश्वर मंडल
   1. राजा रानी के आस-पास का खुला क्षेत्र, भुवनेश्वर
   2. मुक्तेश्वर मंदिर का खुला क्षेत्र
   3. परशु रामेश्वरा मंदिर
   4. सूर्य मंदिर, कोणार्क का खुला क्षेत्र
   5. सीता भांजी
   6. हरिपुर गढ़
   7. रत्नागिरि स्थित स्थल

6. चंडीगढ़ मंडल

1. जल महल को घेरने वाला खुला क्षेत्र, नारनौल
2. किला, नूरपुर
3. खुला क्षेत्र, कांगड़ा किला
4. दक्खिनी, सराय
5. किला भटिंडा

7. चैन्नई मंडल

1. बृहदेश्वरा मंदिर, तंजावूर
2. बृहदेश्वरा मंदिर, गंगई कोंडा चोलापुरम्
3. अरावतेश्वरा मंदिर, दारासुरम
4. मंदिर समूह, शैलकृत गुफाएं, महाबलीपुरम्
5. खुला क्षेत्र, मंदिर समूह, मूवर कोइल
6. किला क्षेत्र सदरस

8. दिल्ली मंडल

1. अरब की सराय (हुमांयू का मकबरा परिसर)
2. इस्खान मकबरा (हुमांयू का मकबरा परिसर)
3. तालाब महल
4. रोशनारा गार्डन
5. कुतुब मीनार परिसर का खुला क्षेत्र
6. पुराना किला का लान तथा बाहरी खुला क्षेत्र
7. किला रायपिथौड़ा का खुला क्षेत्र
8. लाल किला का खुला (रामलीला तथा अन्दर का क्षेत्र)

9. देहरादून मंडल

1. रुद्रनाथ मंदिर परिसर, गोपेश्वर, जिला चामोली

10. धारवाड़ मंडल

1. दुर्गा मंदिर परिसर एहोल का खुला क्षेत्र
2. ज्योतिर्लिंग मंदिर समूह, एहोल का खुला क्षेत्र
3. मंदिर, पट्टाडकल का उत्तरी खुला क्षेत्र
4. मंदिर समूह, अघुर के बीच खुला क्षेत्र
5. गुलबर्गा किला के भीतर खुला क्षेत्र
6. महमूद गवनस मदरसा, बीदर का खुला क्षेत्र
7. गोल गुम्बज, बीजापुर के आस-पास का खुला क्षेत्र
8. इमब्राहिम रौजा, बीजापुर के मैदान
9. खुला क्षेत्र नवारसपुर
10. स्मारक समूह, लक्कुडी का खुला क्षेत्र
11. महादेवी मंदिर, इट्टागी के आस-पास खुला क्षेत्र
12. सिद्धेश्वर मंदिर, हावेरी के पश्चिम में खुला क्षेत्र
13. मधुकेशवरा मंदिर परिसर वन वासी
14. मुक्तेश्वरा मंदिर, चंदादानपुर
15. खुला क्षेत्र किला, सौंदा

11. गोवा लघु मंडल

1. किला के भीतर का खुला क्षेत्र, अगुदा
2. महादेव मंदिर परिसर, तम्बदी सुरला
3. साफा मस्जिद, पॉडा का खुला क्षेत्र

12. हैदराबाद मंडल

1. गोल कॉडा किला के भीतर का क्षेत्र
2. सिद्धोत किला, कुडप्पा
3. शंकरम, विशाखा पट्टनम

4. रामाप्पा मंदिर, पालममेट

5. किला के भीतर का क्षेत्र, वारंगल

6. प्रति रोपित स्मारक नागार्जुनकोंडा तथा अनुपु के आस-पास खुला क्षेत्र (केवल दिन में)

7. अमरावती, स्तूप स्थल के आस-पास का क्षेत्र

13. जयपुर मंडल

1. अन्ना सागर, बारादरी

2. भानगढ़ स्थित प्राचीन स्थल

3. डीग पैलेस, डीग, जिला भरतपुर

4. किला बयाना

5. मंदिर समूह, बदोली

6. महनाल मंदिर मेनल

7. मंदिर समूह, बिजोलिया

8. किला चितौड़गढ़

9. किला कुम्भलगढ़

10. किला रणथम्भौर

11. किला जैसलमेर

12. पुरातात्विक स्थल, लुद्रवा

13. घाट/जहांगीरी महल, पुष्कर

14. कोलकाता मंडल

1. कूच विहार महल के सामने खुला क्षेत्र

2. विष्णुपुर मंदिर समूह के आस-पास खुला क्षेत्र, विष्णुपुर

15. लखनऊ मंडल

1. रेजीडेंसी लखनऊ

2. खुला क्षेत्र किला झांसी

16. मुंबई लघु मंडल

1. खुला क्षेत्र ऐलीफैंटा

2. रायगढ़ किला

3. महल परिसर शनिवारवाड़ा, पुणे

17. पटना मंडल

1. पुरातात्विक स्थल, सारनाथ

2. पुरातात्विक स्थल, नालन्दा

3. खुला क्षेत्र शेर शाह मकबरा, सासाराम

18. रायपुर मंडल

1. स्मारक समूह, सिरपुर

19. रांची मंडल

कोई नहीं

20. शिमला लघु मंडल

1. खुला क्षेत्र, वाइस रीगल लाज, शिमला

21. श्रीनगर मंडल

1. महल रामनगर

2. रामनगर, किला का खुला क्षेत्र

22. त्रिसुर मंडल

1. किले के भीतर खुला क्षेत्र, बेकल

2. सैंट ऐंजेलो किला के भीतर क्षेत्र, कन्नूर

3. पक्कड़ स्थित किला

23. वड़ोदरा मंडल

1. सूर्य मंदिर के आस-पास खुला क्षेत्र/बागीचा, मोधेरा

2. किला के भीतर खुला क्षेत्र, पावागढ़

3. किला, दीव

4. किला क्षेत्र, मोती दमन

5. किला क्षेत्र, नानी दमन

6. सीढ़ीदार कुआं के आस-पास क्षेत्र, पाटन

गैर-अर्थक्षम तेल शोधनशालाएं

1417. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल शोधक कारखानों की स्थापना के संबंध में क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार ने किसी तेल शोधक कारखाने की आर्थिक रूप से गैर-अर्थक्षम कारखाने के रूप में पहचान की है और उसका विचार उन तेल शोधक कारखानों को बंद करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन तेल शोधक कारखानों को आर्थिक रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) रिफाइनरी क्षेत्र को जून, 1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और एक रिफाइनरी भारत में कहीं भी प्रवर्तक द्वारा इसकी व्यवहार्यता के आकलन के आधार पर निर्भर करते हुए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा स्थापित की जा सकती है। रिफाइनरियां स्थापित करने के लिए प्रस्तावों पर विचार सरकार द्वारा नहीं बल्कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया जाता है।

(ख) से (घ) सरकार ने किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र तेल रिफाइनरी की पहचान आर्थिक रूप से अव्यवहार्य होने के रूप में नहीं की है तथा किसी भी रिफाइनरी को बंद करने का प्रस्ताव नहीं है।

रिफाइनरियों के आर्थिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ रिफाइनरियों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम, एकीकृत अंतर-न्यूनीकरण कार्यक्रम आदि चलाए गए हैं।

[हिन्दी]

मिनरल वाटर की आपूर्ति के लिए ठेका

1418. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में किन नियमों के तहत मिनरल वाटर की आपूर्ति का ठेका दिया जाता है और यह ठेका कितनी अवधि के लिए दिया जाता है;

(ख) क्या ऐसे मिनरल वाटर का परीक्षण नियमित तौर पर किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे को गत दो वर्षों के दौरान दूषित मिनरल वाटर की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) द्वारा निर्मित एवं आपूर्ति किया जाने वाला "रेल नीर" रेलगाड़ियों सहित भारतीय रेल के परिसरों में विभागीय यूनिटों तथा गैर-विभागीय प्राइवेट लाइसेंसधारकों द्वारा खरीदा एवं बेचा जाने वाला बोतलबंद पानी का विशेष ब्रांड है। प्राइवेट लाइसेंसधारियों को यह छूट है कि जहां "रेल नीर" उपलब्ध नहीं है वहां वे भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा अधिसूचित बोतलबंद पानी के बी आई एस अनुमोदित ब्रांड को खरीद सकते हैं।

(ख) बोतलबंद पानी के नमूनों को लेकर नियमित रूप से जांच की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान बोतलबंद पीने के पानी की असंतोषजनक गुणवत्ता की 44 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दोष सिद्ध मामलों में चेतावनी देने, जुर्माना करने आदि जैसी कार्रवाई की गई है;

[अनुवाद]

अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए रणनीति

1419. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उन्हीं कर्मचारियों और परिसंपत्तियों के साथ आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल की है;

(ख) क्या रेलवे ने राष्ट्र के लिए वृद्धि का माध्यम बनने हेतु एक बार पुन: अधिक राजस्व प्राप्ति करने के लिए कोइ रणनीति अपनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे के पास परिचालन लागत में कमी करने से संबंधित तकनीको का उपयोग करते हुए कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए एक प्रभावी मॉनीटरिंग प्रणाली है।

(ग) रेलवे की नीति मालडिब्बों की उपलब्धता में वृद्धि करके, मालभाड़ा दरों को युक्तिसंगत बनाकर, मालडिब्बों के खाली संचलन को रोकने के लिए आते-जाते समय के लिए माल यातायात की पहचान करके, प्रभावी मालभाड़ा सूचना और परिचालन प्रणाली के द्वारा तंत्र को पारदर्शी बनाकर अधिक से अधिक राजस्व कमाना है।

टी-90 प्रमुख युद्धक टैंकों की खरीद

1420. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय थलसेना के लिए और अधिक टी-90 प्रमुख युद्धक टैंकों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) रूस से आयात की लागत की तुलना में इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इन टैंकों को कब तक थलसेना को सौंपे जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। भारी वाहन निर्माणी (एच वी एफ), आवड़ी ने अब तक 181 टैंकों का उत्पादन किया है तथा इनकी भारतीय सेना को आपूर्ति की है। भारत ने 1000 टी-90 टैंकों के लाइसेंस-उत्पादन हेतु वर्ष 2001 में रुस के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए थे तथा प्रारंभ में भारी वाहन निर्माणी (एच वी एफ), आवड़ी को 300 टैंकों का आर्डर दिया गया है। इस आर्डर के अंतर्गत सेना को वर्ष 2007-08 से आपूर्ति शुरू होगी।

वर्ष 2001 में, रुस से टी-90 टैंकों की 11.00 करोड़ रुपए की लागत पर सीधी अधिप्राप्ति की गई थी जबकि चालु वर्ष में स्वदेशी टैंकों का निर्गम मूल्य 12.00 करोड़ रुपए है।

भेल की उत्पादन क्षमता

1421. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत उपस्कर का उत्पादन करने में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की वार्षिक क्षमता कितनी है;

(ख) देश में विद्युत उपस्करों की वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) क्या देश की स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए भेल का वार्षिक उपस्कर उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या भेल निकट भविष्य में 60000 मे.वा. के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत उपस्कर का उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भेल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) छठी पंचवर्षीय योजना से आगे विनिर्माणी विद्युत संयंत्र उपस्कर के लिए भेल की वार्षिक क्षमता 6,000 मेगावाट हो गयी है। मूल दसवीं योजना की अतिरिक्त (वर्धित) क्षमता के लक्ष्य 41,110 मेगावाट में से भेल को 20,621 मेगावाट चालू करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी जो इस योजना का लगभग 50% है। इस प्रकार, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता-उपयोगिता लगभग 67% ही है। विद्युत मंत्रालय के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 30,642 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता दसवीं योजना के दौरान प्राप्त कर लेने की संभावना है जिसमें

भेल का योगदान 19,291 मेगावाट होने की संभावना है जिसमें अतिरिक्त क्षमता लगभग 62% है। दसवीं योजना के दौरान विनिर्माणी विद्युत संयंत्र उपस्करों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भेल की विनिर्माणी क्षमता 6,000 मेगावाट प्रतिवर्ष पर्याप्त से कहीं अधिक है।

वर्धित क्षमता कार्यक्रम जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत निर्धारित किया जा रहा है, में 5 वर्ष की अवधि में लगभग 60,000 मेगावाट की अतिरिक्त (वर्धित) क्षमता की परिकल्पना की गई है। 60,000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता के सृजन में से लगभग 12,000 मेगावाट अब तक भेल को और 14,000 मेगावाट अन्य आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर दिए गए हैं। पावर सेक्टर में भेल के 65% समग्र शेयर के अनुसार, भेल को 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 39000 मेगावाट ऑर्डर (क्रमादेश) अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 7800 मेगावाट प्राप्त करने की संभावना है। वर्तमान समय में भेल अपनी वार्षिक क्षमता को 6,000 मेगावाट प्रतिवर्ष से 10,000 मेगावाट प्रतिवर्ष तक विस्तार करके परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इस विस्तारण को वर्ष 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।

केरल में नई रेल लाइन

1422. **श्रीमती पी. सतीदेवी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने केरल और पड़ोसी राज्यों को अंतर्राज्यीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए किसी नए प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित थालाश्री मैसूर रेल लाइन के कार्य को शुरू करने के लिए रेलवे द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) आई आर सी टी सी के गठन के स्वरूप का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का उसके कार्यों पर कोई नियंत्रण है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है। कंपनी के 100% शेयर रेल मंत्रालय के स्वामित्व में हैं। प्रबंध निदेशकों द्वारा कंपनी का प्रबंधन किया जा रहा है। आई आर सी टी सी का कार्य संचालन रेलवे के नियंत्रण में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के कार्य संचालन हेतु सरकार के निर्देशों के अनुसार है।

[हिन्दी]

ट्रेनों पर सुपरफास्ट प्रभार लगाना

1423. **श्री राकेश सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत महाकौशल एक्सप्रेस और दमोदरा एक्सप्रेस ट्रेनों के एम एस टी धारकों को इन ट्रेनों के सुपर फास्ट ट्रेनों में परिवर्तन की वजहर से दोहरा भाड़ा देना पड़ता है जबकि इन ट्रेनों की यात्रा अवधि उतनी ही है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता को दूर करने और ऐसी ट्रेनों पर लगाए गए सुपरफास्ट प्रभार वापिस लेने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कतिपय गाड़ियां जिनकी अप और डाउन दोनों दिशाओं में संपूर्ण यात्रा अवधि के दौरान औसतन गति बड़ी लाइन पर कम से कम 55 कि.मी. प्रति घंटा तथा मीटर लाइन पर 45 कि.मी. प्रति घंटा है, को सुपर फास्ट गाड़ियों के रूप में पदनामित किया गया है ऐसी गाड़ियों में दूसरे दर्जे में यात्रा के लिए प्रति यात्री 10 रु. का एक मामूली अधिभार लगाया गया है। मासिक सुपर फास्ट अधिभार टिकट का प्रभार 15 एकल यात्रा सुपर फास्ट प्रभार के बराबर है। चूंकि महाकौशल एक्सप्रेस और दयोदया एक्सप्रेस गाड़ियां अपेक्षित गति मानदंड को पूरा करती हैं, इसलिए वे सुपर फास्ट गाड़ियों की कोटि के अंदर आती है।

(ख) इस अधिभार को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

माल लदान पर भारी रियायत

1424. **श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने खाली लौटने वाली मालगाड़ियों में माल लदान और पार्सल मदों पर भारी छूट की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक जोनल रेलवे द्वारा खाली लौटने वाली मालगाड़ियों में माल लदान और पार्सल मदों के लिए क्या लक्ष्य प्राप्त किया है; और

(घ) रेलवे द्वारा माल के लदान और बुकिंग हेतु मेल/एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों का उपयोग करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। रेलवे ने माल यातायात के लिए अधिसूचित पारपरिक एम्पटी फ्लो दिशा में लदान हेतु माल भाड़ा रियायत की घोषणा की है। पारंपरिक एम्पटी फ्लो डायरेक्शन के लिए प्रोत्साहन योजना के अधीन वर्धमान यातायात पर कम व्यस्त समय के दौरान 30% माल भाड़ा रियायत और व्यस्त समय के दौरान 20% माल भाड़ा रियायत प्रदान किया जाता है। पण्यकम व्यस्थ समय के दौरान एल आर-2 और व्यस्त समय के दौरान श्रेणी 100 के, जब उन्हें पारंपरिक कंपोजिट श्रेणी दर पर बुक किया जाता है। एम्पटी फ्लो डायरेक्शन में मालभाड़ा फारवर्डर योजना के अधीन संचालित किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत रियायत कतिपय शर्तों के अधीन है।

(ग) ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था

(घ) मांग एवं उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त पार्सलयान लगाए जा रहे हैं।

नागरिक विमानों की दुर्घटनाएं

1425. **श्री पी. करुणाकरन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में हुई नागरिक विमानों की दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए कोई स्थाई और स्वतंत्र जांच आयोग है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष 2004 से आदिनांक तक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा भारतीय सिविल पंजीकृत विमानों की 14 दुर्घटनाओं की रिपोर्ट की गई है जिनमें से वर्ष 2004 में 7, 2005 में 3 और 2006 में 4 दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) और (ग) इन दुर्घटनाओं की जांच वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 71 के तहत डीजीसीए द्वारा नियुक्त दुर्घटना निरीक्षक द्वारा की गई थी। निष्कर्षों में मोटे तौर पर इन दुर्घटनाओं का मानवीय भूल, मैकेनिकल विफलता, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन न किया जाना, खराब मौसम स्थितियां आदि पाया गया। जांच प्राधिकारी की संरक्षा संबंधी सिफारिशों को अनिवार्यत: संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाता है। डीजीसीए नियमित निगरानी, निरीक्षणों तथा उड़न योग्यता जांचों द्वारा भी विमानन प्रचालन में संरक्षा को सुनिश्चित करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नि:शक्त व्यक्तियों संबंधी अधिनियम, 1995 में संशोधन

1426. **श्रीमती जयाप्रदा** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नि:शक्त व्यक्तियों संबंधी अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) स्टेकहोल्डरों, जिन्होंने नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के संशोधन हेतु सुझावों के लिए अनुरोध

किया है, के साथ दो बैठकें पटना और चेन्नै में हुई। कोई समय सीमा इंगित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली-कटरा के बीच रेल लाइन

1427. **प्रो. महादेवराव शिवनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-कटरा रेल लाइन के निर्माण में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा किए जाने की समय सीमा क्या है;

(घ) क्या उक्त मार्ग के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त मार्ग पर कितने प्रतिशत लागत बढ़ने का आकलन किया गया है;

(च) क्या रेलवे का विचार इस मार्ग पर शताब्दी ट्रेनों को चलाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) दिल्ली से उधमपुर तक पहले ही रेलवे लाइन उपलब्ध हैं। उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल संपर्क राष्ट्रीय परियोजना के भाग के रूप में उधमपुर-कटरा (25 किमी.) के बीच नई रेल लाइन के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है। मार्च, 2006 तक उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला परियोजना पर व्यय 2986 करोड़ रु. और 2006-07 के लिए 1700 करोड़ रु. का परिव्यय आबंटित किया गया है।

(ग) मे (ङ) उधमपुर-कटरा लाइन के निर्माण कार्य को मार्च, 2007 तक समाप्त करने का लक्ष्य है किंतु एक सुरंग में भूगर्भीय-तकनीकी- समस्या होने के कारण इसमें विलंब होने की संभावना है। इस लेखे पर ओवर रन लागत का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल उद्योग में अल्यूमिनियम का प्रयोग

1428. **श्री हितेन बर्मन** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऑटोमोबाइल में लोहा, लकड़ी जैसी परंपरागत सामग्रियों के स्थान पर अल्यूमिनियम लगाने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऑटोमोबाइल उद्योग में अल्यूमिनियम के प्रयोग के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, भारी उद्योग विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बीच संयुक्त प्रयास से ऑटोमोटिव आर एंड डी (सी.ए.आर.) से संबंधित एक आधारभूत समूह का गठन किया गया है। सी.ए.आर. द्वारा बनाई गई प्रौद्योगिकी योजना (रोड़ मैप) में एल्युमिनियम के वधित प्रयोग का सुझाव दिया गया है क्योंकि ऐसा करने से हल्के-भार के ऑटोमोबाइल निकायों से ईंधन की बचत होगी, यद्यपि, हाल ही में कच्ची सामग्री की लागत अधिक है।

(ग) और (घ) विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग और खान मंत्रालय ने अर्द्ध-ठोस ढांचा बनाने में उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की है। सीएसआईआर भी अपने उन्नत विनिर्माणी प्रौद्योगिकी (एएमटी) मिशन कार्यक्रम के तहत एल्युमिनियम के वर्धित अनुप्रयोगों पर अनुसंधान कर रहा है। नागपुर स्थित जवाहर लाल नहेरु एल्युमिनियम अनुसंधान विकास तथा डिजाइन सेंटर, एल्युमिनियम के लिए उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में जाना जाता है और आम प्रयोजन और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए नए एल्युमिनियम मिश्रण के विकास पर अनुसंधान किया है। निजी क्षेत्रों में मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कंपनी (हिन्डालको) के आर एंड डी सेंटर एल्युमिनियम मिश्रण द्वारा पारम्परिक सामग्रियों को प्रतिस्थानी में भी अनुसंधान कर रही है। मैससं टीवीएस मोटर्स, मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा आदि जैसे

प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा सिलिण्डर लाइनर, ब्रेक डिस्कों और ब्रेक ड्रम्स आदि जैसे एल्युमिनियम आधारित कम्पोजिट कम्पोनेंट्स जांच के लिए रखे गए हैं।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों पर शिलालेख

1429. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों के बाहर नोटिस बोर्ड पर लिखे निर्देशों का लोगों से पालन करवाने के लिए कोई उपाय करती है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 8 के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अंदर कुछेक कार्य करना निषिद्ध है जिससे संरक्षित स्मारक के अंदर कोई व्यक्ति निम्नलिखित नहीं करेगा:

(क) कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्मारक के किसी भाग को क्षति या नुकसान हो या होने की संभावना हो; या

(ख) कोई अग्नि अस्त्र नहीं चलाएगा; या

(ग) उन क्षेत्रों, जिनमें यदि उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने की अनुमति है को छोड़कर खाना नहीं पकाएगा या उपभोग नहीं करेगा; या

(घ) प्राधिकरण के अधीन या पुरातत्व अधिकारियों द्वारा दिए गए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार या उसके अधीन को छोड़कर ऐसी वस्तुओं या द्रव्य या किसी भी रूप में कोई विज्ञापन प्रदर्शन करने के लिए किसी उपभोक्ता को कोई सामान या द्रव्य या कैनवास की बिक्री के लिए फेरी नहीं लगाएगा या नहीं बेचेगा या धन संबंधी लाभ के वास्ते पर्यटकों के पीछे नहीं घूमेगा या उसका फोटोग्राफ नहीं लेगा; या

(ङ) भीख नहीं मांगेगा; या

(च) स्मारक में लागू या माने जाने वाली किसी प्रक्रिया, प्रथा या आचार का उल्लंघन नहीं करेगा; या

(छ) स्मारक के अनुरक्षण के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए निम्न को नहीं लायेगा;

(I) कोई पशु, या

(I) उसमें पार्किंग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में छोड़कर कोई वाहन।

इसके अलावा, मान्यताप्राप्त धार्मिक कार्यों, जिनमें धार्मिक स्वरूप की सभायें, स्वागत समारोह, पार्टियां, सम्मेलन या मनोरंजन शामिल हैं, को छोड़कर केंद्रीय सरकार की लिखित अनुमति के बिना अन्य सभी बैठकें और सम्मेलन आदि निषिद्ध हैं।

उपर्युक्त का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 9 के उपबंधों के अधीन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए दण्डों की व्यवस्था की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्मारकों के बाहर लगे नोटिस बोर्डों में निहित अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाता, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में तैनात पहरा और निगरानी स्टाफ तथा सुरक्षा गार्ड पर्यटकों पर निरंतर नजर रखते हैं। जब भी आवश्यकता होती है तब स्थानीय पुलिस को शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं।

झारसुगुड़ा में एरोड्रोम

1430. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में झारसुगुड़ा में एरोड्रोम को एक पूर्ण विमानपत्तन के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) झारसुगुड़ा हवाई अड्डे से अनुसूचित उड़ानों से प्रचालन करने की किसी भी एयरलाइन प्रचालक ने रुचि जाहिर नहीं की है। इसलिए, इस हवाईअड्डे का नवीकरण/विकास करने की कोई योजना नहीं है।

रेल परियोजनाओं के लिए विदेशी वित्तीय संस्थानों से सहायता

1431. श्री ब्रजेश पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर अनुमानत: कितनी लागत आने की संभावना है;

(ख) क्या रेलवे ने उक्त धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे ने इन विदेशी संस्थानों की अधिबंधन शुल्क का भुगतान कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जिन रेल परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है, उनकी अनुमानित लागत, प्राप्त विदेशी सहायता तथा उसकी उपयोगिता (31.3.2006 तक) का विवरण नीचे दिया गया है:–

(i) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम यू टी पी), जिसके रेल और सड़क दोनों प्रकार के घटक हैं, का आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है। रेल घटक की अनुमानित लागत 3125 करोड़ रुपये है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई बी आर डी) द्वारा 463 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन (आई डी ए) द्वारा 62.5 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) का उधार दिया गया है। रेल घटक के लिए आई बी आर डी ऋण तथा आई डी ए क्रेडिट क्रमश: 304.5 मिलियन अमरीकी डालर तथा 42.13 मिलियन एस डी आर है। रेल हिस्से के लिए 44.628 मिलियन अमरीकी डालर तथा 29.489 मिलियन एस डी आर का क्रमश: आई बी आर डी ऋण तथा आई डी ए क्रेडिट से उपयोग कर लिया गया है।

(ii) गाजियाबाद और कानपुर के बीच सिगनल व्यवस्था के आधुनिकीकरण की परियोजना का आंशिक रूप से वित्तपोषण क्रडिटेन्सलेट फर वेडराफबऊ (के एफ डब्ल्यू), जर्मनी द्वारा किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 425 करोड़ रुपये हैं ऋण की राशि 185 मिलियन डी एम (94.5 मिलियन यूरो) है। 3.761 मिलियन यूरो राशि का उपयोग कर लिया गया है।

(iii) रेलवे नेटवर्क की क्षमता का संवर्धन करने तथा परिचालनिक कार्यकुशलता/संरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से एशिया विकास बैंक ने रेल क्षेत्र सुधार योजना के लिए ऋण दिया हैं इस ऋण से वित्तपोषित की जाने वाली उप परियोजनाएं मूलत: स्वर्णिम चतुर्भुज तथा इसके विकर्णों और पत्तन संपर्क परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 579.2 मिलियन अमरीकी डालर है। ऋण की राशि 317.6 मिलियन अमरीकी डालर हैं 1.485 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

(ग) और (घ) 31.3.2001 तक वचनबद्धता प्रभारों की राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

एशिया विकास बैंक		वित्त मंत्रालय द्वारा 3.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
विश्व बैंक	आई बी आर डी	वित्त मंत्रालय द्वारा 16.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
विश्व बैंक	आई डी ए क्रेडिट	वित्त मंत्रालय द्वारा 1.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
के एफ डब्ल्यू ऋण		कुल 10.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिनमें से 8.29 करोड़ रुपये रेलवे द्वारा तथा शेष का वित्त मंत्रालय द्वारा भुगतान किया गया।

[अनुवाद]

उड़ीसा में गोपालपुर-रायगडा के बीच रेल लाइन

1432. **श्री परसुराम माझी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का उड़ीसा में गोपालपुर-रायगडा लाइन का सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्तावित लाइन के सर्वेक्षण के लिए कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है; और

(घ) इस सर्वेक्षण के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रायगडा और गोपालपुर (180 किमी.) के बीच नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण हाल ही में 12.15 लाख रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है। इस सर्वेक्षण के पूरा होने की लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली रेल परियोजना

1433. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एशिया और यूरोप के 28 राष्ट्रों को जोड़ने वाली रेल परियोजना में शामिल होने से मना कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। रेल मंत्रालय यूएन-ईएसकेएपी (एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग) के उपाय अंत:- एशियन रेलवे तंत्र के लिए विचार विमर्श में शामिल थी।

[हिन्दी]

रेल लाइनें

1434. **श्री मुनव्वर हसन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)गत तीन वर्षों के दौरान दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण हेतु उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में कितनी रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या कई ऐसी रेल लाइनों के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण के लिए चयनित लाइनों को सूची में शामिल किया गया है जिसके संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट नकारात्मक थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में सहारनपुर-शामली-दिल्ली लाइन के दोहरीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण किए गए/पूरे किए गए हैं:-

क्र.सं.	खण्ड	राज्य
1	2	3
दोहरीकरण		
1.	पनवेल-पेन-रोहा	महाराष्ट्र
2.	पुणे-मिरज-कोल्हापुर	महाराष्ट्र
3.	किउल-नवादा-गया	बिहार
4.	भागलपुर-बरहरवा	बिहार/झारखंड

1	2	3
5.	पंकी-मुगलसराय-तीसरी लाइन	उत्तर प्रदेश
6.	बाराबंकी-छपरा	उत्तर प्रदेश/बिहार
7.	खुर्जा-हापुड़-मेरठ	उत्तर प्रदेश
8.	मेरठ-सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
9.	उधना-जलगांव	गुजरात, महाराष्ट्र
10.	विरार-अहमदाबाद	गुजरात, महाराष्ट्र
विद्युतीकरण		
1.	बाराबंकी-छपरा-बरौनी	उत्तर प्रदेश और बिहार

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हाल ही में सहारनपुर-शामली-दिल्ली शाहदरा रेल लाइदन के देहरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल कोशी महासेतु

1435. **श्री रघुनाथ झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोशी नदी पर रेल कोशी महासेतु को पूरा करने का लक्ष्य मार्च, 2009 निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उक्त महासेतु का उद्घाटन तथा शिलान्यास समारोह अगस्त, 2005 में किया गया था परंतु उक्त महासेतु के लिए बनाए जाने वाले 40 स्तंभों (पिल्लरों) में से अब किसी स्तंभ (पिल्लर) का निर्माण नहीं किया गया है;

(ग) क्या उस समय निर्मित एक पिल्लर अब टेढ़ा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) कुए की नींव के लिए 6 पायों पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल गाड़ियों में डकैती

1436. **श्री विजय कृष्ण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान झारखंड तथा बिहार में रेल डकैती की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं के दौरान जानें भी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यात्रियों तथा उनके सामान की सुरक्षा हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2004, 2005 और 2006 (सितंबर तक) में झारखण्ड और बिहार में गाड़ियों में रिपोर्ट की गई डकैतियों की संख्या निम्नानुसार है:—

	रिपोर्ट की गई डकैटियों की संख्यां	
वर्ष	झारखण्ड	बिहार
2004	13	58
2005	22	28
2006 (सितंबर तक)	14	45

(ख) और (ग) जी हां। 2004, 2005 और 2006 (सितंबर तक) के दौरान इन घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(घ) भारतीय संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 2 के अनुसार ''पुलिस'' (रेलवे तथा ग्रामीण पुलिस सहित) राज्य का विषय है। अत: मामलों का पंजीकरण, उनकी छानबीन तथा रेल परिसरों तथा चलती गाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य की पुलिस की सांविधिक जिम्मेदारी है। रेलों पर कानून एवं व्यवस्था संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस का एक पृथक विंग है जिसे राजकीय रेलवे पुलिस कहा जाता है। अत: रेलों पर अपराध नियंत्रित करने के लिए रेलों को मुख्यत: राजकीय रेलवे पुलिस पर निर्भर होना पड़ता है।

उपरोक्त तथ्य के बावजूद गाड़ियो के मार्गरक्षण तथा यात्रियों के आने जाने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा तथा रेलों पर अपराध पर अंकुश लगाने संबंधी राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मचारी भी तैनात किए जा रहे हैं। जुलाई, 2004 से रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन करके रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को गाड़ी परिचालन को प्रभावित करने वाले छोटे-मोटे अपराधों जैसे खतरे की जंजीर खींचना, छत पर यात्रा करना, दलाली, बिना टिकट यात्रा, महिलाओं के लिए निर्धारित सवारी डिब्बों में अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश आदि (धारा 150 से 152 के तहत तोड़फोड़ संबंधी अपराधों को छोड़कर) के संबंध में भी कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं। 01.7.2004 से सितंबर, 2006 तक रेल सुरक्षा बल ने 22.84 लाख व्यक्तियों को रेल अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दायर किया और 45.39 करोड़ रु. का जुर्माना वसूल किया गया। इससे निश्चित रूप से रेलों को यातायात का सुरक्षित साधन बनाने में सहायता मिली है।

विवरण

वर्ष	रेलवे	राज्य		मामले का संक्षिप्त ब्यौरा
1	2	3		4
2004	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	1.	27.5.2004 को बेहिया-रघुनाथपुर के बीच गाड़ी सं. 3483 अप फरक्का एक्सप्रेस में लगभग 10 सशस्त्र अपराधियों द्वारा डकैती की गई तथा विरोध किए जाने पर गाड़ी में यात्रा कर रहे एक यात्री सीमा सुरक्षा बल के निरीक्षक भंवर सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई। राजकीय रेलवे पुलिस/आरा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 396, 398 के तहत दिनांक 28.05.2004 के अपराध सं. 35/04 के अंतर्गत मामला दर्ज किया।
			2.	05.04.2005 को अनुग्रह नारायण रोड-गुरारु रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी सं. 3010 डाउन दून एक्सप्रेस में लगभग 07 सशस्त्र अपराधियों द्वारा डकैती की गई। विरोध किए जाने पर, गाड़ी में यात्रा कर रहे एक यात्री की गोली मार हत्या कर दी गई। राजकीय रेलवे पुलिस/सोननगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत दिनांक 03.06.2004 के अपराध सं. 13/04 के अंतर्गत मामला दर्ज किया।
2005	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	1.	05.04.2005 को लगभग 10 सशस्त्र अपराधियों जिनपर एम सी सी का होने का संदेह था, ने झाझा-किउल रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी सं. 507 झाझा-पटना पैसेंजर का मार्गरक्षण कर रहे राजकीय रेलवे पुलिस के तीन कर्मियों के मुंह पर

1	2	3		4
				सूखी लाल मिर्च का पाउडर फैंक कर हमला किया। एक राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मी की गोली मार कर हत्या कर दी गई और एक को घायल कर दिया गया। राजकीय रेलवे पुलिस/झाझा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अपराधं सं. 9/05 के तहत मामला दर्ज किया
			2.	20.8.2005 को बाड़-रैली इंग्लिश हाल्ट रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी सं. 3484 फरक्का एक्सप्रेस में लगभग 8 सशस्त्र अपराधियों द्वारा डकैती की गई। विरोध किए जाने पर गाड़ी में यात्रा कर रहे एक यात्री (सेवानिवृत्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जवान) की गोली मार कर हत्या कर दी गई। राजकीय रेलवे पुलिस/बख्तियारपुर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत 21.8.2005 के अपराध सं. 39/05 के तहत एक मामला दर्ज किया।
2006	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	1.	17.4.2006 को चमुआ हाल्ट-नरकटियागंज रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी सं. 530 डाउन में लगभग 10-15 सशस्त्र अपराधियों द्वारा उकैती की गई। विरोध किए जाने पर, एक यात्री की गोली मार कर हत्या कर दी गई। राजकीय रेलवे पुलिस/नरकटियागंज ने भारतीय दंड संहिता के तहत दिनांक 17.4.2006 के अपराध सं. 15/06 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया।
			2.	23/24.04.2006 की रात को भैरवगंज-खैरपोखरा के बीच गाड़ी सं. 407 अप पैसेंजर में लगभग 6-7 सशस्त्र अपराधियों द्वारा डकैती की गई। विरोध किए जाने पर, एक यात्री की गोली मार कर हत्या कर दी गई। राजकीय रेलवे पुलिस/नरकटियागंज ने भारतीय दंड संहिता के तहत दिनांक 24.4.2006 के अपराध सं. 16/06 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया।
			3.	04.06.2006 को राजेंद्र नगर-पटना जंक्शन रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी सं. 2142 अप में लगभग 6-7 सशस्त्र अपराधियों द्वारा डकैती की गई। विरोध किए जाने पर, एक भूपपूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक की गोली मार कर हत्या कर दी गई। राजकीय रेलवे पुलिस/पटना जंक्शन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत दिनांक 04.06.2006 के अपराध सं. 188/06 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया।

[अनुवाद]

श्रीपेराम्बुदूर में वैमानिक विज्ञान तथा प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना

1437. **श्री के.सी. पल्लानी शम्मी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के श्रीपेराम्बुदूर में वैमानिक विज्ञान तथा प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना के कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) श्रीपेराम्बुदूर में वैमानिक विज्ञान एवं प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का नागर विमानन मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस प्रकार के संस्थान को स्थापित करने में रुचि दर्शाई है। यह प्रस्ताव आरम्भिक स्तर पर है। इस संस्थान को स्थापित किए जाने का समय बता पाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ी को हरिद्वार तक बढ़ाना

1438. **श्री रशीद मसूद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार 9105/9106 अहमदाबाद-दिल्ली-अहमदाबाद मेल को सहारनपुर से होकर हरिद्वार तक चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 9105/9106 अहमदाबाद-दिल्ली मेल को 15.7.06 से तापरी (सहारनपुर का एक उपनगर) से होकर हरिद्वार तक बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी परियोजनाओं में निवेश

1439. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की विदेशी परियोजनाओं में भारी निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार कितने तेल तथा गैस की खोज की गई;

(ग) क्या चालू दशक के लिए अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के अंदर तथा विदेश में अधिक मात्रा में तेल तथा गैस की खोज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के ऊर्जा खण्ड के उद्देश्यों के अनुरूप देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विदेश में अन्वेषण और उत्पादन (ई एण्ड पी) क्रियाकलापों में संलग्न आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) ने और अन्य राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने भी, जैसे आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल), इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी), गेल इंडिया लिमिटेड (गेल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) विदेश में तेल और गैस परियोजनाओं में भागीदारी हित अर्जित किये हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण में इंगित परियोजनाओं में से केवल ओ वी एल की सूडान में ग्रेटर नाइली आयल परियोजना (जी एन ओ पी) रुस में सखालिन-1 परियोजना, वियतनाम परियोजना (ब्लाक 06.1) और सीरिया में ब्लाक 24 में जिन सब में ओ वी एल का भागीदार हित है - तेल/गैस उत्पादन शुरू हो गया है। अन्य परिसंपत्तियां अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं। ओ वी एल की उपरोक्त चारों परियोजनाओं मे उत्पादित तेल और गैस की मात्रा संलग्न विवरण-II में बताई गई है।

(ग) और (घ) ओ वी एल का लक्ष्य वर्ष 2010 तक तेल और गैस के समतुल्य तेल (ओ+ओ ई जी) का 10 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) का तेल और गैस उत्पादन का स्तर प्राप्त करना है। जहां तक अन्य कंपनियों का प्रश्न है, जिन विदेशी ई एंड पी परियोजनाओं में उनके भागीदारी हित हैं, वे अभी अन्वेषण स्तर पर हैं और इसलिए तेल और गैस भण्डार/उत्पादन की संभावना का आकलन खोज हो जाने के बाद ही किया जा सकता है।

(ङ) घरेलू तेल तथा गैस उत्पादन बढ़ाने के अन्वेषण गतिविधियों को भरपूर गति प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं–

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में बढ़ोत्तरी: एनईएलपी के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से राष्ट्रीय तेल कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को 110 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए। इनमें एनईएलपी के पांचवे दौर में प्रदान किए गए 20 अन्वेषण ब्लाक शामिल हैं। अन्य 55 ब्लाक अब एनईएलपी-6 के तहत प्रस्तावित किए गए हैं;

(2) विशेष रूप से वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) के कार्यान्वयन के द्वारा विद्यमान प्रमुख स्थलों से वसूली घटक में सुधार करना। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 10,972 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर इस प्रयोजन के लिए 15 स्थल हाथ में लिए हैं, जो इन स्थलों से तेल उत्पादन में तीव्रता लाने में भी सहायक होगा;

(3) नए क्षेत्रों की खोज करना, विशेष तौर पर गहरे समुद्र तथा कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में, और पहले से उत्पादन कर रहे स्थलों की गहरी परतों में भी, तथा

(4) उत्पादनरत क्षेत्रों में नए खोजे गए स्थलों का तीव्रता से विकास तथा भूकंपनीय सर्वेक्षण, वर्कओवर, उद्दीपन प्रचालनों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना,

(5) कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण हेतु हाल के तीसरे दौर की 10 संविदाओं सहित, अब तक 26 संविदाओं पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं;

(6) इक्विटी अथवा भागीदारी हित के माध्यम से विदेश में तेल व गैस भंडारों का अधिग्रहण करना।

विवरण

दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार विदेशी अन्वेषण व उत्पादन संबंध परियोजनाओं में राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा किए गए निवेश:

(करोड़ रुपये)

देश	ओवीएल	आईओसी	ओआईएल	गेल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
वियतनाम	909.76	–	–	–	–	–	909.76
रूस	11412.71	–	–	–	–	–	11412.71
सूडान	5887.49	–	–	–	–	–	5887.49
म्यांमार	167.03	–	–	112.24	–	–	279.27
नाईजीरिया	–	51.66	–	–	–	–	*51.66

1	2	3	4	5	6	7	8
सीरिया	995.92	–	–	–	–	–	995.92
लीबिया	92.88	85.1	7.94	–	–	–	185.92
ऑस्ट्रेलिया	–	–	–	–		0.66	1.56
ओमान	–	–	–	0.78	1.5	0.22	1.00
गैबन	–	144.90	–	–	–	–	144.90
ईरान	43.79	145.36	11.52	–	–	–	200.67
इराक	4.43	–	–	–	–	–	4.43
कतर	3.00	–	–	–	–	–	3.00
कोट डी आईवर	–	–	25.69	–	–	–	25.69
मिश्र	44.43	–	–	–	–	–	44.43
योग	19,561.44	427.02	45.15	113.02	1.50	0.28	20,148

*ऑस्ट्रेलिया तथा ओमान संयुक्त रूप से

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस और तेल के उत्पादन में ओवीएल का अंश

क्र. सं.	विवरण	मार्च 2004 को समाप्त वर्ष	मार्च 2005 को समाप्त वर्ष	मार्च 2006 को समाप्त वर्ष
1	2	3	4	5
1.	**विएतनाम परियोजना**			
	(i) गैस (बीसीएम)	0.523	1.349	1.672
	(ii) कंडेन्सेट (एमएमटी)	0.022	0.039	0.036
2.	**जीएनओपी सूडान**			
	कच्चा तेल (एमएमटी)	3.323	3.675	3.413
3.	**सखालिन-1 परियोजना, रूस**			
	(i) कच्चा तेल (एमएमटी)	–	–	0.178
	(ii) गैस (बीसीएम)	–	–	0.083
4.	**एपीईसी, सीरिया**			
	कच्चा तेल (एमएमटी)	–	–	0.957
	योग (ओ + ओईजी)	3.868	5.063	6.339

बारिपदा तथा विशाखापटनम के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी

1440. **श्री अनन्त नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का बारिपदा से बालासोर होते हुए विशाखापटनम तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलगाड़ी के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डल झील

1441. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने श्रीनगर में डल झील को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिलवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रीनगर में इस झील के संरक्षण हेतु 75 मिलियन रुपये प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विरासत स्थल का दर्जा देने के लिए यूनेस्को के पास भारत के कितने मामले लम्बित हैं; और इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने अभी तक श्रीनगर स्थित डल झील को विश्व विरासत का दर्जा प्रदान करने के लिए विश्व विरासत समिति को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) और (घ) सरकार ने डल-नागीन झीलों के लिए संरक्षण परियोजना की स्वीकृति दी है। इस परियोजना की लागत 298.76 करोड़ रुपए है। अभी तक दो किश्तें जारी की गई हैं। 40 करोड़ रुपए की पहली किश्त वर्ष 2005-06 में जारी की गई थी तथा 2006-07 के दौरान अभी तक 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह परियोजना 2010 तक पूरी की जानी है।

(ङ) और (च) विश्व विरासत दर्जा हेतु भारत का कोई प्रस्ताव यूनेस्को के पास लम्बित नहीं है। यूनेस्को द्वारा बनाई गई अस्थायी सूची में भारत के 20 स्थल हैं, जिसमें से विश्व विरासत दर्जा के विचारार्थ भारत प्रति वर्ष केवल दो स्थलों का प्रस्ताव कर सकता है (जिसमें से एक स्थल प्राकृतिक स्थल होना चाहिए)। वर्ष 2007 में विश्व विरासत दर्जा के नामांकन के लिए लाल किला, दिल्ली का प्रस्ताव किया गया है तथा इस संबंध में निर्णय विश्व विरासत समिति की जून-जुलाई, 2007 में किसी समय आयोजित की जाने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा।

एल ओ आई धारकों को स्थल देना

1442. **श्री अधीर चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संबंधित स्थानों के लम्बित एल ओ आई धारकों को चालू सी ओ सी ओ उपलब्ध स्थल देने के लिए कोई नीति जारी की है;

(ख) यदि हां, तो फरीदाबाद के स्थानों के लिए कार्मिक निधि योजना वाले कितने एल ओ आई अभी भी लम्बित हैं;

(ग) फरीदाबाद की एच पी एल को सरकारी एजेन्सियों के कितने स्थलों की पेशकश की गई है; और

(घ) सभी लम्बित एल ओ आई धारकों को कब तक मंजूरी दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) इस मंत्रालय ने 6.9.2006 को व्यापक दिशानिर्देश जारी किये हैं, जिसके आधार पर सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों से कहा गया है कि वे कंपनी स्वामित्व-कंपनी प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज) के प्रचालन के लिए स्वयं अपने दिशानिर्देश तैयार करें।

(ख) फरीदाबाद जिले में कार्पस निधि योजना के अधीन चालू होने के लिए लम्बित खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन

लिमिटेड के आठ आशयपत्र (एल ओ आई), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) का एक आशयपत्र (एल ओ आई) और आई बी पी कंपनी का एक आशयपत्र (एल ओ आई) हैं।

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए फरीदाबाद में एच पी सी एल को दो सरकारी स्थल आबंटित किए गये हैं।

(घ) कार्पस निधि योजना के अधीन खुदरा बिक्री केन्द्रों को चालू करने हेतु भूस्वामी एजेंसियों से समुचित भूमि लेनी पड़ती है और विभिन्न संबद्ध प्राधिकरणों से सांविधिक अनुमति आदि लेनी पड़ती है। अत: ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई समय सीमा दे पाना संभव नहीं है। फिर भी, सम्बित खुदरा बिक्री केन्द्रों को शीघ्र चालू करने हेतु ओ एम सीज सभी प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

नगवा विमानपत्तन का विकास

1443. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड में नगवा विमानपत्तन दयनीय दशा में है और कई वर्षों से इस विमानपत्तन हेतु निधियां खर्च नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां उचित रनवे के अभाव में विमानों तथा हेलीकॉप्टरों को जमीन पर उतारना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की नगवा विमानपत्तन के विकास की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) झारखण्ड राज्य के हजारीबाग स्थित नगवा हवाईअड्डा राज्य सरकार का है। राज्य सरकार से इस हवाईअड्डे का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर

1444. श्री अनंत गुढ़े : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर निर्धारित करने संबंधी मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एन ई एल पी-VI के अंतर्गत तेल और गैस ब्लाकों की बोली लगाना

1445. श्री संतोष गंगवार :
श्रीमती रुपाताई डी. पाटील :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी (एन ई एल-VI) के छठे दौर के अंतर्गत दिये गये तेल तथा गैस ब्लाकों का ब्यौरा क्या है तथा ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इन ब्लाकों की बोली में भाग लेने वाली राष्ट्रीय तथा विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय तथा विदेशी कंपनियों को आबंटित ब्लाकों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन ब्लाकों में तेल तथा गैस की खोज के कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) पूर्वी तट और पश्चिम तट तथा आंध्र

प्रदेश, असम, बिहार उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान व तमिलनाडु राज्यों में एल ई ए पी के छठे दौर के तहत कुल 55, 24 गहन जल, 6 उथले जल तथा 25 जमीनी अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए थे। बोली दौर में कुल 36 विदेशी कंपनियों तथा 32 राष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। एन ई एल-VI में 52 ब्लाकों के लिए 165 बोली प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। बोली दौर में भाग लेने वाली राष्ट्रीय और विदेशी कंपनियों के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I व II में दिए गए हैं।

(ग) जिन कंपनियों को ब्लाक प्रदान किए गए हैं उनके साथ निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद जनवरी, 2007 में संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(घ) ब्लाक प्राप्त करने वाली कंपनियां अपतटीय ब्लाकों के संबंध में भारत सरकार तथा जमीनी ब्लाकों के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) जारी होने के बाद ही तेल और गेस का अन्वेषण कार्य शुरू करेगी।

विवरण-I

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	ओ एन जी सी
2.	ओ आई एल
3.	जी एस पी सी
4.	बी पी सी एल
5.	एच पी सी एल
6.	गेल
7.	ईएन सर्च
8.	एच ई आर एम ई सी
9.	आर आई एल
10.	एस्सार आयल
11.	वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि.
12.	फोकस
13.	आर एन आर एल
14.	गेमॉन
15.	शिवानी
16.	अदानी
17.	असम कंपनी लिमिटेड
18.	प्राइज पेट्रोलियम
19.	जयप्रकाश एसोसिएट्स
20.	नितिन फायर
21.	ग्लोबल स्टील इंडिया
22.	जूबीलेंट
23.	वाल्डेल
24.	ग्वालियर टैक्स एण्ड वैसल्स
25.	बीजी स्ट्रीक कंस्ट्रक्शन टेक
26.	मरकेटर आयल एण्ड गैस
27.	आई ओ सी
28.	एच ओ ई सी
29.	एन टी पी सी
30.	जेसी प्लास्टिक्स
31.	टाटा पेट्रोडाइन
32.	हाइड्रोकार्बन रिस. डेव. कं. (एचआरडीसी)

विवरण-II

देश	कंपनी (कंपनियां)	
1	2	
यूनाइटेड किंग्डम	1.	बी जी
	2.	बी पी
	3.	ब्यूरेन एनर्जी
	4.	कैर्न एनर्जी
	5.	प्रीमियर आयल
	6.	स्टेराडम एनर्जी
आस्ट्रेलिया	1.	बीच पेट्रोलियम
	2.	फाइन्डर एक्स्प्लोरेशन
	3.	सैंटोस
	4.	टैप आयल
	5.	वैलस्पन
	6.	जैकरोस
कनाडा	1.	ब्राउनस्टोन
	2.	कैनोरो
	3.	ज्यो ग्लोबल
	4.	निको रिर्सोसिज
	5.	सैन्ड्रे एनर्जी
फ्रांस	1.	टोटल
मलेशिया	1.	एम 3नर्जी
	2.	सुईवाह कारपोरेशन
	3.	पेट्रोनास
	4.	पर्ल एनर्जी
इटली	1.	ई एन आई
साइप्रस	1.	सनतेरा
	2.	न्यूबरी होल्डिंग
संयुक्त राज्य अमेरिका	1.	ईओजी रिर्सोसिज
	2.	जे टी आई
ओमन	1.	पेट्रोगैस
यूक्रेन	1.	नैफ्तोगेस
पौलैण्ड	1.	पीजीएनआईजी
सिंगापुर	1.	सिंगापुर पेट्रोलियम का.
कुवैत	1.	के यू एफ पी ई सी
पनामा	1.	हालवर्दी
म्यांमार	1.	सिल्वरवेव
थाइलैंड	1.	पैन ओरियन्ट
मोनाको	1.	ज्योपेट्रोल

[अनुवाद]

दूई लीज पर विमानों की खरीद

1446. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का अपने प्रचालन हेतु कतिपय विमानों को दूई लीज करने का विचार है जैसाकि दिनांक 24 अक्तूबर, 2006 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स मरम्मत तथा अन्य संबंधित कार्यकलाप बाहरी स्रोतों से करवाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स जनवरी, 2007-अप्रैल, 2007 के दौरान सी एफ एम इंजन वाले पांच ए 320 विमानों को तीन वर्षों/तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष के लीज़ मियाद के लिए ड्राई लीज़ के आधार पर लेने का प्रस्ताव कर रही हैं बड़े आकार वाले दो ए 330-200 विमानों को जून, 2007 तथा नवंबर, 2007 में 7 वर्ष की अवधि के लिए लीज़ पर अपने विमान बेड़े में शामिल करने का भी प्रस्ताव है। इंडियन एयरलाइन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एलाइंस एयर का भी अपने विमान बेड़े में लीज़ पर छह 70 सीटों वाले जेट विमान तथा छह 50 सीटों वाले ए टी आर 42 टर्बो प्रॉप विमान शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक को वित्तीय सहायता

1447. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :**
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से महामस्तक अभिषेक 2006 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार से निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:

क्र.सं.	कार्य
1.	विंध्यागिरि तथा चन्द्रगिरि पहाड़ी पर सुरक्षा सेवाएं।
2.	पर्यटन कार्यालय के सामने प्रांगण में दर्शकों की आवा-जाही के लिए जारी (रैलिंग) लगाना।
3.	विंध्यागिरि तथा चन्द्रगिरि पहाड़ी पर सफाई एवं जल आपूर्ति व्यवस्था।
4.	जूते रखने का स्थल, पेयजल सुविधा।
5.	पानी के पाइप हटाना, विद्युत के बलों, कन्सीलिंग का कार्य करना, पानी का टैंक हटाना, पुलिस बूथ अन्यत्र शिफ्ट करना।
6.	वाहन स्थल (पार्किंग) की व्यवस्था।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में निम्नलिखित संरक्षण तथा विकास कार्यों पर 81.09 लाख रु. खर्च किए हैं:

क्र.सं.	निष्पादित कार्यों के ब्यौरे
1.	विंध्यागिरि तथा चन्द्रगिरि पहाड़ी पर सुरक्षा सेवाएं।
2.	प्रवेश द्वार को पुन: डिजाइन करना, प्रवेश क्षेत्र, विंध्यागिरी पहाड़ी पर खइंजा बनाना।
3.	पर्यटन कार्यालय के सामने प्रांगण में दर्शकों की आवा-जाही हेतु जाली लगाना।
4.	पहाड़ी के तल पर पालकी व्यवस्था।
5.	बैठने की जगह बनाना तथा बेंच लगाना।
6	आवक और जावक संकेत प्रणाली तथा मार्ग संकेत प्रणाली की व्यवस्था।
7.	कार्यालय तथा हुण्डी का पुन: डिजाइन तैयार करना।
8.	शौचालयों तथा पेयजल की व्यवस्था।

पर्यटन मंत्रालय को कर्नाटक में मनाए जा रहे महामस्ताभिषेक - 2006 के विज्ञापन हेतु भुगतान संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

पर्यटन मंत्रालय ने महामस्तकाभिषेक - 2006 के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए घरेलू बाजार में एक प्रिंट मीडिया अभियान शुरू करने के लिए 26.03.2006 को 26,22,243.00 रु. की निधियां मंजूर की है।

[हिन्दी]

दिल्ली में रिंग रेलवे

1448. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में रिंग रेल सेवा में अनुमानत: कितने लोगों ने यात्रा की;

(ख) रिंग रेलवे की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार पर्यावरण में सुधार करने तथा दिल्ली की सड़कों पर भारी यातायात के बोझ को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली में रिंग रेल सेवा को अधिक व्यवस्थित तथा प्रभावी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में रिंग रेल सेवा के विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) गत तीन वर्ष के दौरान दिल्ली में रिंग रेल सेवा में यात्रा करने वाले यात्रियों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

2003-2004	–	16.67 लाख
2004-2005	–	18.12 लाख
2005-2006	–	18.36 लाख

प्लेटफार्मों के विस्तार, बुकिंग काउंटरों की व्यवस्था, पार्किंग सुविधा की व्यवस्था आदि जैसी यात्री सुविधाएं मुहैया करवाकर और अवसंरचनात्मक विकास के जरिए इस सेवा को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) दिल्ली में रिंग रेल सेवा के विकास के लिए 84.47 लाख रु. की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर 55.20 लाख रु. की राशि खर्च कर दी गई थी।

तत्काल योजना में दलालों की संलिप्तता

1449. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि तत्काल योजना पर पूरी तरह दलालों का कब्जा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान तत्काल रेलवे टिकट की काला बाजारी के लिए कितने लोगों को पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) दलालों का नेटवर्क तोड़ने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। तत्काल सेवा के अंतर्गत निरंकुश दलाली की कोई घटना नहीं देखी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2005 और 2006 के दौरान (सितंबर तक) रेल अधिनियम 1989 की धारा 143 के अधीन रेलवे टिकटों की बिक्री और अप्राधिकृत रूप से इसका व्यवसाय चलाने के लिए क्रमश: 1215 और 766 दलालों पर मुकदमा चलाया गया। तत्काल टिकटों के काले धंधे के संबंध में कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(घ) आरक्षण कार्यालयों में तथा उनके आसपास दलालों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता एवं सुरक्षा की सहायता से नियमित व अचानक जांच संचालित की जाती हैं। भीड़-भाड़ वाले समय के दौरान इस प्रकार की जांच सुदृढ़ की जाती है। इस प्रकार संलिप्त दलालों पर कानून की व्यवस्था के अनुसार मुकदमा चलाया जाता हैं इस प्रकार के बुरी गतिविधियों में उत्तरदायी पाये गए दलालों के विरुद्ध सख्ती से अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1450. श्री हरिन पाठक :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरुच-दाहेज रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन हेतु आरवीएनएल, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, जीआईडीसी, अदानी पोर्ट लिमिटेड तथा ओएनजीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना में प्रत्येक हिस्सेदार का इक्विटी अंशदान कितना है;

(ग) क्या भारत सरकार का कोई सरकारी उपक्रम इस परियोजना हेतु इक्विटी में निवेश का इच्छुक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना की आयोजना तथा क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल विकास निगम लिमिटेड, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और गुजरात औद्योगिक विकास निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) अभी तक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तावित इक्विटी अंशदान (करोड़ रु. में) निम्नलिखित हैं:–

आर वी एन एल	25
दाहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड	10
गुजरात मैरीटाइम बोर्ड	10
गुजरात नर्मदा घाटी फर्टीलाइज़र कंपनी लि.	10
अदानी पेट्रोनेट (दाहेज) पोर्ट प्रा.लि.	10

(ग) आर वी एन एल द्वारा जारी अभिरूचि अभिव्यक्ति पर ऐसा कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के दो वर्ष बाद।

'पैंट्री' ठेकेदारों द्वारा अधिक पैसा वसूला जाना

1451. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के ध्यान में खराब गुणवत्ता वाले भोजन की आपूर्ति तथा 'पैंट्री' ठेकेदारों द्वारा अधिक पैसा वसूलने के मामले लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन 'पैंट्री' ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्धारित दर के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ की आपूर्ति के संबंध में एक समान नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी हां। रेल गाड़ियों में खान-पान ठेकेदारों द्वारा घटिया खाना सप्लाई करने तथा अधिक पैसे वसूलने आदि के कुछ मामले रेलवे के नोटिस में आए हैं। भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम और क्षेत्रीय रेलें स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में औचक निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे खान-पान सेवाओं द्वारा अच्छे किस्म के खाने की आपूर्ति हो। इस बात के प्रयास भी किए जाते हैं कि लाइसेंसधारियों द्वारा यात्रियों से अधिक पैसे न वसूले जाएं तथा कम वजन का खाना न दें। इसके अतिरिक्त, यदि लाइसेंसधारी दोषी पाया जाता है तो उसे जुर्माना करने, चेतावनी देने तथा उसका ठेका समाप्त किए जाने जैसी कार्रवाई भी की जाती है। चाय/कॉफी, नाश्ता और स्टैण्डर्ड खाने की-सूची रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। यह दर-सूची पूरे भारतीय रेल पर एक समान रूप से लागू होती है

रेलवे पैकेज टूर

1452. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री सनत कुमार मंडल :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चलाए जा रहे रेलवे पैकेज टूरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे की देश में विभिन्न स्थानों के लिए ऐसे और पैकेज टूर शुरू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल मंत्रालय लग्जरी टूरिस्ट गाड़ियां चलाता है जैसे राजस्थान क्षेत्र में पैलेस ऑन व्हीलस तथा हेरिटेज ऑन व्हील्स और महाराष्ट्र क्षेत्र में डेक्कन ओडीसी, दिल्ली-अलवर क्षेत्र में स्टीम सफारी गाड़ी-फेयरी क्वीन। इसके अतिरिक्त यह भारत दर्शन गाड़ियां भी चलाता है, जो यात्रियों को देश भर के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराती हैं। रेलवे देश भर में विभिन्न सर्किटों पर टूर-पैकेजों के लिए टूर-ऑपरेटरों की मांग पर उन्हें नियमित गाड़ियों में शायिकाएं भी उपलब्ध कराता है।

(ख) से (ङ) आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य सरकारों ने लग्ज़री टूरिस्ट गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव रखा है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की लग्ज़री टूरिस्ट गाड़ी द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी तथा पंजाब राज्य सरकार की लग्ज़री टूरिस्ट गाड़ी द्वारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को कवर करने का प्रस्ताव है। उक्त प्रस्तावों की परिचालनिक व्यवहार्यता का अभी निर्धारण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों का अतिक्रमण

1453. **श्री सुनिल कुमार महतो :**
श्री अनंत गुढ़े :
श्री श्रीचन्द कृपलानी :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री मिलिन्द देवरा :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में राज्यवार कितने राष्ट्रीय स्मारक हैं;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग समय-समय पर इन स्मारकों का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराता है

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक गायब हो गए हैं या इन पर अतिक्रमण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(छ) कब तक सभी अतिक्रमण हटा दिए जायेंगे?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) ऐसे 3667 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, इनकी एक सूची (राज्य वार संलग्न विवरण-I में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन इन स्मारकों की देखरेख तथा रखरखाव और प्राचीन संस्मारक पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर इनका सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन स्मारकों पर संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव तथा पर्यटन संबंधी सुविधाओं का प्रावधान एक सतत प्रक्रिया है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन अपेक्षानुसार इसे किया जाता है।

(घ) से (छ) देश में 35 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के गायब होने की सूचना है। देश के गायब ऐसे 35 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

अवक्रमणों को रोकने के लिए वर्ष 1992 में भारतीय पुरातत्व

सर्वेक्षण ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक के क्षेत्र को "निषिद्ध क्षेत्र" घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है जहां सभी प्रकार के निर्माण तथा खनन गतिविधियां चलाने पर प्रतिबंध है। इसके आगे के 200 मीटर के क्षेत्र को "विनियमित क्षेत्र" के रूप में घोषित किया गया है जहां निर्माण/खनन कार्यवाई केवल महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी लाइसेंस की निबंधन तथा शर्तों के अनुसार अनुज्ञेय है।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत अतिक्रमणकारियों को बेदखली नोटिस/आदेश जारी करने के लिए मंडलों के अधीक्षण पुरातत्वविद् को संपदा अधिकारी की शक्तियां दी गई हैं। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत कारण बताओं नोटिस जारी करने के लिए भी उन्हें प्राधिकृत किया जाता है, इसके पश्चात् इस अधिनियम की धारा 19 (2) तथा इस नियमावली के नियम 38 (2) के अंतर्गत इस प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने के लिए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को आदेश दिया जाता है।

सभी अतिक्रमणों को खाली कराने के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि खाली कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राज्य तथा जिला प्रशासन की सहायता की आवश्यकता होती है। जहां अच्छे परिणाम नहीं निकलते वहां अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध न्यायालय में बेदखली के मामले दर्ज करके कानूनी कार्यवाई शुरू की जानी होती है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राज्य-वार केन्द्रीय संरक्षित स्मारक

क्र.सं.	राज्य	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	53
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू व कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	25
15.	मध्य प्रदेश	286
16.	महाराष्ट्र	286
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	08
19.	नागालैंड	04
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	175
21.	उड़ीसा	78
22.	पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	07
23.	पंजाब	31
24.	राजस्थान	162
25.	सिक्किम	03
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	5

1	2	3
28.	उत्तर प्रदेश	742
29.	उत्तरांचल	42
30.	पश्चिम बंगाल	133
	कुल	3667

विवरण-II

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची जो गायब हैं।

स्मारक/स्थल का नाम

असम

1. सम्राट शेरशाह की बन्दूकें, ना - सादिया, जिला तिनसुकिया

अरुणाचल प्रदेश

1. पया के निकट ताम्र मंदिर के खण्डहर, जिला लोहित

दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)

1. दिल्ली स्थित शेरशाह सूरी का मोती दरवाजा, मौजा बाबरपुर बाजिदपुर, जिला नई दिल्ली
2. पूल चादर, मौजा चौकरी मुबारकाबाद, जिला उत्तर दिल्ली
3. अलीपुर कब्रिस्तान, अलीपुर शिविर ग्राउंड जिला उत्तर दिल्ली
4. बाराखम्भा कब्रिस्तान, इम्पीरियल सिटी, जिला दिल्ली
5. कैप्टन मैक वारनेट तथा अन्यों का मकबरा जो किशनगंज पर आक्रमण में गिर गया, किशनगंज, जिला उत्तर दिल्ली
6. रेलवे स्टेशन के निकट तीन गुम्बदों वाला मकबरा, निजामुद्दीन, जिला दक्षिण दिल्ली
7. "राइट अटैक, लैफ्टीनेंट एफ.आर. मानसेल, आर.ई. डायरेक्टिंग इंजीनीयर, सं.। बैटरी - राइट, मेजर जेम्स ब्राइन्ड, आर.ए., कमांडिंग, आर्मामेंट फाइव 18-पांडर्स : एक 18 - इंच हॉबिटजर। टू साइलेन्स मोरी बेस्टन" अंकित सीज बैटरी का स्थल, पुलिस लाइन में हॉस्पिटल का पूर्व, जिला उत्तर दिल्ली
8. "सं. III बैटरी - राइट, मेजर एडवर्ड काये, आर.ए., कमांडिंग आर्मामेन्ट टू 18 - पाउंडर्स; सेवन 8 - इंच हॉबिटजर, टू ब्रीच कश्मीर बेस्टन" अंकित सीज बैटरी का स्थल कर्जन ह्राउस का अहाता, जिला उत्तर दिल्ली
9. इंचला वाली गुमटी, गांव मुबारकपुर कोटला, जिला दक्षिण दिल्ली
10. सर्वेक्षण भूखण्ड सं. 167 के भाग में सम्मिलित जोगाबाई के नाम से प्रसिद्ध टीला, जामिया नगर, जिला दक्षिण दिल्ली।
11. प्लेटफार्म के दोनों प्रवेश द्वारों के साथ शमसी तालाब, महरौली, जिला दिल्ली
12. कश्मीरी गेट के बाहर की ओर निकलसन मूर्ति, इसका प्लेटफार्म, इसके आस पास के उद्यान, मार्ग एवं अहाता दीवार, जिला उत्तर दिल्ली

गुजरात

1. प्राचीन स्थल, सेजकपुर, जिला सुरेन्द्रनगर
2. ऐतिहासिक स्थल सं. 431 से 435, वडोदरा, जिला वडोदरा

हरियाणा

1. मुगल कोस मीनार, मुजेसर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा
2. मुगल कोस मीनार, शाहबाद, जिला कुरूक्षेत्र, हरियाणा

जम्मू एवं कश्मीर

1. शीतला, नारद, ब्रह्म तथा राधा कृष्ण की शैल नक्काशी, बसोहली, जिला कथुरा
2. शेर पर सवार देवा की शैल नक्काशी, बसोहली, जिला कथुरा
3. विश्वेश्वर तथा अन्य गुफा मंदिर, बसोहली, जिला कथुरा

कर्नाटक

1. प्रागैतिहासिक स्थल, कित्तूर, जिला मैसूर

राजस्थान

1. किला में लेख, नागर, जिला टोंक

2. बारहवीं शताब्दी का मंदिर, बारन, जिला बारन

उत्तरांचल

1. कुटुम्बरी मंदिर, द्वारहाट, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा

2. खेरी की बांदी, पुराना कब्रिस्तान, तहसील रूड़की, हरिद्वार

3. वैराटपट्टना के साथ स्थानीय तौर पर अभिज्ञात प्राचीन भवनों के अवशेष, ढिकुली, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल

उत्तर प्रदेश

1. बन्द कब्रिस्तान, कटरा नाका, तहसील बांदा, जिला बांदा

2. संडी खेडा नामक विशाल ध्वस्त स्थल, पाली, तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई

3. कब्रिस्तान, जालौन (बस स्टैंड), तहसील जालौन, जिला जालौन

4. तोपची बरकिल का मकबरा, रनगांव, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर

5. इमामबाड़ा अमिन-उद-दौला, लखनऊ, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

6. लखनऊ फैजाबाद रोड पर 3, 4 और 5 मील पर स्थित तीन मकबरे, तहसील लखनऊ

7. 6 तथा 7 मील पर कब्रिस्तान, जहरैला रोड, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

8. गौ घाट स्थित कब्रिस्तान, लखनऊ, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

[अनुवाद]

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा ग्रामीण हबों के लिए भूमि का आवंटन

1454. श्री वसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा ग्रामीण हबों के लिए निजी कंपनियों को भूमि देने पर सहमत हो गई है जैसा कि 24 अक्टूबर, 2006 के "दि फाइनान्सियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निजी कंपनियों तथा रेलवे के बीच चर्चा हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा परिणाम क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) परिवहन के एकीकरण के साथ-साथ कृषि उत्पादों के संग्रहण और वितरण केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए नीति पर तेजी से विचार किया जा रहा है। उपर्युक्त नीति के ढांचे के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए कार्यपालक निदेशकों की एक समिति का गठन किया गया है। कृषि संबंधी खुदरा श्रृंखला निजी-सार्वजनिक आधार पर विकसित की जाएगी और नीति के अनुसार खाली पड़ी रेलवे भूमि को उपलब्ध कराया जा रहा है।

दिल्ली से हिल स्टेशनों के लिए हवाई यात्रा

1455. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दिल्लीवासियों द्वारा कुछ घंटों में हिल स्टेशनों पर पहुंचने के लिए कई स्थानों पर (रनवे) का विस्तार कर रहा है जैसा कि 11 सितम्बर, 2006 के दि टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या है;

(ग) वे कौन कौन से रनवे हैं, जिनका विस्तार किया जाना है तथा इसमें कितनी लागत आने का अनुमान है;

(घ) कब तक यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा; और

(ङ) इन हवाईअड्डों पर कौन-कौन सी अन्य सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) कांगड़ा में एटीआर - 72 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए वर्ष 2004 में पहले ही रनवे का 600 फीट तक विस्तार कार्य तथा संबंधित कार्य पूरे कर लिए गए हैं। देहरादून में एबी-320 प्रकार तक के विमानों के प्रचालन को सुलभ बनाने के लिए 79 करोड़ रुपए की लागत पर 1152 मीटर से 2134 मीटर तक रनवे के सुदृढ़ीकरण और विस्तार का कार्य तथा अन्य संबंधित कार्य आरंभ किए गए हैं। जम्मू में रनवे का 6000 फीट से 8000 फीट तक विस्तार का कार्य आरम्भ किया गया है तथा 11ण्21 करोड़ रुपए की लागत पर मौजूदा रनवे का पुन:सतहीकरण तथा दक्षिणी छोर पर रनवे का 700 फीट तक विस्तार का कार्य पूरा कर लिया गया है। पंतनगर में 11 करोड़ रुपए की लागत पर 1097 मीटर से 2143 मीटर तक रनवे का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण एवं संबंधित सतहों का कार्य आरंभ किया गया है कुल्लू-मनाली तथा शिमला में रनवे के विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की को व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य सौंपा है। पठानकोट में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 16 करोड़ रुपए की लागत पर निर्मित 300 यात्रियों को पोषित करने के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं वाले नए सिविल एयर टर्मिनल का उद्घाटन 22.11.2006 को किया गया है।

(ङ) इन हवाईअड्डों पर रनवे के विस्तार, संबंधित सुविधाओं यथा बड़े तथा आधुनिक टर्मिनल भवन उपलब्ध कराने, कार पार्किंग क्षेत्र के विस्तार तथा एप्रन क्षेत्र के विस्तार के पश्चात बड़े और तीव्र गति वाले विमानों का प्रचालन सम्भव हो पाएगा जिसके परिणामस्वरूप: दिल्ली से यात्री की प्रचालन लागत व समय में कमी आएगी।

तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे पर टर्मिनल का निर्माण

1456. **श्री पन्नियन रवीन्द्रन :** क्या नागर विमानन मंत्री तिरुवनन्तपुरम में टर्मिनल का आधुनिकीकरण के बारे में 27 जुलाई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 599 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे पर संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित एक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण के संबंध में आर्थिक मामलों संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक उक्त कार्य शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के दो चरणों का निर्माण 245.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से (चरण-I-165.58 करोड़ रुपए + चरण-II-80 करोड़ रुपए) किया जायेगा।

(ग) कार्य जनवरी, 2007 में आरम्भ किया जायेगा।

हवाईअड्डों पर वाणिज्यिक कार्यकलाप

1457. **श्री चन्द्रकांत खैरे :**
श्री महेश कनोडीया :
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भूमि का उच्चतर उपयोग करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने शहरी विकास मंत्रालय से देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ाने के लिए उपाय खोजने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विस्तृत योजना तैयार की गई है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले विभिन्न हवाईअड्डों पर, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, भूमि का प्रयोग किए जाने के बारे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम एवं इसके अंतर्गत दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ, मदुरै, मंगलौर, गोवा, औरंगाबाद, खजुराहो, राजकोट, वड़ोदरा, भोपाल, इन्दौर, नागपुर, विजाग, त्रिची, भुवनेश्वर, कायेम्बतूर, पटना, पोर्टब्लेयर, वाराणसी, अगरतल्ला, इम्फाल, रांची, रायपुर एवं दीमापुर जैसे कुछ महत्वपूर्ण हवाईअड्डों पर सिटी साइड पर व्यावसायिक उपयोग के लिए कुछ भूमि अभिनिर्धारित की है।

(घ) आगामी वित्त वर्ष से आरम्भ करके हवाईअड्डों की अभिनिर्धारित भूमि पर उनका व्यावसायिक उपयोग किया जाना लागू किया जाएगा।

इस्राइल के साथ रक्षा सहयोग समझौते

1458. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के प्रमुख, नौसेना उपप्रमुख तथा वाइस एडमिरल ने इस्त्राइल के साथ द्विपक्षीय सैनिक संबंधों पर चर्चा करने हेतु इस्त्राइल का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो दो देशों के बीच हस्ताक्षर कि गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006 में भारतीय वायुसेनाध्यक्ष और सह नौसेनाध्यक्ष की इस्त्रायल यात्राओं के दौरान भारत और इस्राइल के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।

पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1459. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेल ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा कितनी सफलता मिली. और

(ग) केनिंग रेलवे स्टेशन को माडल स्टेशन बनाने के संबंध में कार्य की क्या प्रगति है तथा कब तक यह पूरा कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे पर पश्चिम बंगाल में घोषित मॉडल स्टेशन (कुल 41 अदद) में प्रत्यक्ष सुधार करने के लिए 14 स्टेशनों की वर्ष 2006-07 के दौरान आधुनिकीकरण और सौंदर्यवर्धन के लिए पहचान की गई है। ये स्टेशन हावड़ा, वर्धमान, रामपुरहाट, बोलपुर, ताराकेश्वर, सियालदह, विधाननगर रोड, दम दम जंक्शन, बारासात, राणाघाट, मालदा टाउन, न्यू फरक्का, आसनसोल और दुर्गापुर हैं।

विभिन्न स्टेशनों को आधुनिकीकृत करने और यात्री सुविधाओं में सुधार लाने के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी संख्या में निर्माण कार्य संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है तथा उन्हें चरणबद्ध आधार पर पूरा किया जा रहा है। ये प्रस्ताव है:-

2004-05	80080 हजार रुपये की लागत के 21 निर्माण कार्य
2005-06	127530 हजार रुपये की लागत के 27 निर्माण कार्य
2006-07	308409 हजार रुपये की लागत के 77 निर्माण कार्य

(ग) कार्य प्रगति पर है तथा इसे मार्च 2008 में पूरा किए जाने की योजना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

1460. श्री रायपति साम्बासिवा राव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके कार्यनिष्पादन का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में निम्नलिखित पब्लिक सेक्टर उपक्रम कार्यरत हैं:

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम;

(ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम;

(iii) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम;

(iv) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम; और

(v) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) कोई भी पब्लिक सेक्टर उपक्रम घाटे में नहीं चल रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा वितरित राशि और शामिल लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम		राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम		राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम		भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	
	वितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	वार्षिक बिक्री	वितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या
2003-04	113.07	59826	33.98	9444	26.82	5565	41.73	131.09	86320
2004-05	147.13	41489	43.73	9539	17.68	3282	43.90	93.42	61538
2005-06	147.96	53315	51.98	37299	23.44	4765	53.33	97.63	83756

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों की जनगणना

1461. श्री इंसराज जी. अहीर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में अन्य पिछड़े वर्गों का जनगणना कराने का है जैसा कि 20 अक्तूबर, 2006 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों से अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिना उनकी संख्या सही-सही जाने सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु जारी करने वाली राशि के संबंध में क्या मापदंड अपनाया जाता है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या और उनमें से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निधियां, यदि बजटीय कठिनाइयां न हों, जारी की जाती हैं।

[अनुवाद]

एयर इंडिया की उड़ानों को रद्द करना

1462. श्री एम. अप्पादुरई :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का सुरक्षा और समय पाबन्दी का निष्पादन दिन-प्रतिदिन खराब होता जा रहा है जैसा कि दिनांक 17 अक्तूबर, 2006 के **द एशियन ऐज** और 16 अक्तूबर, 2006 के **दि हिन्दू** में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) किसी भी एयरलाइन का कार्य निष्पादन, उसकी प्रस्थान विश्वसनीयता अर्थात आयोजित राजस्व उड़ानों की कुल संख्या में से, कुल हुए विलंबो एवं विलंब का कारण बनी तकनीकी घटनाओं की कुल संख्या को घटा कर उसे राजस्व उड़ानों की कुल संख्या से भाग देकर प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। गत 6 महीनों के दौरान एअर इंडिया के विमान बेड़े की कुल संख्या की प्रस्थान विश्वसनीयता 97.7 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया द्वारा प्रचालित विमानों का प्रचालन विमान निर्माताओं द्वारा चलाए जाने वाले, हवाई योग्यता रखरखाव कार्यक्रम के आधार पर जारी रखा जाता है जिन्हें डीजीसीए द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एअर इंडिया ने **इन हाउस क्वालिटी सिस्टम** को अनुमोदित किया है और एअर इंडिया के कार्यकलापों की, डीजीसीए द्वारा **तत्काल जांच एवं जांच सर्वेक्षणों** के माध्यम से नियमित निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा 68 नए बोइंग विमान (50 विमान एअर इंडिया लिमिटेड के लिए एवं 18 विमान एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के लिए) खरीदे जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। ये नए विमान नवम्बर, 2006 से फरवरी 2012 तक सौंपे जाने हैं। इससे विलंबों में पर्याप्त रूप से कमी लाने एवं एअर इंडिया के प्रचालनों की तकनीकी प्रस्थान विश्वसनीयता में सुधार होने की आशा है।

पी.एन.जी. कनेक्शन

1463. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हजारों घर विशेष रूप से अवसंरचनात्मक सुविधाओं वाले क्षेत्रों में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए इन्द्रप्रस्थ गेस लिमिटेड के पास पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजीकृत घर अनिश्चित काल से प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक घरों में कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) उन क्षेत्रों में जहां पाइपलाइन की मूलभूत सुविधाएं पहले से मौजूद हैं, उन पंजीकरणों की संख्या निम्नानुसार है, जिनके प्रति कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं–

पूर्वी दिल्ली	3345
मध्य दिल्ली	245
दक्षिणी दिल्ली	428
*दक्षिणी दिल्ली	79
उत्तरी दिल्ली	556

*(मथुरा रोड के आसपास की कालोनियां)

उपर्युक्त के अलावा आई जीएल को वर्ष 2006-07 में 10934 मकानों में पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पी एन जी) कनेक्शन प्रदान करने के लिए सी पी डब्ल्यू डी से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) पंजीकरण के समय ग्राहकों को उस अनुमानित समय सीमा के बारे में सूचित किया जाता है जिसके भीतर पी एन जी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। कुछ मामलों में भूमि का मालिक एजेंसियों से अनुमति उपलब्ध न होने, ग्राहकों के परिसरों में पहुंच की समस्या, ग्राहकों की किसी बाद की तारीख में पी एन जी कनेक्शन लेने की पसंद इत्यादि के कारण और अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है।

(घ) सामान्यतया वांछित अनुमोदन देने के अधीन कनेक्शन प्रदान करने के लिए पंजीकरण के समय 4 से 6 महीनों के समय की अवधि इंगित की जाती है।

[हिन्दी]

पर्यटन केन्द्रों का विकास

1464. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा अन्य महानगरों में विदेशों की तरह पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है और पर्यटन मंत्रालय उनके साथ परामर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहां तक महानगरों का संबंध है, चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दिल्ली में अवसंरचना विकास हेतु एक परियोजना प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई है।

[अनुवाद]

एलाइंस एयर के बेड़े में जेटों को शामिल करना

1465. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार अपनी फीडर सहायक एयरलाइन एलांयस एयर में अतिरिक्त जेटों को शामिल करने का है जैसाकि दिनांक 5 अक्तूबर, 2006 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अतिरिक्त बेड़े पर विचार करते वक्त एलाइंस एयर की कम लागत वाली कम सुविधा एयरलाइनों के उद्देश्यों पर भी विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अनुमान के तौर पर कितना व्यय होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एलाइंस एयर द्वारा 70 सीटों वाले 6 जेट विमानों को लीज़ पर लेने और विनिर्दिष्ट अनुमोदन के लिए अपने बोर्ड से सम्पर्क करने पर सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसके लिए एक निविदा दिनांक 13.11.2006 को इंडियन एयरलाइन्स की वेब साइट पर डाल दी गई जिसकी प्राप्ति अन्तिम तिथि 26.12.2006 है।

(ग) और (घ) एयरलाइनें अपनी वाणिज्यिक आवश्यकताओं तथा वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार विमानों को लीज़ पर लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) प्रस्ताव इस समय प्रारम्भिक अवस्था में है और निविदा को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही अनुमानित व्यय की जानकारी हो सकेगी।

मेटल डिटेक्टर मशीनों की खरीद

1466. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में अतिवादियों/आतंकवादियों के गंभीर खतरों के कारण देश के प्रत्येक राज्य में हाई अलर्ट की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान जोनवार कितने मेटल डिटेक्टर मशीनें रेलवे स्टेशनों को प्रदान की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मेटल डिटेक्टर मशीनों की खरीद तथा अन्य सुरक्षा इंतजामों पर रेलवे में कितनी राशि खर्च की?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। उग्रवादियों/आतंकवादियों द्वारा गंभीर धमकी मिलने के संबंध में खुफिया विभाग तथा अन्य स्रोतों से आसूचना प्राप्त होने पर तथा आतंकवादियों/दहशतगर्दों द्वारा रेलवे पर बम विस्फोट करने/हमला करने की प्रत्येक घटना के बाद भी जोनल रेलवे के सभी मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को स्थानीय पुलिस/खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक निवारक उपाय करने के लिए कहा गया है। रेल प्रशासन ने भी निदेश दिया है कि रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ)/ रेल सुरक्षा विशेष बल कार्मिकों को ऐसे गंभीर खतरे के बारे में संवेदी बनाना चाहिए तथा अधिक से अधिक सचेत रखा जाना चाहिए।

(ग) और (घ):-

क्र. सं.	रेलवे	मंडल	मेटल डिटेक्टर	कुल राशि
1	2	3	4	5
1.	मध्य	पुणे	33	63,525/-
2.	पूर्व	हावड़ा-I	56	
		हावड़ा-II	34	
		सियालदाह	47	
		आसनसोल	51	
		मालदा	22	
		चितरंजन लोको वर्क्स	12	
		मेट्रो	40	
		कुल	262	13,39,000/-
3.	पूर्वतट	वालटेयर	11	2,14,385/-
4.	पूर्व मध्य	मुगलसराय	22	
		दानापुर	11	
		धनबाद	20	
		सोनपुर	28	
		समस्तीपुर	07	
		कुल	88	1,98,000/-
5.	उत्तर	अंबाला	13	
		दिल्ली-I	56	
		दिल्ली-II	26	
		फिरोजपुर	65	
		लखनऊ	17	
		मुरादाबाद	13	
		रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला	04	
		कुल	194	5,37,863/-
6.	पूर्वोत्तर सीमा	कोई मेटल डिटेक्टर मुहैया नहीं कराया गया है।	—	—
7.	पूर्वोत्तर	इज्जतनगर	05	
		लखनऊ	12	

1	2	3	4	5
		जोनल मुख्यालय	08	
		कुल	25	62,500/-
8.	उत्तर पश्चिम	अजमेर	02	
		बीकानेर	01	
		जयपुर	11	
		जोधपुर	09	
		कुल	23	2,65,566/-
9.	उत्तर मध्य	कोई मेटल डिटेक्टर मुहैया नहीं कराया गया है।	—	—
10.	दक्षिण	चेन्नई	41	
		त्रिची	63	
		मदुरै	01	
		पालघाट	04	
		कुल	109	3,11,120/-
11.	दक्षिण-मध्य	सिंकदराबाद	17	
		हैदराबाद	19	
		गुंतकल	38	
		विजयवाड़ा	25	
		नांदेडा	05	
		कुल	104	6,83,077/-
12.	दक्षिण पूर्व	कोई मेटल डिटेक्टर की खरीद नहीं हुई है।	—	—
13.	दक्षिण-पूर्व-मध्य	कोई मेटल डिटेक्टर की खरीद नहीं हुई है।	—	—
14.	दक्षिण पश्चिम	बंगलोर	18	
		मैसूर	26	
		कुल	44	88,000/-
15.	पश्चिम	मुंबई मध्य	128	
		वडोदरा	08	
		अहमदाबाद	15	
		रतलाम	14	
		राजकोट	10	
		भावनगर	04	
		कुल	179	6,21,800/-
16.	पश्चिम मध्य	भोपाल	28	
		कोटा	18	
		कुल	46	2,48,400/-

इसके अतिरिक्त, लगभग 4 करोड़ रुपए वायरलेस सेट की खरीद, 9 करोड़ रु. वाहन की खरीद पर खर्च किया गया है यह एक सतत् प्रक्रिया है जिसके लिए यात्रा कर रहे यात्रियों को शीघ्र एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए भविष्य में रेलवे संरक्षा बल को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न संरक्षा से संबंधित विभिन्न उपकरण की खरीद जारी रहेगी। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स/डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स की खरीद पर 10 लाख रु. खर्च करने के लिए सभी महाप्रबंधकों को प्राधिकृत किया गया है। बहरहाल, खर्चीले स्कैनर उपकरण (बम निरोधक उपकरण और एक्सरे स्कैनर इत्यादि) की खरीद रेलवे बोर्ड की स्वीकृति से "मशीन और संयंत्र" शीर्ष के अंतर्गत जारी रहेगी।

[हिन्दी]

रेलवे परियोजनाएं

1467. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की ऐसी कौन-कौनसी परियोजनाएं हैं जिनके संबंध में गत दो वर्षों के दौरान रेलवे ने सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या सर्वेक्षण की गई परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है/ दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण की गई परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान छोड़े गए सर्वेक्षणों की कुल संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 2004-05 और 2005-06 के दौरान 160 सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं।

(ख) से (घ) पूरे किए गए सर्वेक्षणों में से 4 नई लाइनों, 4 आमान परिवर्तनों और 6 दोहरीकरण सहित कुछ परियोजनाओं पर पूर्ण/आंशिक रूप से कार्य प्रारंभ किया गया है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

1468. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री टेक लाल महतो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय अपने पूर्व-कर्मचारी के परिवार से एक आश्रित सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डिविजन-वार की गई ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में डिविजन-वार कितने आवेदन ऐसी नियुक्ति हेतु लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक निपटा दिया जाएगा;

(घ) क्या रेलवे का विचार सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंचे अपने कर्मचारियों पर आश्रित कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। सेवा के दौरान किसी रेल कर्मचारी की मृत्यु होने, गुमशुदा होने अथवा मेडिकल आधार पर सेवानिवृत होने पर उसके परिवार के एक आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेल लाइनें

1469. श्री ब्रजेश पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने हेतु संसाधनों के आवंटन में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त उद्देश्य के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयोजन से अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें सार्वजनिक निजी भागीदारी, राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी, केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से वित्त पोषण और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं का वित्त पोषण शामिल है।

[अनुवाद]

सृजित किया गया नया ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन

1470. **श्री परसुराम माझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में सृजित किए गए नए रेलवे जोनों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार हेतु कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर व्यय की गई राशि तथा वर्ष-वार तथा स्टेशन-वार इसकी स्थापना से इस संबंध में क्या कार्य किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्ष अर्थात 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान सात नवसृजित ज़ोनों का भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है:-

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
पूर्व मध्य रेलवे			
यात्री	688.71	741.91	847.99
भाड़ा (माल)	2249.02	2159.67	2607.94
यात्रियों की वृद्धि दर		7.72%	14.30%
भाड़े की वृद्धि दर (माल)		-3.97%	20.76%
परिचालन अनुपात	93.7%	98.90%	82.29%%
पूर्व तट रेलवे			
यात्री	301.48	300.2	333.08
भाड़ा (माल)	2664.41	2970.21	3564.34
यात्रियों की वृद्धि दर		-0.42%	10.95%
भाड़े की वृद्धि दर (माल)		11.48%	20.00%
परिचालन अनुपात	66.6%	61.8%	54.01%
उत्तर मध्य रेलवे			
यात्री	890.31	1052.87	1157.70
भाड़ा (माल)	2274.98	2804.78	3164.10
यात्रियों की वृद्धि दर		18.26%	9.96%
भाड़े की वृद्धि दर (माल)		23.29%	12.81%
परिचालन अनुपात	76.3%	66.7%	61.06%
उत्तर पश्चिम रेलवे			
यात्री	456.28	492.31	557.41
भाड़ा (माल)	836.44	880.16	1152.92
यात्रियों की वृद्धि दर		7.90%	13.22%
भाड़े की वृद्धि दर (माल)		5.23%	30.99%
परिचालन अनुपात	106.3%	105.0%	93.94%
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे			
यात्री	225.23	262.79	308.24

1	2	3	4
भाड़ा (माल)	2468.5	2891.25	3331.66
यात्रियों की वृद्धि दर		16.68%	17.30
भाड़े की वृद्धि दर (माल)		17.13%	15.23%
परिचालन अनुपात	62.8%	56.1%	49.97%
दक्षिण पश्चिम रेलवे			
यात्री	464.71	444.76	505.21
भाड़ा (माल)	621.14	811.12	1146.09
यात्रियों की वृद्धि दर		-4.29%	13.59%
भाड़े की वृद्धि दर (माल)		30.59%	41.30%
परिचालन अनुपात	91.4	86.2	80.97
पश्चिम मध्य रेलवे			
यात्री	479.57	557.17	658.92%
भाड़ा (माल)	1917.78	2090.43	2244.43%
यात्रियों की वृद्धि दर		16.18%	18.26%
भाड़े की वृद्धि दर (माल)		9.00%	7.37%
परिचालन अनुपात	81.00%	86.5%	82.67%

नवसृजित जोनों का माल लदान निष्पादन

रेलवे	माल लादन (मिलियन टन में)			औसत प्रतिशत वृद्धि
	2003-04	2004-05	2005-06	
1		2	3	4
पूर्व मध्य	54.97	58.58	61.02	4.21
पूर्व तट	64.05	70.46	78.05	7.29
उत्तर मध्य	5.57	5.36	5.59	0.11
उत्तर पश्चिम	9.77	9.07	9.42	-1.19
दक्षिण पूर्व मध्य	83.02	92.51	98.47	6.20
दक्षिण पश्चिम	25.75	31.74	38.03	15.90
पश्चिम मध्य	18.37	20.30	23.81	9.87

(ग) और (घ) स्टेशन की कोटि के अनुसार मानकों के अनुरूप पूर्व तट रेलवे के सभी स्टेशनों पर न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसके अलावा, आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण आरंभ किया गया है। निधियों का स्टेशनवार आवंटन/व्यय का ब्यौरा और रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार हेतु निधियों के अलग आंकड़े भी नहीं रखे जाते हैं। रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार संबंधी कार्य मुख्यत: "यात्री सुविधाएं" योजना शीर्ष के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके अलावा, स्टेशनों के सुधार संबंधी कुछ कार्य दोहरीकरण, यातायात सुविधा कार्य, आमान परिवर्तन, कंप्यूटरीकरण आदि के भाग के रूप में भी किए जाते हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान पूर्व तट रेलवे में "यात्री सुविधाएं" योजना शीर्ष के अंतर्गत उपगत व्यय इस प्रकार है:

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

रेलवे	03-04 वास्तविक व्यय	04-05 वास्तविक व्यय	05-06 वास्तविक व्यय (अनंतिम)	06-07 बजट अनुदान
पूर्व तट	3.55	4.16	5.28	13.44

डीजल रेल इंजन

1471. **श्री रघुनाथ झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने दसवीं योजना के दौरान डीजल रेल इंजन प्राप्त करने संबंधी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। 10वीं (चालू) योजना में डीजल रेल इंजनों हेतु 444 रेल इंजनों की खरीद का लक्ष्य था। बहरहाल, यातायात में तीव्र वृद्धि हुई है और यातायात मांग को पूरा करने के लिए अब 619 डीजल रेल इंजनों की खरीद की संभावना है।

(ग) 31.3.2006 तक 469 डीजल रेल इंजनों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान 150 और डीजल रेल इंजनों के विनिर्माण की योजना है।

हवाई एम्बुलेंस सेवाएं

1472. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए कुछ अस्पतालों की मांगों के मद्देनजर उन्हें हवाई एम्बुलेंस सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों के नाम सहित ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

लाभांश के भुगतान से छूट

1473. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने केंद्र सरकार से पांच वर्षों के लिए लाभांश का भुगतान करने से छूट देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चेन्नै-त्रिचि-मदुरै पाइपलाइन

1474. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेन्नै-त्रिचि-मदुरै पाइपलाइन शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस योजना के अंतर्गत किन शहरों/नगरों को लाभ मिलने की संभावना है;

(ग) क्या तमिलनाडु में एल पी जी टर्मिनल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है तथा इनकी अनुमानित क्षमता कितनी होगी; और

(ङ) पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में उपभोक्ता सुविधा को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) चेन्नै-त्रिचि-मदुरै पाइपलाइन को इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) द्वारा दो चरणों (i) अगस्त, 2005 में चेन्नै-मदुरई खण्ड'' तथा (ii) दिसम्बर, 2005 में ''सनकारी शाखा पाइपलाइन'' में चालू किया गया।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 334 करोड़ रुपए है। इस पाइपलाइन मार्ग के साथ पड़ने वाले ग्यारह जिले नमत: तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, विल्लूपुरम, कुड्डालूर, पेरमबलूर, त्रिची, पुड्डुकोट्टाई, सिवागंगा, मदुरई, सलेमन और नमक्कल तथा चेन्नै भी लाभान्वित हुए हैं।

(ग) और (घ) आई.ओ.सी. के पास अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी, मैसर्स इंडियन आयल पेट्रोनास प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से तमिलनाडु के एन्नौर में एल.पी.जी. आयात टर्मिनल स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। इस एल.पी.जी. आयात टर्मिनल की क्षमता 600 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष प्रस्तावित है। इस परियोजना के दिसम्बर, 2008 तक पूरी होने की संभावना है।

(ङ) आई.ओ.सी. द्वारा इस परियोजना को इस शर्त पर लागू

किया जाना है कि सभी सांविधिक अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाएं तथा यह भी शर्त है कि वह पर्यावरण के संरक्षण हेतु उन अधिनियमों के प्रावधानों को माने।

अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के मांग-पत्र धारक

1475. **श्री अधीर चौधरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लम्बित मांग-पत्र धारकों की सरकार अधिकरणों द्वारा एच पी सी एल को आबंटित/आबंटित किए जा रहे स्थलों पर उनके खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के मामले में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्णत: उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो फरीदाबाद में पेट्रोल पम्प लगाने के लिए एच पी सी एल को हुडा द्वारा कितने स्थानों की पेशकश की गई है; और

(ग) एच पी सी एल द्वारा फरीदाबाद के लम्बित मांग-पत्र धारकों हेतु इन स्थलों का अधिग्रहण कब तक कर लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) ने बताया है कि भूमि की उपलब्धता निश्चित हो जाने तथा अनापत्ति प्रमाणपत (एन ओ सी) प्राप्ति के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों को आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओ) के चालू होने में कारपोरेशन की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। अ. जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्र के चालू होने में विलम्ब उन्हीं मामलों में होता है, जहां भूमि उपलब्ध नहीं होती है या भूमि प्रापण में विलम्ब होता है।

(ख) और (ग) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने एच पी सी एल को सेक्टर-9, फरीदाबाद में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए एक स्थल पट्टे पर आबंटित किया है। तथापि, हुडा द्वारा भूमि का कब्जा केवल तभी दिया जाएगा जब एच पी सी एल द्वारा जिला न्यायाधीश (डी एम) फरीदाबाद से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाए और कारपोरेशन उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

बंद पड़े सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को राहत

1476. **श्री रशीद मसूद :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंद पड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को राहत देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अनुसार सरकार सशक्त तथा प्रभावशाली सरकारी क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है, जिसके सामाजिक उद्देश्य उसके वाणिज्यिक कार्यचालन द्वारा पूरे किए जाते हैं। हालांकि, रुग्ण सरकारी कंपनियों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन के लिए और रुग्ण उद्योग के पुनरूद्धार के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा, फिर भी लम्बे समय से घाटा उठाने वाली कंपनियों को उनके सभी कर्मचारियों के वैधानिक देयताएं तथा प्रतिपूर्ति प्राप्त कर लेने के बाद या तो बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा। सरकार उन कंपनियों के सुधार के लिए गैर-सरकारी उद्योगों को शामिल करेगी, जिनमें पुनरूद्धार की क्षमता है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, मानवशक्ति, पुनर्गठन तथा उनको बंद करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों/(बंद किए गए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित) के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के परामर्श, पुन: प्रशिक्षण तथा पुन: नियोजन के लिए एक केन्द्रीय योजना लागू है।

आईटीडीसी द्वारा नए होटलों का निर्माण

1477. **श्री धुबनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) ने अपनी बहुमूल्य संपत्ति औने-पौने दामों पर बेच दी और अब पांच सितारा होटल निर्माण हेतु नीति बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आईटीडीसी होटलों की पुन: साज-सज्जा करने तथा अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो आईटीडीसी होटलों का स्थानवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) विनिवेश आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, सरकार

ने आईटीडीसी के होटलों का विनिवेश करने का निर्णय लिया था। आईटीडीसी की संपत्तियों के विनिवेश से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन, तत्कालीन विनिवेश मंत्रालय (वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अधीन विनिवेश विभाग) द्वारा किया गया था। आईटीडीसी में विनिवेश की प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, सरकार द्वारा सचिव (विनिवेश) की अध्यक्षता, में एक अंतर-मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) का गठन किया गया था।

विनिवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीडी) की मंजूरी के अनुरूप, होटल अशोक, बंगलौर को लंबी अवधि के पट्टा-सह-प्रबंध करार पर दिया गया था जबकि, अन्य 17 होटल इकाइयों और चंडीगढ़ में एक अपूर्ण होटल परियोजना का विनिवेश, प्रत्येक होटल परिसंपत्ति के लिए अलग से एक कंपनी को समाविष्ट कर और उसमें बोली की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार की शेयरधारिता की बिक्री कर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के अंतर्गत, डीमर्जर की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया।

(ग) और (घ) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए अतिरिक्त कमरों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, होटल कमरों की इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए, भारतीय पर्यटन विकास निगम ने प्रस्ताव तैयार किए हैं। ये प्रस्ताव वर्तमान में योजना स्तर पर हैं।

कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन

1478. **श्री अनंत गुढे :**
श्री श्रीचंद कृपलानी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमताओं तथा संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रदर्शनियों तथा मेलों का आयोजन करने तथा ऐसे उद्योगों पर अध्ययन व सर्वेक्षण करने के लिए सहायता प्रदान करती है; और शीतागार क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इसके लिए राज्यवार कितनी राशि आबंटित और व्यय की गयी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमताओं और संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशाला, सेमिनार, प्रदर्शनी तथा मेले आयोजित करने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर अध्ययन और सर्वेक्षण कराने हेतु सहायता देती है। वित्तीय सहायता का स्वरूप लागत का 50% है जिसकी अधिकतम सीमा प्रदर्शनी/मेले/सेमिनार/कार्यशाला के लिए एक लाख रुपये और अध्ययन/सर्वेक्षण/व्यवहार्यता रिपोर्टों के लिए 3 लाख रुपये है। जब मंत्रालय प्रदर्शनी/मेले/सेमिनार/कार्यशाला प्रायोजित/सह-प्रायोजित करता है या अध्ययन/सर्वेक्षण/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करता है तो उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(ख) से (घ) आयोजित किए गए कार्यक्रमों पर राज्य-वार और वर्ष-वार किया गया व्यय तथा कार्यक्रमों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यह एक जागरूकता स्कीम है इसलिए इसके लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान सेमिनारों/अध्ययनों/प्रदर्शनियों आदि के आयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-04		2004-05		2005-06	
		सं.	राशि (लाख रुपये में)	सं.	राशि (लाख रुपये में)	सं.	राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	2	14.20	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	चंडीगढ़	1	0.60	1	5.00	1	5.00
3.	पाण्डिचेरी	1	0.25	0	0	0	0
4.	राजस्थान	6	2.33	0	0	0	0
5.	पश्चिम बंगाल	2	10.77	1	30.85	3	11.43
6.	हरियाणा	1	0.35	0	0	1	0.50
7.	आंध्र प्रदेश	3	4.22	5	2.27	5	2.25
8.	महाराष्ट्र	2	1.79	4	8.77	6	3.75
9.	केरल	2	6.00	0	0	1	0.50
10.	उत्तर प्रदेश	5	7.82	6	17.15	4	12.01
11.	हिमाचल प्रदेश	1	0.14	1	8.76	0	0
12.	गुजरात	1	1.89	3	9.55	4	9.62
13.	तमिलनाडु	7	16.19	6	4.49	9	5.61
14.	बिहार	1	0.42	4	4.34	0	0
15.	नई दिल्ली	26	99.49	21	138.58	33	189.82
16.	कर्नाटक	0	0	4	2.25	0	0
17.	झारखण्ड	0	0	3	3.38	0	0
18.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	1	0.49	2	0.59
19.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	2	2.00
	कुल	61	166.46	60	235.88	71	243.08

आदर्श दलित ग्राम

1479. श्री संतोष गंगवार :
श्री धावरचंद गेहलोत :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 50 प्रतिशत से अधिक दलित आबादी वाले गावों को "आदर्श दलित ग्राम" में बदलने की योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसे गांवों का राज्यवार वर्तमान ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उपरोक्त गांवों के लिए कोई विशेष योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे गांवों के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ङ) इस योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) जी हां। योजना आयोग, अनुसूचित जातियों की 50 प्रतिशत और अधिक आबादी वाले गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने की योजना पर विचार कर रहा है। इस संबंध में ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक की पर्यटन परियोजनाएं

1480. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री एम. शिवन्ना :
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारी राजस्व सृजन योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार से अनेक पर्यटन परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रत्येक परियोजना पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गयी अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने भारी राजस्व सृजक योजना के अंतर्गत 3130.75 लाख रु. की कुल लागत से कर्नाटक में चामुंडी हिल्स, जोग फॉल्स तथा लालबाग गार्डन्स में पैसेंजर रोपवे तैयार करने हेतु 18.11.2004 को 3 परियोजना प्रस्ताव सौंपे थे। ये परियोजनाएं दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी प्रकार से पूर्ण नहीं थी और 2004-05 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु इन्हें मंजूरी नहीं दी जा सकी।

भारी राजस्व सृजक योजना के अंतर्गत आज तक कर्नाटक सरकार की ओर से चामुंडी हिल्स, जोग फाल्स तथा लालबाग के लिए कोई ताजा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय ने जोग फाल्स के विकास हेतु एक परियोजना प्रस्ताव को 7.11.2005 को 462.59 लाख रु. की मंजूरी दी है।

कर्नाटक सरकार द्वारा 4.5.2004 को भारी राजस्व सृजक योजना के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गार्डन के रूप में जोग फाल्स में लिंगनामक्की के विकास हेतु एक परियोजना शुरू में सौंपी गई थी। तत्पश्चात् इसे पुन: तैयार कर गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत 5.5.2005 को राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया। इस परियोजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष 494.98 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी प्रदान की गई है।

विमान में उड़ानों के दौरान विशेष भोजन

1481. **श्री एस.के. खारवेनचन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों का विचार यात्रियों को स्वास्थ्य, चिकित्सा और धार्मिक आधार पर उड़ानों के दौरान विशेष भोजन उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स यात्रियों द्वारा टिकट की बुकिंग कराते समय या अनुसूचित प्रस्थान समय से 24 घंटे पूर्व विशेष रूप से अनुरोध किए जाने पर स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि आधारों पर विशेष उड़ानगत भोजन उपलब्ध कराती हैं।

[हिन्दी]

उड़ानों में बढ़ोत्तरी

1482. **श्री सुशिल कुमार महतो :**
श्री चीकाभाई ए. पटेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उन शहरों का ब्यौरा क्या है जहां उड़ानों की संख्या बढ़ाई गयी है;

(ख) इससे किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचा है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विमान सेवाएं शुरू करने के लिए अनुरोध किया है और कितने अनुरोध स्वीकार किए गए हैं तथा कार्रवाई किए जाने के लिए कितने अनुरोध लम्बित हैं; और

(घ) लम्बित अनुरोधों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) उन शहरों के नामों के ब्यौरे इस प्रकार हैं जहां पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ानों की संख्या में वृद्धि हुई है, अगरतला (त्रिपुरा), गुवाहाटी, डिब्रुगढ़, सिलचर और लीलाबाड़ी (आसाम), इम्फाल (मणिपुर), अहमदाबाद, कांडला, बडोदरा (गुजरात), चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, तूतीकोरिन (तमिलनाडु), मुंबई, नागपुर, पुणे (महाराष्ट्र), हैदराबाद, विजाग (आंध्रप्रदेश), अमृतसर, पठानकोट (पंजाब), जम्मू, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर), कोचीन, त्रिवेन्द्रम (केरल), बंगलौर, मंगलौर, विद्यानगर (कर्नाटक), कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), दिल्ली (दिल्ली), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), पोर्टब्लेयर (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह), देहरादून (उत्तरांचल), ग्वालियर (मध्य प्रदेश), गोवा (गोवा), चंडीगढ़ (चंडीगढ़), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), भुवनेश्वर (उड़ीसा), जयपुर (राजस्थान)

(ग) और (घ) नए प्रचालन आरंभ करने, विमान सेवा संपर्क में वृद्धि करने तथा विमान सेवाओं की चालू आवृतियां को पुनः अनुसूची तेयार करने की मांग समय-समय पर अधिकांश प्रत्येक राज्य से प्राप्त होती रही है। इस अनुरोधों पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और जहां तक संभव है, तथा इंडियन एयरलाइन्स/एलायंस एयर के पास उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नई उड़ाने आरंभ कर दी गई है, विमान सेवा सम्पर्क बढ़ा दिया गया है तथा पुनः अनुसूचित कर दिया गया है।

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित, देश के विभिन्न क्षेत्रों के विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यात्री मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर, विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रचालित करे। इस प्रकार एयरलाइनें, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर, देश में किसी भी स्थान के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है।

[अनुवाद]

कम वजन वाले एल पी जी सिलेण्डर

1483. श्री सुग्रीव सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच पी सी एल, बी पी सी एल और आई ओ सी दिल्ली में कम वजन वाले एल पी जी सिलेण्डर की आपूर्ति करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं से कम एल पी जी की आपूर्ति करने के लिए इन कंपनियों पर हाल ही में जुर्माना लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कंपनियों द्वारा अपने संयंत्रों में सिलेण्डरों में कम गैस भरने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अपने संयंत्रों में ऐसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) दिल्ली सरकार के माप-तोल विभाग ने 21.8.2006 को इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटैड (आई ओ सी) के मदनपुर खादर एल पी जी बाटलिंग संयंत्र से भरे हुए एल पी जी सिलेण्डरों के 96 नमूने और टिकरी कलां एल पी जी बाटलिंग संयंत्र से भरे हुए एल पी जी सिलेण्डरों के 64 नमूने लिए थे। इन कुल 160 एल पी जी सिलेण्डरों में से टिकरी कलां के बाटलिंग संयंत्र के 1 एल पी जी सिलेण्डर में 190 ग्राम गैस की कमी पाई गई जिसकी वजह यह थी कि उसे पुराने यांत्रिक कैरुजल से भरा गया था। तीन यांत्रिक कैरूजलों में से दो को बदल कर उनके स्थान पर इलेक्ट्रानिक कैरूजल लगा दिये गये हैं और एक यांत्रिक कैरूजल को इलेक्ट्रानिक कैरूजल में बदला जा रहा है और आशा है कि यह काम दिसंबर 2006 तक पूरा हो जायेगा।

इसी प्रकार 22.9.2006 को दिल्ली सरकार के माप तोल विभाग ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) के पियाला

एल पी जी बाटलिंग संयंत्र से भरे हुए सिलेण्डरों के 96 नमूने और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) के बहादुरगढ़ एल पी जी बाटलिंग संयंत्र से भरे हुए सिलेण्डरों के 64 नमूने लिए थे। उपरोक्त में से बी पी सी एल और एच पी सी एल के बाटलिंग संयंत्र के एक एक सिलेण्डरों में क्रमश: 250 ग्राम और 585 ग्राम गैस की कमी पाई गई जो इलेक्ट्रानिक कैरूजलों पर सिलेण्डरों के खाली वजन की गलत एनकोडिंग के कारण थी।

(ङ) दिल्ली सरकार के माप तोल विभाग ने तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के विरुद्ध कार्रवाई की है। संयंत्र के प्रबंधकों और बाटलिंग संयंत्रों के कर्मचारियों को भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सचेत/सावधान कर दिया गया है।

कार्गो व्यापार के विस्तार हेतु विमान बेड़ा

1484. **श्री पन्निचन रवीन्द्रन :**
श्री रामदास आठवले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्गो व्यापार के विस्तार में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अपने विद्यमान विमान बेड़े के कुछ विमानों को कार्गो विमान में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्गो विमानों के लिए तिरुवनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन भी एक केन्द्र होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 4 मैट्रो हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तथा 4 गैर-मैट्रो हवाई अड्डों नागपुर, गुवाहाटी, लखनऊ और कोयम्बटूर हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की देखरेख कर रहा है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर अवसंरचनात्मक विकास जैसे कार्यरत उपकरणों सहित वातानुकूलित सार्वजनिक प्रतीक्षा कक्ष, सेन्टर फॉर पेरिशेबल कार्गो (सी पी सी) का ट्रक डॉक एरिया, अन्दरूनी तापमान की सुविधा सहित कार्गो टर्मिनल का सुधार आदि किए गए हैं।

अमृतसर हवाई अड्डे पर, एक आधुनिक हवाई कार्गो टर्मिनल का निर्माण तथा पीएजीआरईएससीओ द्वारा विकसित अस्थाई सेन्टर फॉर पेरिशेबल कार्गो (सी पी सी) चालू किया गया है।

कोलकाता हवाईअड्डे पर, 49.66 करोड़ रुपए की लागत से निर्यात प्रचालन के लिए एकीकृत कार्गो टर्मिनल का फेस-I चालू किया गया है।

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में 100 प्रतिशत आधार पर एक्सपोर्ट कार्गो प्रोसेसिंग में वेब आधारित ई डी आई क्रियान्वित किया गया है। एक्सरे प्रभार कम किए गए हैं। निर्यातकों/प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा 1000-1500 बजे के बीच एक्सपोर्ट कार्गो के लिए सितम्बर, 2005 में एक्सपोर्ट हैंडलिंग प्रभारों पर 20 प्रतिशत छूट आरम्भ की गई है। 8 देशों से संबंधित एक्सपोर्ट कार्गो को सीधे वांछित क्षेत्र को भेजने की अनुमति दी गई है। मैसर्स कार्गो सर्विस सेंटर (सी एस सी) को कंटेनर में लोड किए गए पेरशेबल कार्गो को सेन्टर फॉर पेरिशेबल कार्गो से सी एस सी द्वारा एयरलाइनों/ट्रेड पर किसी अतिरिक्त के किसी उपकर के बिना, एयरक्राफ्ट बे तक ले जाने के लिए रीफर डॉली प्रचालित करने की अनुमति दी गई है। सेन्टर फॉर पेरिशेबल (सी पी सी) की स्थापना के लिए एक नई नीति विकसित की गई है। खुली निविदाओं के माध्यम से इच्छुक संगठनों को स्थान/भूमि ली पर देकर घरेलू हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग के लिए विकसित करने के लिए एक नीति तैयार की गई है।

(ख) और (ग) जी हां। इंडियन एयरलाइन्स का इस समय एलाइंस एयर द्वारा प्रचालित किए जा रहे पांच बी-737 विमानों को फ्राइटर विमानों में बदलने का प्रस्ताव है। इन पांच विमानों को हब एंड स्पोक पैटर्न से प्रचालित करने पर विचार किया जा रहा है

इंडियन एयरलाइन्स की नागपुर को एक हब तथा दिल्ली, मुंबई और चेन्नई (वाया बंगलौर तथा हैदराबाद) को प्रारंभिक स्टेशनों के रूप में उपयोग करके इन फ्राइटर सेवाओं को प्रचालित करने की योजनाएं हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि, यदि कोई अनुसूचित एयरलाइन तिरुवनन्तपुरम को कार्गो प्रचालन के लिए एक बेस के रूप में इस्तेमाल करने की इच्छुक है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हर संभव समर्थन प्रदान करेगा।

रक्षा उत्पादन में निजी भागीदारी

1485. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुलेटप्रूफ वेस्ट से लेकर विमान बनाने तक के विस्तृत रक्षा उत्पादों के विनिर्माण हेतु 19 निजी फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के बावजूद निजी क्षेत्र अभी तक रक्षा उत्पादन में भागीदार नहीं बन पाया है जैसा कि सरकार द्वारा संकल्पना की गयी थी जैसा कि 13 अक्तूबर, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) आयातित रक्षा उत्पादों पर कम से कम निर्भरता हेतु रक्षा उत्पादनों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (ग) रक्षा उद्योग क्षेत्र को मई 2001 में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। अब तक निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को व्यापक रेंज की रक्षा मदों को उत्पादन करने के लिए 29 आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

सरकार ने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 के भाग के रूप में हाल ही में अधिसूचित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (''बनाओ'' श्रेणी) में, साझी विकास लागत और न्यूनतम आर्डर की मात्रा से संबंधित भारतीय उद्योग की चिंताओं का उल्लेख किया गया है। रक्षा संविदाओं में ''क्षतिपूर्ति (आफसेट)'' संबंधी उपबंध शामिल करने के अलावा भारतीय निजी उद्योग को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस प्रक्रिया में एक प्रावधान भी शामिल किया गया है। प्रणाली समाकलकों की भूमिका निभाने के लिए निजी क्षेत्र के प्रथम स्तरीय उद्योगों का चयन करने से भी रक्षा उत्पादन में उनकी भागीदारी को और बढ़ावा मिलने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाएं

1486. श्री रायापति सांबासिवाराव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश में रेलवे द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं कौन सी हैं;

(ख) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) नई परियोजनाओं का ब्यौरा जो चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई हैं और पूर्णत/अंशत: आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपयों में)

परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	31.3.2006 तक उपगत व्यय	परिव्यय (2006-07)	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
		नई लाइनें		
मनोहरबाद-कोउपल्ली	378.56	–	3.95	2006-07 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
जग्गायापेट-मल्लाचिरुवु	53.21	–	0.01	2006-07 के पूरक बजट में शामिल किया गया नया कार्य है वन क्षेत्र में वन अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5
विषपुरम-जनाफार	42.08	—	0.01	2006-07 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
		रेल विद्युतीकरण		
करेपल्ली-भद्राचलम-मानुगुरु	40.62	—	11.61	2006-07 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
लिंगमपल्ली-वाडि	94.93	—	5.00	2006-07 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।

उपर्युक्त परियोजनाओं को पूरा करने की लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

1487. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर (पाकिस्तानी युद्धक विमानों द्वारा) अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा मानदण्डों के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान मास-वार उल्लंघन की ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों द्वारा भारत-पाक सीमा पर भारतीय हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

'फ्रीडम सर्किट' का विकास

1488. श्री सी.एच. विजयशंकर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार के पास राज्य में कुछ क्षेत्रों में 'फ्रीडम सर्किट' के समेकित विकास हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य सहित, देश में पर्यटन का विकास एवं संवर्धन एक निरंतर प्रक्रिया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना से पर्यटन मंत्रालय, निम्नलिखित योजनाओं के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, प्रत्येक वर्ष उनके साथ परामर्श से, प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है:—

(1) पर्यटक परिपथ

(2) गंतव्य विकास

(3) भारी राजस्व सर्जक

(4) मेले और उत्सव

श्रीरंगपट्टन-शिवपुर-रामास्वामी (मैसूर), क्षेत्र में स्वतंत्रता परिपथ के एकीकृत विकास हेतु, 8,02,52,735.00 रु. की अनुमानित लागत

पर, कर्नाटक राज्य सरकार ने दिनांक 7.11.2005 को एक परियोजना प्रस्ताव सौंपा था, जिसे पर्यटन मंत्रालय तथा राज्य सरकार के बीच बैठक के दौरान प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा, परियोजना प्रस्ताव को दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया था और इसलिए इसे मंजूरी नहीं दी गई। कर्नाटक राज्य के पर्यटक विकास एवं संवर्धन की अन्य परियोजनाओं हेतु, वर्ष 2005-06 के दौरान 17,27.70 लाख रु. की राशि की आठ परियोजनाओं को पर्यटन मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है।

[हिन्दी]

हज यात्रियों को राजसहायता

1489. श्री मो. ताहिर :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हज यात्रियों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या हज यात्रियों की संख्या बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गयी है तथा उनके लिए राजसहायता प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें यह सुविधा कितने वर्षों के लिए दी जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) जी हां। सरकार ने हज सहायता योजना के अंतर्गत हजन प्रचालन 2006-II के लिए हज यात्रियों की संख्या को 1,00,000 से बढ़ाकर 1,10,000 करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा केवल इसी वर्ष के लिए प्रदान की गई है।

जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ

1490. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर की सीमा से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2006 के दौरान सैन्य शिविरों और प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमलों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामत: जान-माल की कितनी क्षति हुई;

(घ) क्या विदेशी मूल के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी मारे गए/सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया; और

(च) घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) अक्तूबर, 2006 तक जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने वालों की अनुमानित संख्या 515 है जबकि वर्ष 2005 में इसी अवधि के दौरान यह संख्या 540 थी।

(ग) वर्ष 2006 में, जम्मू-कश्मीर में सेना के कैंपों पर कुछ दूरी से ग्रेनेड फैंके जाने/गोलीबारी की 9 घटनाएं हुई हैं जिनमें सेना के 02 कार्मिक घायल हुए थे।

(घ) और (ङ) सभी बड़े आतंकवादी गुटों के पास विदेशी आतंकवादी हैं। इन गुटों का सामना करने के लिए स्थानीय और विदेशी, दोनों आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ती है। अक्तूबर 2006 तक कुल 516 आतंकवादियों को मार दिया गया है और 146 ने आत्मसमर्पण किया है।

(च) सेना की घुसपैठ रोधी रणनिति में, बहु-स्तरीय व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है जिसमें सैनिकों की तैनाती अग्रिम पंक्ति में करना, निगरानी के अत्याधुनिक उपकरणों की तैनाती करना, नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाना और बाड़ के साथ-साथ दूसरी पंक्ति को तैनात करना शामिल हैं। ऐसी व्यवस्था की समीक्षा निरन्तर की जाती है।

मध्या 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

विश्व महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में स्वर्णपदक जीतने वाली महिला मुक्केबाजों को बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आपको याद होगा कि कल मैंने नई दिल्ली में हाल ही में सम्पन्न विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्णपदक जीतने पर सुश्री एम.सी. मैरीकोम को उनकी उपलब्धि के लिए, बधाई दी थी।

उसी चैंपियनशिप में तीन अन्य महिला-मुक्केबाज जेनी आर.एल. लेखा के.सी. और सरिता देवी ने भी स्वर्ण पदक जीता था।

इन उत्साही महिला खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त इस उपलब्धि ने हमारे देश का नाम रोशन किया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी उपलब्धि के लिए इन महिला खिलाड़ियों को बधाई देने में सभा मेरे साथ है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह देवरिया : हमारी क्रिकेट टीम को इससे कुछ संदेश मिलेगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, हमें उन पर गर्व है।

अध्यक्ष महोदय : हमे अपने महिला मुक्केबाजो पर गर्व है। मुझे खेद है कि हम अपने क्रिकेट खिलाड़ियों पर इस समय ऐसा गर्व नहीं कर सकते लेकिन मुझे विश्वास है कि अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने में प्रत्येक सदस्य मेरा साथ देगा। मुझे विश्वास है कि वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

अपरा 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5071/2006]

(ख) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5072/2006]

(ग) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5073/2006]

(घ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5074/2006]

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:–

(1) भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति का प्रतिवेदन (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण को साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वालस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5075/2006]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2006 जो 18 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 570(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सचिव का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2006 जो 18 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2006 जो 18 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 572(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्रतिकर का संदाय) नियम, 2006 जो 18 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 573(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के विरुद्ध जांच करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा किसी प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया) नियम, 2006 जो 18 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 574(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5076/2006]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : महोदय, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-1996 से 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-1996 से 1998-1999 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-1996 से 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5077/2006]

(3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5078/2006]

(5) (एक)इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5079/2006]

(7) (एक)वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5080/2006]

(9) (एक)नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, दतिया के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, दतिया के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5081/2006]

(11) (एक)ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5082/2006]

(13) (एक)संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5083/2006]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदय मैं इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के

बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5084/2006]

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई रठवा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (ऑपरेटरों को भारतीय रेल से संबंधित कंटेनर ट्रेनों को चलाने की अनुमति) नियम, 2006 जो सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5085/2006]

(2) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2006 जो 23 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 498(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5086/2006]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक)राइट्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) राइट्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5087/2006]

(ख) (एक)इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5088/2006]

(ग) (एक)रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5089/2006]

(4) (एक)इंडियन रेलवे वेलफेयर, आर्गेनाइजेशन, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेलफेयर, आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5090/2006]

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 64 की उपधारा (2) के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्ति, मुख्य आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5091/2006]

अपराह्न 12.02 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरुदास कामत (मुंबई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2006-07 की अनुदानों की मांगों संबंधी समिति के 13 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(एक) उन्नीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : महोदय, मै जनजातीय कार्य मंत्रालय के "लघु वन उपज (एफएफपी) प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसीएस) को सहायता अनुदान" विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

(दो) विवरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदय, मै जनजातीय कार्य मंत्रालय-अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) (चौदहवीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन में की-गई-कार्यवाही में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ तिरासी से एक सौ पचासीवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. वसुदेव चर्मन (मथुरापुर) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) 'केन्द्रीय विद्यालयों से संबंधित मुख्य मुद्दे' के बारे में 183वां प्रतिवेदन;

(2) 'नवोदय विद्यालयों से संबंधित मुख्य मुद्दे' के बारे में 184वां प्रतिवेदन;

(3) 'भारत में खेलकूद संवर्धन' के बारे में 185वां प्रतिवेदन;

अपराह्न 12.04 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

"कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3(एक) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, दो वर्ष की अवधि

लिए, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3(एक) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, दो वर्ष की अवधि के लिए, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री श्री संतोष मोहन देव द्वारा वक्तव्य अर्थात् कार्य की अनुपूरक मद को लिया जाएगा। मैंने मंत्री जी को अनुमति दे दी है।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, यह वेतन पुनरीक्षण समिति के गठन के बारे में है। महोदय, क्या मैं पूरा वक्तव्य पढ़ूं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप वक्तव्य सभापटल पर रख सकते हैं। यह वेतन पुनरीक्षण समिति के गठन से संबंधित मामला है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

वेतन संशोधन समिति के गठन के संबंध में भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री श्री संतोष मोहन देव का वक्तव्य।

*सरकार ने न्यायमूर्ति श्री एम. जगन्नाथ राव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए 1.1.2007 से प्रारंभ अवधि के लिए तथा 10 वर्ष की अवधि के लिए वेतन समिति गठित की है। डा. नीतिश सेनगुप्त, अर्थशास्त्री एवं भूतपूर्व सदस्य-सचिव, योजना आयोग, श्री पी.सी. पारख, भूतपूर्व सचिव, कोयला विभाग, भारत सरकार और श्री आर.एस.एस. एल.एन. भास्करुडु, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, मारुति उद्योग लिमिटेड एवं भूतपूर्व अध्यक्ष लोक उद्यम चयन मंडल समिति के सदस्य होंगे। सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार समिति के पदेन-सदस्य और संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार समिति के सचिव होंगे।

2. समिति वेतन संशोधन से संबंधित मामलों पर अपनी सिफारिशें देंगी, जिनमें निदेशक मंडल स्तर के अधिकारी, निदेशक मंडल स्तर से निम्न कार्यपालक तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के असंघबद्ध पर्यवेक्षकीय कर्मचारी शामिल होंगे, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख है। वेतन संशोधन समिति गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

3. समिति के विचारार्थ विषय मुख्य रूप से इस प्रकार हैं:–

उन सिद्धांतों की जांच करना, जिनसे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों के लिए वर्तमान वेतन संरचना, भत्ते, परिलाभ तथा लाभ शासित होने चाहिए।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को आधुनिक व्यावसायिक नागरिकों के अनुकूल तथा सफल वाणिज्यिक निकायों में बदलने की सिफारिशें करना, जोकि लोगों की सेवा के लिए भी समर्पित हो।

ढांचे, संगठन, पद्धति तथा प्रक्रिया के यौक्तिकीकरण के माध्यम से क्षमता, उत्पादकता तथा किफायत का संवर्धन करने के लिए व्यापक वेतन पैकेज तैयार करना।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यचालन को उभरते राष्ट्रीय तथा विश्वस्तरीय आर्थिक परिदृश्य की मांगों के साथ जोड़ने की सिफारिश करना।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी 5092/06

[श्री संतोष मोहन देव]

उत्पादकता से संबंधित प्रोत्साहन योजना तथा कार्यनिष्पादन से संबंधित भुगतान की जांच करना।

समिति वर्षों से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के परिलाभों की संरचना में हुए परिवर्तनों पर विचार करेगी तथा 1.1.2007 के बाद से देय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संघबद्ध कर्मचारियों के लिए मजूरी वार्ता के सातवें दौर के संबंध में पहले से ही तैयार की गई नीति को भी ध्यान में रखेगी। सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करते समय समिति छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखेगी।

अब, वेतन संशोधन समिति के गठन से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की एक अन्य मुख्य मांग पूरी हो गई है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण द्वारा सुविधा-संपन्न गतिशील व्यापार परिवेश में यह कार्यनिष्पादन को मान्यता प्रदान करते हुए प्रोत्साहन की तरफ एक कदम होगा। कर्मचारियों के कल्याण को सरकार अत्यधिक ध्यान और महत्व देती रही है तथा यह हमेशा इसके प्रति संवेदनशील रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले लेते हैं। चौधरी लाल सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह, आपका ध्यान नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, कल हमें बताया गया था कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाउस का काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। कृपया आप बैठ जाइए।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, कल आपने कहा था कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का मौका देंगे। थोड़ा धीरज रखिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सर, कल आपने कहा था कि आज सबसे पहले बोलने का अवसर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा उम्र हो गई है। इसलिए भूल जाता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी परमीशन से मैं केन्द्र की सरकार का ध्यान अपनी स्टेट की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां पानी प्राप्त करने का मसला डे-बाई-डे मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जमीन के नीचे का पानी सूखता जा रहा है। वहां वाटर लैवल नीचे चला गया है। उसे रीचार्ज करने का कोई भी तरीका अख्तियार नहीं किया जा रहा है।

महोदय, हमारी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के साथ लगते हैं, जैसे कठुआ और जम्मू, वहां के पहाड़ों का पानी जमीन के नीचे होता हुआ सीधा पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान में वह पानी जमीन के नीचे से नैचुरल रुप में बहुत ज्यादा तादाद में निकल रहा है। मैं गवर्नमैंट को सजैस्ट करना चाहता हूं कि उस पानी को सरकार रीचार्ज करने का तरीका अपनाए क्योंकि उसे हमारी कंडी की ओर पहुंचाना बहुत जरूरी है।

महोदय, मैं केवल अपने जिले की बात बता रहा हूं। वहां हमारे बुजुर्गों ने करीब 401 तालाब बनवाए थे ताकि पानी जमीन में महफूज रह सके। यह मैं केवल एक जिले की बात बता रहा हूं। यदि पूरी रियासत का हिसाब लगाएंगे तो ऐसे हजारों तालाब होंगे जिनके कारण जमीन के नीचे वाटर लैवल भी ऊंचा रहे और जमीन में मॉइस्चर भी बना रहे ताकि हमारे लोग जो थोड़ी-बहुत खेती होती है उसकी सिंचाई कर सकें और अपने पुशपालन का धंधा चला सकें। आज उन तालाबों की हालत बहुत खस्ता हो गई है। वे डैमेज हो गए हैं। इन तालाबों के बनाने पर सरकार का पैसा खर्च नहीं हुआ था बल्कि ये लोगों ने निजी तरीके से बनवाए थे। आज उन्हें प्रोटैक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। यदि उन्हें आज बनाया जाए तो अरबों रुपए खर्च होंगे। आज उन्हें सेफ करना है ताकि पानी को भी बचाकर रखा जा सके। इसके साथ ही साथ हमारे बुजुर्गों ने जो पारम्परिक चीज बनाई है उसे भी महफूज रखा जा सकेगा यदि सरकार उनकी हिफाजत नहीं करेगी, तो हमारे बुजुर्गों के पारम्परिक तालाब खत्म हो जाएंगे।

महोदय, हमारे यहां की स्ट्रीम्स, बावलियां और नाले फारेस्ट के कटान के कारण सूख गए हैं जिसके कारण पानी प्राप्त करने में बहुत

दिक्कत हो रही है। इसलिए मेरी सरकार से सबमीशन है कि उन्हें रीचार्ज किया जाए, उन्हें रीजेनरेट किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो हमें बहुत दिक्कत होगी। हमने इस बारे में एक प्लान बनाकर भी भेजा है। मैं चाहता हूं कि सरकार उसे सैंक्शन करे ताकि उनकी मरम्मत कर उन्हें काम में लाया जा सके। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह, मैं आपको अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री रामकृपाल यादव। यदि मैं आपका नाम भूल गया हूं तो मुझे खेद है।

अपरा 12.09 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दिनांक 28.11.2006 के "हिन्दुस्तान एक्सप्रेस" के उर्दू संस्करण में प्रकाशित भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि धूमिल करने संबंधी समाचार के बारे में।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। कल इस बारे में चर्चा की गई थी और माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी के माध्यम से इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि दिनांक 28 नवम्बर, 2006 के हिन्दुस्तान एक्सप्रैस (उर्दू) में "इमारते सरैया दहशतगर्दों का महफूज मस्कन" नाम से एक शीर्षक के माध्यम से एक समाचार प्रकाशित किया गया था। उसमें एक अधिकारी द्वारा संस्था के विरुद्ध कमेंट किए गए थे। मैं बताना चाहता हूं कि 'इमारते शरिया' बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और सामाजिक, धार्मिक तथा जनसेवा के कार्यों को 1921 से लगातार करती रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि उसकी जो बुनियाद डाली गई है, वह हमारे माननीय अबुल कलाम जी की अध्यक्षता में डाली गई है और लगातार कई वर्षों से न सिर्फ बिहार में, बल्कि बंगाल में, झारखण्ड में, उड़ीसा में, इन तमाम जगहों पर यह संस्था काम करती है। लोगों की इसमें बड़ी आस्था है। करोड़ों लोगों की इसमें आस्था है और यह आध्यात्मिक संस्था है। चूंकि यह मेरे क्षेत्र पटना में है, इसलिए मैं इससे अच्छी तरह से वाकिफ हूं। लगातार 20 सालों से मैं इससे जुड़ा रहा हूं और उसकी एक्टिविटीज़ को मैं जानता हूं। धार्मिक और सोशल काम करने में और अगर कहीं बाढ़ आती है तो अगली पंक्ति में यह खड़ी हो जाती है या कोई भी विपत्ति पड़ती है तो अगली पंक्ति में खड़ी हो जाती है, लेकिन जिस तरह से पुलिस अधिकारी के माध्यम से कमेण्ट किया गया है, मैं उनका जो लास्ट कमेण्ट है, वह पढ़कर सुना देता हूं:

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है:

"पाकिस्तान और बांग्लादेश से आई.एस.आई., लश्कर-ए-तयैबा, सिमी और एच.यू.जे.आई. के लोग बांग्लादेश-सीमा से फुलवारी शरीफ आते रहते हैं।"

[हिन्दी]

यह लास्ट पेरा है इसमें और भी ऐसी बातें हैं। यह उस अधिकारी ने बिना कोई तहकीकात किए हुए, बिना कोई जांच-पड़ताल किए हुए कहा है। क्या वे रॉ के अधिकारी हैं, क्या विजिलेंस के प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए अधिकारी हैं, किस आधार पर इस प्रकार का एलीगेशन फुलवारीशरीफ में लगाया गया? यह अधिकारी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकरी हैं,...*

जिन्होंने चार्ज करने का काम किया है और बड़े पैमाने पर इससे करोड़ों लोगों को आहत किया है। ये रेलवे के ए.डी.जी. हैं और बिना किसी जांच-पड़ताल के किस आधार पर इस तरह का कार्य कर रहे हैं?

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जांच का विषय है, सरकार इसकी जांच करे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं उन्हें अनुमति दूंगा।

श्री राम कृपाल यादव : क्या किसी सरकार को यह छूट है, किसी अधिकारी को यह छूट है कि वह इतनी बड़ी संस्था पर आरोप लगाने का काम करे और करोड़ों लोगों को आहत करने का काम करे? यह बहुत ही सीरियस मैटर है।...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने प्राधिकारी का ध्यान इस ओर दिलाया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : यह बहुत ही सीरियस मामला है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवाई जाये और मैं आपको कहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

[अनुवाद]

मैं इसे देखूंगा। कृपया राज्य सरकार के विरुद्ध कोई आरोप न लगाएं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैं आपको कहता हूं कि अगर इस तरह की एक भी बात जांच में सही पाई जायेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस संस्था पर जो चार्ज किये गये हैं, पदाधिकारी के माध्यम से जो आरोप लगाये गये हैं, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह जी आप उन्हें परेशान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह जी, आपने कल यह विषय सभा में उठाया था। मैंने यह आशा नहीं की थी कि उसी मुद्दे को आज भी उठाया जाएगा। अब, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने नेता की बात सुने वे आपको बैठने के लिए कह रहे हैं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सामान्यत: इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। विषय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, यद्यपि ऐसी परम्परा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि भाई देवेन्द्र यादव जी ने और रामकृपाल यादव जी ने कल और आज मिलकर एक सही बात को यहां उठाया। मुख्यमंत्री यहां थे, हम लोगों ने भी उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया। कल ही उन्होंने इस पर जवाब-तलब किया और कल इस बात में सच्चाई पाकर उस आई.पी.एस. अधिकारी को सरकार ने निलम्बित कर दिया है तथा उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा रही है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपनी बात रखने का यही उचित तरीका है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : मुझे इसी में एक निवेदन करना है ताकि भ्रम पैदा नहीं हो। वह रेलवे का अधिकार नहीं है...** यू.पी. कैडर के हैं और आई.पी.एस. पदाधिकारी हैं, जो मोस्ट कम्युनल है, जो बात सामने आई है, इमारते शरिया, फुलवारीशरीफ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

के मुताल्लिक। इसलिए हमने तो रेल मंत्रालय को कल ही निर्देश दिया कि इस आफिसर को उत्तर प्रदेश सरकार वापस बुलाये और जो कार्रवाई करनी है, करे और इस तरह के आफिसर को रेलवे में न भेजे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं वही बात वे कह रहे है यह ठीक है।

अब श्री हन्नान मोल्लाह बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रयास करूंगा कि हर किसी को अपनी बात कहने का अवसर मिले। मैं एक साथ सभी सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता। कृपया अध्यक्ष पीठ से सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं इस सभा का ध्यान राजस्थान के हजारों किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय आप जानते हैं कि राजस्थान एक मरुस्थल राज्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बीकानेर मंडल क्षेत्र में कृषि करने तथा इस क्षेत्र को हरा-भरा करने का एक अवसर मिला।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं बीकानेर मंडल के किसानों को पिछले कई वर्षों से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल आपूर्ति हो रही है। परंतु हाल ही में इस परियोजना के फेज-I को पर्याप्त जलापूर्ति नहीं की गयी है। वर्ष 2004 में इसी कारणवश वहां गम्भीर समस्या उत्पन्न हुई थी। हजारो एकड़ फसल नष्ट हो गयी थी और किसान आन्दोलन कर रहे थे। जिसमे छः लोगों की मृत्यु हो गयी थी। अंततः सरकार और किसानों के मध्य समझौता हुआ कि किसानों को पर्याप्त जलापूर्ति की जाएगी। परंतु एक वर्ष अर्थात पिछले वर्ष किसानों को जलापूर्ति करने के पश्चात इस वर्ष उन्हें पर्याप्त जलापूर्ति नहीं की जा रही है। हजारो एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित है तथा किसान पिछले दो महीनों से आन्दोलन कर रहे हैं।

सरकार ने किसानों के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : केन्द्र सरकार इस संबंध में क्या कर सकती है आप वह मुद्दा उठाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप बैठ जाइए। यह सही नहीं है। आपका मुद्दा है, हम आपको बोलने का मौका देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : यही बात मैं भी कह रहा हूं। सेना को तैनात किया गया था। गंगानगर एक सीमावर्ती जिला है। सेना तथा किसानों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए परंतु गंगानगर जिले में सेना का प्रयोग किसानों के विरुद्ध किया जा रहा है। यह एक गंभीर विषय है। मैं यह मांग करता हूं कि पानी छोड़ा जाए और गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को छोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को यह जांच करवानी चाहिए कि क्या सेना का प्रयोग किसानों के विरुद्ध किया गया है अथवा नहीं। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि सरकार राजस्थान के किसानों के हितों की रक्षा करेगी।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह एक गंभीर विषय हैं

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल यादव जी मेरे विचार से आप भी इसी विषय को उठाना चाहते है।

[हिन्दी]

क्या आपका सेम मैटर है? आपका नोटिस दूसरी बात के बारे में है।

[अनुवाद]

आप इस तरह खड़े नहीं हो सकते। धीर से बोलिए। जब वे माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आप बात-चीत न करे। आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक ढंग से बोलिए। यह आपके क्षेत्र का मुद्दा है, हम आपको बोलने का मौका देंगे।

[अनुवाद]

कृपया मुझे कुछ करने के लिए मजबूर न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

सभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु कृपया बैठ जाइये। नही, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई परिपाटी नही है। ऐसा न करें। कृपया एक मिनट में समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

आप बोलना चाहते हैं, तो आपको इजाजात मांगनी चाहिए।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल, जिसका नाम इंदिरा कैनाल भी है, उसके दो फेज हैं। प्रथम और द्वितीय फेज में कितना पानी मिलेगा, इसके लिए राजस्थान सरकार और किसानों के बीच समझौता हुआ था, उस समझौते के अुनसार वहां किसानों को पानी मिल रहा है, लेकिन जो द्वितीय फेज के किसान हैं, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर के किसानों को भी पानी मिलना चाहिए, यह वहां कि किसानों की मांग भी है। सन् 1981 में जो समझौता राजस्थान और पंजाब सरकार के बीच हुआ था, जिसके तहत 6 एमएफ पानी पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान को देना चाहिए था, लेकिन आज तक पंजाब ने राजस्थान को पानी नहीं दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 6 एमएफ पानी राजस्थान सरकार को मिलना चाहिए, वह उन्हें दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, पश्चिमी राजस्थान के बारे में जो जसवंत सिंह जी ने बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं। पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल बर्बाद हो गया है। उसमें बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपर, जैसलमेर, झालावाड़, जालौर, कोटा, पाली, सिरोई, राजसमुद और उदयपुर क्षेत्र आते हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहां भयंकर वर्षा हुई है और भयंकर वर्षा और बाढ़ के कारण पाकिस्तान की नदियों में पानी आ गया है और वहां पानी भर गया है। आज भी पश्चिमी राजस्थान में पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से राजस्थान के लोग दुखी हैं। वहां सड़कें टूट गयी हैं, वहां मलेरिया और डेंगू बुखार फैल गया हैं राजस्थान सरकार वहां लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए जितना प्रयास कर सकती थी, उसने किया और सांसद कोष से भी पैसा लिया गया। लेकिन सांसद कोष से पेसा लेने के बाद भी राजस्थान सरकार के जिन शहरों के मैंने नाम बताये हैं, वहां वे इसे नहीं कर सके। इसलिए मेरी भारत सरकार से मांग है कि हमें भारत सरकार 3284.22 करोड़ रुपए का अनुदान नेशनल कैलेमिटी फंड से मिले, जिससे हम उनको रिहैबिलिटेट कर सकें। वहां आज भी जो पानी भरा हुआ है, वह निकल सके। यह मेरी आपसे प्रार्थना हैं आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : डा. कर्ण सिंह यादव - उपस्थित नहीं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गत तीन दिनों से लगातार गरीबों का मामला उठाने की कोशिश कर रही हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न न करे। आप एक सम्माननीय सदस्य है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमें डिस्टर्ब करने से किसी को बोलने का चांस नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह रिक्वैस्ट नहीं है।

[अनुवाद]

नोटिस भेजना एक आग्रह है। इसलिए आपको बार-बार आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि पूरे हिन्दुस्तान में यह हो रहा हो...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन : लेकिन मध्य प्रदेश में पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत कंट्रोल की दुकानों पर जो गेहूं आ रहा है, बताया जा रहा है कि वह आस्ट्रेलिया से आयात किया गया है। मैं उस गेहूं का नमूना लेकर आई हूं। वह गेहूं मनुष्यों के खाने लायक नहीं है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हमारे किसानों को गेहूं का मूल्य कम मिला, 700 रुपये तक मिला और जो गेहूं आयात किया गया है, सुनने में आया है कि उसके लिए 1,000 रुपये चुकाए जा रहे हैं वह गेहूं ऐसा है कि यदि आंगनवाड़ियों को दलिया देने के बारे में भी सोचा जाए तो उससे दलिया भी नहीं बन रहा है। हमारे एफसीआई के गोडाउन में क्वालिटी चैकिंग की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए वेसा गेहूं ही एक्सैप्ट करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश को जितना गेहूं मिलना चाहिए, उतना मिल भी नहीं रहा है। अगर 11 लाख टन की आवश्यकता है तो 2 लाख टन ही मिल रहा है, यानी गेहूं की मात्रा कम मिल रही है और क्वालिटी भी काफी खराब है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुकी है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : कृषि मंत्री जगह-जगह कान्फ्रैंस में जा रहे हैं। वे यह कहते हैं कि अगले साल उत्पादन अच्छा होगा, हम अगले साल किसानों को अच्छे प्राइस देंगे। लेकिन हमने इस साल किसानों को अच्छे सपोर्ट प्राइस नहीं दिए। मैं यह मामला इसलिए भी उठा रही हूं। क्योंकि हम एक बार पहले भी पीएल-480 गेहूं आयात कर चुके हैं जिसके साथ गाजर घास आया और जो आज तक यहां बीमारी का कारण बना हुआ है। दुबारा उसी प्रकार का गन्दा गेहूं मध्य प्रदेश की कंट्रोल की दुकानों में मिल रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश गेहूं खाने वाला प्रदेश है, इसलिए इस बारे में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपने नाम लिखकर दे दीजिए। हम सबका नाम इनके साथ एसोसिएट कर देंगे। आपने नोटिस देने का कष्ट भी नहीं किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री कृष्ण मुरारी मोघे, थावरचन्द गेहलोत, डा. राम लखन सिंह, वीरेन्द्र कुमार, अशोक अर्गल और पी.एस. गढ़वी भी इस विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनके द्वारा उठाए जा रहे विषय से लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट हमारे देश की शिक्षा सामर्थ्य चाहे वह लिंग समानता हो - विद्यालयों से वंचित बच्चे अथवा विद्यालय छोड़ने की दर की गंभीर स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ऑल ग्लोबल मॉनिटिरिंग रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा की किसी भी प्रकार से प्रशंसा नहीं की गयी है। रिपोर्ट में 15 वर्ष से अधिक आयु के अशिक्षित वयस्कों की संख्या कम करने में भारत को ऋणात्मक 1.7 अंक दिए गए हैं जिसके अनुसार हम इथोपिया तथा पाकिस्तान जैसे देशो के समकक्ष हैं। रिपोर्ट में केवल केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की शिक्षा के बारे में कुछ सकारात्मक बातें कहीं गयी हैं रिपोर्ट में विशेषकर उत्तर-दक्षिण राज्यों में शिक्षा के अंतर की चिंताजनक स्थिति का वर्णन किया गया है, जहां दक्षिणी राज्य शिक्षा प्रदान कर रहे है तथा वहां विद्यालय छोड़ने की दर 0.5 से 2.1 प्रतिशत है। उत्तरी राज्यों में विद्यालय छोड़ने की दर 8 से 17 प्रतिशत है। माननीय अध्यक्ष महोदय यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है क्योंकि इससे देश में असंतोष बढ़ता है।

[श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया]

रिपोर्ट में वर्ष 1990 से 2004 अर्थात 14 वर्षों के दौरान अशिक्षितों की संख्या 27.3 करोड़ से घटकर केवल 26.84 करोड़ रह गयी है। लिंग भेदभाव के संबंध में भी यूनेस्को रिपोर्ट में भारत का शीर्ष स्थान है। विद्यालय न जाने वाले प्रत्येक 100 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 136 है इस क्षेत्र में कुछ अरब देश और यमन तथा इराक ही भारत से नीचे हैं। अत: हम नीचे से तीसरे स्थान पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर समुचित चर्चा की जा सकती है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : परंतु यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इसे उठाने की अनुमति दी है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : इस प्रकार हमारे देश के 6 से 13 वर्ष की आयु 3.4 करोड़ बच्चों में से 1.34 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जाते।

हमने अपने बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 11,000 करोड़ रुपये से 12000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, अत: यह महत्वपूर्ण है कि हम न केवल शिक्षा संस्थानों पर ध्यान दे बल्कि हमें उनके परिणामों पर भी गौर करना चाहिए। बच्चे हमारे देश का भविष्य है और यह आवश्यक है कि देश में बच्चों को सही प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करायी जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर सभा में एक दिन प्रश्न भी पूछा गया था।

श्रीमती अर्चना नायक

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं माननीय कृषि मंत्री के विचारार्थ निम्नलिखित विषय उठाना चाहता हूं।

कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है और हमारे देश के विकास में इसका अग्रणी स्थान है। किसान देश का मेरुदंड हैं परंतु वे निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे देश में हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। इसका अर्थ है कि हमारे देश के 26 करोड़ लोग बेहद गरीब हैं और उनमें से अधिकांश लोग किसान हैं। परंतु आयु बढ़ने के साथ-साथ जब वे कार्य करने में समर्थ नहीं रहते तो उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। अधिकांश छोटे और मझौले किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है और उनके पास बहुत कम जमीन हैं।

जब किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना इतना योगदान दे रहा है तो यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम वृद्धावस्था में उसका ख्याल रखें। अत: मैं सरकार से किसानों के लिए शीघ्रातिशीघ्र वृद्धावस्था पेंशन आरम्भ करने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है मैं आपको बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, 29 नवम्बर यानी कल सुबह कानपुर में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति तोड़ी गयी, उससे पूरे देश में तनाव पैदा हो गया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहां दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस कारण उत्तर प्रदेश तथा पूरे देश में स्थिति खराब है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है? कितने लोगों को गोली लगी और कितने घायल हुए? इस बारे में सरकार सदन में बयान दे।...*(व्यवधान)*

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर जो माननीय सदस्य एसोसियेट करना चाहते हैं, वे अपना नाम लिखकर भेज दें।

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुकदेव पासवान के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* सरकार को इस पर बयान देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चौधरी बिजेन्द्र सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैंने विषय की महत्ता को देखते

हुए आपको अनुमति दी थी। केवल एक माननीय सदस्य ने इस विषय पर नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मैं अपने को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सम्बद्ध करते हैं तो मै आपको अनुमति दूंगा। परंतु सम्बद्ध होने के लिए कृपया अपने नाम भेजें, परंतु सभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न न करे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री बी.के. त्रिपाठी, जुएल ओराम, गिरधारी लाल भार्गव, डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, वीरेन्द्र कुमार, अशोक अर्गल और भानु प्रताप सिंह वर्मा भी इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। देश की आबादी के 70 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किसान हैं। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। यहां की मुख्य फसल रबी है। इस समय रबी की फसल की बुवाई का वक्त है। पूरे प्रदेश में इस समय खाद की कमी है। कोआपरेटिव सोसायटियों से खाद खरीदने के लिए एक-दो हजार किसान खड़े हैं।, लेकिन उनको खाद नहीं मिल पा रही है। ऐसे वक्त में किसान मजबूरी में प्राइवेट डीलरों से डुप्लीकेट खाद खरीद रहे हैं। इससे उनके उत्पादन में कमी आयेगी तथा राष्ट्र की क्षति होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति बर्बादी के कगार पर पहुंच गयी है। उत्तर प्रदेश की सभी कोआपरेटिव सोसायटियों में इफको खाद की सप्लाई बंद है। आज की तारीख में इफको कंपनी खाद नहीं दे रही है। इसका एकमात्र कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय रहते वहां खाद की व्यवस्था नहीं की। जिन जनपदों में खाद की डिमांड 28 लाख टन थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी राज्य सरकार के विरुद्ध कोई आरोप न लगाए क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह : उत्तर प्रदेश सरकार ने समय रहते इफको को पैसे नहीं दिये इसलिए वहां इफको की खाद नहीं पहुंची। पूरे उत्तर प्रदेश में जब किसान खाद की कमी से परेशान हैं तथा अघोषित विद्युत कटौती की घोषणा की गयी है। सरकार ने अपनी मानसिकता को उजागर करके यह सिद्ध कर दिया कि उसके मन में किसानों के प्रति कोई दर्द या चिंता नहीं है।

मैं आपके माध्यम द्वारा भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किसानों का उत्पादन राष्ट्र हित में है। भविष्य में अगर रबी की फसल का उत्पादन कम हुआ, तो देश में खाद्यान्न का संकट पैदा हो जायेगा। हम चाहते हैं कि वहां खाद की आपूर्ति के लिए सरकार कोई निर्देश दे जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। इसके साथ ही अघोषित बिजली कटौती को वापस लिया जाये जिससे कुटीर उद्योग चलें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, वहां खादी की मांग करने पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। किसानों को पीट कर जेलों में डाला गया।...*(व्यवधान)* इस अनैतिक कृत्य को रोका जाये जिससे किसानों को सुविधा मिल सके और राष्ट्र का उत्पादन बढ़ सके।

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

कुंवर जितिन प्रसाद (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग, जो उत्तर प्रदेश को नेपाल से जोड़ता था और उस राष्ट्रीय राजमार्ग को गोरखपुर महानगर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सेतु 24-25 सितंबर को क्षतिग्रस्त हो गया था, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 का एक्टेंशन है और नेपाल को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजमार्ग है।

महोदय, जब 24-25 सितंबर को यह राजमार्ग महेसरा ताल के पास क्षतिगस्त हो गया था। उस समय इसकी सूचना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पीडब्ल्युडी को मैंने स्वयं और अन्य स्थानीय नागरिकों ने दी थी, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी वहां नहीं पहुंचे और उसके बाद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उस राजमार्ग

[योगी आदित्यनाथ]

को बंद कर दिया गया जिससे नेपाल आने-जाने वाले लाखों पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह राजमार्ग नेपाल को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है। वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का व्यवहार बहुत ही उदासीन और लापरवाहीपूर्ण है। मैं भारत सरकार के राजमार्ग मंत्री से आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि इस लापरवाही के लिए दोषी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें और क्षतिग्रस्त सेतु, जिसकी मरम्मत तात्कालिक दृष्टि से तो कर दी गयी है लेकिन वहां समुचित यातायात की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है और भारी वाहनों का यातायात अवरुद्ध है, के साथ ही वहां पर एक नए सेतु का निर्माण हो जिससे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है और नेपाल को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला एकमात्र राजमार्ग है, आवागमन एवं यातायात को पुन: व्यवस्थित किया जा सके।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यूएन एडस की ओर इस देश में एडस की रोकथाम के लिस सहायता मिली हुई है और वहां के लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन यूएन एडस की वेबसाइट्स पर भारत का जो नक्शा दिखाया गया है, उसमें जम्मू-कश्मीर को इस नक्शे से हटा दिया गया है। यूएन एडस की वेबसाइट पर दिया गया नक्शा मेरे पास है और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे आप मंत्री जी के पास भेज दीजिए।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि ये लोग राष्ट्रविरोधी काम कर रहे हैं और उनकी ओर से देश को कमजोर करने की, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में दखलंदाजी करने की साजिश हो रही है।

इस मामले के बारे में जैक ने सरकार, प्रधानमंत्री जी, रक्षामंत्री, विदेशमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं ली गयी है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं इस नक्शे को आपके अवलोकनार्थ एवं सरकार के अवलोकनार्थ सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। इस पर सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए और इस कार्य में संलग्न लोगों को देश से बाहर करने का काम करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री टेक लाल महतो - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : अध्यक्ष महोदय, सम्भवत: आप जानते हैं कि 20 नवम्बर को जलपाईगुड़ी के बालाकोबा रेलवे स्टेशन के ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें 7 यात्रियों की मृत्यु तथा 40 गंभीरूप से घायल हो गए थे। डीआरएम तथा अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया था परंतु मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ रहा है कि न ही रेल मंत्री और न ही भारत सरकार के गृह मंत्री ने घायलों और उनके परिवारो से भेंट की। दूसरी तरफ, महत्वपूर्ण यह है कि, महोदय बम विस्फोट होने के बाद, ग्रामीण सब्जी विक्रेताओं को इस मार्ग पर किसी ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बम विस्फोट के शिकार लोगो को पर्याप्त मुआवजे की मांग करते हुए मैं इस मार्ग पर विक्रेता डिब्बों को लाए जाने की मांग भी करता हूं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश सीमा पर भारी घुसपैठ के कारण असम के लोग जो कि वास्तव में नागरिक है धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील तथा असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई ने 5 मई 2005 को नई दिल्ली आल असम स्टूडेंस यूनियन प्रतिनिधों की इच्छानुसार त्रिपक्षीय वार्ता की। इस बैठक में, माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय गृहमंत्री ने असम के लोगो की राजनैतिक तथा सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए एक निश्चित समयसीमा के भीतर असम सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने का वायदा किया था, जिसे पूरा किए जाने की लक्षित तिथि सितम्बर, 2007 थी।

तथापि, मुझे सभा को सूचित करने में अत्यंत दुख हो रहा है कि उपरोक्त किसी भी मंत्री ने अभी तक असम में उक्त राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने में कोई रूचि नहीं दिखाई है। जिसके परिणामस्वरूप, इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नही हुई। असम के लोगो की मांग है कि कानूनो के प्रावधानों के भीतर एनआरसी के आधार पर विदेशियों की पहचान की जाए। केन्द्र सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती है तथा असम तथा इसके लोगो की पहचान की रक्षा नही कर सकती है जबतक कि राष्ट्रहित को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। एनआरसी मात्र ऐसा विकल्प है जोकि विदेशियों की पहचान से संबंधित वर्तमान गंभीर समस्या तथा असम में मतदाता सूची से उनके

नामों को हटाने के लिए एक आधार तथा आरम्भ के रूप में कार्यकर सकता है।

मैं असम के लोगों के लिए मूलभूत दस्तावेजो को लाने हेतु केन्द्र तथा साथ ही राज्य सरकारों की वचनबद्धता तथा दृढ़ विश्वास को कार्यान्वित करने की आवश्यकता के बारे में दृढ़ मत हूं। इस उद्देश्यार्थ एनआरसी को तैयार करने हेतु औपचारिकताओं को तत्काल लागू किया जाना चाहिए तथा प्रधानमंत्री कार्यालय तथा गृहमंत्री द्वारा इसकी नियमित निगरानी की जानी चाहिए।

इसलिए मैं, भारत के प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री से असम के लोगो के साथ किए गए वायदे के अनुसार एनआरसी तैयार करने हेतु सभी संभव तत्काल तथा आवश्यक कदम उठने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में खैरलांजी गांव में कुछ दिन पहले चार दलितों की हत्या की गई और आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया है। इस घटना की सीबीआई द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कल कानपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के स्टेच्यू की गर्दन तोड़ दी गई, जिसकी वजह से दलितों में काफी संताप है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग हे कि वह इस घटना की प्रदेश सरकार से पूरी जानकारी लेकर इसकी जांच कराए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे। केन्द्र सरकार को दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई ठोस योजना बनानी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करना चाहिए, जो यह देखे कि किस प्रकार से दलितों के हितों का संरक्षण हो और उन्हें सुरक्षा मिले।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जिला हज़ारीबाग पड़ता है। वहां सीमा सुरक्षा बल के स्टाफ का ट्रेनिंग सेंटर पिछले 30 सालों से भी अधिक समय से चल रहा था। इस सेंटर में हजारों लोग ट्रेनिंग के लिए आते थे। अभी 15 दिन पहले गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी के मंत्रालय के एक आदेश के कारण उस ट्रेनिंग सेंटर को वहां से हटाकर मंत्री जी के क्षेत्र लातूर में शिफ्ट किया जा रहा है। इस कारण वहां के लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि वहां के हजारों किसान अपनी सब्जियां वगैरह बेचकर अपना जीवनयापन कर रहे थे और अब वे बेकार हो जाएंगे। यह ट्रेनिंग सेंटर वहां 30 सालों से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। यही नहीं, एक साल पहले वहां पर कस्टम, इनकम टैक्स और एक्साइज विभागों के भी स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर्स जो चल रहे थे, उन्हें वित्त मंत्री जी के आदेश से वहां से हटा दिया गया हैं अब सीमा सुरक्षा बल का स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर भी वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। लगता है हजारीबाग और मेरे क्षेत्र से केन्द्र सरकार भेदभाव कर रही है। मैंने कई बार मंत्री जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस बात को लेकर वहां के लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं। अगर उस ट्रेनिंग सेंटर को शिफ्ट करने संबंधी आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार और विशेषकर गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां के लोग किसी भी सामान को ले जाने नहीं देंगे, भले ही आप इसके लिए हम पर गोलियां चलाएं या और जो करना चाहते हैं वह करें। वह स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर 30 बरस से भी अधिक समय से वहां कार्य कर रहा है इसलिए सरकार इसे नोटिस में ले और उचित कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय : आप शांति से हल निकालने की बात पर बल दें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2006 के दौरान जुलाई तथा अक्टूबर के बीच, बंगाल की खाड़ी में लगभग 12 कम दबाव के क्षेत्र पैदा हुए है। इससे भारी वर्षा हुई तथा जिसके फलस्वरूप उड़ीसा में 30 में से 27 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। बाढ़ पांच चरणो में हुई जिससे अभूतपूर्व पैमाने पर भारी तबाही हुई। एक सौ पांच मौते भी हुई। सितम्बर मध्य से उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से 2,382.43 करोड़ रुपये की केन्द्र सहायता प्रदान की। उड़ीसा सरकार ने आईएवाई के अंतर्गत विशेष सहायता के रूप में एक लाख घर बनाने का अनुरोध भी किया था। परंतु उड़ीसा ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 25 करोड़ रुपये की अत्यंत कम राशि प्राप्त हुई। आपदा राहत निधि से 175 करोड़ रुपये की निधि को अंतिम किश्त के रूप में प्रदान किया गया। इसने जख्मों पर केवल नमक का काम किया। मैं उस सचिव का नाम नही लेना चाहता जिसकी अध्यक्षता में ऐसा हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनका नाम नही ले सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : परंतु गृह मंत्रालय निर्णय लेने में बहुत समय लगा रहा हैं पहले ही दो माह का समय गुजर चुका है। ऐसा क्यों है कि अंतर-मंत्रालयी समूह की बैठक अभी होना शेष है? बैठक बुलाने में विलंब क्यों हो रहा है? माननीय कृषि मंत्री भी सभा में उपस्थित हैं। क्या यह सच है कि अंतर-मंत्रालयी समूह ने इस मामले को उच्च अधिकार प्राप्त समिति को संस्तुत कर दिया है जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री कर रहे हैं तथा केवल तभी निधियां जारी की जा सकती है?

अध्यक्ष महोदय : आपने मुद्दा उठाया है अनुमान लगाना, आवश्यक नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे संबद्ध कर सकते हैं। मैं सभी को उनसे संबद्ध कर दूंगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : यह सिर्फ कहने भर का ही प्रश्न नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर सकते है। श्री त्रिपाठी, आप जानते है कि यह संभव नहीं हैं मैंने मामले के महत्व के कारण इसे उठने की अनुमति दी है तथा वे इसे उचित रूप से उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : अनेक अन्य राज्यों ने पहले ही राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से निधि प्राप्त कर ली हैं परंतु उड़ीसा को छोड़ दिया गया है...*(व्यवधान)*। उड़ीसा के प्रति सौतेला अथवा पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों किया जा रहा है? पुनर्स्थापना तथा निर्माण कार्य को आघात पहुंचा हैं माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उड़ीसा दौरे के दौरान शीघ्रतापूर्वक पर्याप्त निधियां प्रदान करने का आश्वासन दिया था। तो यह विलम्ब क्यों हुआ? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा तथा मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सरकार से हस्तक्षेप करने तथा शीघ्रतापूर्वक कदम उठाने तथा उड़ीसा को देय उचित सहायता को शीघ्रतापूर्व प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय : मै निश्चित ही इस प्रकार की उचित मांगों का समर्थन करता हूं

कृपया उन माननीय सदस्यों का नाम भी जोड़ दे जो अपने आपको इस मुद्दे के साथ संबद्ध करना चाहते है। कृपया उन माननीय सदस्यों का नाम लिख लें जो इस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री विक्रम केशरी देव तथा श्री बृज किशोर त्रिपाठी को इस मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया ऐसा न करें।

श्री पी.सी. थामस

मुझे खेद है। आप भली-भांति जानते है कि मैं सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। आपने अपना मुद्दा रख दिया है।

श्री त्रिपाठी, आपने एक नोटिस देना भी उचित न समझा। मुझे खेद है। हम नोटिसों का निपटान कर रहे हैं। अभी भी अनेक माननीय सदस्य शेष है जिन्होंने अपने नोटिस दिए हैं। आपने नोटिस तक नहीं दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैने पहले ही आपका नाम उचित रूप से दर्ज कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : तीन-चार दिन पहले मैने इस मुद्दे को उठाया था। सरकार को इसका उत्तर देना ही पड़ेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते है, आप भी मंत्री रह चुके हैं, मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता हूं। कोई भी अध्यक्ष मंत्री को वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : कल से दिल्ली में भारतीय जीवन बीमा निगम के हजारों ऐजन्ट धरने पर बैठे है। वे पेंशन, कल्याण निधि, केन्द्रीय भविष्य निधि, संबद्ध अनुग्रह नियमों में संशोधन, नरसिम्हा समिति रिपोर्ट को अस्वीकार करने 15 प्रतिशत मानदण्ड को वापस

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लेने, इन ऐजन्टों को बिक्री प्रोन्नति कर्मचारी अधिनियम में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कुछ अन्य मांगे भी रखी गई। भ.जी.बी.नि. राष्ट्र के सरकारी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है तथा हम सबको इस पर गर्व है। एजेन्ट- भ.जी.बी.नि. मजबूत स्तम्भ है जो लोगो तक एलआईसी का संदेश पहुंचाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से उचित रूप से उनकी शिकायतों पर विचार करने, उन्हें सम्मेलन हेतु बुलाने तथा साथ ही सकारात्मक तरीके से उनकी शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.45 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन - जारी

(दो) पूर्वी दिल्ली में मनमाने ढंग से की जा रही सीलिंग कार्यवाही के बारे में।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर विषय को सदन में उठाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते आपने दिल्ली में सीलिंग विषय पर विस्तार से चर्चा करने का समय दिया था। कल मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत अजीबोगरीब घटना हुई, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीलिंग विषय पर मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा था कि अब सीलिंग नहीं होगी, हमें सीलिंग से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि केवल बिग फिश पर ही सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी। उसके तहत बड़े दुकानदार, ज्वैलरी शॉप्स आ गए। लेकिन कल एक अनधिकृत कालोनी में, जहां* गरीब लोग रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द हटा दिया जाए।

श्री सन्दीप दीक्षित : महोदय, मेरा मतलब गरीब लोगों से है। मैं गरीब लोगों की, छोटे दुकानदारों की बात कह रहा हूं। मोनिटरिंग कमेटी का एक सदस्य थाने में जाकर तीन घंटे तक बैठा और उसने बिना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के वहां जाकर पुलिस को फोर्स किया, एमसीडी के डीसी भी उनसे कहते रहे कि कौन से आर्डर के तहत किसी के खिलाफ कार्यवाही करें। उस अनधिकृत कालोनी में दस-बारह दुकानें खुली हुई थीं, उन्हें बंद करवाया गया। करीब डेढ़ सौ दुकान वालों ने ताले लगाकर अपने एफिडेविट कोर्ट में दे रखें थे, उनको सामने खड़े होकर बंद करवाया गया। पिछले तीन-चार महीने से बार-बार यह बात सामने आ रही है, क्योंकि मोनिटरिंग कमेटी के सदस्यों के घर सामने ये कालोनियां हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या केवल व्यक्तिगत अंहकार के कारण मोनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस तरह से दिल्ली में चलाएगी? क्या कुछ कालोनियां इन लोगों के फ्लैट्स के सामने हैं, सिर्फ इस कारण से मोनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन इस तरह से करेगी। हम बिलकुल बेबस हो कर खड़े रहे। जिन दुकानों पर किसी तरह से सीलिंग की गाज नहीं गिरनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिन दुकानों को अपना संरक्षण दिया है, वे दुकानें भी कल बंद की गईं। मैं नहीं समझ सका हूं कि कौन इसका जबाव देगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि हमारा सांसद बनने का कोई मतलब नहीं है, अगर हम इन लोगों के हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, जिनके हितों का संरक्षण करने में हम समर्थ नहीं हैं, जिन्हें कोर्ट ने भी संरक्षण दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मानिटरिंग कमेटी जैसे मैकेनिज्म बनते जा रहे हैं, इनका क्या औचित्य है, किस रूप में ये बनाए जा रहे हैं? अगर यह रूल को इम्पिलमेंट करने की बात थी, तो मैं मान सकता था, लेकिन आज अपने व्यक्तिगत द्वेष के कारण यह जिसकी तरफ उंगली कर देते हैं, वह कानून के सामने गलत साबित हो जाता है। वह गुहार करता रह जाता है, अधिकारी भी कहते हैं कि वह आदमी सही है, लेकिन मोनिटरिंग कमेटी अपना नजरिया रखती है और रूल पलट दिया जाता है और उस वक्त उस बेचारे की दुकान सील कर दी जाती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर कार्यवाही करेंगी। इस मामले पर सरकार द्वारा कार्याही की जानी चाहिए।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं संबंधित मंत्री को इस मामले से अवगत कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : महोदय, इतना रिलीफ देने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत लम्बे समय के बाद बीना रिफायनरी का कार्य आरंभ हुआ। पिछले सत्र में भी मैंने इस बात को उठाया था कि वहां के अधिकारियों की उदासीनता के चलते बाउंडरी वाल का जब कार्य आरंभ हुआ, तब एक हिस्सा उस वॉल का गिर गया और उस वॉल का निर्माण फिर से करवाना पड़ा। अभी पिछले डेढ़ माह में चार मजदूरों की मौत वहां हो गई है।

पहले मजदूर की मौत पिछले 16 अक्टूबर को हुई। उसका सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम भी हुआ। पुलिस ने केस भी दर्ज किया, लेकिन डाक्टर उसकी मौत का कारण पता नहीं लगा पाए। इसके बाद 19 नवम्बर को चौथे मजदूर की मौत हुई इन मौतों के बारे में वहां का प्रशासन इतना उदासीन है कि वहां का प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि जहां पर दो-चार सौ मजदूर काम करते हैं, वहां एक-आध हफ्ते में दो-चार मौतें होना स्वाभाविक बात है। ऐसा लगता है कि उनकी मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। लेबर लॉ स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी संस्थान में या किसी व्यक्ति के पास काम करने वाले की चिकित्सा की सुविधा, समय पर मजदूरी देने की सुविधा और यदि काम करते हुए कोई घायल होता है तो उसकी चिकित्सा की सुविधा उस संस्थान को या जिसके पास काम कर रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि पेट्रोलियम मंत्री जी इस संबंध में बीना रिफायनरी के अधिकारियों को निर्देशित करके, जिन कारणों से मजदूरों की मौतें हुई हैं, उनका पता लगवाएं और वहां के मजदूरों की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, आपके माध्यम से मै असम में बिगड़ती स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उल्फा के साथ जारी बातचीत टूट जाने के कारण, सरकारी तंत्र तथा उल्फा दोनों ने ही हिंसात्मक गतिविधियों का रास्ता अपना लिया है जिसमें आज निर्दोष नागरिक ही शिकार बन रहे हैं। बच्चे और महिलायें अत्यधिक प्रभावित हुए है तथा आज आदमी पिस रहा है, एक ओर तो उल्फा गतिविधियों - पिछले दो वर्षों से असम में लगातार हो रहे बम विस्फोटों से - तथा दूसरी ओर रक्षा कर्मियों के दबाव के कारण आम आदमी पर अत्याचार हो रहा है। लोगो को सरकार से आशा है। भारत सरकार के कदम उठाने के साथ ही, पीसजी के साथ प्रारम्भिक वार्ता अत्यंत आशावादी थी परंतु वार्त्ता टूट जाने के कारण स्थिति काफी गंभीर हो गई है।

आपके माध्यम से, मैं सरकार से लगाई गई शर्तों को दरकिनार करते हुए पुन उल्फा के साथ बातचीत करने का अनुरोध करता हूं। मूल रूप से भारत सरकार ने यह घोषित किया था कि वह उल्फा के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत करने को तैयार है। परंतु अब उन्होने तीन चार शर्तें लगा दी हैं।

सरकार असम राज्य की सरकार से परामर्श के पश्चात पांच उल्फा कैदियों को छोड़ने के उल्फा के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हो गयी है बशर्ते कि उल्फा भारत सरकार और असम राज्य सरकार से सीधी बातचीत करने का औपचारिक निवेदन करता है, इस बातचीत के लिए प्रतिनिधि नामांकित करता है, इसकी समय सीमा निर्धारित करता है तथा धन वसूली के नोटिस सहित सभी प्रकार की हिंसा बंद कर देता है।

महोदय, हम इस बात से सहमत हैं कि सरकार राजनीतिक वार्ता के माध्यम से समस्या का हल ढूंढने की इच्छुक है परंतु इन पूर्व शर्तों के साथ कोई वार्ता सम्भव नही है। अत: मैं प्रधानमंत्री जी तथा अन्य सरकारी अधिकारियों से यह अपील करता हूं कि इन पूर्व शर्तों में कुछ रियायत करे और उनके साथ बातचीत करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये, क्योंकि इस समस्या का हल केवल राजनीतिक स्तर की बातचीत ही है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : महोदय, स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कायमकुलम और मवेलीकारा के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य रोक दिया गया है। मवेलीकारा में वर्तमान रेलवे गेट (एल.सी. संख्यां-29) शहर के पूर्वी भाग में रहने वाले लोगों की आवाजाही में बाधक है। वहां एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कालोनी है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों का एक संस्थान भी वहां है।

वाहनों और पैदल चलने वाले लोगों की सुगम आवाजाही में बाधा से बचने के लिए यहां एक पारपथ निर्माण का प्रस्ताव है। परंतु वर्षा के मौसम में पानी भरने की समस्या के मद्देनजर यह प्रस्ताव व्यवहार्य नही पाया गया। विशेषज्ञों की राय में इस वर्तमान रेलवे गेट को कुछ गज दूर दक्षिण की तरफ स्थानांतरित करने से यह समस्या हल हो सकेगी।

इस, स्थिति में, मैं संबंधित प्राधिकारियों से रेलवे गेट संख्या 29 को दक्षिण की तरफ स्थानांतरित करने पर विचार करने तथा उस खंड पर रेल लाईन के दोहरीकरण की सिफारिश करने का आग्रह करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से संसद का यह अधिवेशन शुरू हुआ है, मैंने उसी दिन नोटिस दिया था। संजय नाम के एक लड़के पर आज से तीन महीने पहले 30 जुलाई को एक क्लेम लगाया गया था कि उसने सात लोगों की हत्या की है जो उसी के मौसा-मौसी थे। 5 अगस्त को अपराध शाखा ने उसे गिरफ्तार किया। उसे सात दिन की रिमांड पर लिया और 11 अगस्त को अभियुक्त को तिहाड़ में भेज दिया। तीन महीने बाद 10 नवम्बर को वह आत्महत्या कर लेता है। मैं इसके बारे में तीन प्वाइंट्स उठाना चहाती हूं - पुलिस की जांच किस तरह की थी, इसमें मीडिया की भूमिका क्या थी और तिहाड़ जेल की क्या भूमिका रही? आत्महत्या के बाद, उसके यहां से पांच चिट्ठियां मिलीं जिनमें उसने अपने परिवार वालों को लिखा था कि मैं बेकसूर हूं, मुझे पुलिस ने जबर्दस्ती रिमांड में यह कहा कि आप यह ऐक्सैप्ट करो वरना सारे परिवार को तंग किया जाएगा। मैं आने वाली 29 तारीख को अदालत में गवाही दूंगा कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे लिए इश्तहार छपवाएं। इनमें तीन प्वाइंट्स उठते हैं कि पुलिस की जांच किस तरह हुई, दूसरा मीडिया इस तरह दिखा रही थी कि उसने ही परिवार के लोगों को मारा। एक ही जगह सात व्यक्तियों की हत्या एक लड़का करता है और किसी को कानों-कान खबर नहीं होती है। क्या मीडिया को मालूम था कि वही हत्यारा था? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मीडिया के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन : यदि वह गुनाहगार भी था तो तिहाड़ में उसे किसने जलील किया कि उसने आत्महत्या कर ली। दिन में चार आदमियों के साथ रहते हुए उसने आत्महत्या की। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी जांच कमीशन ऑफ इन्क्वायरी से कराई जाए क्योंकि यह लड़का गरीब है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदय, वह हत्यारा है या नहीं, इसे हम एक दम से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंडिया गेट में जाकर संजय के लिए कैंडल जलाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चुप्पी साध लेते हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके प्रैशर में आकर पुलिस निर्दोष को पकड़कर आगे कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, चिकनगुनिया महामारी का प्रकोप अभी भी दक्षिणी राज्यों विशेषकर राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायो के बावजूद केरल में, जारी है। इस बीमारी के कारण कई मौतें हो चुकी हैं। परंतु चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये मौतें चिकनगुनिया के कारण हुई है। वे यहां तक कह रहे हैं कि वायरस में कुछ आनुवांशिक परिवर्तन हो सकते हैं परंतु मृत्यु के कारणों का कोई विस्तृत अध्ययन नही किया गया है। चिकित्सीय विधि शास्त्र के अनुसार अस्वाभाविक मृत्यु के मामले में मृत्यु का कारण निश्चित करने हेतु चिकित्सीय शव परीक्षण अनिवार्य है। परंतु चिकनगुनिया से मृत्यु के किसी भी मामले में इसका कारण सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय परीक्षण नही किया गया। अत: स्वासयि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे विशेषकर चिकनगुनिया से मृत्यु के मामले की जांच के बारे में एक चिकित्सीय दल गठित करें। महोदय, इसके साथ ही इस महामारी और प्रभावित मरीजों में इसके बाद के प्रभावों के परिणामस्वरूप बहुत से श्रम दिवसों की हानि हुई है। राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायों के बावजूद अभी इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया है।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि जांच सुविधाएं प्रदान करने, निगरानी के सतत उपाय और मच्छरों पर नियंत्रण तथा ठोस कचरे के प्रबंधन जैसे कारकों पर बल देते हुए इस महामारी से प्रभावित जिलों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, चौदहवीं लोक सभा का संयुक्त अधिवेशन, 7 जून, 2004 को हुआ था जिसे महामहिम राष्ट्रपति जी ने एड्रेस करते हुए तेलंगाना राज्य की घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ढाई वर्ष हो गए हैं और इस संदर्भ में तेलंगाना राज्यों की मांग के लिए काफी दबाव डाला गया, बहुत कुछ कहा गया और एक मंत्री के

[श्री संतोष गंगवार]

द्वारा त्यागपत्र भी दिया गया। परंतु दुर्भाग्य यह है कि यूपीए सरकार अपने किए हुए वायदों को पूरा करने की दिशा में कदम नहीं उठा रही है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले पचास वर्षों से पृथक तेलंगाना राज्य की मांग तेलंगाना क्षेत्र के लोग करते आ रहे हैं। तेलंगाना की आबादी करीब तीन करोड़ से अधिक है और इसमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेढक, करीमनगर, आदिलाबाद, महबूब नगर, वारंगल, खम्माम, नलगोंडा, निजामाबाद जनपद आते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि करीब बीस ऐसे राज्य हैं जिनसे तेलंगाना की आबादी अधिक होगी। आर्थिक रूप से और हर दृष्टि से ये जनपद पिछड़े हैं और इस संबंध में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट का उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन पेरा 386, 389, 376 और 378 में दिया है और एक पैरा में लिखा है कि "यह आंध्र प्रदेश और उसके साथ-साथ वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र के भी हित में होगा यदि एक पृथक तेलंगाना राज्य बना दिया जाता है और इसे हैदराबाद राज्य का नाम दिया जा सकता है।"

[हिन्दी]

मैं बताना चाहता हूं कि गरीबी इतनी है कि करीब पांच-छः सौ से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके हैं लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहां लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। इस संदर्भ में जो कहा गया है उस वायदे को पूरा करते हुए सरकार पृथक तेलंगाना राज्य की घोषणा इस सदन में करने का काम करे।

[अनुवाद]

डा. बाबूराव भिडियम (भद्राचलम) : अध्यक्ष महोदय, मै. एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। महोदय, 12.11.2006 को आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में कोठागुडेम क्षेत्र में सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड की वी.के. संख्या 7 इन्कलाईन कोयला खदान में एक दुर्घटना हुई। मैं तब वहीं था और मैने दुर्घटना का दौरा भी किया।

अपराह्न 1.00 बजे

इस खदान में तीन माह पहले 'कंटीन्यूअस माइनर' नामक एक आयातित मशीन से कार्य शुरू किया गया था। उस समय छह कामगार कार्यरत थे जब लगभग 4 मीटर चौड़ी संधि दीवार पत्थर की छत सहित गिर गयी थी। उसके परिणामस्वरूप एक 'अवर प्रबंधक' (अंडर मैनेजर), एक 'ओवर मैन' और दो कामगार दबकर मर गये। तथापि, बचाव दल द्वारा दो लोगों को बचा लिया गया। ये दो लोग 'जांच कंपनी' के थे और वे इस प्रकार की दुर्घटनाओं के आदी और उसके लिए प्रशिक्षित थे। दयनीय बात यह है कि खनन कार्य असुरक्षित तरीके से चलाया जा रहा था और आवश्यक न्यूनतम सुरक्षा संबंधी सावधानियां भी नहीं बरती गयी। ऐसा बताया गया कि दुर्घटना से एक घंटे पहले कामगारों ने कुछ आवाजें सुनी थी और 'अवर प्रबंधक' (अंडर मैनेजर) को इस बारे में सतर्क किया था।

अध्यक्ष महोदय : आपको इतना व्यापक विवरण देने की जरूरत नही है। आप केवल मामले के बारे में बतायें।

डा. बाबूराव भिडियम : छत मानक पिलर सिस्टम के बिना 'बोल्ट सिस्टम अपनाये जाने के कारण गिरी थी। मेरा खान मंत्रालय से यह आग्रह है कि इस बारे में एक पारदर्शी और उचित न्यायिक जांच का आदेश दिया जाए और जांच की अवधि के दौरान संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाए। दूसरे, मृतकों के परिवारों को प्रति परिवार 15 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाए और तीसरे, खदानों में सुरक्षा संबंधी सावधानियों को कड़ाई से लागू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : बाकी मामलों को आज दिन के अंत में लिया जाए। मध्यान्ह भोजनावकाश के उपरांत सबसे पहले जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006 पर लगभग आधे घंटे तक चर्चा की जाएगी तथा तदुपरांत नियम 193 के अधीन चर्चा की जाएगी।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.04 बजे

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री विजय झान्डिक : महोदय मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने आज सुबह बैठक में उल्लेख किया था, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक जो कि एक संक्षिप्त विधेयक है, इसकी महता तथा स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण 150वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा की जाए। इस पर चर्चा तथा पारित करने में 20 से 30 मिनट का समय लगेगा अत: इस विधेयक पर अभी चर्चा की जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब पहले बोल चुके हैं। मुझे बताया गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 14 पर चर्चा करेगी। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जा सकता है। वे सभा की कार्यवाही का भाग माने जाएगें।

अपराह्न 2.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) असम की बराक घाटी के लोगों के लिए सिल्चर से गुवाहाटी तक वैकल्पिक मार्ग विकसित किए जाने की आवश्यकता।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज) : महोदय, मैं, सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि बारक घाटी - जो कि असम में 40 लाख की जनसंख्या वाला एक क्षेत्र है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा का एक भाग, वर्षा ऋतु में बारम्बार होने वाली भारी वर्षा के कारण रेल पटरियों तथा सोनापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर, जो कि 360 किमी. लम्बा मेघालय के माध्यम से गुवाहाटी से मिलाने वाला एक मात्र सड़क मार्ग है, पर भूस्खलन होने के कारण शेष भारत से अलग-थलग हो जाता है। सामान्य मौसम में इस यात्रा में 11 घटें का समय लगता है। दूरी एवं यात्रा के समय को कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से सुगमतापूर्वक आवागमन के लिए घाटी के लोगों मे कड़ा आक्रोय है। हरांगाजांव, तुरक, सांगवार, पानीमोर, उमरंगथू, खेरोनी तथा जागी रोड के माध्यम से सिल्चर से गुवाहाटी जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मौजूद है, परंतु वाहनों के आवागम के लिए इसे उपयुक्त बनाने हेतु इसको एक लेन से चौड़ा करने तथा जागी रोड तक डामरीकरण कर, इसका विकास करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित रोड मौजूदा मार्ग से 60 किलोमीटर छोटा है जो कि कम पर्वतीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है जिससे घाटी के लोग वर्तमान में 11 घंटे के बजाय 7 घंटे में ही गुवाहाटी पहुंच सकते हैं इसलिए, मैं सरकार से इस वैकल्पिक मार्ग का उन्नयन करने तथा मणिपुर बराक घाटी, मिजोरम, तथा त्रिपुरा के लोगों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से मुक्ति दिलाएं।

[हिन्दी]

(दो) गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार और जापान बैंक के बीच हुए समझौते का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : महोदय, उत्तर प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र वाराणसी एक पवित्र धार्मिक शहर है। गंगा तट पर होने से इसका महत्व और भी अधिक है। लेकिन वाराणसी में गंगा सबसे ज्यादा पदूषित हैं स्व. राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने गंगा एक्शन प्लान का वाराणसी में उद्घाटन किया था। जब तक वे प्रधानमंत्री रहे तब तक यह योजना क्रियान्वित होती रही लेकिन उनके प्रधान मंत्री पद से हटने के बाद से आज तक जितनी भी सरकारें आईं, किसी ने भी इस महत्वपूर्ण योजना की सुध नहीं ली। यह अब भी अधूरी पड़ी है। गंगा कार्य योजना के चरण-दो के अंतर्गत गंगा नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार अब जापानी फर्म की मदद ले रही है और इस संबंध में उसके साथ एक समझौता किया गया है। सरकारी ने वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषणमुक्त करने के लिए जापान बैंक फार इंटरनेशन कोऑपरेशन के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस समझौते को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये ताकि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किया जा सके और वाराणसी जैसे धार्मिक शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों को गंगा नदी का पवित्र जल उपलब्ध हो सके।

(तीन) गुजरात के सूखा प्रवण क्षेत्र अमरेली में ड्रिप सिंचाई योजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. तुम्मर (अमरेली) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र अमरेली एक सूखा प्रवण क्षेत्र है और यहां पर सिंचाई का विशेष साधन नहीं

*सभा पटल पर रखे गए।

[श्री वी.के. दुग्मर]

है। यहां की मुख्य फसलें ग्राउंडनट, गन्ना, ज्वार एवं बाजरा हैं, जो पानी के अभाव में जैसे तैसे होती है। यहां ड्रिप सेट खरीदने को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु एक योजना है, परंतु बिजली की कमी एवं मंहगी होने के कारण किसान इस योजना का लाभ सही ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रिप सिंचाई का कार्य मेकरो इरिगेशन प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है। हालांकि गुजरात में साढ़े सोलह हजार हेक्टेयर भूमि को ड्रिप सिंचाई योजना के तहत कर लिया गया है परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र को इससे कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त योजना को अमरेली में अच्छे ढंग से चलाया जाये।

(चार) गुजरात के गांव कठोर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर ताप्ती नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी (मांडवी) : महोदय, मैं, गुजरात में कठोर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर ताप्ती नदी पर पुल के निर्माण में विलम्ब की ओर माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उस पुल का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश निर्माण कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण की समय सीमा पूरी हो चुकी है तथा कार्य अत्यंत धीमी रफ्तार से चल रहा है। इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है जिससे लोगों को बड़ी समस्या हो रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय, से इस मामले का अवलोकन करने तथा जल्द से जल्द पुल निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस क्षेत्र में यातायात जाम होने की समस्या का हल किया जा सके।

(पांच) राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री आत्मा सिंह गिल (सिरसा) : महोदय, केन्द्र सरकार करोड़ रुपये समाज के प्रत्येक वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए मंत्रालयों के माध्यम से अलग अलग संस्थाओं एवं संस्थानों द्वारा आवंटित करती हैं और इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समाज सेवी संस्थाओं को अनुदान के रूप में देती है ताकि इन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भी महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए अपने राज्य समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान राशि आवंटित करती है। अनेकों संस्थाएं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करती हैं। इन संस्थाओं को आवेदन करने के लिए समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। राज्य समाज कल्याण बोर्डों में बहुत अनियमितताएं हैं। अत: इन संस्थानों में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सभी लोगों को केन्द्र सरकार की योजनाओं से पर्याप्त लाभ मिल सके।

(छह) बेतूल जिले के चिचोली गांव से होशंगाबाद जिले के डेकना गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59-ए का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल) : महोदय, करीब 4 वर्ष पूर्व इन्दौर से बेतूल को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय राजमार्ग 59ए की वर्तमान में हालत जर्जर हो गई है। अत: जरूरी है कि इस मार्ग पर मरम्मत, नवीनीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के कार्य किये जावें। कम से कम प्राथमिकता के आधार पर चिचोली से (बेतूल जिले के ग्राम से) डेकना ग्राम, (होशंगाबाद जिले) तक की सड़क का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण का कार्य शीघ्र किया जाये।

(सात) मध्य प्रदेश को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, देश में विद्युत ऊर्जा की कमी की स्थिति से कृषि सहित उद्योगों की प्रगति तथा सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

अतएव केन्द्र सरकार देश में तथा मध्य प्रदेश को विद्युत ऊर्जा के स्रोतों को यथा ताप, जल एवं परमाणु सहित गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता से समयबद्ध कार्य योजना बनाकर विद्युत ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम बनाएं। साथ ही मध्य प्रदेश में कृषि के लिए विद्युत की मांग की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त बिजली दें।

(आठ) राजस्थान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य हेतु राज्य सरकार को 3200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : महोदय, राजस्थान के सीमावर्ती एवं पिछड़े हुए बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में इस वर्ष की भयंकर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कहर से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाढ़ राहत एवं पुनर्वास कार्य को त्वरित गति से सम्पादित करवाकर लोगों को प्रारंभिक राहत प्रदान की गयी है। राजस्थान सरकार द्वारा इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूरे राज्य के लिए केन्द्र से 3200 करोड़ रुपए राशि की मांग की गई थी जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा मात्र 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। यह राशि बाढ़ पीड़ितों को मुहैया करवाई जाने वाली मुआवजा राशि के रूप में पर्याप्त नहीं है। मेरा इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार, राजस्थान के बाढ़ पीड़ितों एवं अतिवृष्टि के कहर से निपटने के लिए राज्य को शीघ्रातिशीघ्र 3200 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत करने की घोषणा करें जिससे कि सर्दी के मौसम में राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान की जा सके।

(नौ) गुजरात के भूकम्प प्रभावित कच्छ जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए उत्पाद शुल्क से छूट की समय सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : कच्छ एक दूरवर्ती सूखा क्षेत्र है। जहां सीमित अवसंरचना है और वर्षा भी बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में प्राय: प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। विशेषकर खराब अवसंरचना होने के कारण यहां सीमित समय में कोई बड़ा उद्योग लगाना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए राज्य सरकार भारत सरकार उत्पाद शुल्क से छूट की समय-सीमा को दिसंबर 2007 तक बढ़ाने की मांग कर रही है और इसके साथ ही उन उदार प्रावधानों को लागू करने की मांग कर रही है जो उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम के लिए लागू किए गए हैं। राज्य सरकार के जोरदार प्रयासों के बाद 180 परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनमे 7900 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जबकि करीब 32,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश से 409 परियोजनाएं अभी 31.12.2005 तक स्थापित की जानी थी। यद्यपि भारत सरकार ने समय-सीमा को दिसंबर, 2005 तक बढ़ा दिया है फिर भी थोड़ी-थोड़ी करके समय-सीमा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। समय-सीमा को दिसंबर, 2007 तक बढ़ाने और उदार प्रावधानों को लागू किये जाने से इस सुदूरवर्ती सूखा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा और इससे विकासशील अवसंरचना के पूर्व लाभ प्राप्त कर पाना संभव होगा। लेकिन केन्द्र सरकार समय-सीमा बढ़ाने पर सहमत नहीं हुई है।

इसलिए मैंआपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुजरात के भूकंप प्रभावित कच्छ जिले में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए उत्पाद-शुल्क पर छूट की समय-सीमा 2007 तक बढ़ाया जाए।

(दस) मछुआरा समुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु मुरारी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मनोरमा माधवराज (उदुपी) : समुद्री कटाव के कारण समुद्र तट के किनारे समुद्री संसाधनों के क्षरण तथा पारिस्थितिकी आपदाओं की वजह से भारत के 10 मिलियन के एक बड़े मछुआरा समुदायो की स्थिति दयनीय है सरकार की उदासीनता के कारण, जिसने मुरारी समिति की सिफारिश पर अभी तक कोई कार्रवाई नही की है, यह स्थिति और खराब हो गई है। मुरारी समिति ने मछुआरा-समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए लगभग डेढ़ दशक पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें इसके संबंध में 21 सिफारिशें की थीं। समिति ने बहु राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ट्रावलर्स के प्रयोग के लिए लाइसेंस देने पर पूर्ण रोक लगाने की सिफारिश की थी और जारी किए गये लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की थी। मंत्रिमंडल के इस आशय के फैसले के बावजूद भी सरकार ने मछुआरो का राजसहायता प्राप्त ईंधन (हाई स्पीड डीजल) तथा राजसहायता दरों पर मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्रा उपलबध कराने के प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नही किया है।

मैं केन्द्र सरकार से मुरारी समिति की सिफारिशों को तत्काल लागू करने तथा मछली पालन के विकास और मछुआरा-समुदाय के कल्याण के लिए एक-पृथक केन्द्रीय मात्स्यकी मंत्रालय के सृजन का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु त्रिपुरा-मनु-अगरतला रेलवे लाइन को सबरूम तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम) : त्रिपुरा को जोड़ने वाली रेल लाईन अब मनु तक आ गई है। मनु से अगरतला तक की रेल लाईन

[श्री खगेन दास]

का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्जा दिया गया है और इस परियोजना के समापन की लक्ष्य-तिथि मार्च, 2007 तय की गई है। राज्य सरकार तथा राज्य की जनता इस रेल लाईन को सबरूम तक बढ़ाए जाने की जोरदार मांग कर रही है। इस क्षेत्र की अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2005 के शुरू में ही रेलवे बोर्ड को भेज दी गई थी। यह परियोजना त्रिपुरा तथा उत्तर-पूर्व के क्षेत्र के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सबरूम को इस लाइन से जोड़ दिया जाता है तो बांग्लादेश रेल नेटवर्क के माध्यम से 75 कि.मी. की दूरी पर स्थित चटगांव बंदरगाह को जोड़ना आसान हो जाएगा। इससे त्रिपुरा और अन्य उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए समुद्री बंदरगाह से संपर्क स्थापित हो जाएगा। जोकि बहुत ही जरूरी है। इस संपर्क से त्रिपुरा बहुत से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए व्यापार और वाणिज्य का द्वार बन जाएगा। रणनीति महत्व के अलावा इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यहां रेल नेटवर्क का विस्तार होना अति आवश्यक है। इसलिए, मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इस राष्ट्रीय परियोजना में इस महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृत किया जाए ताकि इस रेल लाईन का राष्ट्रीय परियोजना के हिस्से के रूप में सबरूम तक विस्तार किया जाए और अनुपूरक रेल बजट में इस प्रयोजनार्थ एक सांकेतिक प्रावधान किया जाए।

(बारह) आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में बसरा में इंडियन इन्स्टीटयूट ऑफ टैक्नॉलाजी (आईआईटी) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

डा. बाबूराव मिडियम (भद्राचलम) : बसरा में इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी (आई.आई.टी.) की स्थापना करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का एक प्रस्ताव है। बसरा में देवी सरस्वती का एक प्राचीन मंदिर है। यह पिछड़े हुए तेलंगाना क्षेत्र के आदिलाबाद जिले में अवस्थित हैं। आई.आई.टी जैसे उच्चत्तर शिक्षा के संस्थान की स्थापना से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा। स्थानीय लोगों को भी कुछ रोजगार प्राप्त होगा। प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा की खोज में आंध्र प्रदेश से सैंकड़ों छात्र बाहर जाते हैं। यदि यहां आई.आई.टी की स्थापना की जाती है तो उनको लाभ हो सकता है।

इसलिए मैं बसरा में आई.आई.टी की स्थापना करने तथा इस संबंध में लम्बित प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं।

(तेरह) गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का बाजार मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, भारत सरकार द्वारा गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी के तेल के डिपो जनपद स्तर पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ताकि मिट्टी के तेल की चोरबाजारी पर रोक लग सके, परंतु सरकार द्वारा इस फ्री सेल के मिट्टी के तेल का दाम निर्धारित न किए जाने के कारण पूरी योजना खटाई में पड़ गई है।

अत: सरकार से आग्रह है कि शीघ्र ही फ्री सेल के मिट्टी के तेल का दाम तय करे ताकि वितरण प्रणाली की कमियां दूर हो सके।

(चौदह) शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं को भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के तीन नगर निगमों-मुंबई पुणे और नागपुर - की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, जिनकी लागत क्रमश: 23418.69 करोड़ रुपये, 2893.28 करोड़ रुपये और 503.38 करोड़ रुपये है को सी.डी.पी. के साथ केन्द्र सरकार को भेजा था। तथापि ये परियोजनाएं अभी भी केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी है।

इसलिए, मैं इन सभी योजनाओं को शीघ्र अनुमति दिये जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र में पुणे-सतारा खण्ड पर लोणंड राज्य राजमार्ग क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़) : महाराष्ट्र के सतारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर 735.471 कि.मी. की दूरी पर पुणे-सतारा खंड पर, लोणांड स्टेट हाईवे के क्रासिंग पर एक ग्रेड सेपेरेटर की अत्यंत आवश्यकता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सैद्धांतिक रूप से लोणांड स्टेट हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के बीच राज्य राजमार्ग पर एक फ्लाई ओवर का निर्माण करके ग्रेडसेपेरेटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सैद्धांतिक रूप से लोणांड स्टेट हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के बीच राज्य राजमार्ग पर एक फ्लाई ओवर का निर्माण करके ग्रेड सेपेरेटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लगभग तीन वर्ष पूर्व इस ग्रेड सेपेरेटर के संबंध में फैसला लिया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस जंक्शन पर विभिन्न दुर्घटनाओं में लगभग 50 लोगों की जानें चली गई हैं। आवश्यक फ्लाई-ओवर/ग्रेड सेपेरेटर तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

(सोलह) बिहार में छपवा से उत्तर प्रदेश की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री कैलाश बैठा (बगहा) : महोदय, बिहार में छपवा से लेकर उत्तर प्रदेश सीमा तक 112 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 28-बी की हालत अत्यंत जर्जर है। इसे प्राथमिकता के आधार पर निर्मित कराने की आवश्यकता है यह सड़क बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के अलावा बुद्धिस्ट सर्किल के स्थानों को कुशीनगर से जोड़ती है। इस सड़क को ब्रिज सी ग्रेड में तथा एफ· डी आर में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसके शीघ्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जे.बी.आई.सी., से निर्माण हेतु भी इस सड़क का प्रस्ताव भेजा जाना है, उसमें भी प्रगति संतोषजनक नहीं है।

(सत्रह) एन.ई.सी. द्वारा 9वीं और 10वीं योजनावधि के दौरान शुरू की गई अन्तरराज्यीय अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, मै सरकार का ध्यान नौवीं और दसवीं योजना अवधि के दौरान एन.ई.सी. द्वारा कुछ अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुए विलंब की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो संभाव्यता और डी.पी.आर. की परिपक्कवन की लंबी अवधि के कारण हुआ था। लोहित और खाबोलू नदी पर पुलों का निर्माण तथा एन.एल.के.बी. रोड को सुदृढ़ किया जाना तथा दूसरी योजना 'लखीमपुर वेटरिनरी कॉलेज को सुदृढ़ किया जाना' नामक दो योजनाओं को अभी अंतिम रूप से क्रियान्वयन किया जाना बाकी हैं दूसरी ओर धोला और सादिया के बीच ब्रह्मपुत्र की लोहित नहर पर पुल के निर्माण की संभाव्यता रिपोर्ट, जिसपर 10वीं योजना अवधि के दौरान चर्चा की गई थी, को अब संयुक्त उद्यम केन्द्रीय परियोजना के रूप में क्रियान्वयन के लिए हाल ही में एन.ई.सी. को सौंपा गया हैं इन अंतरराज्यीय अवंसरचना परियोजनाओं को 11वीं योजना अवधि के दौरान प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है।

इसलिए, डी.ओ.एन.ई.आर. मंत्रालय तथा योजना आयोग से मेरा अनुरोध है कि कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पूर्व एक नीति के रूप में के एन.ई.सी.की. 11वीं योजना में इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना सुनिश्चित करें। योजना आयोग को भी रक्षा, विद्युत, एन.ओ.आर.एस.टी.एच. तथा एन.ई.सी. की सक्रिय भागीदारी से धोला और सादियव के बीच पुल को एक संयुक्त उद्यम केन्द्रीय परियोजना के रूप में क्रियान्वयन के समन्वयन के लिए सलाह दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 15 पर चर्चा करेंगे। श्रीमती अम्बिका सोनी विधेयक प्रस्तुत करेंगी।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.06 बजे

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006

[हिन्दी]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

> "कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 1951 में छोटा सा संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई है। 13 अप्रैल, 1919 को बैशाखी के दिन अमृतसर में मारे गये शहीदों की याद में और घायल हुये व्यक्तियों की याद में तथा उन लोगों की याद को अमर रखने के लिये राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम पारित करके एक न्यास की स्थापना की गयी थी। अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उस न्यास को हर प्रकार से सशक्त किया गया। उस ट्रस्ट में तीन महान् व्यक्तियों को आजीवन नियुक्त किया

[श्रीमती अम्बिका सोनी]

गया था। वे तीन आजीवन सदस्य स्व. जवाहर लाल नेहरु, डा. मौलाना आजाद और डॉ. सैफुद्दीन किचलू थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब प्रदेश के राज्यपाल, पंजाब के मुख्यमंत्री को न्यास का सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया था। उन तीनों आजीवन सदस्यों की मृत्यु के बाद वे तीन स्थान रिक्त हो गये हैं। जब तक इस विधेयक में संशोधन न किया जाये, वे तीनों रिक्त स्थान भरना संभव नहीं था। इस सीमित उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुये सरकार ने इस विधेयक में कुछ संशोधन प्रोपोज़ किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस स्मारक के तीन न्यासी, जो अब नहीं रहे, उनकी जगह विधेयक में संशोधन करके हम देश के प्रधानमंत्री को इस न्यास का अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता को इस न्यास में रखने के अलावा संस्कृति विभाग के प्रभारी मंत्री इस न्यास के सदस्य होंगे। इसके अलावा एक छोटा सा संशोधन यह भी है कि इस न्यास के जितने एकाउंट्स होंगे, उन्हें औडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफाई करके और उनका औडिट करके संसद के दोनों सदनों में उन्हें पेश किया जायेगा। हमने यह संशोधन रखते समय इस बात का ख्याल रखा है कि 1951 के इस अधिनियम की मूल भावनाओं में कोई परिवर्तन न हो। इसके अलावा उसका कैरक्टर वही रहे। हमने विधेयक की भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसलिये तीन रिक्त स्थान भरने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके जो भी एकाउंट्स होंगे, वे संसद के दोनों सदनों के सामने पेश किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि आज के दिन हम उस दिन के रौलेट एक्ट को याद करें, जब भारत ने आजादी का आन्दोलन छेड़ा था। उस दिन न केवल आम आदमी बल्कि ग्रामीण व्यक्ति पूरे मुल्क में सड़कों पर आ गया था। तब कांग्रेस ने उस एक्ट का विरोध किया था। उस वक्त हमारे दो महान नेता श्री सतपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू को जलियांवाला बाग में इस महान सभा का नेतृत्व करते समय गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद पूरे देश में क्रांति की आग फैल गई। हमारे पंजाब के माननीय सदस्य और अन्य सभी सदस्य जानते हैं कि जलियांवाला बाग तीन तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और एक पतली गली से अंदर जाना पड़ता है। 13 अप्रैल को वहां हजारों की तादाद में लोग डॉ. किचलू और सतपाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे। साथ साथ वह बैसाखी का दिन था। बड़ी संख्या में हरमंदिर साहब में लोग श्रद्धा भावना से स्नान करने और अमृत चखने आए थे। वे लोग भी वहां पहुंचे। जनरल डायर के एक हुक्म से पुलिस ने वहां आकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू किया, वह भी इस मकसद से कि कोई भी बच्चा, औरत या युवक उस छोटे से पार्क से बचकर बाहर नहीं निकले। हम सब जानते हैं कि आज भी गोलियों के निशान उन दीवारों पर मौजूद हैं। उन लोगों की याद अमर रखने के लिए यह एक्ट बनाया गया था। हमने इस भावना को मद्देनज़र रखते हुए इसमें कोई खिलवाड़ करने की या राजनीति लाने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया गया है। पूरे देश ने, हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 से आज़ादी मिलने तक जो संघर्ष किया, उसको कमैमोरेट करने के लिए, उसको याद करने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्तित करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था। पूरे देश में हर पोलिटिकल विचारधारा उस कमेटी में शामिल है। दूसरी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे उस कमेटी में शामिल है। प्रयास यह है कि पूरा देश उस 150 साल के इतिहास को दोबारा दोहराए। उन इमारतों को हम दोबारा खड़ा कर सकें, उन संस्थाओं को हम दोबारा मजबूत बना सके ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी यह न भूलें कि कितनी शहादत के बाद, कितनी लड़ाई और संघर्ष के बाद भारतवर्ष को आजाद कराया गया। इस भावना को मद्देनजर रखते हुए जलियांवाला बाग उन्हीं स्मारकों में से एक बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है। मैं इस सदन से अपील करना चाहती हूं कि इस छोटे से संशोधन को अगर हम सर्वसम्मति से पारित करे तो हम उस भावना को बरकरार रख सकेंगे जिसको लेकर लोगों ने शहादत दी, अंग्रेज़ो की गोलियों का सामना किया। यह अनुरोध करने के बाद में अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अंबिका जी द्वारा प्रस्तुत जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक का हार्दिक और पुरजोर समर्थन करता हूं।

वास्तव में जलियांवाला बाग का स्मरण आते ही हमें एक गीत की पंक्तियां याद आ जाती हैं कि—

'जलियांवाला बाग ये देखो, यही चली थी गोलियां
एक तरफ बंदूकें दन दन, एक तरफ थीं टोलियां,
मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां।'

वहां इंकलाब जिन्दाबाद की आवाजें आ रही थीं। गुरुओं की धरती पंजाब और पंजाब में भी स्वण मंदिर की नगरी अमृतसर - वहां जलियांवाला बाग में 1919 में यह घटना हुई। पहले अंग्रेजों ने कहा था कि लड़ाई में हमारा साथ दो तो हम देश को आजादी दिलवाएंगे। लेकिन जैसे ही 1919 का प्रथम विश्वयुद्ध खत्म हुआ, हमारी आशाओं पर तुषारापात हो गया। रोलैट एक्ट नाम का काला कानून हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ी साम्राज्यवादियों ने लाद दिया। तब राष्ट्रीय नेताओं ने यह संकल्प लिया था कि सारे देश में इसका विरोध किया जाएगा। इसी सिलसिले में दिल्ली के चांदनी चौक में एक बहुत बड़ा जुलूस स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में निकला था। अंग्रेजों ने उसको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि संगीनें पहले सन्यासी के सीने पर चलाओं और उसके बाद जो पीछे लाखों लोग हैं, उन पर चलाना। इसी तरह से जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हजारों लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने और खुशियां मनाने के लिए एकत्रित हुए। वहां हमारे स्वाधीनता सेनानी डॉ. किचलू और सतपाल जी के नेतृत्व में रोलैट एक्ट नाम के काले कानून का विरोध करने के लिए सत्याग्रह प्रारंभ होना था और वहां जुलूस निकलना था।

महोदय, उस समय तय किया गया कि जुलूस जलियांवाला बाग से निकाला जाए। जूलूस की तैयाररियां हुईं। हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। जैसा अम्बिका जी ने कहा, जलियांवाला बाग के तीन तरफ दीवारें थीं तथा निकलने के लिए केवल एक संकरी गली थी। उसका दरवाजा भी छोटा था। बाग में हजारों लोग थे। ऐसे समय में जनरल डायर ने एकदम पाबन्दी लगा दी और एक प्रकार से कंर्फ्यू जैसा काला कानून लगाकर, लोगों को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलावा दीं। 'इंकलाब जिन्दाबाद' 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' जैसे नारों से पूरा आसमान गूंज गया। लोग नारे लगा रहे थे कि काला कानून वापस लो, अंग्रेजी साम्राज्य हिन्दुस्तान से चले जाओ, अंग्रेजी साम्राज्य का नाश हो - ऐसे देश भक्तों पर गोलियां बरसाई गईं। परिणाम स्वरूप हजारों लोग मौत के शिकार हुए।

महोदय, जलियांवाला बाग के कुओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे आज भी जब उनकी याद आती है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब गोलियां चलीं, तो लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए कुओं में छलांग लगा दी। लोगों ने कुओं को लाशों से पाट दिया। उन्होंने गोलियों को अपने सीनों पर सहा। तभी कहा गया है कि "शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की मजारों पर, शहीदों के स्मारकों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, मरने वालों का यही आखिरी निशां होगा" यही स्मारक हमें याद दिलाता है कि "न हमें इज्जत दें न हमें अजमत दें, या रब वतन के वास्ते हमें जीने की हिम्मत दें" ताकि हम सब लोग राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट सकें।

महोदय, जैसा माननीय संस्कृति मंत्री, श्रीमती अम्बिका सोनी जी ने कहा कि यह विधेयक बहुत छोटा है, इसलिए इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह मूल विधेयक वर्ष 1951 में बना था। तब हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रथम प्रधान मंत्री, पं. जवाहर लाल नेहरु, प्रथम शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डा. सैफुद्दीन किचलू इसके आजीवन ट्रस्टी बने। यह तो संसार का नियम है कि जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। 1964 में पं. जवाहर लाल नेहरु जी का निधन हो गया और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों और बड़े-बड़े नेता भी खत्म हो गए। तब से लेकर अब तक कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन आजीवन सदस्यता के स्थान खाली ही बने रहे और इन्हें भरने की तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन सब का ध्यान राष्ट्रीय स्मारकों की तरफ, उनकी व्यवस्था की तरफ और उनके प्रबंधन की तरफ जाना चाहिए, ताकि देश के लोग आजादी के दीवानों के, उस स्मारक को देखकर प्रेरणा ग्रहण कर सकें, वहां जाकर शहीदों के स्मारकों पर फूल चढ़ा सकें।

महोदय, निश्चित रूप से संस्कृति मंत्री, श्रीमती अम्बिका सोनी जी इस तरफ ध्यान रखेंगी और जैसा कहा गया है कि अब ये स्थान रिक्त नहीं रहेंगे। वैसे भी, अब तो इन्हें आजीवन के बजाय पांच वर्ष तक नामित करने की व्यवस्था कर दी गई है। पांच साल के बाद ट्रस्टियों के बदलने के बाद व्यवस्था सुधर सकेगी। प्रधान मंत्री, इसके अध्यक्ष होंगे, यह बहुत अच्छी बात है। इससे इस ट्रस्ट का पूरा ध्यान रखा जा सकेगा। जिस समय आजादी की लड़ाई देश ने लड़ी, उस समय कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से चाहे नर्मदल हो, गर्मदल हो या क्रांतिकारीदल हो, सभी ने राष्ट्रीय विचारधारा की लड़ाई उसी प्लेटफार्म से लड़ी। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा को भी इसके ट्रस्टियों में शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ लोक सभा में विपक्ष के नेता को भी इसमें रखा गया है। पंजाब के राज्यपाल और वहां के मुख्य मंत्री को भी इसमें शामिल

[प्रो. रासा सिंह रावत]

किया गया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के होने और ट्रस्टियों में अंतर से इसमें सुधार आएगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जलियांवाला बाग देखा है। उसकी मैंटिनेंस जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसे और भी अच्छा किया जाए। इसमें और चार चांद लगा सकें, तो अच्छा होगा ताकि इसे देखने वाले लोगों को वह प्रेरित करे, उनके लिए वह प्रेरणादायी स्थल बन सके और इतिहास की याद दिलाता रहे। उस स्थल पर स्वतंत्रता सेनानियों के विवरण का और अधिक वर्णन होना चाहिए तथा स्वतंत्रता सेनानियों के नामों का भी वर्णन होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के अच्छे-अच्छे चित्र लगाए जाने चाहिए। शहीदों के नाम होने चाहिए। पंजाब की धरती में अनेक क्रान्तिकारी हुए हैं। धन्य है पंजाब की धरती और वहां की माताएं, जिन्होंने ऐसे सेनानियों को जन्म दिया, जिन्होंने हिन्दुस्तान को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं समझता हूं कि ट्रस्ट का बहुत अच्छा हिसाब-किताब रखा जाएगा। इस न्यास के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

वे इसे देखेंगे, जांचेंगे और फिर वह संसद में पेश होगा। यह बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि इसका उचित प्रबंधन हो, प्रेरणा का स्तर बना रहे अतिक्रमण वगैरह न हों। इसके पास बाजार है। अगर सरकार चाहे और प्रार्थना करे तो आजकल अवाप्ति की कार्रवाई सभी जगह हो रही है, इसलिए कुछ आसपास के स्थानों का अधिग्रहण करके उसको थोड़ा और भी विशाल रूप दे दिया जाये।

मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा प्रेरणादायक स्थल है और रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, हिन्दुस्तान के शहीदों का नाम अमर रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*श्रीमती परनीत कौर (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। 10 अप्रैल, 1919 को लगभग 50,000 लोगों ने डिप्टी कमीशनर, अमृतसर के कार्यालय की ओर मार्च किया। वे अपने प्रिय नेता श्री सत्यपाल और श्री सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग कर रहे थे जिन्हें अंग्रेज अधिकारियों द्वारा बंदी बनाया गया था। तथापि, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई तथापि, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और लगभग 30 लोगो ने इस फायरिंग में अपनी जान गंवाई। सिखों के बीच क्रोधाग्नि सुलग रही थी। इससे पूर्व गुरूद्वारा रकाब गंज साहिब की दीवाल भी अधिकारियों द्वारा गिरा दी गई थी। गदर करने वालों के विरूद्ध सुनवाई भी शुरू हो गई थी। इसी समय अंग्रेज अधिकारियों ने 6 अप्रैल, 1919 को महत्मा गांधी के पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इसने लोगों के बीच क्रोध को और भड़काया।

लोगों के गुस्से को भांप कर अंग्रेज सरकार ने जनरल डायर को 11 अप्रैल को जालंधर से अमृतसर बुलाया। उसने तत्काल पंजाब में 'मार्शल लॉ' लागू कर दिया यद्यपि अधिकारिक तौर पर मार्शल लॉ को 15 अप्रैल, को लागू किया जाना बताया गया। 13 अप्रैल, 1919 को वैशाखी के पावन अवसर पर लोग पूजा अर्चना के लिए स्वर्ण मंदिर में एकत्र हुए। स्थानीय नेताओं ने एक विरोध सभा का आह्वान किया था जो जालियांवाला बाग में संध्या 4.30 बजे होनी थी। सभा में तीन संकल्प पारित किये जाने थे। दो संकल्प रॉलेट एक्ट और 10 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग की निंदा करने के लिए पारित किये गये थे। जब तीसरा संकल्प अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध पारित किया जा रहा था तभी वहां पर जनरल डायर आ धमका। उसने कोई चेतावनी दिये बिना अपने सैनिकों को फायरिंग करने का आदेश दे दिया। निहत्थी भीड़ पर 20 मिनट तक गोलियों की बौछार होती रही। 1650 राउन्ड से ज्यादा अंधाधुंध फायरिंग किए जाने के कारण सैकड़ों पुरूष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। सरकारी तौर पर बताई गई मृतको की संख्या 379 है जो एक दम गलत है। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए।

बाद में गोलीबारी में हताहतों की संख्या की जानकारी लेने के लिए पंडित मदनमोहन मालवीय ने जलियांवाला बाग का दौरा किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने केन्द्रीय विधान परिषद में बताया कि गोलीबारी में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे।

इस घटना से पूरा देश उत्तेजित हो गया। लोगों का गुस्सा बहुत अधिक था। विरोध स्वरूप नोबल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गयी नाइट हुड की उपाधि को वापस

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

कर दिया। उन्होंने गर्वनर जनरल को एक पत्र लिखा और उसमें कहा "अब समय आ गया है कि जब हमें दिए गए सम्मान और प्रतीक हमारे लिए लज्जाजनक बन गए हैं इसलिए मैं अपने इन सभी विशेष उपाधियों का त्याग करता हूं और अपने उन देश वासियों के साथ हूं जिन्हें तथा कथित महत्वहीन समझा गया है तथा उनका इतना अध:पतन किया गया है जो कि मानव के लिए उपयुक्त नहीं है।

दिसम्बर, 1919 में अमृतसर में कांग्रेस पार्टी का वार्षिक सत्र हुआ था जिसमें आत्मनिर्णय सिद्धान्त के अनुसार एक संकल्प पारित किया गया था कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाऐं"।

महोदय, आज मैं बड़े गर्व के साथ इस सम्माननीय सभा में कह सकती हूं कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है मेरी माता जी के पूर्वजों से संबद्ध है। स्वतंत्रता प्रप्ति के पश्चात यह एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल बन गया। वहां एक स्मारक का निर्माण किया गया है जो हमें शहीदों की याद दिलाता है। इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया गया था। स्मारक का उदघाटन 1961 में डा. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा किया गया था।

जलियांवाला हत्याकांड ने शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के गुस्से को और अधिक भड़का दिया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंनेअपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। आन्दोलनकारियों पर गोलियां बरसायी गयी और इस घिनौनी कार्रवाई के लिए प्रतिशोध की मांग की। माननीय मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी जी ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक 2006 सभा पटल पर रखा है। मैं तहे-दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि इस विधेयक को सर्व सम्मति से पारित किया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। हम यहां शहीदों को नमन करते हैं।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रकार के महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। मैं सोचता हूं कि इसे लाने में बहुत देर हुई है। मैं अपने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नहीं जाना चाहता। हम सभी इसके बारे में अच्छी तरह परिचित हैं।

महोदय, माननीय मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी ने पहले ही उस स्थिति का उल्लेख कर दिया है जिसमें यह घटना घटित हुई। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा जनसंहार कहा जा सकता है जिसे एक बार में अंजाम दिया गया। इसलिए, स्पष्ट रूप से इसका अपना महत्व है। इसे एक स्मारक के रूप में अवश्य ही बनाये रखना चाहिए और इसका रखरखाव अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। यह पूरे देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह इसे सही-सलामत रखें। उस दृष्टीकोण से इसे अवश्य ही बड़ी ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता आंदोलन की शुरूआत तथा इसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया। हम सभी जानते हैं कि उन दिनों गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई औपचारिक नेता नही थे। उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व 1920 में अपने हाथों में लिया। ऐसा मोटे तौर पर उस घटना से एक वर्ष पूर्व हुआ। फिर लोगों ने इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया और अंग्रेजों को क्रूरता से हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। हम यह भी जानते है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी विरोध करना पड़ा था। उन्होंने अपनी नाईटहुड की पदवी वापस कर दी थी। इसलिए, इस गंभीरता से लेना चाहिए।

पंडित जवाहर लाल नेहरू इस न्यास के सदस्य थे। 42 वर्ष पूर्व 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से इन 42 वर्षों में कई सरकारें आई और गईं। इसलिए, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी ने इस बातका उल्लेख क्यों नहीं किया। इस प्रकार की लापरवाही क्यों बरती गई? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने वह सम्मान नही प्रदर्शित किया जो होना चाहिए था। सरकार ने इसकी आवश्यकता 24 वर्ष बाद महसूस की। इसके बाद, तीन वर्ष पूर्व स्थायी समिति में प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा हुई और तब से अब तक तीन वर्ष बीत चुके है। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि संभवत: इस ऐतिहासिक चीज के प्रति हम वह सम्मान नहीं प्रदर्शित करते जो करना चाहिए।

इसके लिए हमें शर्म महसूस करनी चाहिए। इसमें हमारा कार्य अच्छा नहीं रहा है। स्पष्ट तौर पर, इस शिकायत के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब जागा तभी सबेरा। इसे यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। अब इसे अवश्य पारित होना चाहिए। इसमें कोई भ्रम नहीं है। स्थायी समिति ने इस पर चर्चा की है और दो या तीन मुद्दों को उठाया है। पहला मुद्दा है कि न्यास-धारियों में से तीन का चयन कैसे होगा। यह अवयय ही एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। उन्होंने इस बारे में चर्चा की है कि क्या गृह मंत्रालय को इस दल में शामिल होना चाहिए। मैं मानता हूं कि उन्हें इसमें सम्मिलित होना चाहिए; यह राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, और इसके तहत यद्यपि प्रधान इसके सभापति होते हैं, संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय को अवश्य ही इसमें सम्मिलित होना चाहिए।

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

चर्चा का दूसरा विषय था कि क्या आई.एन.सी. का अध्यक्ष न्यासधारियों में से एक होना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि संभवत: इसकी जरूरत नहीं है। जब स्वयं प्रधान मंत्री इसके सभापति हैं, जब अन्य मंत्री इसमें है, प्रतिपक्ष के नेता भी इसमें शामिल हैं, तो संभवत: इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम, आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था जब वे कांग्रेस के औपचारिक रूप में नेता नही थे। दूसरी बात कि यदि हम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को देखें तो इसमें स्पष्ट उदाहरण है; और स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था। इस बारे में कोई भ्रम नही है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही ऐसे आंदोलनकारी भी रहे हैं जिन्हें इतिहास में हम कभी-कभी आतंकवाद के रूप में चित्रित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें आतंकवादी के रूप में नहीं चित्रित किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें आंदोलनकारी पुकारा जाना चाहिए। और संगठित आंदोलनो का क्रम जिससे छात्र, युवा, किसान, मजदूर सभी संबंधित थे ही स्वतंत्रता आंदोलन था। इस स्मारक को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देखा जाना चाहिए और उसी उद्देश्य के साथ इसकी रचना होनी चाहिए जैसा कि स्थायी समिति ने प्रस्ताव किया है। मैं चाहूंगा कि वही इसका मुख्य विषय होना चाहिए और इसी के साथ कार्य शुरू करना चाहिए। जब प्रधान मंत्री और अन्य इसमें सम्मिलित हैं तो न्यासधारियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का होना कोई जरूरी नहीं है।

अंत में मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इसमें काफी विलम्ब हुआ है, और यह दर्शाता है कि हम इस बात को उतना सम्मान नहीं दे पाये जितना देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें बहुत विलम्ब हुआ है। लेकिन बावजूद इसके जलियांवाला बाग आज भी जलियांवाला बाग है, इसे राष्ट्रीय तीर्थ-स्थान, एक राष्ट्रीय स्मारक समझा जाना चाहिए। इसके साथ ही चौरी-चौरा कामा गाटा मारू बिनय बादल और दिनेश और जिस प्रकार उन लोगों ने लड़ा कोलकाता की राइटसे बिलडिंग ये सभी भी स्मारक का हिस्सा होना चाहिए और इसमें जलियांवाला बाग के महत्व को कम करके नहीं देखा जाना चाहिए। जलियांवाला बाग स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अन्य सभी प्रकार की विशिष्ट प्रभाविता गतिविधि पर विचार करना चाहिए।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि विधेयक आज पारित किया जाए।

*डा. रतन सिंह अजनाला (तरनतारन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006" पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

'जलियांवाला बाग नरसंहार' हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक निर्णायक बिंदू है। अंग्रेजी सरकार ने डा. सत्यपाल और डा. सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया था। दिनांक 10 अप्रैल, 1919 को अमृतसर से हजारों लोग अमृतसर के डी.सी. के आवास के समक्ष विरोध जताने के लिए एकत्र हुए थे। वे अपने प्रिय नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे। पुलिस फायरिंग में बहुत से लोग मारे गए। लेकिन विरोध जारी रहा। 13 अप्रैल, 1919 को, वैशाखी के शुभ दिवस पर जलियांवाला बाग में अंग्रजी सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए आम सभा में एक भारी भीड़ एकत्र हुई थी। अविभाजित पंजाब राज्य में उस दिन सिक्ख वैशाखी का उत्सव मना रहे थे। लाखों श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए एकत्र हुए थे। आम सभा में भाग लेने के लिए जालियांवाला बाग में भी आये।

अचानक, जनरल डायर वहां अपनी बड़ी सशस्त्र सैन्य टुकड़ी के साथ आ धमका। उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थें लोगों पर गोलियां बरसाने के लिए अपनी सेना को आदेश दे दिया। गोरखा बटालियन के लगभग 90 सैनिको ने इस अंधाधुंध फायरिंग में भाग लिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गये। इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी सम्मिलित थे। उन मृतकों में कुछ शिशु भी थे। यह एक बर्बर और अमानवीय कार्य था। सरदार उधम सिंह भी वहीं उपस्थित थे। वे भी घायल हुए। उधम सिंह ने इस जघन्य हत्या का बदला लेने का प्रण किया। उन्होंने कई मुशीबतें झेंली। लेकिन अंत में, वह इस नरसंहार के आततायी की इंगलैण्ड में हत्या करने में सफल रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनरल डायर के भाषण से उद्धत करना चाहूंगा। "मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल संभव था कि बिना गोलीबारी के मैं भीड़ को तितर-बितर कर सकता था लेकिन वे फिर आते और हम पर हंसते, और मैं समझता हूं कि यह मेरी मूर्खता होती।" डायर ने हंटर आयोग की जांच के समक्ष ये बात कही थी।

महोदय, पंजाब के लोगों ने स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए अनेको बलिदान दिए है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि स्वाधीनता-संग्राम में पंजाबी हमेशा ही अग्रणी रहे हैं। पंजाब के कई लोगों को

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

देश से निर्वासित कर दिया गया और वे अंडमान के सेल्यूलर जेल में यातना सहे। कई लोगों को फांसी दे दी गयी। जहां तक स्वाधीनता के लिए बलिदान करने की बात है पंजाबी किसी से भी पीछे नहीं रहे।

महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती परनीत कौर ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि जलियांवाला बाग की जमीन मेरी माताजी के पूर्वजों की है। तथापि, महोदय, श्रीमती परनीत कौर के ससुराल पक्ष का परिवार हमेशा अंगेजों के साथ था। महोदय, महाराजा रणजीत सिंह के समय में भी जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तब उनके ससुराल पक्ष के लोग अंग्रेजो के साथ थे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उनकी टिप्पणी पर आपत्ति है। यहां पर विषय से हटकर मुद्दे उठाये जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

***डा. रतन सिंह अजनाला** : महोदय, इस बात का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि जलियांवाला बाग का क्षेत्र माननीय सदस्य के पूर्वजों की सम्पत्ति है।

श्रीमती परनीत कौर : महोदय, मुझे उनकी टिप्पणी पर भारी आपत्ति है। मेरा अनुरोध है कि इन टिप्पणियो को कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाए ...*(व्यवधान)*

***डा. रतन सिंह अजनाला** : महोदय, उनके ससुराल के पूर्वज अंग्रेजों के एजेंट थे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रतन सिंह अजनाला के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री अजनाला कृपया आप अपने भाषण को विचाराधीन विधेयक तक ही सीमित रखें।

(व्यवधान)

***डा. रतन सिंह अजनाला** : महोदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को एक न्यासी के रूप में सम्मिलित करने की क्या आवश्यकता है? महोदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अस्तित्व स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाप्त हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वर्तमान कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होने का दावा नहीं कर सकती। वर्तमान कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष का जलियांवाला बाग से कुछ लेना-देना नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष को "जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक" का न्यासी बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है*...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

***डा. रतन सिंह अजनाला** : महोदय, यदि पंजाब के मुख्यमंत्री को "जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक" का न्यासी बनाया जाता है तो कृपया पंजाब के विपक्ष के नेता को भी न्यासी के रूप में इसमें शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री शैलन्द्र कुमार बोलेगें। चौधरी लाल सिंह, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं यह असहनीय है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

***डा. रतन सिंह अजनाला** : महोदय, अमृतसर के संसद सदस्य को भी "जलियांवाला बांग राष्ट्रीय स्मारक" का न्यासी बनाया जाना चाहिए। स्थानीय संसद सदस्य उस क्षेत्र की समस्याओं को हल कर सकता है।

महोदय, जलियांवाला बाग की देख रेख तथा रखरखाव के लिए बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। वहां बिल्कुल भी सफाई नहीं है। मैं न्यासियों से आग्रह करता हूं कि इस पहलू की ओर भी ध्यान दें। न्यासियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस राष्ट्रीय स्मारक का उचित प्रकार से रखरखाव किया जाए।*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं इस संशोधन विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आदरणीय मंत्री अम्बिका सोनी जी ने जो संशोधन यहां पेश किया है, उसके बारे में यह कहना तो खैर एक तरीके से निन्दा करने वाली बात होगी कि वर्ष 1964 में जब पं. जवाहर लाल नेहरू जी इस न्यास के सदस्य थे, उनकी मृत्यु के बाद, इसमें कोई संशोधन नहीं हो पाया,

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

जबकि इस बीच तमाम सरकारें रहीं। जैसा रासा सिंह रावत जी ने कहा, यह बात सत्य है कि राष्ट्रीय स्मारक से सम्बन्धित हमारी जितनी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनके रख-रखाव, उनके न्यास की व्यवस्था, उसमें कौन-कौन से सदस्य हैं, उसका समय-समय पर मूल्यांकन और संशोधन होना चाहिए। इसलिए यह काम पहले ही हो जाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि जिस हिसाब से वहां स्मारक बनना चाहिए, वह अभी नहीं बन पाया है, उसमें थोड़े सुधार की आवश्यकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में मुझे भी ग्रीस जाने का मौका मिला था। ग्रीस सिकन्दर महान का देश है। वहां हमने देखा कि अगर वहां कोई छोटी सी भी चीज है या कोई ऐतिहासिक धरोहर है तो उसका राष्ट्रीय स्मारक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। आज हमारे देश में पता नहीं कितने राष्ट्रीय स्मारकों का समतुल्य स्थान हैं, जिनमें से कुछ का अभी माननीय सदस्यों ने उल्लेख भी किया है जैसे, चौरीचौरा और काकोरी। इनमें से चौरीचौरा गोरखपुर में है और काकोरी लखनऊ में स्थित है। ये स्थान भी आजादी की लड़ाई से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार की वहां भी क्रान्तियां और घटनाएं हुई हैं, जिन्हें हमें आज इस मौके पर याद करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कहीं वे अपेक्षित तो नहीं, कहीं उनका नाम तो खत्म नहीं हो रहा है। इसी तरह इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चन्द्रशेखर पार्क के नाम से जाना जाता है, वहां भी पहले चन्द्रशेखर आजाद की वही पुरानी हाफ साइज की मूर्ति लगी थी। अभी कुछ वर्ष पूर्व वहां आजाद की आदमकद मूर्ति लगाई गयी है।

इस प्रकार के तमाम ऐसे स्मारक स्थल हैं, जिन्हें हम भूल नहीं सकते। आज उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। केन्द्र सरकार इस ओर विशेष पहल करे और ध्यान दे कि ऐसे स्थानों की उपेक्षा न हो और उन्हें भी राष्ट्रीय स्मारक बनाकर संरक्षित करे,। हमारे तमाम ऐसे महान पुरुष हुए हैं या ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनकी यादों और स्मारकों को सही तरीके से सहेज कर, सम्भालकर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां इन्हें देख कर और इनके बारे में सुनकर शिक्षा ग्रहण करेगी तथा आगे बढ़ेगी।

आपने इस स्मारक के मंडल में कुछ नाम परिवर्तन किए हैं। मेरा सुझाव है कि इसमें प्रदेश के शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्री को भी स्थान देना चाहिए। आपने कुल नौ सदस्यों को इसमें रखने की बात कही है, जिनमें तीन सदस्य केन्द्र द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मेरा सुझाव और संशोधन है कि नौ सदस्यों को बढ़ाकर दस कर दिया जाए और वहां के शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्री को भी रखा जाए। इससे उनका भी विशेष योगदान और सहयोग इसमें रहेगा और समय-समय पर स्थानीय सरकार इसकी देखभाल कर सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं मंत्री जी द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री अम्बिका सोनी जी द्वारा जो राष्ट्रीय स्मारक विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे ही जलियांवाला बाग का नाम सामने आता है, इस राष्ट्र के नौजवानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग जैसी क्रूर घटना इस देश में और कहीं नहीं हुई। उस समय जो क्रूर शासक जनरल डायर था, उसने और उसके सिपाहियों ने जितनी क्रूरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, उसकी मिसाल इतिहास में और कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलती है। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले, शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करने वाले और ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने वाले निर्दोष लोगों पर 13 अप्रैल, 1919 को गोलिया चलाकर उन्हें भून डाला गया।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वहां शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह के तौर पर आंदोलन चल रहा था, जिसके माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया जा रहा था। उसके बाद वहां ऐसी दर्दनाक घटना घटी, जिसका अभी पंजाब से आने वाले साथियों ने जिक्र किया। उस घटना में सैंकड़ों नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जाने गई और एक हजार के करीब लोग घायल हुए। आज उनके नाम पर, उनकी यादगार में वहां उस स्मारक को और अच्छा तथा सुन्दर बनाने के लिए, उसके प्रबंधन और व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। यह संशोधन पहले आना चाहिए था इसलिए कि 1951 में यह कानून आया था, उस समय इसके प्रबंधन मंडल में पंडित जवाहर लाल नेहरू और दो अन्य नाम थे। उन सभी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इतने दिनों के बाद तक, किसी भी सरकार ने ऐसा महसूस नहीं किया कि इसमें संशोधन लाकर इसके प्रबंधन को और दुरुस्त किया जाए और अधिक लोगों की इसमें भागीदारी रखी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार यूपीए सरकार ने यह संशोधन विधेयक संसद में पेश किया है, जो स्वागतयोग्य है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि इसका भी लेखा परीक्षण होगा, जो भारत सरकार के सी. एंड ए.जी. द्वारा होगा। यह एक स्वागतयोग्य है। यह भी कहा गया है कि जो हमारे गण्यमान्य व्यक्ति हैं, चाहें अध्यक्ष, आई.एन.सी. हों, प्रधान मंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, मुख्यमंत्री या राज्यपाल हों, उनकी भी इसमें सहभागिता रहेगी। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि तीन गण्यमान्य व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इस संबंध में मेरा सुझाव यह होगा कि मनोनीत होने वाले तीन व्यक्तियों में अगर कोई परिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी जीवित हो तो उसे भी इसमें रखा जाए। साथ ही उसमें शिक्षाविद् और हिस्टोरियन को भी मनोनीत करने का प्रावधान किया जाए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनवाद]

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी। जलियांवाला बाग का नाम सुनकर आज भी भारतीय जनता की भावनाएं उद्वेलित हो जाती हैं। वह सबसे बड़ी और यादगार घटना थी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई। यह संघर्ष धर्म का भेदभाव किए बिना जनता का संघर्ष था और जनता ने इस देश के लिए अपने बहुमूल्य प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसा उन्होंने साम्राज्यिक और औपनिवेशिक ताकतों को इस महान देश से बाहर निकालने के लिए किया। यह स्मारक इस राष्ट्र के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान करने वाले लोगों की याद में एक निकाय द्वारा बनाया गया और इसका संरक्षण और रखरखाव किया गया। निकाय गठित करने का प्रयास, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई.एन.सी.) के अध्यक्ष, संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता पंजाब के राज्यपाल; पंजाब के मुख्यमंत्री तथा नामित किए जाने वाले तीन विख्यात व्यक्ति इस विधेयक में सर्वाधिक स्वागतयोग्य बाते है।

आई.एन.सी. के अध्यक्ष को इस निकाय में शामिल करने के मुद्दे के संबंध में कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो इस देश में उस समय भी था जिन्होंने राष्ट्र के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को आई.एन.सी. से अलग नहीं किया जा सकता है। अतः, आई.एन.सी. के अध्यक्ष को न्यासियों में शामिल करना सर्वाधिक उपयुक्त, उचित और स्वागतयोग्य कदम है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक समुदाय विशेष का संग्राम नहीं था अपितु सभी समुदायों ने एकजुट होकर अर्थात् सभी लोगों और आंदोलनों ने एकजुट होकर इस राष्ट्र के लिए संघर्ष किया। अतः, यह विधेयक स्वागतयोग्य है।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। जलियांवाला बाग की घटना पर एक पाठ लिखा जाए और इस देश की पाठ्य-पुस्तिकाओं में इसे शामिल किया जाना चाहिए। यह बात इस देश के बच्चों को शुरू से ही पढ़ाई जानी चाहिए। इस कदम से लोग बचपन से ही देशभक्त और राष्ट्रवादी होने तथा अनेक्ता में एकता के अनुयायी होने के लिए प्रेरित होंगे तथा इस राष्ट्र के आचार का भी अनुसरण करेंगे।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। तमिलनाडु में हमारे मुख्यमंत्री, डा. कलैंगनार ने अनेक स्मारक बनाए हैं।

वल्लुवार कोट्टम सबसे बड़े स्मारकों में से एक है और पूमपूहार स्मारक तमिलनाडु में एक अन्य महत्वपूर्ण स्मारक है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन स्मारकों के रखरखाव के लिए उदारता से अनुदान करें। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के अलावा इस देश में अन्य सभी स्मारकों की उचित देखभाल की जानी चाहिए ताकि इस देश के लोगों को हमारे महिमामय अतीत के बारे में बताया जा सके और ऐसा करके ही हम इन स्मारकों को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं द्रमुक पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : सर्वप्रथम, मैं मंत्री महोदया को यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। कई दशकों से न्यास में रिक्त पद पड़े है। इस बीच किसी भी सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए संशोधन लाने की कोई कोशिश नहीं की। अतः, मंत्री महोदया बधाई की पात्र हैं।

इस संशोधन में जलियांवाला बाग न्यास में प्रधान मंत्री संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, पंजाब राज्य के राज्यपाल, पंजाब के मुख्यमंत्री तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले तीन जाने-माने व्यक्ति होंगे। मूल विधेयक में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम था जो कि इस विधेयक में भी है। मेरा कहना यह है कि इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इतिहास का भाग है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता है। आज की कांग्रेस

[श्री प्रसन्न आचार्य]

पार्टी उस समय की कांग्रेस पार्टी जैसी नहीं है। आज की कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने स्वतंत्रा के लिए इस देश का नेतृत्व किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी में कई तरह के विचार थे; कई तरह की विचारधाराएं थी और उस कांग्रेस पार्टी ने सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा, इस देश में अन्य वर्गों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। उस समय शहीद भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद आदि ऐसे ही महान क्रांतिकारी रहे है। वे तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे।

वर्ष 1951 के दौरान जब न्यास गठित करने के लिए यह मूल विधेयक प्रस्तुत किया गया था उस समय इस देश में एक राष्ट्रीय सरकार थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान राष्ट्रवादी उस सरकार के सदस्य भी थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। अर्द्ध शताब्दी से अधिक समय के पश्चात् स्थिति में भारी परिवर्तन हुए। इसलिए मैं वर्तमान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस न्यास में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं पाता हूं। कृपया इसे सांविधिक उपबंध न बनाएं। केन्द्र सरकार ने इस विधेयक के अंतर्गत न्यास में तीन विख्यात व्यक्ति नामित करने की शक्ति ली है। यदि केन्द्र सरकार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को उस हैसियत से नामित करती है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे।

जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है बल्कि मैं तो कहूंगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केन्द्र है। इस प्रकार राजनैतिक हस्तियों को सांविधिक रूप से न्यास में शामिल करके जलियांवाला बाग की छवि धूमिल न करें। मेरा यह कहना है। इस प्रकार किसी विशेष राजनैतिक दल चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसका कितना भी योगदान क्यों न हो, के अध्यक्ष को इस न्यास में शामिल करके इस प्रयोजन को सीमित न करे।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, देश का महालेखापरीक्षक न्यास के लेखाओं की लेखा परीक्षा करेगा। सरकार न्यास का वित्तपोषण करेगी। इसका अर्थ है कि यह सरकारी न्यास है। जब यह एक सरकारी न्यास है तो किसी विशेष राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधि को न्यास के लिए नामित करने का क्या औचित्य है? जब केन्द्र सरकार न्यास का वित्तपोषण करता है तो यह अच्छा नहीं लगता है। मैं संकीर्ण विचारधारा अथवा राजनैतिक विचार के आधार पर यह नहीं बोल रहा हूं लेकिन इस न्यास के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और इस तथ्य को देखते हुए कि जलियांवाला बाग हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता ओदोलन का एक अंग है, कृपया इसका राजनीतिकरण न करें।

अपराह्न 3.00 बजे

56 वर्ष पहले क्या हुआ, यह एक अलग बात है। जब हमने अपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयारियां शुरू की हैं तो मैं आपसे साग्रह अनुरोध करता हूं कि हम अपने विचार राजनीतिक सोच तक सीमित न रखे।

मैं माननीय मंत्री और केन्द्र सरकार का ध्यान एक और तहत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय इन सब बातों के लिए बहुत उत्सुक हैं। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े राष्ट्रीय महत्व के ऐसे अनेक अन्य स्मारक है जिनकी उपेक्षा की गई है। जब सरकार और समस्त राष्ट्र पहले स्वतंत्रता संग्राम की 150 वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे है- जिसे ब्रिटिश 'सिपाही न्यूट्नी' कहते थे - हमें उन स्थानों पर स्मारक निर्माण करने के लिए उपाय करने चाहिए जहां इनकी आवश्यकता है। मैं, इस संबंध में विशेषरूप से उड़ीसा में एकाध स्थानों का उल्लेख करूंगा।

उड़ीसा में एक महान स्वतंत्रता सेनानी, वीर सुरेन्द्र साई हुए। लोग कहते हैं कि नेल्सन मंडेला को विश्व को सबसे लम्बी अवधि के लिए अर्थात् 26 वर्ष के लिए कारावास की सजा हुई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों ने इस महान स्वतंत्रता सेनानी बीर सुरेन्द्र साई को 36 वर्ष जेल में रखा। वस्तुत: उनका निधन असुरगढ़ जेल में हुआ जो अब छत्तीसगढ़ में है। अंग्रेजों ने उन्हें दृष्टिहीन कर दिया। उनके पूरे परिवार को दु:ख झेलने पड़े। तथापि, उनके नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं है और उनकी याद में कुछ नहीं किया गया है।

उड़ीसा में घीस नामक स्थान है। घीस जमींदार के पूरे परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वर्ष 1857 में उनके परिवार के आधे से अधिक सदस्यों को फांसी दे दी गई। परिवार के हती सिंह और माधो सिंह को काला पानी अर्थात् वर्तमान अंडमान और निकोबार द्वीप में भेज दिया गया। तथापि केन्द्र सरकार ने उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद को बनाए रखने के लिए कुछ नहीं किया।

जय राजगुरू नामक एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी हुए। लोग कहते हैं, इतिहास और अंग्रेज भी कहते हैं कि उड़ीसा अंतिम राज्य था जहां अंग्रेज अपना अधिकार कर पाए। यह 1804 की घटना है। शेष देश पर अपना आधिपत्य कायम करने के पश्चात् वे केवल उड़ीसा पर अपना अधिकार कर सकते थे। कुर्द के युद्ध में उड़ीसा की हार हुई और अंग्रेजों ने पुरी, गणपति तथा पूरे उड़ीसा राज्य पर कब्जा कर

लिया। इससे पहले वर्ष 1886 में जय राजगुरू को इतनी क्रूरता से मारा गया कि इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना थी। लेकिन उनकी स्मृति में कुछ भी नहीं किया गया। हम मांग करते रहे हैं कि अन्य राष्ट्रीय वीरों की भांति कम से कम वीर सुरेन्द्र साई की प्रतिमा संसद भवन के परिसर में स्थापित की जाए। अभी तक इस बात पर विचार नहीं किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं। तथापि, मैं एक बार फिर माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वह राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठें और जलियांवाला बाग न्यास का राजनीतिकरण न करें।

[हिन्दी]

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, श्री रासा सिंह, चक्रवर्ती साहब, अजनाला जी, शैलेन्द्र कुमार जी, गणेश प्रसाद जी, प्रसन्न आचार्य जी तथा अन्य सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं और मैंने सभी की बातों को ध्यानपूर्वक नोट भी किया है। मैंने शुरू में ही कहा था कि इस संशोधन का उद्देश्य यह था कि जो तीन रिक्त स्थान थे, उनमें तीन नए नाम जोड़े। यह काम बिना संशोधन के संभव नहीं था। यह कोशिश की गई, सिर्फ मेरी तरफ से ही नहीं, इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र किया गया था, जिसके अध्यक्ष निलोत्पल बसु जी थे, उस कमेटी में भी जब 2003 में यह संशोधन लाने की बात उठी थी, तब संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्री द्वारा जो एम्स एंड आबजैक्टिव्स बताए गए थे वे भी यही थे कि *[अनुवाद]* न्यास के लिए नियुक्त आजीवन न्यासियों के देहांत के बाद कुछ समय बीतने पर न्यास का उद्देश्य बदल गया है। सरकार के पास उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः आजीवन न्यासियों के देहांत के कारण रिक्त हुए पदों को भरने की दृष्टि से इस न्यास में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

[हिन्दी]

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यह मुद्दा स्टैंडिंग कमेटी में विचाराधीन था तो नीलोत्पल बसु जी ने जो कहा था, उसकी एग्जैक्ट कोटेशन मेरे पास है। मैं उसे पढ़ कर सुना सकती हूं लेकिन उन सब की आपको जानकारी है। मेरा उद्देश्य यह था कि हम इस में किसी तरह की राजनीति न लाएं। मैंने शुरूआत में भी कहा था कि जलियांवाला बांग की शहादत को मद्देनजर रखते हुए उसका वर्णन किया गया। जिस माहौल में शहादत दी गई, जिस पूरी आजादी के संघर्ष को एक और इम्पिट्स मिला, उस याद को अमर रखने के लिए 1951 में एक ट्रस्ट बनाया गया था। उसके पीछे जो करैक्टर, जजबात, इमोशन्स और सैंटिमैंट्स थे, हमने उनमें बिल्कुल भी फेरबदल करने का प्रयास नहीं किया। जो तीन स्थान रिक्त हुए, हमने प्रयास किया उनके माध्यम से देश की राजनीतिक सोच को प्रतिनिधित्व दे सकें। प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता को जोड़ने से, मैं समझती हूं कि राष्ट्र की राजनीतिक सोच को नुमाईदगी दी गई है। मैं नहीं मानती हूं और आपके साथ भी इस चर्चा में नहीं पड़ना चाहती हूं लेकिन मुझे सुन कर बहुत दुख हुआ। जो नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का 1951 में रखा गया था, उसके बारे में आज यह कह रहे हैं कि आज वैसी कांग्रेस नहीं रही। यह बड़ी चर्चा का विषय हो सकता है। अगर मैं चाहूं तो हर पार्टी के बारे में कह सकती हूं कि हर पार्टी की शुरूआत कैसे हुई, आज वे किस स्थिति में हैं? आचार्य जी मेरे साथ इस चीज में न आएं तो अच्छा है। हम सब जानते हैं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : आप किस तरह गारंटी दे सकती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। एक ही व्यक्ति दो पदों पर कार्य कर सकता है। एक बार फिर यह रिक्त पद रहेगा...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी : ऐसा विगत में हुआ है। सभी सदस्यों ने कहा कि ऐसा संशोधन पहले क्यों नहीं लाया गया। मैं वास्तव में इसका पक्ष नहीं ले रही हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि संशोधन पहले लाया जाना चाहिए था। लेकिन यह संभव है कि कई वर्ष पहले इस देश के प्रधान मंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे ...*(व्यवधान)* मैं इसे रोकूंगी नहीं...*(व्यवधान)* यह उचित नहीं है ...*(व्यवधान)* मैंने उनकी बात सुनी है...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को भंग करने की सलाह दी थी। उस समय आंदोलन था। स्वतंत्रता के बाद यह एक राजनैतिक पार्टी बन गई है। आपको महात्मा गांधी की सलाह पर ध्यान देना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी : यह विधेयक वर्ष 1951 में प्रस्तुत किया गया था हम वर्ष 1951 की बात कर रहे हैं। अब मैं आरंभ में ही सभा से अपील करती हूं कि वह उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस सभा में दलगत राजनीति तथा राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठकर, समस्त देश, सिविल समाज, राजनैतिक समाज हमारे स्वतंत्रता

[श्रीमती अम्बिका सोनी]

संग्राम की 150 वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। आप नाम बताएं। कृपया आप लिखित में नाम दीजिए। हम प्रत्येक अर्थात् राष्ट्रीय समिति के सभी 168 सदस्यों, अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की भागीदारी से स्मारको का निर्माण और नवीकरण करना चाहते है तथा इन घटनाओं को याद करना चाहते है और जिसके लिए हम चाहते है कि भावी पीढ़ियां इन्हें याद करें, उनसे प्रेरित हो तथा हमारे देश की एकता और शक्ति के लिए कार्य करे जैसाकि हमारे पूर्वजों ने किया कि आज हम यहां बैठे और इस पर वाद-विवाद कर रहे हैं। उस भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने यह विधेयक पुर:स्थापित किया है। मैं राष्ट्रीय देशभक्ति की उस भावना के मद्देनजर सभा से अपील करती हूं कि वे प्रसिद्ध व्यक्तियों जो पहले न्यास में थे, उनकी मृत्यु के बाद रिक्त हुए पदों को भरने के लिए ही ये संशोधन करें।

इसी तात्पर्य से मैंने सर्वसम्मति से इस संशोधन विधेयक को प्राप्ति करने के लिए कहा था। मैं यही कहूंगी कि मैं स्मारकों से संबंधित आपके द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर स्वयं कार्यवाही करूंगी। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहती हूं। जब तक मैं इस मंत्रालय की प्रभारी हूं, यह मंत्रालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को विविधता तथा हमारे देश की दृढता तथा एकता के उन्नयन केलिए कार्य करता रहेगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रत्येक माननीय सदस्य के सुझाव को उचित सम्मान दिया जाएगा। इसलिए, मैं आप सभी से सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करती हूं ताकि हम सही मायने में स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष का स्मरणोत्सव मना सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं समर्थन करता हूं कि यह विधेयक बहुत अच्छी स्पिरिट में आया है। इस विधेयक को पास करने के बाद, जलियांवाला बाग की घटना क्यों हुई थी, इस बारे में विस्तृत साहित्य भारत सरकार को प्रचारित करके बांटना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के इतिहास में सिविल लिबर्टी को लेकर यह सबसे बड़ा सार्थक संघर्ष था। जब रौलट का बनाया हुआ कानून सैंट्रल असैम्बली में आया था तब मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित मोती लाल नेहरू से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय तक, सबने मिलकर इसका जबरदस्त विरोध किया था। पूज्य राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को तार देकर कहा था कि यह राक्षसी कानून है और इसका किसी भी कीमत पर विरोध होना चाहिए। आज मेरी नजर में रौलट कानून पोटा, मीसा, डीआईआर और टाडा का पितामह और पिता है, इसलिए लोगों को इस बात की जानकारी हो सके कि इस तरह के राक्षसी कानूनों के विरूद्ध भारत की धरती पर कितने जबरदस्त खून बहे हैं और भारत के राष्ट्र नेताओं ने इसके निर्माण के लिए अपनी कितनी बड़ी आहूति दी है। इसकी जानकारी भारत के जनमानस को कराने के लिए भारत को प्रयास करना चाहिए। इसी सुझाव के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती अम्बिका सोनी : आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, एक अत्यंत गंभीर स्थिति बन गई है...*(व्यवधान)* इस सभा के एक सदस्य ने पश्चिम बंगालविधानसभा की दीर्घा में अभद्र व्यवहार किया तथा अन्य सदस्यों को भी इस तरह का व्यवहार करने के लिए भड़काया... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य विधान सभा का मुद्दा है तथा वे इसे राज्य विधान सभा में उठा सकते हैं। यह राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

वहां के स्पीकर का अधिकार है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाए। यह राज्य का विषय है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। यह राज्य का विषय है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, कृपया मेरी बात सुनें।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, सभा को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले नोटिस दें, फिर स्पीकर साहब देखेंगे कि इस पर क्या करना है।

[अनुवाद]

क्या मैं राज्य के विषय पर चर्चा करने की अनुमति दे सकता हूं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

रिकार्ड पर कुछ भी नहीं गया है।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.18 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 193 के अधीन चर्चा करेगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय, हम आवश्यक वस्तुओं तथा इसके मूल्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, इससे पहले कि वे वाद-विवाद आरम्भ करें। मैं जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्री कहां हैं।

[हिन्दी]

सर, वित्त मंत्री को यहां होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : वित्त मंत्री जी को यहां लाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शरद पवार जी यहां बैठे हैं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, हम उनका आदर करते हैं परन्तु सामान्यत: वित्त मंत्री इस प्रकार के वाद-विवाद का उत्तर देते हैं। यहपरिपाटी रही है वित्त मंत्री को वाद-विवाद का उत्तर देना चाहिए। प्रत्येक बार ऐसा हुआ है...*(व्यवधान)*। महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री मूल्य वृद्धि के बारे में चिंतित नहीं है...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, चर्चा का विषय 'आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि' है तथा यह विषय कृषि मंत्री से संबद्ध है तथा मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। वे मामले को तूल दे रहें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त, यह एक संयुक्त उत्तरदायित्व है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : आपने बोलना शुरू नहीं किया और कहना शुरू कर दिया। पहले अपनी बात कहें कि आपको क्या कहना है और जवाब के लिए इंतजार करें।...*(व्यवधान)* इससे स्पष्ट होता है कि बहस में हिस्सा लेना नहीं चाहते, बात कहने के लिए कुछ भी नहीं है और ऐतराज करना है। अभी बहस शुरू नहीं हुई, बात शुरू नहीं हुई और आवाज करनी शुरू कर दी...*(व्यवधान)* इन्होंने क्या बात उठाई है। क्या बात इन्होंने उठाई कि इनको उसका जवाब नहीं मिला? क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी बात कहना शुरू कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, उन्हें बहस करने से रोंके... *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वित्त मंत्रालय से जुड़े किसी भी मामले का उत्तर दिया जाएगा ...*(व्यवधान)*। वाद विवाद में उठाए गए किसी भी संगत मामले का उत्तर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कोई भी मैटर जो वित्त से संबंधित होगा, उसका जवाब दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल का संयुक्त उत्तरदायित्व है तथा श्री शरद पवार यहां मौजूद हैं।

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय, आज हम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर हमने इस वर्ष जुलाई में भी चर्चा की थी।

अपराह्न 3.21 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन* हुई]

हमने इस विषय पर मई में भी चर्चा की थी। जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो पी एम के दल से मेरे मित्र प्रो. एम. रामदास ने कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में विकास होता है तो मूल्यवृद्धि भी होती है। वे एक अर्थशास्त्री है तथा उनकी अपनी राय है। उन्होंने यह भी कहा था कि अप्रत्यक्ष कर मूल्य वृद्धि को प्रभावित करेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि सरकारी व्यय भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को प्रभावित करेगा। सीपीएम से मेरे वरिष्ठ मित्र, श्री बसुदेव आचार्य ने कहा था कि कमजोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि आवश्यक वस्तुओं की संख्या 70 से घटाकर 15 कर देने से भी मूल्यों में वृद्धि हुई है। परन्तु मूल्य में वृद्धि के संबंध में मेरा अपना मत है। मैं इस वाद विवाद को दो भागों में विभिन्न करना चाहूंगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार क्या कर रही है तथा किस प्रकार

गांवों तथा शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मैं इस समस्या के सांविधानिक पहलू को भी उठाना चाहूंगा। मैं इस पर अपना दृष्टिकोण रखना चाहूंगा।

महोदया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, हमारे देश में चार लाख से अधिक उचित दर की दुकाने कार्य कर रही हैं। इस प्रकार की सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल की उन उचित दर की दुकानों पर आपूर्ति की जाती है। हाल ही में कुछ उचित दर की दुकानों पर मेरा जाना हुआ। मैंने एक उचित दर की दुकानदार से उसकी समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय खाद्य निगम से एक बोरा चावल प्राप्त हो रहा है। उन्होंने उसे यह बताया कि इस बोरे में 100 कि.ग्रा. चावल है। जब उसने यह खरीदा तथा अपनी उचित दर की दुकान में इसकी जांच की तो इसका भार 80 कि.ग्रा. पाया तथा 20 कि.ग्रा. चावल कम था। उसे घटिया चावल की किस्म को गरीब लोगों को 5.50 रुपये प्रति कि. पर बेचना पड़ता है। परन्तु बोरे में केवल 80 कि.ग्रा. चावल है। उसने कहा चूंकि वह एक गरीब व्यक्ति है, इसलिए वह अपनी शिकायत जिला कलेक्टर के समक्ष नहीं रख सकता है, इसलिए वह मेरा संरक्षण चाहता है।

मैंने उनसे मिट्टी के तेल के बारे में भी पूछा था। उन्होंने मुझे नीले मिट्टी के तेल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें 1000 लीटर का बैरल मिल रहा है जो उन्हें 9.50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचना होगा। परन्तु मापने पर उन्होंने पाया कि वह 800 लीटर है और 200 लीटर मिट्टी का तेल बैरल से गायब था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे इसके विरूद्ध आवाज उठाएंगे उनकी उचित दर की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा यह उनकी दुर्दशा है। उन्होंने कहा कि यदि आप इस विषय में कुछ कर सकते हैं तो उनकी बड़ी सहायता होगी।

मैं श्री बसुदेव आचार्य की इस बात से सहमत हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। इस प्रणाली में कुछ कमियां हैं। इसको निगरानी की आवश्यकता है। किसी भी उचित दर की दुकानदार के लिए यह बड़ा कठिन है कि वह भारतीय खाद्य निगम के पास जाए और उनसे 100 किलोग्राम चावल का पूरा कोटा देने का अनुरोध करे। मैं सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं। सरकार को यथाशीघ्र इन छोटी-छोटी कमियों को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए।

महोदया, मैं इस चर्चा के विषय के क्षेत्र का विस्तार करके ग्रामीण भारत में लोगों के जीवन स्तर और इसके लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बात करना चाहूंगा अगर आंगनवाड़ी केन्द्रों की बात की जाये। सरकार इन केन्द्रों पर काफी धन व्यय कर रही है। इनमें से प्रत्येक केन्द्र में दो व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है - एक अध्यापिका और दूसरी परिचारिका। अध्यापिका को 1200 रुपये तथा परिचारिका को 500 से 600 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से लोगों को पौष्टिक भोजन देने की भी सरकार की योजना है। परन्तु वास्तव में यदि हम निम्नवम स्तर पर जाएं तो पता चलेगा कि इन केन्द्रों की हालत बहुत ही खराब है।

मैं सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के बारे में भी उल्लेख करना चाहूंगा। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और विश्व में कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार लगभग 12 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ देने के साथ-साथ प्रति बच्चा दो रुपये प्रतिदिन व्यय कर रही है। मैं एक बार प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम देखने गया। बच्चों को भोजन तो दिया जा रहा है परन्तु उन्हें चावल के साथ कोई सब्जी, अंडा या सांभर नहीं दिया जा रहा है। गरीब बच्चे चावल में पानी मिलाकर खा रहे हैं। वे इसकी कोई शिकायत नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें कम से कम खाना तो निःशुल्क मिल रहा है और वे अपनी कक्षाओं में खुशी से बैठे हैं। उन्हें चावल में मिलाने के लिए थोड़ी सी भी सब्जी नहीं दी जा रही। यह एक अन्य पहलू है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक दिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने 'सर्व शिक्षा अभियान' के विषय में बताया था। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के 100 बच्चों केलिए मुश्किल से एक या दो अध्यापक होते हैं। अध्यापक इन सब बच्चों को उचित प्रकार से पढ़ा नहीं पर रहे है और इस योजना पर काफी धन व्यय किये जाने के बावजूद बच्चों की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

यह एक ऐसा अवसर है जबकि हम ग्रामीण भारत का वास्तविक चित्र दिखा सकते हैं। अतः मेरा अगला मुद्दा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के बारे में है। अच्छी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ हमारे पास अच्छे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। यहां अच्छी दवाएं भी उपलब्ध हैं, नर्सें हैं परन्तु डाक्टर नहीं है। डाक्टरों का कार्य नर्सें कर रही हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बीमार व्यक्तियों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

[डा. चिन्ता मोहन]

महोदया, मैं ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का भी उल्लेख करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रत्येक जिले को 200 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये का आंबंटन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए 200 जिलों का चयन किया गया है। परन्तु दुर्भाग्य से इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रत्येक जिले को 200 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये का आबंटन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए 200 जिलों का चयन किया गया है। परन्तु दुर्भाग्य से इस कार्यक्रम के लिए आंबटित धन का अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है। गरीबा लोगों को उनका वेतन उचित रूप से नही मिल पा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा।

महोदया, अंत में मैं लोगों के जीवनस्तर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे एक बार अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव में जाने का अवसर मिला जहां महिलाएं धान की रोपाई के कार्य में लगी थीं। मैंने वहां जाकर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वे इस कार्य से 25 से 30 रुपये प्रतिदिन कमा रही है। मैंने उनसे पूछा कि इतना कमाने के लिए वे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करती हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रतिदिन प्रात: 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक पांच घंटे काम करना पड़ता है। जब मैंने उनकी समस्याओं के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत सी समस्याएं बतायी। पांच घंटे कार्य करके अर्जित धन से जब वे बाजार जाकर चावल, सब्जी, तेल खरीदने और खाने की व्यवस्था करना चाहती हैं तो उनके पति उनकी कमाई छीन लेते हैं। जब मैंने उनके पतियों की समस्याओं के बारे में पूछा कि वे इन 25 या 30 रुपयों का क्या करते हैं तो उन्होंने बताया कि वे इस पैसे से शराब की दुकान में जाकर शराब पीते हैं और घर वापिस आकर उनकी पिटाई करते है। इस तरह उनकी बहुत सी समस्याऐं है। वे महिलाएं कहती हैं कि यदि शराब की समस्या हल की जाए तो वे खुश रह सकेगीं लोग सरकार से यही अपेक्षा कर रहे हैं।

सभापति महोदया : कृपया मूल्य-वृद्धि के बारे में बोलिए।

डा. चिन्ता मोहन : अब मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। संवैधानिक निकायों की चर्चा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के चार स्तम्भ हैं और उन्हें अपना कार्य उचित तरीके से करना चाहिए। हाल ही में मुझे एक शहर जाने का अवसर मिला। मैं शहर और जिस व्यक्ति से मिला उसका नाम बताना नहीं चाहता। शहर जाने के बाद मैंने टैक्सी ली और ड्राइवर से पूछा कि उनके मुख्यमंत्री कैसे हैं। उसने बताया कि उनके मुख्यमंत्री अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री केबारे में उसकी व्यक्तिगत राय पूंछी। उसने केवल दो या तीन वाक्य कहे उसने कहा कि वे (मुख्यमंत्री) एक छोटे से फ्लैट में रहते है और 27 वर्षों से उसी फ्लैट में रह रहे है यहां तक कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी छोटे से फ्लैट में रहते है। उसने यह भी बताया कि उसके मुख्यमंत्री के शयनकक्ष में एयरकंडीशनर नहीं है। मैंने पूछा कि वह यहसब कैसे जानता है। उसने कहा कि मुख्यमंत्री के शयनकक्ष में एयरकंडीशनर नही है बल्कि एक छोटा पंखा मात्र है। मैंने पुन: पूछा कि वह यह सब बातें कैसे जानता है? उसने जवाब दिया कि यद्यपि वह एक टैक्सी ड्राईवर है और उसने दसवीं कक्षा भी पास नहीं की है परन्तु मुख्यमंत्री की आदतों और उनके शयनकक्ष की स्थिति पर उसकी नजर रहती है।

मैं एक अन्य राज्य में गया और वहां के व्यक्ति से मुख्यमंत्री के बारे में पूछा उसने बताया कि मुख्यमंत्री 1 बजे रात को उठते हैं। मैने पूछा, वह क्या करते हैं? उसने जवाब दिया कि वह आम आदमी की समस्याओं का ध्यान रखने में सक्षम नही हैं। हमारे देश में इस तरह के मुख्यमंत्री है। उसने कहा, मैं नही जानता कि कौन उन्हें उठाता है जबकि मुख्यमंत्री 1 बजे उठ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

हाल ही में मैं उच्चतम न्यायालय गया था। मैं संवैधानिक निकायों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

सभापति महोदया : जिस विषय पर चर्चा चल रही है, कृपया उसी से संबंद्ध रहिए।

डा. चिन्ता मोहन : हाल ही में मुझे उच्चतम न्यायालय में जाने का अवसर मिला। वहां जाकर मैंने कुछ लोगों से बातें की। मेने पूछा कि यहां क्या कोई गरीब लोगों के प्रति चिंतित है? उच्चतम न्यायालय में कोई भी गरीब व्यक्ति की समस्याओं के बारे में नही जानता। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उच्चतम न्यायालय में केवल एक या दो लोग गरीब व्यक्ति की समस्याओं से परिचित है। बाकी सब धनाढ्य वर्ग के है और गरीब लोगों की समस्याओं के विषय में नहीं जानते।

अधिकारीतन्त्र की बात करें तो भारत सरकार में 100 के लगभग सचिव के अधिकारी हैं। कोई एक भी सचिव गरीब का प्रतिनिधित्व नहीं करता। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, वे गरीबों की समस्याओं को नहीं समझते। भारत सरकार के सचिव ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते है। वे हमेशा विदेश जाते रहते हैं और गरीबों के बारे में कुछ नहीं

जानते और निर्णय लेते रहते हैं। हमारा अधिकारी तंत्र और संवैधानिक निकाय इस प्रकार के हैं जो कि गरीब व्यक्तियों के प्रति चिंतित नहीं है।

यहां मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। पिछली जुलाई में हम एक विषय पर चर्चा कर रहे थे और हमारे मित्रों ने भी अपने विचार व्यक्त किये कि जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। एक अन्य सदस्य ने कहा कि जब हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर है तो ऐसी चीजें बढ़ सकती है ...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम का नियम 356 कहता है :

> "अध्यक्ष, ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतकों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतकों की उकता देने वाली पुनरूक्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेगा।"...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मैने डा. चिन्ता मोहन को विशिष्ट विषय पर ही बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

डा. चिन्ता मोहन : मैं अपने विचार रख रहा हूं ...*(व्यवधान)* मुझे पता है कि क्या बोलना है और मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : मैने उनसे अपनी बात समाप्त करने को कहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : डा. चिन्ता मोहन, यदि आपके पास इस विषय पर बोलने को कुछ नही है तो कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपको मूल्य वृद्धि पर बोलना है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : मैडम चेयरमैन, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी सरकार का कोई कमिटमेंट है, यदि है तो उस पर बोलें ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन : मेरी पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों और आम आदमी के प्रति अधिक वचनबद्ध है। मेरी नेता, श्रीमती सोनिया गांधी गरीब लोगों के प्रति अधिक वचनबद्ध हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : डा. चिन्ता मोहन, आप पहले ही 15 से 20 मिनट का समय ले चुके हैं। आपने विषय पर एक शब्द भी नही बोला है। यदि आपके पास इस विषय पर बोलने के लिए कुछ नही है तो कृपया अपनी बात समाप्त करें

(व्यवधान)

डा. चिन्ता मोहन : कल हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने पैट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी की है। हम देश के गरीब लोगों के प्रति वचनबद्ध हैं। हमारी विचारधारा मूल्य नियंत्रण की है। मेरे विचार से इसके प्रति वचनबद्धता से ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को घटाया जा सकता है। यहां पर एक वरिष्ठ मंत्री महोदय उपस्थित हैं। वे प्रत्येक बात जानते है। मेरा उनसे आग्रह है कि वे देखें कि सब्जियों, फलों, दालों और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न हो।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदया मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले जिस सदस्य ने इस विषय पर बोला उन्होंने आम आदमी की समस्याओं के प्रति कांग्रेस पार्टी की कोरी वचनबद्धता को इंगित किया है। वे यह कह कर सत्ता में आए थे कि:

[हिन्दी]

"कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ"

[श्री अनंत कुमार]

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन ने जिस प्रकार से चर्चा आरम्भ की है और यू.पी.ए. सरकार ने जिस प्रकार से इस विषय का समाधान किया है उस पर गौर करें। विगत ढाई वर्षों में यू.पी.ए. के शासनकाल में हमने बढ़ती हुई कीमतों पर अनेक बार चर्चा की है। परन्तु इससे पूर्व वर्ष 1998 से 2004 के दौरान जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार थी, मुझे याद है, तब मात्र एक ही बार बढ़ती हुई कीमतों पर चर्चा की गयी। ऐसा वर्ष 1998 में हुआ था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया टीका टिप्पणी न करें।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : यू.पी.ए. सरकार के दौरान "कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ" नहीं, यह "कांग्रेस का हाथ मंहगाई के साथ" है।

महोदया, मैं अपने नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी की उपस्थिति का लाभ लूंगा। उन्होंने एक बार कहा:

[हिन्दी]

सभापति महोदया : बैठकर कमेण्ट करना अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : श्री अंनत कुमार जी, मुझे खेद है पिछला चुनाव आप इन्ही मुद्दों पर हार गए थे। कृपया याद रखें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार : उन्होंने ढाई साल के यू.पी.ए. के कार्यकाल का वर्णन किया, बहुत सटीक वर्णन किया। यू.पी.ए. के ढाई साल का वर्णन आडवाणी जी का यह था, हत्या, आत्महत्या और विश्वासघात, यानी आतंकवाद के कारण हत्या, किसानों की आत्महत्या और जैसे चिन्ता मोहन जी ने महंगाई के बारे में यू.पी.ए. के विचार आगे रखे, वैसे आम आदमी के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ विश्वासघात।

[अनुवाद]

इस प्रकार यू.पी.ए. सरकार स्वयं ही आतंकवाद फैला रही है। वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं जबकि मूल्य वृद्धि रोकने के संबंध में वे नोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि कांग्रेस की आम आदमी में कोई रूचि नहीं है कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक अथवा नोट बैंक की राजनीति में रूचि रखती हैं।

वास्तव में यह बड़ी विचित्र बात है और ऐसा पहली बार नहीं है, जब कभी भी कांग्रेस की सरकार केन्द्र में सत्ता में आई है तो भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबन्धन, जमाखोरी काला-बाजारी धोखाधड़ी और लम्बी कतारें आदि उभरकर सामने आई हैं। जब भी वे सत्ता से हटे है ये सभी बाते दूर हुई है।

माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी यहां उपस्थित हैं। विगत ढाई वर्षों से खाद्य पदार्थों, ईंधन जैसे पेट्रोलियम तथा डीजल और सभी निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। आज मुद्रास्फीति की दर 5.41 प्रतिशत है। जबकि एन.डी.ए. सरकार के शासनकाल के दौरान यह 3 प्रतिशत के आस-पास थी और अधिकांश समय यह तीन प्रतिशत से कम थी। परन्तु विगत ढाई वर्षों में कभी कभी थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 8 प्रतिशत तक हो गया। क्या कारण है यह एक बड़ा प्रश्न है? क्या उपभोक्ता को कोई लाभ हुआ है, किसान को कोई फायदा हुआ है अथवा क्या किसानों को लाभकारी मूल्य मिला है? यदि किसानों को उनका उचित मूल्य मिलता तो इतनी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्याएं नहीं होती। केवल एक ही वर्ग, जैसे काला बाजारियों, जमाखोरों, भ्रष्ट राजनितिज्ञों तथा अधिकारियों, को ही इसका लाभ मिला है।

महोदया आपके माध्यम से मैं यह आरोप लगाता हूं कि यू.पी.ए. सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है यह खास आदमी की सरकार है।

आइए, इनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम का अवलोकन करें। श्री शरद पवार तथा अन्य मित्रों की सहायता के लिए मैं उद्धत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा :

"यूपीए का गठन किसानों, कृषि श्रमिकों, बुनकरों, श्रमिकों तथा समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए हुआ है। हमारी पार्टियां निश्चित रूप से देशभर में आम आदमी के कल्याण के लिए वचनबद्ध हैं"।

दाल, चपाती, इडली, डोसा, आलू, प्याज तथा अन्य सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि की स्थिति में देश भर में आम जनता को राहत पहुंचाने का कार्य कैसे किया जा सकता है?

महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री के संज्ञान में एक और बात लाना चाहूंगा। एन.सी.पी. का एक और पैरा है।

"यू.पी.ए. सरकार अगले तीन माह में खाद्य तथा पोषण सुरक्षा के लिए एक व्यापक मध्यम अवधि की रणनीति बनाएगी। यदि व्यवहार्य पाया गया तो इस का उद्देश्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।"

शरद पवार जी यह वर्ष 2004 में कहा गया था। तीन वर्ष नहीं बल्कि ढाई वर्ष बीत चुके हैं। आज मुझे लगा कि हम माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम का लाभ उठाएगें जो मूल्य वृद्धि पर होने वाली चर्चा का हमेशा उत्तर दिया करते हैं। निरंतर के बावजूद वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं पुन: उद्धत करता हूं :

"यूपीए सरकार के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि का विस्तार करना है ताकि लोक व्यवस्था तथा लोक सेवाओं के वितरण को महत्वपूर्ण रूप से सुधारा जा सके जिससे हमारे देश के आम आदमी के जीवन स्तर में स्पष्ट और प्रत्यक्ष अंतर देखा जा सके।"

मैं शरद पवार जी, जो यू.पी.ए. तथा केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, से आग्रह करता हूं कि इस मूल्य वृद्धि से किस प्रकार बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है।

अब मैं शीघ्रता से मूल्य वृद्धि के स्तर के बारे में बताना चाहता हूं। जहां तक गेहूं का संबंध है अब यह 15 रु. प्रति किलो के मूल्य पर बेचा जा रहा था। उस समय आटा 10 रु. प्रति कि.ग्रा. पर बेचा जा रहा था और अब उसका मूल्य 17 रु. प्रति कि.ग्रा. है। चीनी का मूल्य जहां 14 रु. प्रति कि.ग्रा. था वहीं आज यह 25 रु. प्रति कि.ग्रा. के मूल्य पर बेची जा रही है। चाय का मूल्य जहां 80 रु. प्रति कि.ग्रा. था वहीं आज इसका मूल्य 135 रु. प्रति कि.ग्रा. है। चावल का मूल्य 10 रु. प्रति कि.ग्रा. था जो कि आज 30 रु. प्रति कि. ग्रा. पर बेचा जा रहा है। सरसों के तेल की कीमत 40 रु. प्रति लीटर थी। और आज इसकी कीमत 70 रु. प्रति लीटर है। सभी प्रकार की दालो का मूल्य 22 रु. प्रति कि.ग्रा. था चाहे वह चना दाल हो अथवा उडद की दाल अथवा मूंग की दाल और वहीं आज इनका मूल्य 55 रु. से 70 रु. प्रति कि.ग्रा. है। दूध का मूल्य 14 रु. प्रति लीटर था और अब उसका मूल्य 22 रु. प्रति लीटर है। पेट्रोल का मूल्य 51 रु. प्रति लीटर है। डीजल 47 रु. प्रति लीटर है। सीमेंट 205 रु. प्रति बोरी के हिसाब से बेचा जा रहा है। इस प्रकार पिछले ढाई वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 33 से 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कांग्रेस पार्टी इसके प्रति गम्भीर नहीं है। यू.पी.ए. गम्भीर नहीं है। सरकार भी गम्भीर नहीं है। चर्चा का आरम्भ करने वाले वक्ता ने असंगत बातें कही हैं।

[हिन्दी]

मुझे कभी-कभी लगता है, उनके लिए दाल-रोटी भी नहीं, इडली-डोसा भी नहीं है।

[अनुवाद]

उदाहरण के लिए पूरे दक्षिण भारत में लोगों को इडली डोसा बनाने के लिए उड़द की दाल की आवश्यकता होती है। वहीं इसकी कीमत 70 रु. प्रति कि.ग्रा. है अब उनके लिए इडली डोसा बनाना एक सपना बन कर रह गया है।

सत्ता पक्ष के मेरे एक मित्र पैट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी की प्रशंसा कर रहे थे। और तालिया बजा रहे थे। पिछले ढाई वर्षों के दौरान सरकार ने सात बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। कुल बढ़ोत्तरी इस प्रकार है। पेट्रोल की कीमत में 17.24 रु. प्रति लीटर की वृद्धि और डीजल के मूल्य में 11.96 रु. प्रति लीटर की वृद्धि की गयी है। पेट्रोल की कीमतों में 57 प्रतिशत और डीजल की कीमतों में 58 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य कितने कम हुए हैं? कुछ माह पूर्व तेल का मूल्य 78 डालर प्रति बैरल था। कुछ महीनों से यह 56 डालर प्रति बैरल पर बिक रहा है कि इसका अर्थ इसमें 22 डालर प्रति बैरल की कमी आई है। तेल की कीमतों में कितनी कमी की गयी है? पेट्रोल की कीमतों में केवल 2 रु. प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में केवल एक रु. प्रति लीटर की कमी की गयी है। मेरा सीधा सा प्रश्न यह है।

[हिन्दी]

यदि आप गरीब आदमी की बात करेंगे और गरीब के बारे में इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं,

[श्री अनंत कुमार]

[अनुवाद]

सरकार ने मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की है? मिट्टी के तेल की कीमतों में संशोधन क्यों नहीं किया गया है? मिट्टी का तेल 20 रुपये क्यों बिक रहा है? काले बाजार में यह 30 रुपये और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यह 10 रुपये प्रति लिटर क्यों बिक रहा है? आपने कीमत क्यों नही घटायी है।

एल.पी.जी. के बारे में क्या हो रहा है? सबसे पहले श्री गुरूदास गुप्त कह रहे थे कि एल.पी.जी. उपलब्ध नहीं है। सुबह में जब उन्होंने कहा कि एल.पी.जी. उपलब्ध नहीं है तो इस सभा के सभी पक्षों ने तालियां बजाई और उनका समर्थन किया गया। एल.पी.जी. आम आदमी के लिए गायब हो गयी है। एल.पी.जी. की दर क्या है? इसे 310 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से बेचा जा रहा है। इसकी कीमतों की समीक्षा क्यों नहीं की गई है? इसे जारी क्यों रखा जा रहा है?

यदि पेट्रोलियम की कीमतें 22 डालर कम हो गई है तो आम आदमी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? हमारी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में पांच गुनी वृद्धि हुई थी लेकिन हमने इनमें चार गुनी कमी की थी। हम बहुत संवदेनशील थे। हमने इस से बिल्कुल ध्यान नहीं हटाया और जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई हमने तुरंत ही यहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम कर दी।

महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा और इस सरकार के ध्यान में कुछ तकनीकी ब्यौरों को लाना चाहता हूं। पिछले एक वर्ष में खाद्यान्नों के थोक मूल्य सूचकांक में 13 अंक की वृद्धि हुई है, दालों के थोक मूल्य सूचकांक में 2 अंको की वृद्धि हुई हैं, सब्जियों के थोक मूल्य सुचकांक में 38 अंक और घरेलू सामानों के थोक मूल्य सुचकांक में 20 अंको की वृद्धि हुई है। यह सरकार 29 महीनो से सत्ता में है। प्रत्येक माह सभी आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक एक अंक बढ़ जाता है। इस प्रकार संप्रग सरकार के शासन काल में कीमतों मे लगातार वृद्धि हुई है।

मैं ऐसे कई अन्य ब्यौरे और भी दे सकता हूं। वास्तव में देश के सभी समाचार पत्र हर मामले में उनकी आलोचना कर रहे हैं। कोई भी इनकी तारीफ नहीं कर रहा है। मैं समाचार पत्रों के कुछ शीर्षकों को उद्धृत करना चाहता हूं। ये इस प्रकार हैं: आलू बना करेला, इन्फलैशन: हाउ इट अफेक्ट्स डेली लाइफ, 'प्राइसेज स्काई रॉकेट: गवर्नमेंट इन टिजी,''अलाउज प्राइवेट इंपोर्ट,''कौमोडिटी केलैटिलिटी स्टार्ट्स हिटींग होम्स,' 'राइजिंग प्राइसेज सेंट अलार्म बेल्स रिंगिंग,' बेसिक फूड आइटम सोर,' पी.एम. पैनल रेजेज प्राइस एलर्ट', ढाबा डांस गेट्स रिचर आन आवर दाल चावल'

अब मैं इस मूलभूत मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं कि सरकार कीमतों में वृद्धि से किस प्रकार निपट रही है और घड़ियाली आंसू कैसे बहा रही है। वास्तव में एक समाचार पत्र में एक बहुत ही अच्छा शीर्षक छपा है।

[हिन्दी]

बढ़ती मंहगाई और स्टंटबाजों की कारीगरी। कौन हैं स्टंटबाज?

[अनुवाद]

कांग्रेस और साम्यवादी दल हमारे कौमरेड्स। एक और समाचार पत्र की रिपोर्ट में लिखा है, सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक केन्द्र के साथ झूठी तकरार,'' कांग्रेस चाहती है कि संप्रग सरकार बढ़ती कीमतो पर नियंत्रण करे और आम आदमी की सहायता करे?

[हिन्दी]

आपको यह कहना पड़ेगा प्रधानमंत्री का रिमोट कंट्रोल यूपीए की चेयरपर्सन के हाथ में है। आप रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दीजिए, महंगाई रोकने के लिए प्रधान मंत्री को निर्देश दे दीजिए, कैबिनेट को निर्देश दे दीजिए।

[अनुवाद]

यह नाटक क्यों किया जा रहा है? वे इस प्रकार की झूठी धमकी क्यों दे रहे है?

एक अन्य समाचार रिपोर्ट में कहा गया है:

कांग्रेस कार्यकारी समिति की राजनीतिक रूप से संवेदनशील कीमतों में वृद्धि की स्थिति पर चर्चा के लिए बीरवार को बैठक हुई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही तेजी से वृद्धि को रोकने के कदम उठाने हेतु मन मोहन सिंह सरकार को सख्त संदेश भेजा। प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री जो बैठक में विशेष अतिथि के रूप मे उपस्थित थे – को साफ साफ शब्दों में कहा गया कि आम आदमी

की दशा उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और तीन राज्यों के आगामी विधान सभा चुनाव में इस मुद्दे का गंभीर राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा।

इसका मतलब है कि वे विधान सभा चुनावों के बारे में ज्यादा चिंतित हैं आम आदमी के बारे में नहीं। अब मैं कांग्रेस कार्य कार्यकारी समिति द्वारा पारित सकल्प को उद्धृत करना चाहता हूं इसमें कहा गया है:

"कुछ आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतो के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों की सराहना करते हुए तथा यह नोट करते हुए इस बैठक में केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया जाता है कि वह आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में सामंजस्य बैठाने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाये और समाज के कमजोर वर्ग पर इसके प्रभाव को कम करने हेतु कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाये।"

यह कार्यवाही 30 जून 2006 को की गई थी। कीमतें आज भी आसमान छू रही हैं।

अब मैं अपने कामरेड्स की बात करता हूं। कामरेड्स बाहर मे लाल झंड़ा और भीतर हरा झंड़ा दिखाने में माहिर है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : वे कम्युनिस्टों की क्यों आलोचना कर रहे हैं?

श्री अनंत कुमार : मैं कम्युनिस्टों की आलोचना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि मैं आगे क्या पढ़ने वाला हूं।

यह आज से ठीक 10 दिन पहले 19 नवम्बर को पोलित ब्यूरो की बैठक हुई जिसमें संप्रग सरकार से मांग की गई कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को पूर्व-जून 2006 के स्तर पर तत्काल लाया जाए जिससे कि आवश्यक वस्तुओं की तेजी से बढ़ रही कीमतों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के संबंध में जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित हुआ है, चल रहे आंदोलन को जारी रखने के लिए अपने सभी यूनिटों से आहवान किया। वे जानते है कि इससे आम आदमी का जीवन दयनीय होता जा रहा है, लेकिन वे सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं।...*(व्यवधान)* महोदया, कीमतों में वृद्धि का मुद्दा किसी एक दल विशेष का नहीं है...*(व्यवधान)* इसलिए, उन्हें अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए।

महोदया, मैं पुन: दोहराता हूं कि पोलित ब्यूरो ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि पर चिंता जाहिर की है। खाद्यान्नों, चीनी, दालों, खाद्य तेल की कीमते लगातार बढ़ती ही जा रही हैं इनमें कमी आने का कोई संकेत नहीं है, इससे लोगो का जीवन प्रभावित हो रहा है। आज़ 19 नवम्बर, 2006 है लेकिन वे इसके विरोध में कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। वे चुप्पी साधे हुए हैं जोकि मेरे एक मित्र मुझ से कहा करते थे और मुझ से पूछते थे कि कम्युनिस्ट का अर्थ क्या है। मैं कहता था, "मैं नहीं जानता।"

[हिन्दी]

उन्होंने बाद में कहा कि जिनके मन में देश और जनहित के बारे में कम निष्ठा होती है, वही कम्युनिस्ट होते हैं। ऐसे उन्होंने कहा।

[अनुवाद]

दूसरा बयान कांग्रेस पार्टी की ओर से है। प्रधानमंत्री वामपंथी दलों को आश्वासन दे रहे हैं कि कीमतों में वृद्धि से वे भी चिंतित हैं।" यह एक विचित्र बयान है।...*(व्यवधान)* मैं इस बात से सहमत हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : वे इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री अनंत कुमार : श्री ए.बी. वर्धन ने कहा, कीमतों में वृद्धि से गरीब लोग और मध्य वर्गीय लोग पिस रहे है। श्री ए.बी. वर्धन एक जाने-माने कामरेड हैं। वे मार्म्सवादी नेता भी हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने जो कुछ कहा मैं उसे पढ़ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : श्री अनंत कुमार के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री अनंत कुमार : संप्रग सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में ए.बी. वर्धन की यह टिप्पणी है। मै उद्धृत करता हूं:

इस सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में हमने कीमतों में वृद्धि तथा स्वास्थ्य व्यय का मुद्दा उठाया है। इसलिए, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस दिशा में सरकार ने कितना कार्य किया है। अभी तक सरकार ने आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थ की कीमतों में लगातार वृद्धि पर कोई चिंता नही व्यक्त की है। दूसरी ओर, ऐसी नीतियों को आगे लाने की उत्सुकता है जिससे विदेशी पूंजी और बड़े

[श्री अनंत कुमार]

व्यापारियों को लाभ मिलेगा। वामपंथियों के विरोध के बावजूद महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। हम संप्रग सरकार को कम अंक देते है।'' सी.पी.आई. का यह कहना है।

हम पेट्रोल कीमत संबंधी मुद्दे सभी मामलों में संप्रग को कम अंक देते हैं क्योंकि डीजल की कीमत में वृद्धि होंगी। महोदया मैं आगे उद्धृत करता हूं :

> ''तथापि, एक शिकायत है कि हम इस संप्रग सरकार के विरूद्ध है। यह खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में निजी लोगों की भागीदारी को रोक नही पाई है। इसका कारण यह है कि ये निजी व्यक्ति जो इन वस्तुओं को कम कीमतों पर खरीदते हैं और बाद में उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचते हैं जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। हम चाहते है कि सरकार ऐसे व्यक्तियों से सख्ती से निपटे।''

सी.पी.आई. यही कह रही है। इसलिए बढ़ती महंगाई और स्टंटबाजों की कारीगरी। मुझे इस मुद्दे पर और अधिक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

अंत में मैं माननीय कृषि मंत्री से कुछ सीधे प्रश्न करना चाहता हूं। यदि वे देश के पूरे खाद्य परिदृश्य का अध्ययन करें तो पायेंगे कि गेहूं को छोड़कर सभी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन हुआ है। लेकिन गेहूं के उत्पादन में 4 लाख टन की कमी आई है। लेकिन इस 4 लाख टन की कमी से शत प्रतिशत मुद्रास्फीति नही होना चाहिए जिससे कि यह 16 रुपये प्रति किलो हो जाए। इसी प्रकार अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। अचानक ही खाद्य भंडार खाली हो गए हैं। न्यूनतम खाद्यान्न भंडारण मिलियन टन तक होना चाहिए लेकिन यह केट 2 मिलियन तक ही रह गया हैं जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त लोगों में एक गलत संदेश गया है।

अंत मे, मैं यह जानना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाने के लिए संप्रग सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है। इसका कारण है कि एक वर्ष पूर्व भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कीमतों से संबंधित एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई थी। कीमतों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति होने के बावजूद, जिसके सदस्य माननीय वित्त मंत्री कृषि मंत्री और अन्य लोग थे। कीमतें कम क्यों नहीं हुई है? वे लगातार क्यों बढ़ रही है? इस प्रकार की मुद्रास्फीति की स्थिति क्यों बनी हुई है? सरकारी आंकड़ों से हमे पता चलता है कि कीमतों में वृद्धि तीन कारणों से हो रही है। सर्वप्रथम खाद्य और दालों, खाद्यान्नों, सब्जियों तथा पेट्रोलियम उत्पादों, और विनिर्मित माल के दामों में वृद्धि। लेकिन इन बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति, जो बढ़कर 5-4 प्रतिशत तक पहुंच गई है, और जिससे आम आदमी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, को रोकने के लिए सरकार ने क्या रणनीति बनाई है? इसलिए, भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की मांग करती है। केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना ही नहीं है बल्कि इसमे पारदर्शिता भी लानी हो। इस प्रकार केन्द्र सरकार जो कुछ भी सामान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करती है। वह राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर, तथा राशन की दुकानो पर पारदर्शी रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं खाद्य तेल और दाले भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जानी चाहिए जो अभी नही दी जा रही हैं।

पिछले ढाई वर्षों में प्रथम बार उत्पादन और खरीद दोनों में कमी आई हैं, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में, विशेषकर गेहूं के संबंध में एक अध्ययन किया जाना चाहिए। पिछले एक वर्ष में गेहूं के उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की अर्थात एक वर्ष में 4 लाख टन की गिरावट आई है। यदि उत्पादन में इस तरह गिरावट आ रही है तो इसके क्या कारण हैं? खरीदारी का क्या हुआ? यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि ही वांछनीय हद तक नहीं हुई है, फिर भी मेरे विचार से यह अभी भी बाजार-मूल्य से कम है, इसलिए एक खरीद का तंत्र गठन होना चाहिए। कृषि बाजार में बिना खरीद तंत्र के हस्तक्षेप के बिना किसान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पंजाब और केरल में किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। इसलिए, हमारी मांग है कि आवश्यक खाद्य-वस्तुओं के उत्पादन और प्रापण के अध्ययन के लिए एक निगरानी प्रणाली होनी चाहिए और इन आवश्यक खाद्य-वस्तुओं को उन राज्यों को उपलब्ध करना चाहिए जहां इनकी कमी है।

तीसरी बात, इस समय पेट्रोलियम उत्पादों पर कर 58 प्रतिशत है। सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क के माध्यम से केवल पेट्रोलियम उत्पादों पर ही 1,00,000 करोड़ रुपये की वसूली होती है। इस साल आपने 1,00,000 करोड़ रुपये की वसूली की है। आप पेट्रोल, डीजल, किरोसीन और एल.पी.जी. पर टैक्स लगाकर 1,00,000 करोड़ रुपये

की वसूली कर रहे हैं तो इस लाभ का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं को क्यों नहीं देते है ताकि परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव न पड़े? इसलिए, हमारी मांग है कि आम आदमी को राहत पहुचाने के लिए सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर कर-ढांचे की समीक्षा की जानी चाहिए।

चौथी बात, सरकार को पहले से ही योजना बनानी चाहिए और उत्पादन स्तर का मूल्यांकन करना चाहिए तथा तद्नुसार एक आपदा योजना तैयार करनी चाहिए।

हर साल, सूखा और बाढ़ आते रहेंगे। कृषि मंत्री इन प्राकृतिक आपदाओं से अच्छी तरह परिचित है। वे एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। वे जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत सरकार प्रति वर्ष सूखा राहत और बाढ़ राहत पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च करती रही है। आपकी योजना क्या है?

डा. चिन्ता मोहन ने कम से कम एक संगत टिप्पणी की है और वह भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति खाद्यान्नों की गुणवत्ता और उनकी मात्रा से संबंधित है। इसलिए, भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन पर नजर रखनी होगी।

अंत में, मैं भाजपा की ओर से यह मांग करता हूं कि खाद्य वस्तुओं के वायदा व्यापार को सरकार द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। जब हम सत्ता में थे तब उस समय इसकी बहुलता थी। इसलिए, जब बहुलता की स्थिति थी तब हमने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, बिचौलियों को वायदा व्यापार से रोकते हुए इस स्थिति की अनुमति दी थी। आज कमी की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए, हम खाद्य वस्तुओं में वायदा व्यापार को समाप्त करने और कृषि उत्पादों में सट्टे पर रोक लगाने की मांग करते हैं। जिससे आम आदमी की मदद की जा सकती है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित की जा सकेंगी और उन्हें कम किया जा सकेगा और एक वार फिर आम आदमी, गरीबों और मजदूरों को राहत मिल पायेगी।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, सर्व प्रथम मैं इस बात के लिए खेद व्यक्त करता हूं कि क्यों और कैसे हमारे आदरणीय सदस्य डा. चिन्ता मोहन ने इस प्रकार की सहानुभूति पूर्ण प्रस्तुती करने की जिम्मेदारी ली है विशेष कर जब कि हम इस गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

यह सत्य है कि सभी सत्रों के दौरान हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं। पिछले सत्र के दौरान भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। सौभाग्यवश यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो पिछले सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को उठाने वाले डा. चिन्ता मोहन ही थे। मैं सोचता हूं कि कीमतों में वृद्धि के संबंध में इस समय के सभी सदस्यों की एक राय होगी।

महोदया, इस कीमत-वृद्धि के कई कारण हैं। मैं इस अवसर का फायदा लेकर सरकार को बदनाम करना या सरकार की प्रशंसा नहीं करना चाहता बल्कि मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि वास्तव में गांवों या शहरों में या पूरे देश में स्थिति कैसी है। यह सही है कीमत में वृद्धि को सूचित करने वाले चार सूचकांक हैं। ये हैं थोक मूल्य सूचकांक उपयोगता मूल्य सुचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक। लेकिन दुर्भाग्यवश, हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी सूचकांक वास्तविक कीमत की सही जानकारी नहीं देता। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस सूक्ष्म विश्लेषण और नीति निर्धारण के लिए सुसंगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निर्माण के लिए दिये गए सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

एक अखिल भारतीय सुसंगत सूचकांक से सरकार को तथा भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों को, कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति तत्काल कदम उठाने में मदद मिलेगी। जब हम विभिन्न प्रकार के मूल्य सुचकांकों की बात करते हैं तो वित्त मंत्री तथा कृषि मंत्री तक भी वास्तव में भ्रमित हो जाते हैं। हमे एक मूल्य सूचकांक बनाने की जरूरत है जिससे आम आदमी की वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जा सके।

जैसा कि मैंने कहा है, इसके कई कारण हैं। आप जानते है कि जब हम कीमतों में वृद्धि के ब्यौरे को देखते हैं तो हम पाते है कि स्थिति बहुत गंभीर है। पिछले वर्ष की तुलना में सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। विभिन्न वस्तुओं के लिए यह वृद्धि 12 प्रतिशत से 84 प्रतिशत हैं। यह वास्तव में थोक बिक्री मूल्य के बारे में है।

जब हम खुदरा मूल्य की बात करते है तो स्थिति और गंभीर नजर आयेगी। उपभोक्ता मूल्य और अधिक हो सकता है। दाल, गेहूं और चना की कीमतों में 2005 की तुलना में क्रमशः 84 प्रतिशत, 68 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा नेशनल कमोडिटीज एण्ड डेरीवेटिव एक्सचेंज से लिया गया है।

चैम्बर्स आफ कामर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 जुलाई से 26 जुलाई तक आठ आवश्यक वस्तुओं की कीमतो से 19 प्रतिशत

[श्री पी. करुणाकरन]

की तीव्र वृद्धि हुई है। एक आम भारतीय की आय में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि कीमतों में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसलिए, आप अंतर देख सकते हैं। जब कभी कीमत में वृद्धि होती है तो उसके साथ-साथ हम ऐसा नहीं पाते कि उसी अनुपात में आम आदमी की आय भी बढ़ रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में यह वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वास्तव में सही नहीं है।

एक ओर यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो हम पाते हैं कि जहां तक किसानों का संबंध है, लगभग सभी कृषि उत्पादों या नकदी फसलों की कीमतें घटी हैं। हमारे पास केरल का अनुभव है। तीन या चार वर्ष पूर्व एक क्विंटल काली मिर्च का दाम 21,000 रुपये था और अब यह 7,000 या 8,000 रुपये है। चार साल पूर्व सुपारी का दाम 160 रुपये प्रति किलो था, अब यह 55 या 60 रुपये प्रति किलो है। किसानों के लिए यह कैसे संभव है?

एक ओर तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन दूसरी ओर कृषि उत्पादों या नकदी फसलों की कीमते कम हुई है। इतना ही नहीं किसानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कृषि सामग्री भी मंहगी हो गई है। इसका मतलब है कि कीटनाशकों या रसायनों या बीजो की कीमते बढ़ गई हैं। सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी खर्चे, शिक्षा और परिवहन पर खर्च, इन सभी क्षेत्रों में खर्च बढ़ गये है। इसलिए, हम यह कह सकते है कि किसान आत्म हत्या करने के लिए क्यों मजबूर होते है।

हमने सभा में इस पर चर्चा की है कि कई राज्यों में किसानों ने आत्म हत्याएं की हैं। केरल में यह संख्या 1300 थी। जब कि अन्य राज्यों में यह इससे भी ज्यादा है। इसका कारण यह था कि एक ओर कीमते तो बढ़ी है लेकिन दूसरी ओर किसानों के लिए मुश्किल यह है कि वे बैंकों के अपने कर्ज नहीं चुका पाते जो उन्होंने बैंको से उधार ले रखे हैं।

यह सही है कि सरकार ने कुछ कदम उठाये है, विशेषकर हमारे कृषि मंत्री ने बहुत से राज्यों का दौरा किया है। विशेष पैकेज दिये गए हैं। वस्तुतः, हम उनका अभिवादन करते हैं। इसके साथ ही ये वित्तीय उपाय वास्तव में अस्थायी उपाय हैं। मूल उपाय, राष्ट्रीय स्तर पर हमने जो मूल उपाय करने हैं वह आयात नीति और विश्व व्यापार संगठन नीति से संबंधित है। आप देख रहे है कि जब हमने श्री लंकाई समझौते पर हस्ताक्षर किये तो वास्तव में इससे कृषि क्षेत्र तथा केरल की नकदी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई।

इस मूल्य-वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण कारण परिवहन लागत में वृद्धि है। यह वास्तव में सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। बस किराया बढ़ रहा है। कार का किराया बढ़ रहा है। आटो रिक्सा का किराया बढ़ रहा है।

सभा में भी जब हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि की चर्चा की तो हमारी पार्टी सी.पी.आई. (एम) और अन्य वामपंथीदलों ने एक सुझाव दिया कि कराधान ढांचे में बदलाव किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कुछ राहत दिया जाना चाहिए और कम्पनियों को हमें इस प्रकार का मुआवजा आदि नहीं देना चाहिए। लेकिन सरकार इस प्रकार की जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं और इसलिए घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ाने के लिए हम विवश हैं। जैसा कि मेरे आदरणीय सहयोगी ने पूछा है, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उस समय कच्चे तेल की कीमत 70 या 72 डालर प्रति बैरल थी। अब प्रति बैरल 20 से 22 डालर की कमी आई है। लेकिन पेट्रोल पर आम आदमी को जो राहत आपने दी है वह प्रति लीटर 2 रुपये है और डीजल पर प्रति लीटर एक रुपया है। मैं समझता हूं कि वास्तव में यह एक मजाक है। जब प्रति बैरल 20 या 22 डालर की कमी आई है तो सरकार आम अदमी को ज्यादा राहत क्यों नहीं दे रही है? कीमते बढने का एक कारण यह भी है।

सरकार को कुछ प्रशासनिक कदम उठाने पड़ेंगे। इस चर्चा के प्रस्ताव को लाने वाले डां चिंता मोहन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की।

हमें केरल का अनुभव है। हमारे यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक बहुत कुशल नेटवर्क है। हम उचित दर की दुकानों के माध्यम से लगभग सभी वस्तुएं वितरित करते हैं। मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि अब राशन की दुकानें चलाने वाले यहां संसद के समक्ष प्रदर्शन करने हेतु एकत्रित हुए हैं क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) और गरीबी की रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) के वर्गीकरण के कारण वे अपनी दुकाने नहीं चला पा रहे हैं। अधिकांश डीलरों को अनाज की पूरी मात्रा नहीं दी जा रही है। गेहूं की मात्रा भी कम कर दी गई है। पूर्व में हमें अपनी इतनी अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गर्व था। लेकिन अब वास्तव में यह कुशलता से कार्य नहीं कर रही है।

हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बाजार को स्थिर रखने की है न कि उसमें प्रवेश करने की। सरकार बाजार में प्रवेश कैसे कर सकती है? एक ओर सरकार कार्यवाही कर सकती है। दूसरी और सरकार बाजार में प्रवेश करती है। अब, ऐसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रकार प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है? अत: सरकार को चावल, गेहूं और वे सभी अन्य वस्तुएं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित का जा सकती हैं, उन्हें वितरित करना चाहिए।

सभापति महोदया : श्री करुणाकरन आपके दल के पास केवल 20 मिनट हैं और अभी तीन वक्ताओं ने और बोलना है। कृपया समय को इसी बात को ध्यान में रखकर बांटें।

श्री पी. करुणाकरन : हां, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमारा अनुभव यह रहा है कि यदि एक परिवार को चार दिन के लिए राशन की दुकान से राशन मिलता है तो शेष तीन दिनों के लिए उसे खुले बाजार से राशन लेना होता है। लेकिन अब यह संभव नहीं है। हम उचित दर की दुकानों के माध्यम से इन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करके बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अब उनका अभाव है। सरकार को न केवल केरल में अपितु पूरे भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

एक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा सट्टेबाजी का है। बड़े सौदागर या व्यापारी बाजार में आ सकते हैं। कभी-कभी वे गेहूं या कोई अन्य वस्तु खरीदते हैं; वे ऊंचा मूल्य दे सकते हैं। गेहूं के मामले में भी मुझे नहीं लगता कि इसके उत्पादन में कोई कमी आई है। लेकिन, इसी के साथ-साथ हम गेहूं का आयात करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ओर गेहूं की जमाखोरी हो रही है। व्यापारी बाजार में पहले आ चुके हैं। उन्होंने किसानों को थोड़ा अधिक मूल्य देकर गेहूं खरीद लिया है। सरकार को इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि उसे जिन बातों पर सर्वाधिक ध्यान देना है उनमें गेहूं की खरीद भी एक महत्वपूर्ण कारक है। सरकार को एक निर्धारित मात्रा में बफर स्टाक रखना ही चाहिए। केवल तभी बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं।

यह सत्य है कि मूल्य वृद्धि के बहुत इस कारण हैं। मैं केवल सरकार पर दोष नहीं लगा रहा हूं। खाद्यान्नों या चीनी का कम उत्पादन भी इसका एक कारण हो सकता है। हमारा बाजार मांग और पूर्ति पर आधारित है। जब मांग अधिक है और जनसंख्या बढ़ रही है तो पूर्ति पर्याप्त नहीं है। अत: यह सत्य है कि मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। परंतु इस के साथ-साथ ही सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह बाजार को स्थिर बनाए रखे, बाजार को नियंत्रित करे और लोगों को राहत प्रदान करे। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को कुछ अधिक सतर्कतापूर्ण उपाय करने होंगे।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डा. चिन्ता मोहन ने इस मुद्दे को हल्के रूप में लिया है। वे एक कुशल सांसद हैं। वे किसी भी मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण, तरीके से उठा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ यदि सरकार को चर्चा का गंभीरतापूर्वक उत्तर देना है तो इस चर्चा के प्रस्तावक को इसमें बड़ा योगदान देना होगा और जहां सरकारी कार्यवाही की आवश्यकता है उन कुछ मुद्दों पर सरकार की आलोचना करनी पड़ेगी। अन्यथा, जिस मुद्दे या सभा में चर्चा हो रही है वह अपनी गंभीरता खो देगा।

अंत में, एक माननीय सदस्य ने बताया है कि अब हम साम्यवादी नहीं रहे हैं और अब हम लोगों के लिए कार्य नहीं कर रहें हैं। कोई भी अच्छी तरहसे यह देख सकता है कि क्योंकि हम यहां बैठे हैं इसलिए हम साम्यवादी हैं। अन्यथा, हम दूसरी ओर बैठे होते। हम साम्यवादी हैं और इसलिए आप दूसरी ओर बैठे हैं और यहां नहीं आ सकते।

विगत 2½ वर्षों में हमने मूल्य वृद्धि, पेंशन और अन्य नीतिगत मुद्दों जैसे कई मुद्दे इस सभा में उठाए हैं, लेकिन आप हमेशा धर्म, आदि जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : श्री करुणाकरन कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री खारवेल स्वाईं : क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि केवल आप ही इस सभा में लोगों के मुद्दे उठाते हैं और हम लोगों के लिए कुछ नहीं करते?...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन : आप स्वयं ही गांवों, कस्बों और अन्य स्थानों पर लाखों लोगों द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों को देख सकते हैं। वे इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। जब भी सरकार जन-विरोधी उपाय करती है तो हम उसकी आलोचना भी करते हैं और आप भी मूल्य-वृद्धि जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना करने में हमारा साथ देते हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ हमारा उद्देश्य सरकार से समर्थन वापस लेने का नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक धर्म-निरपेक्ष सरकार चाहते हैं। हम जन-विरोधी सरकार नहीं चाहते या ऐसी सरकार नहीं चाहते जो हमेशा...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : साम्यवादियों के कारण ही मूल्य वृद्धि होती है और इसीलिए आप यह मुद्दा उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन : नहीं, मामला यह नहीं है। वस्तुतः आप इसे लोकप्रिय बना रहे है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : आदरणीय सभापति महोदया, नियम 193 के तहत मेरे भाई चिन्ता मोहन जी और सी. के चन्द्रप्पन जी द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर हो रही चर्चा पर बोलने के लिए आपने मुझे बोलने की परमिशन दी, इसके लिए आपका आभारी हूं। इसके पहले भी इस सम्मानित सदन में कई बार महंगाई पर चर्चा हो चुकी है। पिछले सत्र में भी इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी। इसी सत्र में माननीय कृषि मंत्री ने एक कानून पास किया है जिस में कुछ संशोधन किए हैं।

यह बात सत्य है कि आवश्यक वस्तुएं जो हम रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, वे काफी हद तक मंहगी हुई हैं। मैं थोड़े से आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। गेहूं हर व्यक्ति यूज करता है। नवम्बर 2005 में गेहूं 800 रुपए प्रति क्विंटल था, नवम्बर 2006 में 1100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया यानी 1.5 परसेंट बढ़ा। इसी प्रकार से दालें नवम्बर 2005 में 2600 रुपये प्रति क्विंटल थीं नवम्बर 2006 में 3100 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। 35.3 परसेंट दालों के दाम बढ़े। चावल हर व्यक्ति यूज करता है। नवम्बर 2005 में इसके दाम 1600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ कर नवम्बर 2006 में 1800 रुपए प्रति क्विंटल हुए। इसी प्रकार से आलू हर व्यक्ति गरीब और अमीर यूज करता है तथा हर पकवान में इसका यूज होता है। आलू के दाम करेले के बराबर हुए। वे 17 रुपए से लेकर 24 रुपए किलो तक हुए। नवम्बर 2005 में इसके दाम 8 से 10 रुपए प्रति किलो थे और अब 14 से 16 रुपए प्रति किलोग्राम हुए हैं। टमाटर हर सब्जी में डाला जाता है। और उसे हर व्यक्ति गरीब-अमीर यूज करते हैं। वे नवम्बर 2005 में 10 से 12 प्रति-किलोग्राम थे। अब नवम्बर 2006 में 18 से 20 रुपए प्रति-किलो हो गए हैं।

इसी प्रकार से हर सब्जी में तेल इस्तेमाल होता है, इसे हर गरीब और अमीर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, यह नवम्बर 2005 में 47 रुपए प्रति किलो से बढ़कर नवंबर, 2006 में 49-50 रुपये प्रति किलो हो गया है। मेरे ख्याल से प्याज हर अमीर और गरीब व्यक्ति इस्तेमाल करता हूं, यह हर सब्जी में डाला जाता है, इसका मूल्य नवंबर, 2005 में पांच रुपए प्रति किलो था और नवंबर, 2006 में आठ रुपए प्रति किलो हो गया है। इसी प्रकार से देखा जाए तो पूरे देश में महंगाई की दर 19 प्रतिशत बढ़ी है और आय सिर्फ 6 प्रतिशत हुई है। दीपावली में दिए में तेल डालकर जलाते हैं, यह 38-40 रुपए से बढ़कर 48 रुपए प्रति किलो हुआ है। सरकार कहती है कि कानून बनाकर महंगाई को रोकेंगे और ज्यादा कीमत वसूलने पर पचास हजार रुपए जुर्माना होगा। इसी प्रकार सरकार मूल्य नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने जा रही है और महंगाई रोकने का दावा कर रही है।

दिल्ली में देखा जाए तो आजाद पुर मंडी में सब्जियों के दाम काफी हद तक बढ़े हैं। धनिया सौ रुपए प्रति किलो है और मैं टमाटर के बार में पहले ही बता चुका हूं। नाशपाती और सेब 20-40 से 60 रुपए तक है और अनार 40 रुपए किलो है, यह फलों की स्थिति है। पिछले नवरात्रों के व्रत में हमने केले और अन्य फल मंगाए तो वे बहुत महंगे थे लेकिन मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि त्यौहार के अवसर पर मांग बढ़ती है और आवश्यक वस्तुएं कुछ महंगी हो जाती हैं। मैं देख रहा था कि महंगाई के लिए हर पार्टी आंदोलन करती है। आज हमें इस सदन में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा क्योंकि अमीर व्यक्ति बड़ी आसानी से सौ रुपए किलो आलू भी खा लेगा लेकिन आज दिक्कत आम आदमी की है, आम आदमी, जिसके हितों की रक्षा के लिए हम चुनकर आए हैं, उस गरीब आदमी को कैसे एक निवाला मिले, यह चिंता करने के लिए हम लोग यहां आए हैं। इसलिए हमें महंगाई के बारे में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा।

कभी-कभी सूखे या बाढ़ की स्थिति आ जाती है, इस समय वर्षा अनियमित या अनियंत्रित है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है और कहीं बिल्कुल नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की स्थिति बहुत खराब है, कहीं बारिश हुई और कहीं नहीं हुई। यह महंगाई का एक कारण है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। यही कारण है कि जब महंगाई बढ़ती है तब जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ती है, बड़े-बड़े व्यापारी आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करते हैं जिससे जमाखोरी और चोरबाजारी बढ़ती है और मार्किट में हर चीज के दाम बढ़ते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। जहां तक सरकार ने यह कहा है कि राज्यों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया जाए जिससे महंगाई पर काबू पा सकें। इसका समय समय पर परीक्षण हुआ है और यह देखा गया है कि अगर इसका कड़ाई से पालन किया जाए तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और इससे आवश्यक वयतुओं के दाम कम हुए हैं, नियंत्रित हुए हैं। वित्त मंत्री श्री चिदंबरम जी कहते हैं कि मांग और आपूर्ति में जो अंतर आया है उसके कारण महंगाई बढ़ी

है। यह उनका अपना सोचना है। हम इस देश में समय समय पर मांग की अपेक्षा आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कहीं जरूरत कुछ टन की है तो हम उसकी आपूर्ति में उतना नहीं ला पाते हैं क्योंकि हमें बाहर से लाना पड़ता है। इसके अलावा समय समय पर यह भी देखा गया है और महंगाई का कारण यह भी रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 25-30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। माल, यात्री भाड़े की बुलाई, ट्रैक्टर में खर्च होता है या जब कहीं किसान नलकूप चलाता है क्योंकि हर जगह बिजली नहीं है और बिजली न मिलने के कारण वह डीजल से चलाता है लेकिन उसे अपने माल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि हमें आम आदमियों और गरीब लोगों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और सदन में सोचना पड़ेगा कि हम महंगाई पर कैसे काबू पायें। मैं समझता हूं कि इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें कृषि मंत्री और वित्त मंत्री आपस में मिलकर बात करें और सोचें कि महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए। हमारे देश में तीस करोड़ लोग गरीब की रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनके लिए हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि कैसे उन्हें दो वक्त की रोटी मिले। इस सदन में हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज फिर से चर्चा कर रहे हैं। किसानों के ऊपर आज कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जिसके कारण वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस बात से पूरा सदन परिचित है। इस पर हमने समय-समय पर सदन में चर्चा की है, लेकिन हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इस स्थिति को हम कैसे काबू करें। हमारे देश में 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और गांवों में रहते हैं। आज गांवों में जो खेतिहर मजदूर हैं, वे सबसे बुरी हाल में हैं। वे जहां रहते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता। इसके कारण वे शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, चूंकि उन्हें मजदूरी नहीं मिल पाती है। सरकार ने अभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की बात कही है। इसके तहत सरकार गरीब लोगों को सौ दिन के रोजगार की गारंटी देगी। लेकिन 265 दिन वह क्या करेगा, कहां कमाने जायेगा। यदि गांव में उसे साठ रुपये मिलते हैं और वह ज्यादा कमाने के लिए बाहर जाता है, वहां उसे सौ रुपये मिले तो भी उसे वहां रहने और खाने की बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए जब सरकार को मालूम हो जाता है कि महंगाई बढ़ रही है तो केन्द्र सरकार को चाहिए कि चाहे वे केन्द्रीय कर्मचारी हों या राज्य कर्मचारी हों, उनका कम से कम पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए। तभी इस देश में महंगाई पर हम काबू पा सकते हैं। अन्यथा इसी तरह से हाहाकार मचता रहेगा और हम सदन में बैठकर चिंता व्यक्त करते रहेंगे।

महोदया, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा इस देश में गेहूं आयात हो रहा है। अगर यहां के किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिलता और गेहूं किसानों से सीधे खरीदा जाता तो मेरे ख्याल से गेहूं की कमी भी नहीं होती और जो आत्महत्या कर रहे हैं, वह स्थिति भी हमारे सामने नहीं आ पाती।

इसके अतिरिक्त हम अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देखें, जो बी.पी.एल. कार्ड धारक गरीब लोग हैं, उन्हें हम पहले जितना अनाज देते थे, आज उन्हें उतना अनाज नहीं मिल पाता है। आज जरूरत इस बात की है कि अनाज की मात्रा को हमें फिक्स करना पड़ेगा और उन्हें कम से कम 35 किलो अनाज प्रति माह देना पड़ेगा। जहां तक खाद्यान्न के समर्थन मूल्य की बात है, इसकी बुवाई के बाद हमें घोषण करनी चाहिए, ताकि किसानों को पता लगे कि उन्हें मिलने वाला मूल्य क्या होगा, उसी हिसाब से वे बुवाई और रोपाई करेंगे। तभी हम किसान को खुशहाल देख सकते हैं और उनके द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोक सकते हैं। जहां तक बोनस की बात है, जैसे आप अनाज खरीदते हैं, उसके पहले घोषणा कर दीजिए कि हम इतना बोनस देंगे तो किसान आकर्षित होकर सरकारी कांटों पर जाकर अपना अनाज बेचते हैं, लेकिन आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण से जो व्यापारी होते हैं, वे औने-पौने भाव में खरीदकर जमाखोरी कर लेते हैं, जिसके कारण भी महंगाई बढ़ती है।

दूसरी तरफ खाद्यान्न, अनाज, दाल, चीनी और जो अन्य उत्पादन हैं, उनकी फारवर्ड ट्रेडिंग और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाए। होता क्या है कि इन तमाम कृषि उत्पादित चीजों के मार्केट में आने से पहले उनकी सट्टेबाजी होने लगती है। इस चीज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तभी प्राइस राइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कृषि मंत्री जी आप इस पर जरूर ध्यान दें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अनाज के भंडारों और गोदामों को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ताकि कभी देश में कोई संकट की स्थिति आ जाएतो हमारे गोदामों में इतना अनाज भरा हो, जिससे कि उसकी कमी न पड़े। आज एफ.सी.आई. के गोदामों में अनाज सड़ता रहता है। स्टेशनों पर अनाज पड़ा हुआ सड़ता रहता है, उसे जानवर खाते हैं। अनाज बारिश में भीगकर सड़ता रहता है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें गोदामों और कोल्ड स्टोरेजेज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा हमें किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देना पड़ेगा तथा उसका ऋण हमें फिक्स करना पड़ेगा। जब तक आप ऋण देने

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

के लिए तीन-चार परसैन्ट ब्याज की दर फिक्स नहीं करेंगे, देश में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं रुकने वाली नहीं हैं। हमें उसे फिक्स करना पड़ेगा। जहां तक पैट्रोलियम पदार्थ, कस्टम एक्साइज की ड्यूटी को भी हमें कम करना पड़ेगा। आज सरप्लस पूल में हजारों करोड़ों रुपया सरकार के पास है। पैट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस में सब्सिडी देकर हमें महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए तभी हम महंगाई पर रोक लगा सकते हैं। आपने दो बार घंटी बजाई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : सभापति महोदया, मुझे खुशी है कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में एक बार फिर चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका मिला है और दुख इस बात से है कि ज्यों-ज्यों दवा की, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। प्रतिवर्ष इस सदन में महंगाई पर हम चर्चा करते हैं और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इस पर नियंत्रण करने में मैं बहुत ही भरे दिल से इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार असफल रही है। आज सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और यही कारण रहा है कि माननीय कृषि मंत्री जी को इस अधिनियम में संशोधन करना पड़ा है और संशोधन करने के बावजूद भी अगर महंगाई जैसे कि हमारे साथियों ने आंकड़ा दिया है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा सामान नहीं है कि हम लोगों के यहां कहावत है कि यह मुंह और मसूर की दाल। यानी कि इस मुंह में मसूर की दाल कोई खाएगा। आज दाल के दाम इतने बढ़ गये हैं कि दाल सबसे बड़ी समस्या हो गई है। माननीय सदस्यों ने आरम्भ में इस बात की चर्चा की थी कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस सदन में रहना चाहिए था। शरद पवार जी के बारे में आज से नहीं बहुत जमाने से हम उन्हें जानते हैं। वह एक सक्षम व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं और इनके हाथ में इस तरह का विभाग मिला हुआ है लेकिन अफसोस है कि इनके हाथ भी बंधे हुए हैं और ये चाहते कुछ हैं और बीच में इनका पैर खींचा जाता है और जिस तरह से इनको इनके कार्यक्रमों और योजनाओं में मदद मिलनी चाहिए जिससे ये प्राइस-राइज पर नियंत्रण कर सकें, जमाखोरों का स्थान जेल में हो सके, वे जमाखोरी नहीं कर सकें, आज यह बात नहीं हो रही है और इस कारण महंगाई बहुत बढ़ रही है। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हमारे साथी ने कहा कि तीस करोड़ से अधिक आबादी बीपीएल से नीचे है जिन्हें जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सहायता मिलती है लेकिन क्रय शक्ति कहां है? यह अधिकतर सामान चोरबाजार में बिक जाता है। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप जितनी सब्सिडी देते हैं, अगर डाइरेक्ट वह पैसा बीपीएल के उस व्यक्ति को मिल जाए तो उससे अधिक लाभ उसे मिल सकता है और उसे फायदा पहुंच सकता है। उसकी क्रय-शक्ति बढ़ सकती है लेकिन आज सभी चीजों का दाम बढ़ा है। अफसोस इस बात का है कि हमारे किसानों को लाभ नहीं मिला। सभापति महोदया जी, जब आप सुबह अपने स्थान से बोल रहे थीं और उस सड़े हुए गेहूं की चर्चा सदन में कर रही थीं जो आपके मध्य प्रदेश में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में मिलता है, जो आयातित गेहूं जो आस्ट्रेलिया से मंगाया गया है और इंसान के खाने के लायक नहीं है।

उस समय हम लोगों को इस बात का भयंकर अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था कि आखिर इस बात की क्या वजह है कि सरकार अपने किसानों को 700 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दे रही है जबकि बाहर से वह 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव गेहूं खरीद रही है। हमारे देश में गेहूं और चावल रहते हुए उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों का गेहूं और चावल ब्लैक मार्केटियर्स, पूंजीपति और बिचौलिये खरीदकर ले गये और सरकार के एफ.सी.आई. के गोदामों में अनाज नहीं आया। इस कमी के चलते सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ा। सरकार बाहर से अनाज मंगाये, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है, यह सरकार पर निर्भर करता है लेकिन सरकार को एंटिसिपेट करना चाहिये था कि क्या स्थिति बनने वाली है। भारत सरकार के इतने बड़े पदाधिकारी बैठे हुये हैं। पिछले 60 सालों से हम लोग भगवान भरोसे रहते हैं कि कब बरसात आयेगी और हमारे किसानों को फायदा मिलेगा। हम लोग सिंचाईकरने में असफल हुये हैं, बाढ़ का नियंत्रण करने में असफल हुये हैं और यहां तक कि गरीब को रोजगार देने में असफल हुये हैं। यही कारण हैं जिससे महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे महंगाई पर काबू पाने के लिये सक्षमता दिखानी होगी।

सभापति महोदया, सरकार ने आज से डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर और पैट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर दाम घटा दिया है और ताली पिटवा दी कि हमने दाम कम कर दिया है लेकिन लोग समझ रहे हैं कि यह लालीपॉप उन्हें दिया जा रहा है। इस प्रकार कीमत करने करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट काफी काम हुये थे, अगर जनता को उस हिसाब से राहत दी जाती तो अच्छा काम होता। हम आज सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि एक-एक सवाल पर सरकार आई है और चली गई है। भविष्य

के लिये हमें चेत जाना चाहिये और हमें ऐसी कोई सार्थक योजना बनानी चाहिये जिससे सरकार के डर से जमाखोरों और चोरों पर नियंत्रण हो। हमारे देश में सालों से महंगाई द्रुत गति से बढ़ रही है। अगर पिछले 3-4 सालों के आंकड़े देखे जाये तो यह मूल्य वृद्धि दो से ढाई गुना हुई है। देश में आम आदमी कभी ब्याज की मार खाया हुआ है तो कभी आलू की मार खाये हुये है। ये आम जनता के लिये आवश्यक उपयोग की चीजें हैं। आज सरकार शहर तो क्या गांवों में महंगाई रोकने में सक्षम नहीं हो सकी है, यह दुखद बात है। इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मेरे पास आंकड़े बहुत हैं लंकिन मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। इसलिये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती एम.एस.के. भक्तनी राजेन्तीरन (रामानाथपुरम) : महोदया, नियम 193 के अधीन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से संबंधित इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

मुझे अपनी मातृ भाषा तमिल, जो कि विश्व की सबसे मधुर भाषा है, में बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहिए

*''चेलवरुम सरवनु नाडु थाल्ला विलाथुलम धाखारम थालविला'' ये शब्द महान् तमिल संत तिरुवेल्लुवार द्वारा लिखे गए हैं। इनका अर्थ हे, ''एक देश वह होता है जहां एक ऐसा कृषिक समुदाय रहता हो जो बड़ी मात्रा में खाद्यान्न और कृषि उत्पाद पैदा करे तथा जहां अन्य ऐसे समुदाय भी रहते हों जो अपने जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करते हो व सब प्रकार से सम्पन्न हों।'' बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादन करने वाले समर्पित लोग, वे लोग जो अपने जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करते हों तथा सब प्रकार सम्पन्न लोग जब एक साथ सह-अस्तित्व की भावना से रहते हैं तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं एक ऐसे राज्य से संबंध रखता हूं जहां ऐसे किसान हैं जो भारी मात्रा में खाद्यान्नों व अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन करते हैं जिससे लोगों को उच्च आदर्शों का जीवन व्यतीत करने में सहायता मिलती है तथा जो एक ऐसा राज्य है जिसका प्रशासन हमारे मुख्यमंत्री डा. कलैग्नर करुणानिधि और उनके लेफ्टिनैंट थिरु स्टालिन के नेतृत्व में सुचारू रूप से चल रहा है। उनके आशीर्वाद और समर्थन से मैं आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों से संबंधित इस चर्चा में भाग लेता हूं एक ऐसी सरकार जो लोगों के हितों की रक्षा करना चाहता है, उसे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु सभी प्रयास करने चाहिएं। एक अच्छी सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित रखना ही चाहिए। यदि समय पर ऐसे कदम न उठाए जाएं तो इससे उत्पादन बाधित होगा और व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप लोगों की क्रय-शक्ति कम हो जाएगी। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी। विश्व अर्थव्यवस्था की तुलना में हमें अपनी अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

एडम स्मिथ, अलफ्रेड मार्शल जैसे महान् अर्थशास्त्रियों ने किसी राष्ट्र या देश की आर्थिक स्थिति को सीधे उत्पादन और वितरण, उपलब्धता और क्रय-शक्ति, मांग और पूर्ति से जोड़ा है। हमारे यहां भी अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री हैं जो कि उतने ही महान् हैं। अब, हमारी सरकार का नेतृत्व विश्व विख्यात अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह, जोकि श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री हैं, कर रहे हैं। इस सं.प्र.ग. सरकार ने हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति को संतोषजनक बनाए रखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि की है और मूल्य वृद्धि के रूझान को समाप्त करने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं। यदि मैं यह कहूं कि इस सरकार ने सार्वभौमिक विकास का मार्ग अपनाते हुए हमारे देश को एक महाशक्ति बनाने हेतु सभी प्रयास किए हैं, तो यह गलत नहीं होगा। श्री शरद पवार के नेतृत्व में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने अपनी दूरदर्शिता और एक मिशन के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भारतीय किसानों की सहायता की है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है। हमारे केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने देश के विभिन्न भागों में कृषि कार्यों पर निगरानी रख रहे हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाया जाना व उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की है। उन्होंने बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कुछ फसलों की खेती चालू रखने हेतु आवश्यक राज-सहायता उपलबध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इस प्रकार उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास में योगदान दिया हैं यह उन कारकों में से एक है जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में बनाए रखने में सहायता मिलती है। सही समय पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए हमारी सं.प्र.ग. सरकार ने आज सही समय पर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी करने की घोषणा की है। इससे यह साबिता होता है कि हमारी सरकार ने सुशासन का परिचय दिया है और इसका उद्देश्य समय पर मूल्य वृद्धि के रुझान को रोकना है।

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहती हूं कि तमिलनाडु के हमारे

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

मुख्यमंत्री डा. कलैग्नर करुणानिधि ने किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने हेतु व्यावहारिक आर्थिक उपाय किए हैं और इस प्रकार देश और पूरे एशिया को भी एक मार्ग दिखलाया है।

जब केन्द्र सरकार तेल की कीमतें कम करती है तो वह गन्ना उत्पादकों के भार को कम करने के लिए गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य को बढ़ाने की भी घोषणा करती है। हमारे मुख्यमंत्री ने जिस दिन हमारे राज्य का कार्यभार संभाला था उसी दिन उन्होंने कम मूल्य पर चावल बेचने की योजना की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 2 रुपये प्रति किलो. के हिसाब से चावल बेचने के लिए व्यवस्था की गई थी और उन्होंने इस योजना को क्रियान्वित भी किया है। इस प्रकार डा. कलैंगनर तमिलनाडु में बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रत्येक महीने प्रति परिवार 2 रुपये प्रति किलोग्राम राजसहायता प्राप्त मूल्य के हिसाब 20 किलो चावल मिल रहा है। यदि यह योजना देश के सभी राज्यों में लागू हो जाए तो इससे महंगाई पर निश्चित रूप से रोक लगाने में सहायता मिलेगी।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि वह यह योजना पूरे देश में कार्यान्वित करने पर विचार करे। हमारे मुख्यमंत्री डा. कलैंगनार करुणानिधि ने कृषक समुदाय की सहायता के लिए सदैव प्रयास किया है। गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने के अलावा किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कदम उठाते रहे हैं। अपने पूर्व शासनकाल के दौरान उन्होंने सब्जी जैसे कृषि उत्पाद के लिए सीधे विपणन केन्द्रों अर्थात् 'उज़ावर सनघाई' की स्थापना की थी। किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों से कृषि उत्पाद लाने और उन्हें सीधे निकटवर्ती कस्बो और शहरों में बेचने के लिए बुनियादी सुविधाएं और परिवहन सुविधाएं प्रदान की गई थी। यह कदम किसानों के फायदे के लिए उठाया गया था ताकि उन्हें अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिल सके और उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम दामों, पर सब्जियां मिल सके और इसके अलावा बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हो। उन्होंने 'किसान शैन्टीज़' की भी स्थापना की। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि वह इस कार्यक्रम को भी कार्यान्वित करने पर विचार करे ताकि किसानों के लाभार्थ उन्हें उनके उत्पाद का बेहतर प्रतिफल प्राप्त हो सके। कृषि उत्पाद से अधिक लाभ सुनिश्चित करना कृषि उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण है। किसानो को उनकी मेहनत के लिए अच्छे दाम मिलने चाहिए। मैंने पहले भी देशभर में 'किसान शैन्टीज' शुरू करने की आवश्यकता के बारे में कहा है। हाल ही में जब मैंने इस सम्माननीय सभा में इसका उल्लेख किया था तो हमारे कृषि मंत्री, श्री शरद पवार सभा में उपस्थित थे पिछले बार जब डीजल की कीमतें बढ़ाने का प्रयास किया गया तो डा. कलैग्नर ने किसानों को तेल की मूल्यवृद्धि से बचाने के लिए राहत प्रदान की थी। उन्होंने डीजल पर बिक्री कर कम कर दिया ताकि डीजल की कीमतों में वृद्धि लोगों को प्रभावित न करे। उन्होंने किसानों के लिए डीजल मंहगा नहीं होने दिया। आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखते हैं लेकिन हमारी केन्द्र सरकार ने तेल की कीमतों को बहुत कम घटाया गया है। हमारी संप्रग सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रही है। रसोई गेस, एल.पी.जी. की कीमतों को और कम किए जाने की आवश्यकता हैं एल.पी.जी. के प्रत्येक सिलेंडर की कीमत में काफी कमी की जानी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम आदमी राहत की सांस ले और उसे हमारे उपायों का लाभ मिले। हमारे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन ने 'वन रूपी वन इंडिया' नामक योजना शुरू की है। भारत के किसी भी कोने से प्रति मिनट एस.टी.डी. कॉल के लिए एक रुपया लगेगा। यह प्रशुल्क कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य व्यापारी वर्ग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सुविधा प्रदान करना था। संचार प्रभारों में कमी इस उद्देश्य से की गई है कि इसका वस्तुओं के मूल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़े। प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे व्यावहारिक उपाय किए जाने चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, रामनाथपुरम में बड़ी संख्या में मछुआरे रहते है।

उन्हें डीजल के मूल्य में कमी से फायदा मिलता है। उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने को काफी हद तक राहत दी जा सकती है। इसलिए, मैं मछुआरा समुदाय की ओर से केन्द्र सरकार को धन्यवाद देती हूं।

रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा उत्पादकता बढ़ाने से उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी और उसके परिणामस्वरूप मूल्यों में भी कमी आएगी। भवन निर्माण सामग्री ऊंची कीमतों पर बेची जाती है। मूल्य वृद्धि इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। मध्यम वर्ग और आम आदमी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि वह हमारी अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में मूल्य वृद्धि को रोके।

मैं आपका ध्यान 'ऑन लाइन ट्रेडिंग' की ओर दिलाना चाहती हूं। यह हेराफेरी का कारोबार है जिसका उद्देश्य कम निवेश करके भारी मुनाफा कमाना है। इससे एक प्रकार की सट्टेबाजी होती है और

अप्रत्यक्ष रूप से जमाखोरी होती है जिसके कारण स्वर्ण जैसे बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। जहां तक भारतीय महिलाओं का संबंध है, उनके लिए स्वर्ण आभूषणकीमती और पवित्र हैं। लेकिन ये 'ऑन लाइन' कारोबारी इस स्वर्ण बाजार में गलत तरीके से काम करते हैं अत:, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि वह इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए। सरकार को ऑन-लाइन कारोबार को बंद करने के लिए कड़े उपाय करने चाहिए क्योंकि कुछ बेईमान लोग इस पेशे में आ गए हैं जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं सहित अन्य वस्तुओं में भी मूल्यवृद्धि हो रही है। मैं संप्रग अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम और कृषि मंत्री श्री शरद पवार से आग्रह करती हूं कि वह ऑन-लाइन कारोबार की समस्या को समाप्त करें। मूल्यवृद्धि की समस्या से निपटने के लिए बेरोजगार युवको को रोजगार के अवसर प्रदान करना, रसोई गेस सिलेंडरों के मूल्यों को कम करना तथा लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हमारे मुख्यमंत्री डा. कलैंगनार करुणानिधि विशेषरूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि वह देशभर में उनकी कुछ योजनाओं को अनेक राज्यों के अनुसरण हेतु लागू करने पर विचार करे। इससे संप्रग सरकार को मूल्यवृद्धि की समस्या से लड़ने में सहायता मिलेगी। संप्रग सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का लाभ आम आदमी तक पहुंचना चाहिए और मंहगाई को रोकना हमारा प्रयास होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : सभापति महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

दुर्भाग्य से पिछले कई महीनों से महंगाई में जिस प्रकार से उभार आया है उससे आम आदमी बहुत परेशान है। जिन चीजों का उपयोग आम आदमी अपनी रोजाना की जिंदगी में करता है उनके दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। हमें उम्मीद थी कि इस सरकार के आने के बाद, चूंकि यह सरकार आम जनता की सरकार है और उसी ने इसे चुनकर भेजा है, इसलिए आम जनता को राहत देने का काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर इतनी महंगाई कभी नहीं बढ़ी, जितनी इस सरकार के दो-ढाई साल के समय में बढ़ी है। इससे आम जनता काफी परेशान है। इस महंगाई को रोकने के लिए जो कदम सरकार की ओर से उठाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार को जो करना चाहिए था, वह अभी तक नहीं किया गया है। सरकार के सामने एक होलिस्टिक प्लान होना चाहिए।

महोदया, कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधान मंत्री विदर्भ गए थे। वहां किसानों को राहत देने के लिए बहुत बड़ी धनराशि का पैकेज दिए जाने की घोषणा की, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिला। जो किसान अनाज पैदा करता है, वही उसकी आमदनी होती है। आज देश के 100 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोग किसान हैं। लेकिन उनमें से 70 प्रतिशत लोग देश के किसान हैं और उसके कारण वे उपभोक्ता भी हैं, इसलिए यदि इन उपभोक्ताओं को राहत देनी है तो सबसे बड़ी राहत यह होगी कि यदि इन किसानों की आमदनी बढ़े, ताकि इन किसानों की महंगाई बढ़ती है, उसका सामना करने के लिए, उनकी जेब में भी कुछ पैसा आये। लेकिन दुर्भाग्य से एक तरफ तो सरकार किसानों को राहत देने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ महंगाई को कम करने के लिए किसान को मंडी में जाने के बाद जो दाम मिलते हैं, उसके ऊपर भी रोक लगाने की कोशिश कर रही है। मैं मानता हूं कि यह सब देखने के बाद मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से अमल, जो पूरे देश की इकोनोमी है, वह किस तरह से आने वाले दिनों में ज्यादा चलेगी और इसलिए मेरी सबसे पहले सरकार से यह दरख्वास्त है कि आप पूरी पार्लियामेंट को सिर्फ प्राइस राइज़ को डील करने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं, उसके बारे में अवगत न करायें। साथ ही साथ पूरी तरह से हमारी देश की जो रूरल इकोनोमी है, फूड इकोनोमी है, एग्रीकल्चर इकोनोमी है, जो आज कोलैप्स हो रही है, उससे निपटने के लिए कैसे कदम उठाये जाएंगे, उसके बारे में सोचने की जरूरत है और यों भी यदि हम ठीक तरह से करेंगे तो 70 प्रतिशत आबादी को वैसे ही राहत मिलेगी और इसलिए एक बहुत बड़ा जो योदान है, वह सरकार की तरफ से होगा। सबसे पहले हमारी रूरल इकोनोमी किस तरह से रिवाइव की जाये, उसकी तरफ ध्यान होना चाहिएं यह न करते हुए यदि हम इस तरह से कुछ एडहाक कदम उठाते रहेंगे तो मैं मानता हूं कि शायद कुछ समय के लिए हम यह देखेंगे कि क्योंकि, कुछ टैम्पोरेरी मैजर्स लेने से होलसेल प्राइस इंडैक्स, रिटेल प्राइस इंडैक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन लांग टर्म सोल्यूशन यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की जरूरत होगी तो एक होलिएस्टिक प्लान बनाना होगा और मैं सबसे पहले सरकार को विनती करूंगा कि ऐसा एक होलिएस्टिक प्लान देश के सामने रखे। नहीं तो हम हर सैशन में प्राइस राइज

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

के ऊपर चर्चा करते हैं, हर सैशन में हम फार्मर्स सुसाइड्स के बारे में चर्चा करते हैं, हर सैशन में हम किस तरह से देश की जो और परेशानियां हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जब तक इस तरह का सरकार की तरफ से एक प्लान हमारे देश के सामने नहीं आयेगा तो मैं मानता हूं कि उसका कोई लाभ हमारी आम जनता को नहीं होगा।

दूसरी बात, जो आज हमने कीमत में वृद्धि देखी है, उसकी एक और वजह है कि जो पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण भी आम जनता को परेशानी होती है, क्योंकि वे बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट के चार्जेज़ बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट के चार्जेज़ बढ़ते हैं तो जो भी चीज आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके दाम भी बढ़ते हैं। उसका भी एक बुरा असर पूरी इकोनोमी के ऊपर होता है। 70 प्रतिशत पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज हम देश में आयात करते हैं। सरकार की तरफ से जो इंटीग्रेटिड इनर्जी पालिसी प्लानिंग कमीशन ने बनाई है, उसके मुताबिक और 10-15 साल में 90 प्रतिशत से ज्यादा पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हमको आयात करना होगा। अगर हम पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इतने बड़े पैमाने पर आयात करेंगे तो यदि उसके ऊपर इण्टरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो उसका असर हमारे ऊपर भी होगा। लेकिन यह कहकर सरकार अपने आपको नहीं बचा सकती कि क्योंकि इण्टरनेशनली दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसके दाम बढ़ा रहे हैं। इण्टरनेशनल दाम बढ़ने के कारण अपने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कम इस्तेमाल करने के लिए क्या कदम उठाये। यह भी मैं मानता हूं कि सरकार को हमको कहना होगा। यदि ट्रांसपोर्ट सैक्टर और इनर्जी सैक्टर को यदि हम इण्टरनेशनल मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, उससे बचाना होगा तो सबसे पहले सरकार को हमारे इनर्जी सैक्टर को डाइवर्सीफाई करके नये सोर्सेज़ ऑफ इनर्जी किस तरह से हमने निकाले हैं, उसके बारे में सरकार को अवगत कराना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैं जो मानता हूं कि आज हमारे थोड़े इण्टरनेशनल प्राइसेज़ के दाम कम हो गये हैं, इसके लिए प्राइस कम हो गये हैं, लेकिन एक अनुमान है कि इण्टरनेशनल प्राइसेज़ में शायद कुछ दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ 100 डालर्स पर बैरल भी जा सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो, लेकिन यदि ऐसा होगा तो किस तरह से हमारी प्राइस राइज़ होगी, इसके ऊपर भी सोचना होगा और इसलिए सरकार की तरफ से अभी पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो इकोनोमी है, उसको डाइवर्सीफाई करके रिन्युएबल सोर्सेज़ ऑफ इकोनोमी डोमेस्टिकली प्रोडयूस्ड इनर्जी की किस तरह से देश में पैदाइश हो, उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि यह सरकार की तरफ से उसका भी हमें बयान देना होगा, नहीं तो इस तरह से हम कहेंगे कि हम आयात कर रहे हैं। इसके लिए कुछ दाम कम हो गये। आयात करने के बाद अनाज आयात करेंगे तो दाम कम होंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद फसल खराब हो जायेगी तो भी दाम बढ़ेंगे।

एक बात की मैं, यहां अभी एग्रीकल्चर मंत्री भी बैठे हैं, उनको भी पता होगा कि इस साल आस्ट्रेलिया में अनाज की, गेहूं की जो पैदाइश होती है, इसमें बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, क्योंकि वहां बहुत बड़ा फेमिन है।

अपराह्न 5.00 बजे

आस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। उसका जो असर हमारे देश के ऊपर होगा, इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है, मैं यह भी कहना चाहता हूं। पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स को किस तरह से डायवर्सीफाइ किया जाए, उसके बारे में मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। देश की जो मानिटरी पालिसी है, उसका एक बहुत बड़ा असर, जिस तरह से कीमतें बढ़ती हैं, उसके ऊपर होता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से जो मानिटरी पालिसी पर्स्यू की जाती है, उसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना कि उस पर हमारे पार्लियामेंट में कभी डिस्कशन हुआ है। मैं मानता हूं कि उसका बहुत बड़ा असर आम-जनता के जीवन पर होता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की मानिटरी पालिसी के बारे में मैं मानता हूं कि हमें यहां इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता है, ताकि लांग टर्म सोल्यूशन प्राइज राइज से निपटने के लिए, हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट को कान्फिडेंस में लेने के बाद बनाया जा सकता है। ऐसा न होने के कारण जब ज्यादा प्राइज बढ़ते हैं, तो सरकार की तरफ कुछ एडहक कदम उठाए जाते हैं, जिसके कारण कुछ गिरावट भी आती है और कुछ राहत भी मिलती है, लेकिन दोबारा फिर आम जनता इससे परेशान हो जाती है।

आज हम कहते हैं कि हम सुपर पावर हो गए हैं, लेकिन जिनकी आमदनी दो डालर से कम हो, ऐसे हमारे देश में अस्सी करोड़ लोग रहते हैं। पूरे विश्व में और शायद अफ्रीका में भी इतने गरीब लोग नहीं हैं, जितने हमारे देश में रहते हैं। यदि हमारा देश सुपर पावर है, तो गरीबों का सुपर पावर है। इतने गरीब लोग और कहीं नहीं हैं, इसलिए हम गरीबों के सुपर पावर हैं। हमें गरीबों को राहत देने

का काम सरकार की तरफ से करना चाहिए। हम सिर्फ वर्ल्ड इकानामिक फोरम को खुश करने के लिए कदम उठाएंगे, तो दुर्भाग्य से हमारे देश की आम-जनता को जो राहत की जरूरत है, वह नहीं मिलेगी। मैं सरकार से विनती करता हूं कि ऐसे विषय पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए, ताकि किस तरह से एक होलिस्टिक मानिटरी पालिसी, पेट्रोलियम पालिसी, एग्रीकल्चर पालिसी आदि को पूरी तरह से होलिस्टिक प्लान बनाने के बाद यह काम होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी सोशल सेक्योरिटी नेट नहीं है। आम जनता चीन में जितना अनाज खाती है, उससे आधा अनाज पर कैपिटा कंजम्प्शन हम देखें, तो हमारे देश के लोग खाते हैं। प्राइज बढ़ने के बाद लोग और कम खाते हैं। हमने एक स्टैटिस्टिक्स देखा है कि माल न्यूट्रिशियन के कारण हमारी जीडीपी में भी एक या दो प्रतिशत गिरावट आयी है। हम सोच सकते हैं कि सरकार को जीडीपी का ही अंदाजा देंगे, तो शायद उनकी रिएक्शन आयेगी। जीडीपी को बढ़ाने के लिए भी माल न्यूट्रिशियन हमारे देश में कम करना होगा, माल न्यूट्रिशियन कम करना है, तो और एक काम करना होगा कि प्राइजेज जो बढ़ गए हैं, उसको कम करना होगा। क्योंकि प्राइज राइज के कारण, उनकी इन्कम घट जाती है। इंकम घटने के बाद आम आदमी कम खाने की कोशिश करता है। कम खाने के बाद उसकी माल न्यूट्रिशियन की संख्या और बढ़ती है। इसलिए सरकार की तरफ से इन सभी चीजों के ऊपर सोशल सिक्योरिटी नये सिरे से चेंज करने की सोचने की जरूरत है और यदि ऐसा करेंगे, तो मैं मानता हूं कि इससे राहत होगी। मेरी विनती है कि सरकार की तरफ से एक कांप्रिहैंसिव पालिसी, एक व्हाइट पेपर हमारे देश के सामने रखना चाहिए और उसका जवाब सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी दें, यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेकानाल) : सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि एक खराब प्रबंधन वाली कंपनी ऐसा उत्पादन करती है जो घटिया और अधिक मूल्य का होता है। ऐसा ही कुछ इस सरकार के मामले में है। निस्संदेह अकुशल सरकार के लिए शासन चलाना बहुत मंहगा हो गया है क्योंकि शासन चलाना इतना मंहगा होता है कि इसकी कीमत आम आदमी को वहन करनी पड़ती है। सरकार आम आदमी की बात करती है। संप्रग सरकार आम आदमी के लिए नारे होते हैं। लेकिन यदि हम इस सरकार के पिछले ढाई वर्षों का कार्य देखें तो इन्होंने आम आदमी के हितो के विरुद्ध ही कार्य किया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सत्ता वर्ग के लोग चाहे वे सांसद हो या विधायक हो जाने या अनजाने स्वयं को आम आदमी से दूर रखते हैं। वे अपने आप में एक वर्ग बन गए है। पहले नौकरशाह ही एक वर्ग था, जो शासन किया करता था। लेकिन सरकारी राजनीतिक वर्ग जनता के पक्ष में था। इसलिए वे नौकरशाही पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन आज बदली हुई पारिस्थितियों में अर्थात् वैश्वीकरण और उदारीकरण आदि में नौकरशाह और राजनीतिक वर्ग में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हैं आम आदमी अथवा जनता का प्रतिनिधित्व करने की बजाय वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़ी कंपनियों, धनवान और समृद्ध लोगों को प्रसन्न करने की प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। मुझे लगता है कि आज भारत में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था अथवा नौकरशाही वर्ग में कोई भी गरीबों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यही कारण है कि हम इस देश के किसी भी भाग में महंगाई के विरुद्ध आंदोलन नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आम आदमी प्रभावित नहीं होता है लेकिन आज आंदोलन करने वाले नेतृत्व का अभाव है। यह किसी के लिए भी उचित नहीं है। यह बात किसी भी पक्ष के लिए हितकर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति खामोश हो गया है। इस तरह यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के शासन का प्रभाव आम आदमी तक पहुंचता है और उसका जीवन असहनीय और मंहगा हो जाता है।

मेरे उड़ीसा राज्य में पिछले तीन दिन में आटे की कीमत 3 रुपये बढ़ गई है। इसके कारण आटे की कीमत लगभग 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी है, पिछले 15 दिनों में सूजी 2 रुपये, मैदा 2 रुपये, खाद्य तेल 4 रुपये प्रति किलोग्राम महंगे हो गए हैं तथा लाल मिर्च में 40 रुपये प्रति किलो बढ़ने से यह 100 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे यह पता चलता है कि बाजारी ताकतें हमारी आवश्यक वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य को आसानी से प्रभावित कर रही हैं।

सरकार को कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम सभी इस बात से सहमत है। लेकिन सरकार को भी एक मूक दर्शक नहीं होना चाहिए। आज इस देश में यही हो रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे कानूनों का क्रियान्वयन न किया जाना यह दर्शाता है कि सरकार निष्क्रिय और निष्प्रभावी है। मैं किसी भी राजनीतिक दल पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जिस तरह से इस देश में सरकार चलाई जा रही है, उसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। हम जमाखोरों और

[श्री तथागत सत्पथी]

मुनाफाखोरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। लाभ कमाना स्वीकार्य है लेकिन मुनाफाखोरी स्वीकार्य नहीं है। कोई भी इसके विरुद्ध काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। भारत में यह ऐसी स्थिति है जहां राजनीतिक वर्ग स्वयं इसमें फंसा है। मेरे विचार से आवश्यक वस्तुओं में भावी अथवा वैकल्पिक कारोबार और सट्टा बाजार पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जमाखोरी विरोधी आंदोलन से स्थिति में सुधार हो सकता है।

सरकार को खरीद नीति पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। आपको मालूम होगा कि कुछ दशक पहले लोगो को प्रोत्साहित किया गया था कि वे चावल खाना छोड़कर गेहूं को महत्व दें। उस समय ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हरित क्रांति के कारण उत्पादन बढ़ गया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि गेहूं की खरीद में गिरावट आई है। गेहूं मंहगा होता जा रहा है। लेकिन गेहूं लॉबी मजबूत है इसलिए आज भी गेहूं का महत्व बना हुआ है।

आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य पूरे देश के लिए पर्याप्त चावल का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन चावल उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। खरीद नीति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि चावल के मामले में खरीद मूल्य को नहीं बढ़ाया जा रहा है। यदि हम इस देश की जनता को अधिक चावल खाने के लिए प्रेरित करें तो इस असंतुलन को संतुलित किया जा सकता हैं।

हमारी सरकार घरेलू उत्पादको से उच्च मूल्य पर गेहूं नहीं खरीदना चाहती है। लेकिन हमें अधिक उच्च मूल्य पर गेहूं का आयात करने पर प्रसन्नता होती है और वह भी घटिया किस्म का गेहूं होता है

परंतु वह हमें विचलित नहीं करता। जब तक हम आयात कर रहे है इसकी हमें खुशी है पर इससे किसी न किसी तरह से किसी बिचौलिये को लाभ ही हो रहा है तो पुन: इस बात पर जोर दिया गया है कि गेहूं लाबी अधिक ताकतवर है और चावल उत्पादक राज्यों की कोई लॉबी नहीं है। इसलिए इसे पीछे ढकेला जा रहा है। ...*(व्यवधान)* मेरे विचार से चूंकि वेश्वीकरण के जमाने से हम केवल शीतल पेयों, च्युंइगम इत्यादि में ही निवेश की बात करते रहे हैं, हमें खाद्य के भंडारण हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करने में निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय निवेश आमंत्रित करने के बारे में भी विचार करना चाहिए।

महोदया, यदि आप कभी भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) के गोदामों में गई हों तो आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अवश्य देखा होगा तो आप देखेंगे कि किस तरह रखरखाव किया जता है, छतें किस तरह टपक रही हैं, फर्श वास्तव में कितने खराब हो गए हैं और चूहे, सीलन इत्यादि वहां भंडार की गई वस्तुओं को नष्ट कर रही हैं। परंतु हम अपनी भंडारण सुविधाओं को सुधारने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते। दूसरी ओर सरकार ने स्वयं को इस तरह स्थापित कर लिया है कि यह एक निश्चित प्रतिशत तक बर्बादी की इजाजत देती है यद्यपि आज की स्थिति में परिवहन प्रणाली और भंडारण सुविधाओं में सुधार किया जाए तो बर्बादी के इस प्रतिशत को कुछ कम करने में मदद कर सकता है। किंतु क्योंकि हम सीधे ही इसे बट्टे खाते में डाल देते हैं कि इतना प्रतिशत तो बर्बाद होगा ही इसलिए हम यह जांच नहीं करते कि क्या वास्तव में उतना प्रतिशत बर्बाद हो रहा है या नहीं। यह भी बहुत सी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा रहा है हालाकि वास्तविकता में हम देखते हैं कि ऐसी कोई बर्बादी नहीं होती है। बर्बादी की मात्रा में कमी हुई है और उसमें मुनाफाखोरी भी है।

हमारे माननीय कृषि मंत्री ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सहकारिता आंदोलनों की दुनिया में बहुत काम किया है। यदि वह समझते तो उनके पास योग्यता है, उनके पास दृष्टि है और वह आसानी से ऐसा कर सकते है। यदि वह शीतागार विशेषकर उनके विद्युत उपभोग, एक सीमा तक उनके विद्युत बिलों में छूट देने के बारे में विचार करते हैं तो इससे बहुत सी सब्जियों और फलों को प्रसंस्कृत करने में मदद मिलेगी और इससे कीमतें भी कम होंगी।

हमारे एक सहयोगी त्यौहारों के दौरान फलों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के बारे में बात कर रहे थे। यह ऐसी समस्या है जिसका शीतागारों से समाधान किया जा सकता है किंतु हमें विद्युत की उपलब्धता और कीमतों में वृद्धि का पता है, उदाहरणार्थ विद्युत की अधिक कीमत शीतागारों को पूरी तरह से अव्यवहारिक बना रही है। सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। माननीय कृषि मंत्री ऐसा करने में और योजना बनाने में सक्षम हैं। यदि आप उर्वरकों में राज-सहायता दे सकते हैं, यदि अमरीका शीतागारों और शीतागार सुविधाओं में राज-सहायता दे सकता है तो हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए, गैट और विश्व व्यापार संगठन के बारे में सोचने के बजाय हमें कृषि प्रणाली के अन्त्योत्पाद को राज-सहायता देने के बारे में भी सोचना चाहिए।...*(व्यवधान)* महोदया, हम देखते हैं कि यदि हम थोड़ा और गहराई में जाकर देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि

कीमतों में वृद्धि से किसकी मदद हो रही है। क्या इससे किसानों को मदद मिल रही है। उत्तर निश्चित ही नहीं मे होगा। इससे किसानों को मदद नहीं मिल रही है।

इसलिए, यह किसकी मदद कर रही है। यह सरकार की मदद नहीं कर रही है। सरकार निश्चय ही कीमतों में वृद्धि रोकने का प्रयास करेगी। यह उस किसान की मदद नहीं कर रही है जो खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। इसलिए अंत में बिचौलिये, व्यापारी वर्ग ही कीमतों में वृद्धि का सर्वाधिक लाभ उठा रहा है और ऐसा खराब नीति के कारण है। सरकार को भी यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश में नीतिगत स्थिति में सुधार हो।

अपराह्न 5.16 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

सरकार को किसानों से खाद्य सामग्री खरीदते हुए उन्हे अधिक भुगतान करने पर विचार करना चाहिए। इससे किसानों को मदद मिलेगी और सरकार के पास खाद्यान्नों की कमी के समय पर्याप्त भंडार होगें। सही कीमत पर और सही समय पर पर्याप्त मात्रा में खरीद बिचौलियों को जमाखोरी से रोकेगी और सरकार को होडिंग एजेंट बनना चाहिए। सरकार को पर्याप्त खाद्य भंडार रखकर कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए। बदले में यह बाजार के मनोविज्ञान को स्थिर रखेगा।

महोदय, यह कटु सच्चाई है कि कोई भी दल या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आम आदमी का प्रतिनिधित्व नहीं करता खासकर दलों का वह समूह जो इस समय देश पर शासन कर रहा है। उनके लिए तो आम आदमी मर चुका है। उनका नारा अधिकांशत: विपक्ष को चुप कराने के लिए होता है, इस देश में रहने वाले गरीब आदमी का ध्यान रखने के लिए नहीं होता। इसलिए अब समय आ गया है जब हमें इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में आज सरकार लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हम सभी मूल्य-वृद्धि से परेशान हैं क्योंकि जो लोग इस देश में शासन करते हैं वे नौकरशाह है और सत्ता पक्ष में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो वह इस नौकरशाही का हर प्रकार से समर्थन करते हैं और अंततोगत्वा आम आदमी यानी सड़क के आदमी को दबाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास 21 से अधिक माननीय सदस्यों की सूची है जो इस वाद-विवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने भाषण छोटे रखें। यदि आप माननीय मंत्री को सुझाव दें तो यह बेहतर होगा।

अब, मैं श्री अजय चक्रवर्ती को बोलने के लिए बुलाता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसद के हरेक सत्र में भले ही यह राजग सरकार के शासन के दौरान हो या संप्रग सरकार के शासन के दौरान हो, हम मूल्य वृद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। यह अब हमारे देश में महत्वपूर्ण समस्या है।

महोदय, विपक्ष के कुछ मित्र यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल संप्रग शासन के दौरान ही मूल्यों में वृद्धि हुई है। यह सच्चाई नहीं है। मूल्य-वृद्धि राजग सरकार के शासन के दौरान शुरू हुई है और यह अब भी जारी है। इस बहस को शुरू करने वाले माननीय सदस्य बहुत हताश थे। मैं भी प्रमुख विपक्षी पार्टी के वक्ता से बहुत हताश महसूस कर रहा हूं जो कि इस विषय पर दूसरे वक्ता थे। श्री अनंत कुमार ने कम्यूनिस्टों को आक्रमण करने के लिए चुना परंतु उन्होने तस्करों, जमाखोरों, कालाबाजारियों और सट्टेबाजों को नहीं चुना जो कि मूल्य-वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि वे उनके मित्र है। श्री अनंत कुमार यहां नहीं हैं। उन्हें कम्यूनिस्म सीखना चाहिए। हमारा कर्त्तव्य लोगों को एक करना है किंतु उनका कर्त्तव्य देश के लोगों को बांटना है। हमारे और उनके बीच में यह मूल अंतर है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : महोदय इन्हे मूल्य-वृद्धि के बारे में बोलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : इन्होने मूल्य-वृद्धि की बात नहीं की। इन्होंने श्री बर्धन के भाषण और भाकपा (मा.) के घोषित ब्यूरो के वक्तव्य को उद्धृत किया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हे बाधा न पहुंचाएं।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, भारतीय खाद्य निगम किसानो से लाभकारी मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं नहीं खरीद रहा है। जब चावल, गेहूं और जूट किसानों द्वारा पैदा किए जाते हैं तो भारतीय खाद्य निगम और भारतीय जूट निगम जैसी सरकारी एजेंसियां किसान से लाभकारी मूल्यों पर वस्तुएं नहीं खरीद रही हैं। इसलिए उन्होंने गेहूं पैदा करने वाले, चावल पैदा करने वाले जूट पैदा करने वाले किसानों की किस्मत सट्टेबाजों के हाथों में और जमाखोरों के हाथों में सौंप दिया है देश

[श्री अजय चक्रवर्ती]

की यही हालत है। इसीलिए किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के बहुत सारे राज्यों में विशेषकर माननीय कृषि मंत्री के राज्य में प्रतिदिन यह हो रहा है। विदर्भ क्षेत्र में कपास उत्पादकों ने आत्महत्या की है। प्रधान मंत्री मौके पर गए और उन्होंने कुछ पैकेज घोषित किया परंतु वह अभी तक लागू नहीं किया गया है। कपास उत्पादक पूरी तरह हताश हैं। कपास उत्पादक ही नहीं बल्कि चावल उत्पादक, गेहूं उत्पादक, सब्जी उत्पादक सभी हताशा का अनुभव कर रहे हैं। उन्हे लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है इसलिए वे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उन्हे अपने परिवारों के जीवन के लिए भोजन नहीं मिल रहा है।

महोदय, दूसरी चीज है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) की विफलता। बी पी एल, ए पी एल कार्डधारी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, यहां तक कि निम्न मध्यम वर्गीय लोगों, मध्यम वर्गीय लोगों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल, गेहूं चीनी और केरोसीन इत्यादि नहीं मिल रहा है। किंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। केरोसीन न तो गांवों में उपलब्ध है और न ही शहरी क्षेत्रों में। नियंत्रित मूल्य व्यवस्था के दौरान हमारे देश के लोग, निम्न मध्यम वर्गीय लोग, मध्यम वर्ग और समाज के निर्धन वर्ग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अपनी दैनिक जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही हैं। यह पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इसलिए सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अधिक शाखाएं खोलनी चाहिएं ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें।

एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी कहा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में गोदाम और शीतागार नहीं हैं। किसान गेहूं, आलू, दालें, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल इत्यादि पैदा करते हैं किंतु उन्हें गोदामों अथवा शीतागारों में रखने के लिए उचित स्थान नहीं है मैं उनसे सहमत हूं कि सरकार को पर्याप्त संख्या में गोदामों और शीतागारों का निर्माण करना चाहिए और किसानों को उन्हे रियायती दरों पर उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शीतागारों के विद्युत कनेक्शन इत्यादि के लिए शुल्क बहुत अधिक है। सरकार को मामले पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें रियायती दरों पर ये सब सुविधाएं देनी चाहिएं ताकि किसान अपनी वस्तुएं इन शीतागारों में संरक्षित रख सकें।

सरकार को जनहित में इस संबंध में आगे आना चाहिए।

अब मैं वायदा व्यापार-नीति के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। तत्कालीन रा.ज.ग. सरकार ने इसे शुरू किया था और यह सरकार वायदा व्यापार की उस नीति को ही आगे बढ़ा रही है। यह एक तथ्य है। वायदा व्यापार-नीति के तहत, जमाखोर, सट्टेबाजी और कालाबाजारी आवश्यक वस्तुओं का नियंत्रण कर रहे हैं।

खाद्यान्न आयात तो हो रहा है लेकिन जनता को दाल, चावल, गेहूं, आटा, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं और साग-सब्जियां नहीं मिल पा रही है। इस सरकार ने वायदा व्यापार-नीति आरंभ तो की और साथ में आवश्यक वस्तुओं के स्थिति की नीति भी बना दी, यह भी एक कारण है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है- आज बाज़ार जाकर देखा जा सकता है। कि दालों के भाव कितने बढ़ गए हैं, पिछले महीने जिस दाम पर दाल खरीदी उससे कितना अधिक दाम अब चुकाना पड़ रहा है न सिर्फ दाल, बल्कि आटा, सूजी, दाल, चीनी, आलू, प्याज, बैंगन और यूटेक चीज अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। सिर्फ गरीब की ही बात क्या, निम्न मध्यम वर्ग और सामान्य मध्यम वर्ग तक की हिम्मत परिवार के लिए जरूरी चीजें खरीदने की नहीं पड़ रही है। यह उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया है इसलिए यह इस या उस पार्टी का सवाल नहीं, बल्कि देश के आम नागरिक की आजिविका का, उसके जीविकोपार्जन का सवाल है इस कारण हम लोग, आम आदमी, भारी हानि और विकल्प झेल रहा है और इसका कारण है- मूल्यवृद्धि। हर दिन दाम बढ़ रहे हैं और आसमान छू रहे हैं। किसी को पता नहीं कि मूल्यवृद्धि कौन कम करेगा; तस्करों, सट्टेबाजों और जमाखोरों पर कौन अकुंश लगाएगा।

मेरे विचार से इस ओर ध्यान देने की सरकार पर भारी जिम्मेदारी है। पर हम भी अपनी जिम्मेदारी से - सरकार को उसके दोष बताने की जिम्मेदारी से - विमुख नहीं हो सकते। यह हमारे लिए अनिवार्य बात है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संसद-सदस्यों को लोगों को, आम आदमी को, मूल्यवृद्धि और इस जंजाल से बचाने के लिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। लोगों की दिक्कत दूर करना हमारा कर्तव्य है। मैं मानता हूं कि हमारे माननीय कृषि मंत्री सुयोग्य व्यक्ति है। उनकी क्षमता पर मुझे कोई शक नहीं लेकिन कहते हुए खेद है कि उनका अपना राज्य ही बुरी तरह त्रस्त है। उनके राज्य

के किसान बड़ी दिक्कत में हैं। हमें इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। सरकार को सट्टेबाजों कालाबाज़ारियो और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, कीमतों को कम करने के गंभीर प्रयास करने चाहिए और देशवासियों की मुश्किलें दूर करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मूल्यवृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए, देशवासियों की दिक्कतें दूर करने के लिए, हम सभी अपनी-अपनी पार्टीगत निष्ठाओं से ऊपर आकर सहयोग करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कह दूं तो शायद आपका मसला हल हो जाए।

[अनुवाद]

चर्चा कल खत्म करेंगे। शून्यकाल की सूचनाएं आज छह बजे के बाद ली जाएंगी। मूल्यवृद्धि पर चर्चा का उत्तर 4 दिसंबर को दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सदस्य अपने भाषण सभा-पटल पर रखना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं और उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल कर लिया जाएगा।

अब मैं श्रीमती परमजीत कौर से बोलने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं आज सुबह "सोशल, इकॉनॉमिक एंड टेक्नीकल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया" की रिपोर्ट लेने गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की धारा 19 के तहत जब लोक सभा या राज्य सभा में कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में की जाती है। लेकिन जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट केवल अंग्रेजी में थी हिंदी में नहीं थी।

महोदय, मेरा निवेदन है कि इस रिपोर्ट को हिंदी में भी सबमिट किया जाए। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि तीसरी भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता प्राप्त है और उर्दू जानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़े पैमाने पर हैं, उन लोगों को भी इस रिपोर्ट का ज्ञान मिल सके, इसलिए इस रिपोर्ट को उर्दू में पेश किया जाए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और यह एक्ट में भी है कि दोनो भाषाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए। इसके बावजूद इस रिपोर्ट को अंग्रेजी में तो पेश किया है, लेकिन हिंदी में पेश नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक : मुझे सूचना मिलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं। यह व्यवस्था का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कह दिया है कि वे इस मामले को देखेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, किसी खास परिस्थिति में, किसी खास कारण से सिर्फ अंग्रेजी में प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है, अन्यथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी यह बताएं कि वह खास परिस्थिति कौन सी है, जिसके कारण सिर्फ अंग्रेजी में रिपोर्ट पेश की गई है। एक्ट में व्यवस्था है कि रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में पेश होनी चाहिए। आप हिंदी में रिपोर्ट कब पेश करेंगे, यह भी बताने की कृपा करें?

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक : महोदय, मैं सदन में यह सूचना बाद में दे दूंगा। मुझे सूचना मिलने दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप क्या कह रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वे इंफोर्मेशन लेकर आएंगे कि एक्चुअल पोजिशन क्या है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कम से कम वह रिपोर्ट हिंदी में सदन के अंदर एवेलेबल करवा दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को समय तो दीजिए, वह आपको जबाव देंगे।

(व्यवधान)

श्री रामकृपाल यादव : महोदय, हम अंग्रेजी के विद्वान नहीं हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, यह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

श्री विजय झान्डिक : मुझे पता करने दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप इस रिपोर्ट को हिंदी में प्रस्तुत कीजिए। यदि प्रिंट नहीं हुई है, तो आप इस रिपोर्ट को कल प्रस्तुत कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री विजय झान्डिक : महोदय साधारणत: इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही रखा जाता है। मैं पता करता हूं। कि इसे हिंदी में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया और फिर सदन को बताता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन।

[अनुवाद]

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** (भटिंडा) : महोदय, नियम 193 के अधीन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि विषय पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने पर आपको धन्यवाद देती हूं। महोदय, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के संबंध में श्री चिंतामोहन ने अपनी बात चतुराई से रखी लेकिन पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये और डीजल की कीमत में 1 रुपये की कमी करने के लिए सं.प्र.ग. की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद दे गए। तथापि चिंता मोहन बड़ी सफाई से यह भूल गए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले ढाई साल में कितनी भारी वृद्धि हुई है। इस लिहाज से पेट्रोल और डीजल के मूल्य में कमी कोई खास नहीं है और इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला।

अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि सरकार ने यह दावा किया है कि अर्थव्यवस्था की विकास-दर बेहतर होकर -8 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लेकिन आम आदमी तो अखबार नहीं पढ़ता। फिर, जमीनी हकीकत इससे अलग है। आम आदमी विकास-दर पर सूचकांक के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वह गेहूं, नमक, वनस्पति-तेल, चीनी, गुड़ साग-सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि से प्रभावित होता है। ये वस्तुएं आम आदमी के लिए जरूरी हैं और इसके दामों में वृद्धि से उस पर बहुत असर पड़ता है। आज यह हालत है कि आम आदमी को पेट पालना मुश्किल हो रहा है। आसमान छूती कीमतों की वजह से आम आदमी दैनिक उपभोक की वस्तुएं भी नहीं खरीद पा रहा है। अमरीका कहता है कि भारत एक आर्थिक शक्ति बन गया है वह महाशक्ति बनकर उभर रहा है। लेकिन आम आदमी यह समझने की स्थिति में नहीं है, बस कुछ मुट्ठी भर लोग, जो धनी और असरदार हैं, और धनवान हो गए हैं। उन्होंने बहुत धन-दौलत जमा कर ली है, बड़े बंगलों में रहते हैं और महंगी कारों में चलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग गरीब है और वे और ज्यादा गरीबी की स्थिति में आ गए हैं। यह धनीमानी लोगों के दम पर भारत को महाशक्ति या आर्थिक शक्ति नहीं ठहराया जा सकता। जिस आर्थिक उदय का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वह मात्र एक छलावा है।

लगभग ढाई साल पहले सं.प्र.ग्र. सरकार सत्तासीन हुई और उसने एक लुभावना नारा दिया था : ''सं.प्र.ग. का हाथ, आम आदमी के साथ''। उस समय इस सरकार ने बड़े-बड़े वायदे किए कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया जाएगा और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया जाएगा। लोग इन आश्वासनों और वायदों के झांसे में आ गए और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। संसद में भी इस सरकार ने बार-बार ये वायदे दोहराए। सरकार ने लोगों को आश्वस्त किया था कि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन, सरकार कुछ खास कर नहीं सकी। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातर बढ़ोत्तरी होती गई। सरकार का दावा है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, लेकिन सरकार ने इसमें बस आंकड़ों की जादूगरी की है। आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि का देश आम आदमी को झेलना पड़ रहा है, वह त्रस्त है। कम्प्यूटर और मोबाइल फोन जैसी चीजें तो सस्ती हुई है लेकिन आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान पर पहुंच गए। आम आदमी की जिंदगी नरक बन गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 10 से 9 ग्रामीण परिवार और 10 में से 7 शहरी परिवारों की अपनी आय का साठ प्रतिशत भाग खाद्यान्न संबंधी जरूरतों पर खर्च करना पड़ता है। यदि खाद्यान्न की कीमत

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

ही पहुंच से बाहर हो जाए तो आम आदमी क्या करेगा? उसके चेहरे पर भूख और तंगहाली का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। आम आदमी और किसान आत्महत्या करने पर विवश है और यह आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी इज़ाफे का ही नतीजा है। दाल की कीमत 50 रु. प्रति किलो से ऊपर हो रही है और आटा भी बहुत महंगा हो गया हैं समयाभाव के कारण मैं सभी जरूरी वस्तुओं के दाम यहां नहीं बता रही हूं। चीनी 25 रु. प्रति किलो बिक रही है और माचिस तक की कीमत 10 रु. पैकेट हो गई है। आम आदमी को कुछ नहीं सूझ रहा कि क्या करे। दवाएं, कपड़े, गैस, वनस्पति-तेल, पेट्रोल, डीजल-सब उसकी पहुंच से बाहर हो गए हैं उस पर से पानी और बिजली के मोटे बिल उसकी हालत और पतली कर रहे हैं। मकान-निर्माण सामग्री और महंगी हो चुकी है। आम आदमी भारी मुसीबत झेल रहा है।

महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बंटने वाले खाद्यान्न की मात्रा घटा दी गई है। राजसहायता भी खत्म की जा रही हैं आंकड़ों में गड़बड़ की जा रही है। हकीकत तो यह है कि बड़ी तादात में लोग भूख और बदहाली का शिकार हैं।

सामान्यत: कहा जाता है कि पंजाब समृद्ध राज्य हैं लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब के लोग भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि का सामना करने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं।

महोदय, खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के लिए गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेवार हैं। इन नीतियों के कारण बड़े व्यापारिक घटाते है और उनके निहत स्वार्थ बाजार पर काबिज हो जाते हैं और मुनाफाखोरी में जुट जाते हैं। वस्तुओं की कृत्रिम कमी दर्शाई जाती है जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। इन गलत आर्थिक नीतियों के जुड़वां कुपरिणाम हैं - उदारीकरण व निजीकरण।

महोदय, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार को इन कारकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। कालाबाजारी में लगे लोगों को पकड़ा जाए। किसानों को अच्छे बीज, उर्वरक और कीटनाशक सस्ते दामों में उपलब्ध कराए जाएं। महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाय तथा इसे प्रभावशाली बनाया जाए। दलालों और बिचौलियों की भूमिका सीमित की जाए। अधिक से अधिक संख्या में उचित-दर की दुकानें खोली जाएं। केवल वही वस्तुएं आयात की जाएं जो सस्ते दामों में उपलब्ध हों सकें।

महोदय, हमारे गोदामों में अनाज पड़ा-पड़ा सड़ जाता है और उसे चूहे खा जाते है। इस आपराधिक बरखादी और काहिली के लिए जिम्मेवार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। इस खाद्यान्न का वितरण सही समय पर गरीबों और जरूरतमंदों में होना चाहिए। किसानों को प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए उपाय किए जएं ताकि वे दूसरी 'हरित क्रांति' के अग्रदूत बन सकें। विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क की दर भी घटाई जाए।

महोदय, यदि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए उपाय तत्काल नहीं किए जाते तो आम आदमी को आजीविका चलाना मुश्किल हो जाएगा। भारत के लोकतंत्र का उपहास होगा। भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते पर बढ़ नहीं पायेगा और आम आदमी को लोकतंत्र पर से भरोसा उठ जाएगा।

***डा. सिबैस्टियन पॉल** (एर्णाकुलम) : आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को वितरणात्मक न्याय को प्रोत्साहित करने के प्रसंग में देखे जाने की जरूरत है। वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने के दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार खाद्य राज सहायता देती है खाद्य सुरक्षा प्रणाली का उद्देश्य कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) खाद्य असुरक्षा और बढ़ती कीमतों के मुद्दे को सुलझाने के लिए मूल आधार स्तंभ है। यह खुले बाजार की कीमतों को कम करने और सुनिश्चित कीमतों पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। सा.वि.प्र. कीमतें कम रखने और स्थानीयकृत खाद्य पदार्थों की कमी न होने देने में लाभदायक रही हैं। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां गरीब लोगों को सा.वि.प्र. का संतोषप्रद लाभ नहीं मिलता। आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्य अपवाद हैं। लेकिन घाटे वाले राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा ओर मध्य प्रदेश जहां भुखमरी और गरीबी ज्यादा है, में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ गरीबों को हासिल नहीं हो पा रहे हैं।

आवश्यक वस्तुओं के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर, समग्र सूचकांक की तुलना में कम रही है जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने में सरकार द्वारा दिए जा रहे महत्व का पता चलता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2005-06 में बताया गया है कि आम आदमी के लिए जरूरी 30 आवश्यक वस्तुओं की वार्षिक मुद्रास्फीति दर इस वर्ष 21 जनवरी 2006 को 3.8 प्रतिशत रही है जो कि पिछले वर्ष 6.1 प्रतिशत रही है। यह एक स्वागत योग्य संकेत है और हमें इस प्रवृत्ति को बनाए रखना है आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण गरीबी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. सिबैस्टियन पॉल]

कम हो रही है लेकिन ग्रामीण गरीबों की संख्या अभी भी अधिक है। गरीबी उन्मूलन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुशासन के प्रमुख लक्ष्य हैं। फ्रांसीसी क्रांतिरियों ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के उच्च आदर्शों की उद्घोषणा की थी लेकिन क्रांति भुखमरी के कारण हुई थी। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए खाद्य क्षेत्र में प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है।

*श्री एस.के. खारवेन्थन (पलानी) : महोदय, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि संबंधी इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं। यह चर्चा अनाजों, सब्जियों, खाद्य तेलों, फलों, मिट्टी के तेल और अन्य मदों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण आम आदमी को हो रही समस्याओं पर विचार करने के लिए मेरे सहकर्मी श्री चिंता मोहन द्वारा इस सभा में प्रारंभ की गयी है।

इस भारतीय उपमहाद्वीप के लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं और हम इस सवाल पर विचार नहीं करने जा रहे हैं कि क्या ऐसा केन्द्र या राज्यों में सरकार के प्रबंधन में कमी के कारण हैं यह सभा मूल्य वृद्धि की समस्या पर काबू पाने के तरीकों पर विचार कर रही हैं माननीय सदस्यगण मूल्य वृद्धि को काबू में रखने के लिए कुछ उपाय करने का सुझाव दे रहे हैं जिसे सरकार द्वारा लागू किया जाना है। किसानों के परिश्रम से जब भी खाद्यान्नों और अन्य कृषिगत उत्पादों में प्रचुर वृद्धि और प्रचुर उपलब्धता होती है तो मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति हो पाती है। इस अवधि में आम आदमी मूल्य वृद्धि से प्रभावित नहीं होता है।

हम पाते हैं कि चीनी के मूल्यों की बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। इसका कारण है कि इस वर्ष गन्ने की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जिन राज्यों में पारंपरिक रूप से गन्ने की खेती की जाती है वहां मौसम की गड़बड़ी जैसे बहुआयामी कारकों के कारण हम वृद्धि में साफ तौर पर कमी पाते हैं। गन्ना उत्पादन में कमी के कारण चीनी की कमी हो गयी जिससे मूल्य वृद्धि हुई। सब्जियों के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों से तुलना करने के बजाय हमें इस समस्या को हल करने और भविष्य में ऐसा नहीं होने देने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। तमिलनाडु में रैयत बाजार यानी 'उलावर संधाई' की स्थापना की गयी है जहां किसान अपना उत्पाद सीधे बाजार में ले जा सकते हैं और स्वयं ही उसे बेचकर लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को सब्जी जैसे उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों से निकटवर्ती शहरों में ले जाने और उसे बेचने के लिए परिवहन सुविधा और बाजार सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां सस्ते मूल्य पर खरीददारों को उपलब्ध हो जाती है क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया और कुली नहीं होता। यह योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि द्वारा सफलतापूर्वक शुरू की गयी है। मेरी इच्छा है कि यह योजना छोटे शहरों और बड़े नगरों में उपभोक्ताओं के लाभार्थ पूरे देश में शुरू की जाये क्योंकि इससे उपभोक्ताओं और उत्पादकों को बड़े पैमाने पर लाभ होता है और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में आनेवाली कई समस्याओं से बचा जा सकता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ओड्डा क्षत्रम पूरे उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा सब्जी बाजार है। हमारे क्षेत्र में सहजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता हैं सहजन की 100 फलियों के गट्ठर का मूल्य महज दस रुपये होता हैं जबकि बड़े शहरों में यह अत्यधिक मूल्य पर बेचा जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में सहजन की प्रत्येक फली दस रुपये की दर से बेची जाती है। मूल्य में यह वृद्धि परिवहन के कारण है। तेल की कीमतें अधिक होने के कारण सड़क परिवहन मंहगा हो गया है। अब लारियों से भी माल का परिवहन सस्ता नहीं रहा। इसलिए, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन रेल मार्ग से करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। परिवहन पर खर्च कम होने से मूल्यों पर प्रपाती प्रभाव पड़ सकता है। इससे बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। इसलिए उपलब्धता और मांग स्थिति पर गहन निगरानी अवश्य रखी जानी चाहिए और आवश्यक वस्तुओं को उनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता वाले स्थानों से कम उपलबधता वाले स्थानों पर रेल मार्ग से ले जाया जाना चाहिए। रेलवे को सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं को विशेष रूप से बनाए गए डिब्बों में प्रशीतन सुविधा सहित ले जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। किसानों से सीधी खरीद करने के लिए सरकार को अवश्य आगे आना चाहिए। इससे स्थिति को आसान बनाने तथा उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर अच्छी सब्जियां उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मेरे कई माननीय सहकर्मियों ने किसानों की समस्याओं को उठाया है। उन्होंने कर्ज के बोझ के कारण किसानों की आत्महत्याओं के मुद्दे को भी उठाया हैं वे महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों का हवाला दे रहे थे। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों जैसे कृषिगत आदानों की अनुपलब्धता इस विषम समस्या

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

का प्रमुख कारण है। उर्वरक और कीटनाशक जैसे कृषि आदानों की खरीद करने के लिए सहकारी समितियों द्वारा समय पर ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसलिए वे किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं और महाजनों से उच्च ब्याज दर पर ऋण लेने पर मजबूर हो जाते हैं। फसल नष्ट होने और लाभकारी मूल्य की अनुपलब्धता के कारण किसान इस ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे निराशाजनक स्थिति पेदा हो जाती है और परिणाम आत्महत्या होता है।

हमारे कृषि मंत्री इस वास्तविकता के प्रति जागरूक हुए हैं और उन्होंने इस माननीय सदन में विस्तार से यह बताया कि ये किसान क्यों और कैसे आत्महत्या कर रहे हैं। आज हमारे कम से कम 75 प्रतिशत किसान बेहद ऊंची ब्याज दरों पर गैरसरकारी ऋणदाताओं से उधार ले रहे हैं। यह प्रवृत्ति पूरे देश में व्याप्त है।

हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह किसानों का हाल जानने स्वयं विदर्भ गए थे जहां किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए उन्होंने विशेष पैकेज दिए हैं। यह सरकार वास्तविकता पर नजर रखे हुए हैं तथा कहीं भी समस्या उत्पन्न होने पर उसे हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाती है।

विपक्षी बेंचों पर बैठे हुए कुछ सदस्यों ने खाद्यान्न और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के लिए इस सरकार को दोषी ठहराने की कोशिश की मानों यह समस्या केवल अब पैदा हुई हो। मैं कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती एन.डी.ए. शासन की गलत नीतियां आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का मूल कारण हैं और यह प्रवृत्ति उन्हीं दिनों से शुरू हुई है। उचित वितरण सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी तंत्र होना चाहिए। उदाहरण के लिए एनडीए शासन द्वारा अंतर्राज्यीय रोक बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के लिए हटायी गयी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बेइमान तत्व मूल्य बढ़ा रहे हैं और कृत्रिम कमी उत्पन्न कर रहे हैं ऐसा बिचौलियों को मदद पहुचाने के लिए किया गया था। इसके और आगे परिणाम हमारे खाद्यान्नों के भंडार में कमी के रूप में सामने आया। भा.खा.नि. द्वारा खाद्यान्न की प्राप्ति पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ा। इस प्रकार पिछले एन डी ए शासन द्वारा की गयी गलतियों को इस सरकार द्वारा तुरंत ठीक करना पड़ा।

कृषि उत्पादन बढ़ने से ही बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सकता है। किसानों के हाथ मजबूत करना समय की आवश्यकता है। अधिक से अधिक भूमि पर खेती होनी चाहिए। जिस बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण लेने पर 14 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है जबकि शहरों और नगरों में कार खरीदने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है। ऐसी प्रवृत्ति में बदलाव लाया जाना चाहिए और किसानों के हित पर ध्यान दिया जाना चाहिए

विपक्षी बेंच मेरे सहकर्मी श्री अनन्त कुमार कुछ वोट बैंक नीतियों और नोट बैंक नीतियों का भी हवाला दे रहे थे। शायद वे यह भूल गए कि पूरा देश उनके नेता*... को पेसा लेते देखा था। उन्हें रुपये लेते देखा गया था। यह नोट की राजनीति है। पूरा विश्व उन्हें लाखों रुपये लेते देख रहा था। उन्हें कांग्रेस की आलोचना नहीं करनी चाहिए और अपने तथ्यों के गलत अनुमान से गलत तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें मूल्य वृद्धि को काबू में करने के लिए गंभीर रणनीति अवश्य बनानी चाहिए और हमें मध्यवर्गीय जनता और आम आदमी की मदद जरूर करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत से नाम हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह इस सदन में उपस्थित नहीं है।

****श्री एस.के. खारवेनथन** : मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारी सरकार गंभीर है कीमतों में कमी लाने और मुद्रास्फीति पर काबू करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। सरकार ने किसानों को उदार शर्तों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं डा. मनमोहन सिंह नीति और हमारी मैडम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार आम आदमी के हितों को संरक्षण देने के लिए प्रभावशाली कदम उठा रही है। इसी कारण सरकार ने आज पेट्रोल की कीमत में दो रुपये और डीजल की कीमत में एक रुपये की कमी कर दी है। जनता द्वारा विधिवत रूप से निर्वाचित हमारी सरकार जनता के हित के संरक्षण के लिए काम कर रही है। कीमतों में और कमी करने के लिए और कदम उठाए जाने की अपनी जबर्दस्त इच्छा व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री विजय हान्डिक : महोदय, माननीय सदस्य श्री राम कृपाल यादव तथा श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने इस विषय पर माननीय मंत्री श्री ए.आए. अंतुले से चर्चा की है। उन्होंने दोनो सदनों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी गंभीर चिंताओं पर गौर किया। क्योंकि केवल अंग्रेजी संस्करण ही तैयार था इसलिए उन्होंने आज केवल अंग्रेजी संस्करण को ही सभा-पटल पर रखा हैं हिन्दी रूपान्तर तैयार किया जा रहा है और जैसे ही यह तैयार हो जाएगा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त कर ली है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, जल्दी तैयार हो जाएं, क्योंकि मैम्बर्स हिन्दी का पढ़ेंगे। अनुवाद का नियम है कि दोनों भाषाओं में हो।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चिन्ता मोहन जी ने बड़ी चिंता के साथ यह प्राइस राइज का प्रस्ताव रखा लेकिन ऐसा लगा कि यह प्रस्ताव रखते समय उनको घर में बहुत जोर की डांट पड़ी होगी कि पूरा बजट गड़बड़ा रहा है, ...*(व्यवधान)* और चावल के साथ आज साम्बर नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप ज्यादा जानते हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष जी, डांट पड़ने के बाद उन्होंने उसी गुस्से में आकर प्रस्ताव तो दे दिया और बाद में शायद उनके ध्यान में आया कि यह प्रस्ताव मैंने अपनी ही सरकार के खिलाफ दे दिया तो बोलूं तो क्या बोलूं, इसीलिए इधर-उधर की बातें वे करते रहे।...*(व्यवधान)* इसीलिए प्रस्ताव उन्होंने रखा लेकिन वास्तविकता यही है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति आज महंगाई से परेशान हो रहा है। प्रस्ताव उन्होंने रखा आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों के संबंध में इसमें कोई बहुत बड़ी मशीनरी की बात नहीं है, कोई रैफ्रिजरेटर या टी.वी. की बात भी हम नहीं करते। जो रोजमर्रा की सामान्य व्यक्ति की चीजें हैं, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, जिसकी इंकम फिक्स्ड हो, ऐसे फिक्स्ड इंकम ग्रुप वाले जो लोग हैं या एक मजदूर को, जिसे रोज पचास या साठ रुपये मिलते हैं, अगर जब उसको यह ध्यान में आता है कि आटा, दाल तेल खरीदने में ही पैसे खत्म हो गये, मकान का किराया देना हो तो कहां से देंगे, बच्चों को कपड़े पहनाने हो तो कहां से पहनाएंगे लेकिन उस दाल में डालने के लिए नमक, मिर्च के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। यह आज वास्तव में सामान्य से सामान्य व्यक्ति की स्थिति हो रही है।

कभी-कभी लगता है कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं, वह बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं, कभी सेंसेक्स ऊपर-नीचे की बात करते हैं। हम तो सामान्य महिला हैं, हमारी समझ में ये बातें नहीं आतीं। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है कि अगर मेरे घर में या किसी भी घर में बच्चे ने कहा कि मां, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है तो क्या वह मां उसे यह कहेगी कि बेटा, सेंसेक्स स्थिर हो जाने तक रूक या सीपीआई कम हो जाने तक रूक। सीपीआई का मतलब ये सीपीआई नहीं है। ये तो कम होने वाले हैं। सीपीआई अर्थात् कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम होने तक रूक। क्या यह संभव है? मैंने किसी प्रश्न के उत्तर में देखा था, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि हमारे अनन्त कुमार जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से सारी बातें रखी हैं, लेकिन बात यह हो जाती है कि जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है, अब जब वह 5.2 से 8.7 प्रतिशत तक बढ़ा लेकिन यह बोलते हैं कि नहीं, कम होकर 7.3 प्रतिशत हो गया है।

इसका क्या फायदा है, क्या सामान्य आदमी तक कोई फायदा पहुंच रहा है, क्या उसके कारण दालों की कीमतें कम हुई है, क्या चावल की कीमत 8 आने कम हुई है, क्या 5 पैसे आटे के भाव में कमी आई है? जब हम सामान्य आदमी की बात कर रहे हैं तो क्या उसे फायदा हुआ है, नहीं। आज बात इसलिये कहनी पड़ रही है कि यह सरकार आम आदमी के कारण सत्ता में आई है। मैं कहना तो नहीं चाहती कि आप कहेंगे कि यह असंसदीय भाषा है लेकिन इनको कतई लिहाज नहीं है क्योंकि आम आदमी की बातें करते हुये ये लोग सत्ता में आये हैं। इन लोगों को क्या लग रहा है, मुझे मालूम नहीं लेकिन अंदर ही अंदर माननीय शरद पवार जी को लग रहा है कि उनके हाथ बंधे हुये हैं, नहीं तो किसी कमेटी में आलोचना होती है तो कहा जाता है कि डिसकस करो, ताकि मंत्री जी पर प्रहार करें, यह बात अलग चल रही है।

अपराह्न 5.56 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

सभापति जी, जो लोग आम आदमी की बात करते हुये सत्ता में आये हैं, तो कहते हैं कि प्राइस इंडैक्स 7.3 प्रतिशत पर आया है,

और कह रहे हैं वह कम हो गया है। इसके पिछे कारण यह है कि सीज़नल फल और सब्जियां काफी मात्रा में बाजार में आ गई हैं, इसलिये भाव कम हो गये हैं। क्या मैं गलत कह रही हूं? इस कारण प्राइस इडैक्स 7.3 प्रतिशत पर आया है। क्या सरकार ने कोइ अच्छी नीति अपनाई है जिसके कारण यह कंज्यूमर प्राइस इडैक्स कम हो गया है? ऐसा नहीं हुआ है। मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। आटा, तेल चावल और दालें महंगी हो रही हैं। मैं मेनुफैक्चरिंग गुड्स की बात नहीं कर रही हूं जो महंगे हो गये हैं। आप केवल आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि की बात करें। बच्चा-बच्चा यह पूछता है कि अब क्या हो गया हैं कभी कभी मेरे मन में यह प्रश्न सामान्य जनता के लिये उठ रहा है कि जब जब कांग्रेस की सरकार केन्द्र में आई है, तब-तब देश में महंगाई जोरों से बढ़ी है। वास्तव में इतना बड़ा प्रश्न मेरे सामने है और वह इसलिये कि यह गलत बात नहीं है।

सभापति महोदय, जब हमने राजनीति में प्रवेश भी नहीं किया होगा या राजनीति करने की सोच रहे होंगे, यह तब की बात है। उस समय एक नारा लगाया जाता था - 'कांग्रेस के भूखे बैल, खा गये शक्कर पी गये तेल' उसके बाद कांग्रेस का गाय-बछड़ा आया। हम कहते थे कि यह कैसी गाय है जो अपने बछड़े को तो दूध पिलाती है, आम जनता की बात नहीं सोचती। इस प्रकार की आलोचना होती थी। तब से विपक्षी दल भी यहां रहे हैं और यह आलोचना होती रही है कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही, तब-तब इस देश में ऐसा क्यों होता रहा? अगर हम 1977 की जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो उस समय तराजू के एक तरफ जूते-चप्पल रखे जाते तो दूसरी ओर शक्कर रखी मिल जायेगी। मेरे कहने का मतलब है कि उस समय बाजार में सारी चीजें सस्ती थीं। उसके बाद 1998 में जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार आई, तब हम दिखा सकते हैं कि जून में जो प्राइस इडैक्स 6.7 प्रतिशत था, सितम्बर में 6.8 प्रतिशत था, उसके बाद 3.8 प्रतिशत हुआ और बाद में यह 4.4 प्रतिशत हो गया थां यह क्यों हो गया था? उस समय क्या हो गया था और आज क्या हो गया है?

सभापति जी, पं. जवाहर लाल नेहरु के जमाने में उन्होंने यह ऐलान किया था, कि महंगाई बढ़ती देखकर, अगर जमाखोरी होती है, व्यापारी जमाखोरी कर रहे हैं तो कालाबाजारियों को भरे चौक में फांसी दे दूंगा। मैं माननीय कृषि मंत्री पवार जी से पूछना चाहूंगी कि उन्हें तो पं. जवाहर लाल नेहरु की वह बात याद होगी। यह उस जमाने की बात है। क्या आज तक किसी जमाखोर या कालाबाजारिये को पकड़ा गया है? आज तो बड़ी-बड़ी कंपनियां आ गई हैं। हो सकता है कि आपको किसी नीति के कारण उन पर कंट्रोल रखना है, आप क्या कर रहे हैं? इसलिये, मेरा इतना ही कहना है कि महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई में गैप है। क्या वाकई ऐसा है या अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी हैं? हमने भी थोड़ा बहुत इकौनोमिक्स पढ़ा है और हम यह बात जानते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगी?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगी।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय : यदि आप आज ही दो मिनट में अपना भाषण पूरा करना चाहती हैं तो पूरा कर लें, अन्यथा आप कल बोलें। उसके बादहम ज़ीरो आवर लेंगे। हम सदन की कार्यवाही ज़ीरो आवर खत्म होने तक बढ़ाते हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करूंगी। ज्यादा क्या बोलूं, सभी लोग जानते हैं। दुख इस बात का है कि हमें यहां फिर इकोनॉमिक्स सिखाते हैं। हम भी जानते हैं, लेकिन सरकार किस चीज़ का नाम है? कंट्रोल में रखकर जनता को राहत देने के लिए सरकार बनी हुई है। इंटरनेशनल प्राइस की बात करते हैं। अभी चिन्ता मोहन जी को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि देखो हमारी सोनिया जी ने बीच में पड़कर और बड़ी चिंता करके पैट्रोल और डीजल के भाव दो रुपये कम करवा दिये। वह सब अनन्त कुमार जी ने बताया कि कैसे फेक है। गुस्सा इस बात का है कि फेक है। चिन्ता इतनी हुई कि पैट्रोल और डीजल के भाव कम किये कि अगर कोई बच्चा भूख से चिल्लाएगा तो क्या उसकी मां उस पर पैट्रोल डीज़ल छिड़क देगी? क्या इसलिए सोनिया जी ने इस पर दाम कम किया, बाकी चीजों की याद उनको नहीं आई। उसकी बड़ी प्रशंसा आप करते हैं। उस पर हमें एक इंटरनेशनल प्राइस का वाक्य फेंक दिया जाता है। यानी अब मेरे घर में चूल्हा जलाना हो तो क्या बुश साहब को पूछने जाऊंगी? कोन सा इंटरनेशनल प्राइस? ये हमारे घर की बातें है। पवार साहब से एक बात के लिए मैं माफी चाहूंगी। आप भाषण देते हैं कि अगले साल अच्छा प्रोडक्शन होगा, अगले साल किसानों को अच्छा सपोर्ट प्राइस देंगे। मेरा निवेदन है कि अगले साल वह किसान और मज़दूर जिन्दा भी तो रहना चाहिए

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

आपका अच्छा सपोर्ट प्राइस लेने के लिए। अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए उपाय हैं लेकिन उपाय वे नहीं जो आप कर रहे हैं। विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो पैकेज डिक्लेयर कर दिया। इसको बोलते हैं ठेंगरी लगाना। ठेंगरी लगाने से काम नहीं होता है पवार साहब। यह ठेंगरी लगाना होता है किसी चीज को। इससे इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं संभल सकती है। दो बार बैंकों को फायदा हो सकता है जहां से वहां के किसानों ने कर्जा लिया है। इससे क्या होगा? थोड़ा बहुत हम ठीक ढंग से सोचें आज पीडीएस पर बहुत बात हो रही है। मैं और बात नहीं करूंगी। आज सुबह मैंने बात की कि आपने जो आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया है उसको देखिये। हम लोक सभा के सदस्य हैं तो जनता के बीच उनका सुख-दुख पूछने के लिए जाना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में जब मैं घूमने गई तो लोगों ने मुझे वह गेहूं दिखाया जो आपने आस्ट्रेलिया से मंगाकर कंट्रोल की दुकानों पर भेजा है। हमारे यहां किसानों को 700 रुपये से ज्यादा प्राइस नहीं मिला और ज़रा आकर देखिये कि हमारे मालवा में किसान कितना सुन्दर गेहूं उगाते हैं। उसका आपने 700 रुपये से ज्यादा भाव नहीं दिया और आस्ट्रेलिया का गेहूं 1000 रुपये के भाव से खरीदकर कंट्रोल की दुकानों के द्वारा मालवा के गरीबों को दे रहे हैं। वे गरीब जो खेतों में मेहनत करते हैं और देखते हैं कि गेहूं क्या होता है, उनको जिस तरह का गेहूं कंट्रोल की दुकानों पर दिया जा रहा है, पवार साहब आप देखिये कि हमारे यहां की गाय-भैंस भी उसको मुंह नहीं लगाती है। आप भी जानते हैं पवार साहब और मैंने आपको उसका नमूना भेजा है। इस प्रकार से हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अनाज आयात कर रहे हैं जबकि हमारे यहां का किसान सब कुछ कर सकता है। लेकिन पीडीएस सिस्टम को भी सुधारना पड़ेगा। वहां पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। उस गेहूं का दलिया भी नहीं बन सकता है। मुझे डर है कि पहले जैसी गाजर घास जैसी कोई बीमारी उस आस्ट्रेलियन गेहूं के साथ न आ जाए।

एक बात मैं कहूंगी पीडीएस सिस्टम को सुधारने के लिए मगर वह आप नहीं कर सकेंगे। मैंने जानकारी ली कि जो राशन कार्ड बने हैं, अकेले मुंबई में 20 प्रतिशत राशन कार्ड फेक बने हैं और जगह भी होंगे। ऐसे ऐसे लोगों को राशन कार्ड दिये गये हैं जिनका नाम वोटर्स लिस्ट में भी नहीं होगा। कोई बांग्लादेश से आए हैं, कोई कहीं और से आए हैं। केवल तुष्टीकरण के लिए और वोट लेने के लिए राशन कार्ड बनाए गए हैं। 20 प्रतिशत फेक राशन कार्ड अकेले मुंबई में हैं। क्या आपकी हिम्मत है उन राशन कार्ड्स को कैन्सेल करने की? कैन्सेल करेंगे तो आपके वोट बैंक का क्या होगा? लेकिन ऐसे कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए नहीं तो मूल्य वृद्धि की चर्चा केवल 193 तक ही सीमित होकर रह जाएगी।

सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि वित्त मंत्री जी अंग्रेजी में बड़ी-बड़ी बातें कह कर हमें शान्त करने का असफल प्रयास करेंगे, लेकिन अंग्रेजी में बड़ी-बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता है पवार साहब, आप किसानों, मजदूरों और गृहणियों के दर्द को जानते हैं। इसलिए हम आपसे ही अपेक्षा करेंगे कि आप जितना सुधार कर सकें, करें और कुछ कड़े कदम उठाएं। कड़े कदम उठाने में बिलकुल मत डरिए। लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कोई फॉरवर्ड ट्रेडिंग की बात करता है जिसमें लेनदेन केवल शब्दों पर ही होता है। आप कहेंगे कि यह हमने शुरू किया है। अगर हमने भी शुरू किया, तो हमने ही कंट्रोल किया। अब आप सरकार में हैं, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य जनता दिक्कतों में रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्राइस-राइज को सामान्य चर्चा के रूप में न लिया जाएं यदि वास्तविक रूप से आप आम आदमी को अन्न, वस्त्र और निवास उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो उनके लिए पूरी तरह से चिन्ता करें और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाएं। यदि ऐसा नहीं करेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आम जनता आपको सजा आवश्य देगी।

सभापति महोदय : अब इस विषय पर कल चर्चा होगी। इससे पहले कि मैं अगली मद को सदन में विचार के लिए लूं, एक माननीय सदस्य कल उपस्थित नहीं रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि दो मिनट का समय श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील जी को बोलने के लिए दे दिया जाए।

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : सभापति महोदय, कल तो मैं भी नहीं रहूंगी। मुझे भी कृपया आज ही बोलने का समय दे दीजिए।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : सभापति जी, मैं भी कल नहीं रहूंगा। मुझे भी आज ही बोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

सभापति महोदय : श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील, अपनी पार्टी के अकेले सदस्य हैं। आपकी पार्टी के तो अन्य लोग भी बोलना चाहेंगे।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़) : महोदय, आपने मुझे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के संबंध में नियम 193 के

अधीन चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं गन्ना उत्पादकों की समस्या को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जब अन्य वस्तुओं की कीमते बढ़ रही है तो चीनी की कीमतें घट रही हैं। चूंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां किसानो की सहकारी चीनी मिलें हैं, इसलिए मै उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की दरें लगभग 3,000 रुपये प्रति क्विंटल है लेकिन हमारे यहां दरें लगभग 1500 रुपये प्रति क्विंटल हैं चीनी की कीमत विश्व बाजार और घरेलू बाजार में दिनो-दिन कम होती जा रही है।

इस साल चीनी का उत्पादन लगभग 230 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है और पिछले साल की बाकी बची चीनी लगभग 40 लाख मीट्रिक टन है इस तरह इस साल अंत तक चीनी का कुल भंडार लगभग 270 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, घरेलू खपत प्रति वर्ष लगभग 190 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। इस प्रकार लगभग 80 लाख मीट्रिक टन चीनी अधिक होगी।

इसलिए जब तक चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा तब तक कीमतों को बनाए रख पाना मुश्किल होगा। गन्ना-उत्पादक सड़क पर आ गए हैं क्योंकि उनको उनके उत्पाद की कम कीमत मिल रही है। यदि गन्ना उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन योजना जैसे समुद्री-भाड़ा और चीनीमिल से बंदरगाह तक परिवहन में राजसहायता दिए जाते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। जब तक गन्ना उत्पादको को संरक्षण नही दिया जाएगा स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा और गन्ने की फसल का उत्पादन भी कम होगा। मैंने देखा है कि प्रत्येक तीन वर्ष में गन्ने की फसल का उत्पादन घट रहा है और इसलिए कीमते बढ़ रही है। पास के देश में चीनी की कीमत 40 रुपये-50 रुपये प्रति किलो है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें अपने यहां चीनी-निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए और कुछ राज सहायता दी जानी चाहिए ताकि गन्ना उत्पादकों को संरक्षण दिया जा सके। यदि ऐसा होता है, तो मुझे शत-प्रतिशत उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में हम पूरे देश में चीनी की कीमत को स्थिर रख पायेंगे।

वस्तुत:, बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति खाद्य-फसल तिलहन या गन्ना का उत्पादन करता है और सहकारी चीनी मिलों के माध्यम से चीनी का उत्पादन करता है, उससे सीधे खरीद-फरोख्त की जानी चाहिए और उसे उसके उत्पाद का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। यदि कीमते बढ़ती हैं तो सरकार को उससे चीनी खरीदनी चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसे राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरित करना चाहिए।

मैं ईमानदारी पूर्वक यह महसूस करता हूं कि हमें गन्ना उत्पादकों को सहायता देनी चाहिए ताकि उन्हें उनके उत्पादो का दठचित मूल्य मिल सके। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि चीनी की कीमतों को स्थिर रखने के लिए चीनी का निर्यात किया जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब मैं स्पेशल मेंशन ले रहा हूं। नियम 193 के अधीन चर्चा कल भी जारी रहेगी।

सभापति महोदय : इस विषय पर अब कल चर्चा होगी। अब स्पेशल मैंशन लेंगे। एक मिनट से ज्यादा समय मत लीजिए, माननीय सदस्यगण, कृपया समय का ख्याल रखिये। श्री शैलेन्द्र कुमार।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, मैं लोक महत्व के इस प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगा। भारतीय मूल के जो लोग इस वक्त विदेशों में हैं, उनके ऊपर जबरदस्त घोर अत्याचार, अन्याय और शोषण हो रहा है जिसका संज्ञान समय-समय पर सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को दिया गया है। अभी भारतीय मूल के 41 मजदूर अफगानिस्तान गये थे। उनका पीरियड भी पूरा हो गया है, जो भी 2-4-5 साल का एग्रीमेंट होता है, उनका वर्क परमिट पीरियड होता है, लेकिन उनके साथ वहां पर अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। अफगानिस्तान में, इस समय भारतीय लेबर यूनियन ने भारतीय दूतावास पर भी धरने का प्रदर्शन किया था न तो उनको वेतन दिया जा रहा है, न कोइ मानदेय दिया जा रहा है। यहां तक कि मजदूरों को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी आंख निकाल लेंगे, तुम्हारा गुर्दा निकाल लेंगे। इस तरह से 41 मजदूर अफगानिस्तान में फंसे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जिस भी दूतावास से, विदेशी मंत्री के माध्यम से हो, इस पर पहल करें दूसरी घटना...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दूसरी घटना नहीं, आप एक विषय पर एक ही घटना बोल सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : भारतीय मूल के जो लोग वहां हैं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका ऑपरेटिव मेन बिन्दु तो आ ही गया है। आपने कह दिया कि कूटनीतिक तरीके से दूतावास से सम्पर्क करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : बूसेल्स के दूतावास में जो अधिकारी हैं, ...*(व्यवधान)* उसके वकील पर भी यह हुआ। इसी प्रकार लंदन में एक जो छात्र बच्चा था, सिख था, उसके केश काटे गये, जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। उसके कारण भी काफी आन्दोलन है। हमारे भाई रवि वर्मा जी यहां बैठे हैं, इनके क्षेत्र लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति सरदार तरसेन सिंह कुवैत में है। वह तीन साल से नहीं आ पा रहा हैं जो एग्रीमेंट हुआ था, उस परमिट पीरियड से ज्यादा उसको रोक लिया। उनकी मां बीमार है, घर की हालत खराब है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप डिमांड बोलिये, उसमें आपका क्या सुझाव है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : चाहे वह बूसेल्स का हो, अफगानिस्तान का हो, लंदन का हो या कुवैत का हो, यह मामला बहुत गंभीर है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दूतावास से विदेश मंत्रालय से बात करके इन लोगों को कम से कम संरक्षण दें और हमारे जो भारतीय वहां फंसे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार अन्याय और शोषण हो रहा है उनको वापस बुलाया जाये ताकि वे अपने घर में अपने मां-बाप बाल-बच्चों के साथ रह सकें।

इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : सभापति महोदय, सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बी.सी.एल. के धनबाद जिला स्थित ब्लाक-2 क्षेत्र के बेनीडीह-1 और 2 के बीस स्वीकृत नियोजन सहित 1253 विस्थापितों को, जिनमें कुछ व्यक्तियों की मैडीकल जांच एवं नियुक्ति पत्र निर्गत करने के बाद भी पूर्व समझौते के तहत घर जमीन के बदले नियोजन नहीं दिया गया है जबकि अभी भी इन विस्थापितों की जमीन से कोयला उत्खनन किया जा रहा है। बाध्य होकर वहां के विस्थापित अपने नियोजन के लिए ब्लाक 2 परियोजना में लगभग दो महीने से सपरिवार धरने पर बैठे हैं, परंतु अभी तक इन विस्थापितों की ओर बी.सी.सी.एल. एवं सी.आई.एल. का ध्यान नहीं गया है। विस्थापित दाने-दाने को मोहताज हैं, एवं भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। वहां विस्थापितों का आन्दोलन कभी भी उग्र रूप धारण कर सकता है, जिसके कारण वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा आग्रह है कि बेनीडीह-1 एवं दो के विस्थापितों को पूर्व पैकेज डील के तहत नियोजन यथाशीघ्र दिलाया जाए।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 3-4 वर्ष पहले राजस्थान में जोधपुर में एम्स का शिलान्यास हुआ एम्स के लिए दो करोड़ रुपये बाउण्ड्री वाल बनने के लिए दिएं, लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

खास तौर से पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर जहां कह सकते हैं कि गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, वहां मजदूर भी ज्यादा हैं और हर दृष्टि से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जो तत्कालीन केन्द्रीय सरकार थी, उसने एम्स के निर्माण की घोषणा की थी। उसका शिलान्यास हो गया, लेकिन अभी तक 2-3 वर्षों में सिर्फ बाउंड्री वाल के अलावा उस पर कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जोधपुर का एम्स है, उस एम्स का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करें ताकि वहां के लोगों को और खास तौर पर पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोगों को उसका फायदा हो सके।

[अनुवाद]

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी) : महोदय मुझे दो मिनट ज्यादा समय दीजिए क्योंकि जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है और यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है।

केन्द्र सरकार और केन्द्रीय जल बोर्ड की अनुमति के बिना ही कर्नाटक सरकार कालसा, भांन्द्रा नहर बनाकर महानदी बेसिन के पानी के प्रवाह को मोड़ रही हैं 7.56 टी.एम.सी. पानी के प्रवाह को मोड़ने से गोवा के लोगों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, कर्नाटक सरकार ने महानदी नदी बेसिन से माल प्रवाह बेसिन में 756 टी.एम.सी. पानी ले जाने के लिए कालसा-भांद्रा परियोजना का शिलान्यास सितम्बर, 2006 में किया था और उसने

अक्टूबर, 2006 में केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना ही बेलगाम जिले के कनकुंबी गांव में खुली नहर खोदने का कार्य शुरू कर दिया।

कर्नाटक सरकार का यह कदम पूरी तरह गैर-कानूनी और असंवैधानिक हैं 30.4.2002 को मंत्रालय ने कालसा-भान्दा परियोजना के कारण निकट भविष्य में गोवा पर पड़ने वाले कुप्रभावो के समुचित रूप से समझे बिना सैद्धांतिक रूप से अनुमति दे दी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री श्रीपाद येसो नाईक के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री श्रीपाद येसो नाईक : तथापि, समय पर गोवा सरकार के विरोध के कारण सैद्धांतिक रूप से अनुमति को सितम्बर, 2002 तक स्थगित कर दिया इस बीच गोवा सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध की वह इस विवाद को हल करने के लिए अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना करे। लेकिन आज की तारीख तक इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है? आप मुख्य बात कहिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कर दिया है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के कनकुंबी, परवाड और मर्से स्थानीय ग्राम पंचायतों ने जिनपर इस प्रस्ताव का कुप्रभाव पड़ने की आशंका है, संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना विरोध दर्ज कर दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री श्रीपाद येसो नाईक के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री श्रीपाद येसो नाईक : तथापि, कर्नाटक सरकार ने कोई ध्यान दिये बगैर ही नहर के खोदने का कार्य शुरू कर दिया। यद्यपि कर्नाटक सरकार का यह दावा है कि वर्तमान में यह कार्य कृषि क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन कभी कालस का बाकी कार्य पूरा करने के लिए कनकुंबी, परवाड और कोडा की कुल 258 हेक्टैयर आरक्षित वन क्षेत्र को नष्ट करना होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह स्पेशल मेंशन है। आपकी बात रिकार्ड में जा रही है।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : भान्द्रा नालदा योजना के लिए बेलगाम जिले के कोंगाला, तमागाओ, करालें, नर्से, तेरेगडी और अन्य गांवों के 243 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र को नष्ट किया जाएगा।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति की प्रतीक्षा किये बगैर ही कर्नाटक सरकार ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। 16 अक्टूबर, 2006 को पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार से यह कार्य बंद करने के लिए कहा था।

सभापति महोदय : श्री शंखलाल माझी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए इनकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय रेल मंत्री जी का हिन्दुस्तान की रेल को दुनिया की नंबर एक रेल बनाने का जो सपना है, मैं उसको साधुवाद देता हूं। मैंने यह बात रेल बजट के दिन भी कही थी और मैं आज फिर उस सोच को साधुवाद देता हूं। मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि हमारे यहां रेलवे के द्वारा जो मऊ से होकर बड़हलगंज वाया फैजाबाद होकर जो लाइन है, उसका सर्वे होने की बात प्रस्तावित है पेपर में भी आयी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शंखलाल माझी]

थी। मेरा निवेदन है कि दोहरीघाट (मऊ) से फैजाबाद के लिए जो बीच का क्षेत्र है, रामनगर, (आलापुर तहसील) टांडा होकर अगर फैजाबाद से जोड़ा जाए, तो इससे नयी रेल सुविधा शुरू होगी। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री जी जो नयी रेल लाइन बड़हलगंज से फैजाबाद होकर आगे बाराबंकी को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है, इसको अगर दोहरीघाट (मऊ), जियमपुर, राजेसुल्तान, आलापुर, हंसवर, होते हुए वाया टांडा से फैजाबाद किया जाए, जहां एक प्रतिष्ठान भी है और एनटीपीसी का बहुत बड़ा पावर स्टेशन भी है। वहां जेपी सीमेंट का भी उद्यम है इससे वहां के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि अकबरपुर रेलवे लाइन का सौ साल पुराना प्रखंड है। अम्बेडकर नगर और कटहरी के बगल में कटहरी, असरकपुर, बर्बा, नीरामपुर एक मार्ग जाता है। सौ साल पहले उस रेलवे लाइन के अंदर से एक मार्ग बना था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप हिस्ट्री में मत जाइए अपनी मांग बताइए।

श्री शंखलाल माझी : मैं वही बता रहा हूं। सौ साल पहले जो निरामपुर मार्ग बना था, वह रेलवे लाइन के नीचे से गया है। अब उसके दोनों तरफ मार्ग बन गया है, लेकिन अभी भी अंदर से रेलवे के नीचे से होकर वह रास्ता गया है वह इतना नीचा है कि बरसात के दिनों में वहां पानी भर जाता है। उसमें कई जानवर डूबकर मर गए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कारणों पर बोल रहे हैं, समाधान पर नहीं बोल रहे हैं। अपनी डिमांड बताइए।

श्री शंखलाल माझी : कटहरी, असरकपुर बर्बा, नीरामपुर जो रेल मार्ग के नीचे से पुलिया बनी है, बरसात के दिनों में उसके नीचे बहुत पानी जमा हो जाता है जिससे आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं, वह बताइए समाधान पर बोलिए।

श्री शंखलाल माझी : हमारी मांग है कि उस रास्ते को ठीक बनाने के लिए रेलवे लाइन के नीचे से जो पुलिया बनी है, उसके ऊपर से समपार फाटक बनाकर उस मार्ग को खोला जाए ताकि बरसात के चार महीने जो रास्ता बंद रहता है, वह खुला रहे।

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय देश के अन्य किसानों की तरह समूचे राजस्थान, विशेष तौर से मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर में गेहूं व सरसों की खेती करने वाले किसान भारी संकट में हैं। बुवाई लगभग संपूर्ण हो चुकी है मगर इस सीजन में यूरिया, डीएपी खादों की उपलब्धता नहीं होने के कारण आने वाली फसलों में भारी कमी होने की संभावना है। राजस्थान के लोग पड़ोस के राज्य से ब्लैक में यूरिया खरीदकर लाते हैं। राज्य सरकार का सही नियंत्रण नहीं होने से नकली खाद बाजार में बेची जा रही हे और किसान ठगे जा रहे हैं।

मेरी माननीय कृषि मंत्री जी और फर्टीलाइजर मंत्री जी से प्रार्थना है कि राजस्थान में यूरिया एवं डीएपी की अधिक मात्रा शीघ्र आवंटित करें ताकि किसान समय पर अपनी फसल को खाद देकर बचा सकें।

श्री शिशुपाल एन. पटले (भण्डारा) : सभापति महोदय मैं आपके सामने महाराष्ट्र की एक गंभीर समस्या को रख रहा हूं। महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडल द्वारा केन्द्रीय नियामक मंडल से परमीशन मांगी गई थी कि महाराष्ट्र में जो आटा-चक्की और छोटे राइस मिलों पर विद्युत का चार्ज बढ़ाया जाए। उसे केन्द्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन आटा-चक्की और छोटे राइस मिलों पर उसका विपरीत असर हुआ। पिछले 17 दिनों से महाराष्ट्र में आटा-चक्की और छोटे राइस मिल बंद हैं। आटा-चक्की और राइस मिलों के मालिकों ने वहां अनशन शुरू किया है। 17 दिन बीत गए हैं लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा न कोई स्टेटमैंट आया है और न ही उनकी समस्या को हल करने के संबंध में कोई प्रयास किया गया है। आटा-चक्कियों के बंद होने के कारण जो डा. बाबा साहेब अम्बेडकर वस्टीगृह हैं, पूरे महाराष्ट्र में इन वस्टीगृहों में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आटा नहीं मिलने के कारण उन्हें खाना नहीं मिल रहा हैं पिछले 17 दिनों से जगह-जगह अनशन चल रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी डिमांड बताइए।

श्री शिशुपाल एन. पटले : मैं एक और विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में अन्त्योदय योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को जो 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं देने का निर्णय एनडीए की सरकार ने शुरू किया था, लेकिन दो रुपये का गेहूं पिसाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 रुपये पिसाई चार्ज लगा दिया। इस कारण गरीब मजदूर आटे की पिसाई नहीं करवा पा रहे हैं और भूखे मरने की स्थिति में पहुंच चुके हैं।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि विद्युत चार्ज नियामक मंडल ने उनके ऊपर जो चार्ज लगाया है, उसे कम किया जाये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इस बारे में प्राइस राइज की डिसकशन में भी बोल सकते हैं। अभी उस पर बहस चल रही है। आपकी पार्टी को उस पर कल भी बोलने का मौका मिल सकता है।

श्री शिशुपाल एन. पटले : मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार इस चार्ज को कम करे और महाराष्ट्र की जो आटा चक्कियां बंद हैं, उनको फिर से शुरू कराने में सहायता करे।

सभापति महोदय : श्री पी. करुणाकरन – अनुपस्थित।

श्री पी.एस. गढ़वी – अनुपस्थित।

श्री हरिभाऊ राठौड़ – अनुपस्थित।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा कि देश में उदारीकरण के नाम पर विभिन्न राज्यों में स्पेशल इकोनामिक जोन्स के तहत किसानों की हजारों हैक्टेयर उपजाऊ जमीन ली जा रही है और उसे देशी या विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिया जा रहा है। परंतु किसानों की उपजाऊ जमीन चली जाने के कारण जहां अन्न के उत्पादन में कमी आ रही है, वहीं किसानों को उस जमीन का बाजार भाव से पूरा मुआवजा भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके साथ-साथ जमीन की लीज भी किसानों के नाम न करके सरकार या खरीदने वालों के नाम से की जा रही है। परिणामस्वरूप किसानों में बड़ा असंतोष व्याप्त हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उनकी इस हालत के प्रकरण पर वह पुनः विचार करे और उनकी उपजाऊ भूमि न ली जाए। अगर अनुपजाऊ या बंजर भूमि बंजर भूमि फैक्टरी लगाने के लिए ली जानी है, तो वह ली जाये। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना है कि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और जिन किसानों की भूमि ली जा रही है, उसकी लीज उनके नाम पर होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड दक्षिण) : महोदय, मैं कन्नड़ में बोलना चाहता हूं। मैं मांग करता हूं कि कन्नड़ भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा दिया जाए। कई भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा दिया गया है लेकिन दुर्भाग्यवश कन्नड़ भाषा को अभी तक यह दर्जा नहीं दिया गया है।

*महोदय, कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्जा दिए जाने के लिए तीन वर्ष से आन्दोलन चल रहा हैं। लेखक, अभिनेता राजनीतिज्ञ और अन्य सभी विभिन्न वर्गों के लोग केन्द्र सरकार से कन्नड़ भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने आज तक राज्य की इस वास्तविक मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

कन्नड लोग स्वर्ण कर्नाटक (स्वर्ण जयंती) मना रहे है और अपने आन्दोलन को तेज कर दिया है और मुझे आशंका है कि यदि केन्द्र सरकार ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया की तो यह आन्दोलन उग्र रूप धारण कर सकता है।

कन्नड़ साहित्य को अनुवाद में कठिनाईयों और देश की राजधानी के संरक्षण के अभाव के बावजूद सात ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गये हैं। इन सात ज्ञानपीठ विजयताओं में श्री पी.के. गोइड्स और श्री डी.आर. बरेद्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं और उन्होंने कन्नड़ भाषा में काफी योगदान दिया है। जहां तक लिपि और अन्य साक्ष्यों का संबंध है इसका इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपको और माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि कर्नाटक शब्द रामायण और महाभारत में भी आया है वहां इसका उल्लेख कर्नाटक के कार्नाटा के रूप में हुआ है। कर्नाटक शब्द हजारों वर्ष पुराना है। संस्कृत भाषा के किसी कवि ने कहा है कि सबसे कर्णप्रिय भाषा कार्नाटा है और कनार्टक स्थान है। अब मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति डी. जावरे गौडा ने आमरण अनशन किया है। मैंने भी इस माननीय सभा में कई बार यह मामला उठाया है। कर्नाटक सरकार और कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी और उप मुख्य मंत्री श्री बी.एफ. येड्डाप्पा ने केन्द्र सरकार में इस संबंध में कई बार अनुरोध किया है। इसलिए मैं पुरजोर मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन को अविलंब कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान कर कर्नाटक के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मेरी मातृभाषा कन्नड़ मेरे खून में कन्नड़ है और मेरी सांस में भी कन्नड़ हैं। कन्नड़ भाषा बोलने के कारण ही मैं इस सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा हूं। मैं अंग्रेजी में भी बोल सकता हूं लेकिन कन्नड़ भाषा को उचित सम्मान देते हुए मैं आज कन्नड़ में बोल रहा हूं।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री मंजुनाथ कुन्नुर]

ऐसी परिस्थितियों में, जब मेरी सांस में मेरे खून में कन्नड़ भाषा का समावेश है और कर्नाटक के पांच करोड़ लोग मांग कर रहे हैं कि कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्जादिया जाए तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस स्थान से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बोलिये।

श्री अशोक अर्गल : देश के अंदर एक ऐसी जहरीली खरपतवार है जिसका नाम गाजर घास है। मैंने एक वैज्ञानिक का लेख पढ़ा था। उसमें लिखा है कि इससे एक घंटे में कम से कम 20 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। पूरे देश में गाजर घास फैल रही है। यह खरपतवार 1965-66 में गेहूं के माध्यम से अमेरिका से आयी है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि गाजर घास की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम करके इसे नष्ट किया जाये। यदि इसे नष्ट नहीं करेंगे तो इससे देश में अनेक तरह की बीमारियां मानव में भी फैल रही हैं जिनमें एग्जिमा, एलर्जी, दमा, बुखार आदि बीमारियां शामिल हैं। ये बीमारियां मानव में भी फैल रही हैं। यदि यह आंखों में लग जाए तो आखों को काफी नुकसान होता है। यदि इसे हाथों से काटा जाए तो उस आदमी को पूरी रात नींद नहीं आती है क्योंकि इससे शरीर में खुजली होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि इसकी रोकथाम के लिए पूरी देश में मुहिम चलाई जाए। मेरे ग्वालियर-चंबल संभाग में यह घास बड़ी मात्रा में पायी जाती है। नहरों, खेतों, तालाबों आदि के आस-पास यह बहुतायत में होती है। किसानों की फसलों को भी नुकसान होता है। जमीन की उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो जाती है।

सभापति महोदय : आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है।

श्री अशोक अर्गल : महोदय, इसके एक पौधे से साल भर में 25,000 पौधे पैदा होते हैं। इस तरह यह एक गंभीर समस्या है। चाहे इसे पर्यावरण मंत्रालय देखे या कृषि विभाग देखे, मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इसमें इन्टरफेयर करे और इसे रोकने के लिए प्रयास करे।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : सभापति महोदय, मैं उड़ीसा में चांदबाली के चालक दल प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन से संबंधित मामले को उठाना चाहती हूं। राज्य सरकार का चांदबाली में लॉच ड्राइवर, सेरांग, मास्टरों आदि के लिए प्रशिक्षण संस्थान हैं। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह संस्थान अपने आप में बिरला संस्थान हैं। यहां पर उड़ीसा के विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन मंजूरी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं ताकि 371 लाख रुपये की अनुमानित लागत से चालक दल प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन किया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस मामलें पर शीघ्र कार्यवाही करें।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती हैं।

सायं 6.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 2006/ 10 अग्रहायण 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री मो. ताहिर श्री मोहन रावले	122
2.	श्री प्रभुनाथ सिंह श्री के.एस. राव	123
3.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	124
4.	श्री दलपत सिंह परस्ते श्री के.सी. पल्लानी शामी	125
5.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता श्री काशीराम राणा	126
6.	श्री तुकाराम गंगाधर गदाख श्री अजय चक्रवर्ती	127
7.	श्री अनंत गुढ़े श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	128
8.	श्री संतोष गंगवार श्री कीरेन रिजीजू	129
9.	श्री समिक लाहिरी श्री इकबाल अहमद सरडगी	130
10.	डा. आर. सेनथिल श्री निखिल कुमार	131
11.	डा. के. धनराजू	132
12.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्रीमती निवेदिता माने	133
13.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी श्री पन्नियन रवीन्द्रन	134
14.	श्री रघुनाथ झा	135
15.	डा. धीरेंद्र अग्रवाल श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	136
16.	श्री अजीत जोगी	137
17.	श्री सर्वे सत्यनारायण श्री गणेश प्रसाद सिंह	138
18.	श्री रशीद मसूद श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	139
19.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री सुनिल कुमार महतो	140
20.	श्री वरकला राधाकृष्णन	141

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1299
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1299, 1303, 1398, 1454, 1473

1	2	3
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1321, 1332, 1333, 1433, 1473
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1332, 1364, 1414, 1461
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	1334, 1415, 1457, 1462
6.	आठवले, श्री रामदास	1386, 1448, 1484, 1487
7.	आजमी, श्री इलियास	1289
8.	''बाबा'', श्री के.सी. सिंह	1302, 1453
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1268, 1270, 1330, 1394, 1452
10.	बर्मन, श्री हितेन	1277, 1298, 1428
11.	बर्मन, श्री रनेन	1331
12.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	1347
13.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	1292
14.	बखला, श्री जोवाकिम	1306
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	1302, 1395
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1296
17.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1312
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1276, 1338, 1371
19.	बोस, श्री सुव्रत	1266
20.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1351, 1387
21.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1408, 1463
22.	चौरे, श्री बापू हरी	1269, 1342
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1389, 1449
24.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1323

1	2	3
25.	चौधरी, श्री अधीर	1377, 1442, 1475
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	1288, 1376, 1392, 1441, 1453
27.	धनराजू, डा. के.	1384
28.	धोत्रे, श्री संजय	1269
29.	फर्नान्डीज, श्री जार्ज	1287
30.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधार	1304
31.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1353, 1412
32.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1295, 1317, 1385, 1446, 1452
33.	गंगवार, श्री संतोष	1383, 1445, 1479
34.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	1269, 1342, 1399
35.	गेहलोत, श्री धावरचन्द	1479
36.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1402
37.	गुड़े, श्री अनंत	1382, 1444, 1453, 1478
38.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	1318
39.	हसन, चौधरी मुनव्वर	1363, 1334
40.	हसन, श्री अनवर	1315
41.	जगन्नाथ, डा. एम.	1299, 1302, 1320, 1462,
42.	जयाप्रदा, श्रीमती	1350, 1426
43.	झा, श्री रघुनाथ	1435, 1471
44.	जिन्दल, श्री नवीन	1278, 1378, 1401, 1453
45.	जोगी, श्री अजीत	1387
46.	जोशी, श्री प्रहलाद	1267, 1401

1	2	3
47.	कनोडीया, श्री महेश	1325, 1457
48.	करुणाकरन, श्री पी.	1344, 1425
49.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	1360, 1450
50.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1322, 1407, 1457
51.	खां, श्री सुनील	1292
52.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1354, 1468
53.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	1263
54.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1262, 1375
55.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1279, 1295, 1373, 1479, 1481
56.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द्र	1453, 1478
57.	कृष्ण, श्री विजय	1364, 1436
58.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1343, 1447, 1480
59.	लिल्ला, सरदार सुखदेव सिंह	1352
60.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1362
61.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1316, 1383
62.	महतो, श्री सुनिल कुमार	1396, 1453, 1482
63.	महताब, श्री भर्तृहरि	1359
64.	महतो, श्री टेक लाल	1358, 1468
65.	माझी, श्री परसुराम	1283, 1302, 1349, 1432, 1470
66.	मंडल, श्री सनत कुमार	1328, 1412, 1452, 1459
67.	माने, श्रीमती निवेदिता	1295, 1317, 1385, 1446
68.	मसूद, श्री रशीद	1367, 1438, 1476

1	2	3
69.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	1299, 1391
70.	मेघवाल, श्री कैलाश	1265
71.	मेहता, श्री भुवेनश्वर प्रसाद	1381, 1443, 1477
72.	मिश्रा, डा. राजेश	1299, 1308
73.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1340, 1399
74.	मो. ताहिर, श्री	1379, 1489
75.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1299, 1424, 1466
76.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	1309
77.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	1272
78.	नायक, श्री अनन्त	1285, 1374, 1440
79.	निखिल कुमार, श्री	1397
80.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1321, 1349, 1457, 1485
81.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1302, 1365, 1437, 1474
82.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1310, 1405
83.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1380
84.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1280, 1409, 1482
85.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	1282, 1296, 1404, 1453, 1455
86.	पाठक, श्री ब्रजेश	1337, 1355, 1363, 1431, 1469
87.	पाठक, श्री हरिन	1330, 1450
88.	पाटील, श्री डी.बी.	1314
89.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	1445
90.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1261, 1369, 1451

1	2	3
91.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	1317, 1341, 1490
92.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	1304, 1317
93.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1430
94.	प्रधान, श्री प्रशान्त	1323
95.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1281, 1396, 1409, 1453
96.	राधाकृष्णन, श्री चरकला	1390
97.	राजगोपाल, श्री एल.	1274, 1421, 1445
98.	रामदास, प्रो. एम.	1327, 1411
99.	रामकृष्णा, श्री चाडिगा	1293, 1335, 1416
100.	राम्मा, श्री काशीराम	1267, 1366, 1401, 1301
101.	राव, श्री के.एस.	1356
102.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1329, 1409, 1413, 1460, 1486
103.	राव, श्री डी. विट्टल	1311
104.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1273, 1302, 1368
105.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	1406, 1456, 1484
106.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1372, 1402, 1447, 1480
107.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1304, 1392, 1490
108.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1304, 1419
109.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1350
110.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1370, 1449
111.	साईं प्रताप, श्री ए.	1352
112.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1378, 1458, 1485

1	2	3
113.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1345, 1422
114.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1388
115.	सत्पथी, श्री तथागत	1267
116.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1392, 1401
117.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1294
118.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1304, 1317
119.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1337, 1418, 1464
120.	शिवाजीराव, अधलराव पाटील	1321, 1332, 1333, 1349, 1380
121.	शिवन्ना, श्री एम.	1402, 1480
122.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1295, 1317, 1427, 1467, 1490
123.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1275, 1402, 1472, 1480
124.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1301, 1313, 1393
125.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1307, 1403
126.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	1300
127.	सिंह, श्री चन्द्र भूषण	1302
128.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1302
129.	सिंह, चौधरी लाल	1286
130.	सिंह, श्री दुष्यंत	1336, 1349, 1417
131.	सिंह, श्री गणेश	1326, 1410
132.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1295, 1317, 1385, 1446
133.	सिंह, श्री मोहन	1319
134.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	1321, 1348

1	2	3
135.	सिंह, श्री राकेश	1346, 1423
136.	सिंह, श्री रेवती रमन	1380
137.	सिंह, श्री सुग्रीव	1284, 1296, 1404, 1455, 1483
138.	सिंह, श्री सूरज	1313
139.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	1325, 1457
140.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1271, 1403, 1455, 1473
141.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1361, 1385
142.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1268
143.	थामस, श्री पी.सी.	1304
144.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1264, 1393
145.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1304, 1339, 1420, 1465
146.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1291
147.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1290, 1321, 1332, 1333, 1349
148.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	1357, 1488
149.	यादव, श्री बालेश्वर	1401
150.	यादव, श्री भाल चन्द्र	1297
151.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1317, 1341, 1473, 1489
152.	यादव, श्री पारसनाथ	1295
153.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1324

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	129, 133, 138
संस्कृति	:	141
रक्षा	:	130, 132
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	126, 135
अल्पसंख्यक मामले		127
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		124
रेल	:	122, 131, 139, 140
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		125, 128
पर्यटन	:	123, 134, 136, 137.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	1284, 1290, 1304, 1317, 1330, 1340, 1342, 1343, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1357, 1360, 1366, 1381, 1382, 1388, 1401, 1405, 1406, 1430, 1435, 1437, 1443, 1446, 1455, 1456, 1457, 1462, 1465, 1472, 1481, 1482, 1484, 1489
संस्कृति	:	1288, 1291, 1293, 1301, 1319, 1320, 1341, 1370, 1371, 1416, 1429, 1441, 1453
रक्षा	:	1261, 1263, 1274, 1282, 1286, 1292, 1294, 1295, 1296, 1299, 1325, 1336, 1337, 1338, 1339, 1361, 1391, 1420, 1458, 1485, 1487, 1490
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	1384, 1393, 1409, 1478
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1266, 1267, 1298, 1306, 1310, 1313, 1331, 1335, 1365, 1383, 1395, 1400, 1407, 1415, 1421, 1428, 1476

अल्पसंख्यक मामले	:	1262, 1269, 1315
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1268, 1277, 1307, 1332, 1333, 1353, 1363, 1377, 1386, 1396, 1397, 1398, 1417, 1439, 1442, 1445, 1463, 1474, 1475, 1483
रेल	:	1264, 1265, 1270, 1271, 1272, 1275, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1297, 1300, 1302, 1303, 1305, 1309, 1312, 1314, 1316, 1322, 1324, 1326, 1334, 1344, 1345, 1346, 1350, 1351, 1352, 1358, 1359, 1362, 1364, 1367, 1369, 1372, 1374, 1375, 1379, 1380, 1387, 1389, 1390, 1403, 1404, 1408, 1410, 1411, 1412, 1413, 1418, 1419, 1422, 1423, 1424, 1427, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1440, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1454, 1459, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1486
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1273, 1318, 1327, 1356, 1368, 1394, 1399, 1402, 1414, 1426, 1444, 1460, 1461, 1479
पर्यटन	:	1308, 1311, 1321, 1323, 1328, 1329, 1373, 1376, 1378, 1385, 1392, 1447, 1464, 1477, 1480, 1488.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और धनराज एसोसिएट प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।